लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 27 मार्च, 1985/5 चैत्र, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

मुख पृष्ठ पर "(दूसरा सत्र)" के नीचे "आठवीं लोक सभा" पढ़िये ।

पृष्ठ 3, पंक्ति 9, "श्री सनत कुमार मण्डल" के नाम पर "+" चिह्न पढ़िये

पृष्ठ 32, पंक्ति 3, अ०प्र०संख्या "1177" के स्थान पर "1178" पढ़िये ।

पृष्ठ 55, पंक्ति 17 के नीचे बाईं ओर अ०प्र०संख्या 1211 के शीर्षक के ऊपर "(हिन्दी)" पढ़िये ।

पृष्ठ 60, पंक्ति 6, "श्री लक्ष्मन मलिक" के स्थान पर "श्री लक्ष्मण मलिक" पढ़िये

पृष्ठ 121, पंक्ति 9, "कृष्णा" के स्थान पर "कृष्ण" पढ़िये ।

पृष्ठ 125, पंक्ति 11, "उपाध्यक्ष महोदय" के पश्चात ":" के स्थान पर "," पढ़िये और पंक्ति 11 तथा 12 को पंक्ति 10 के आगे श्री सोमनाथ रथ द्वारा कही गई बात के रूप में पढ़िये ।

पृष्ठ 139, पंक्ति 1[illegible], "भण्डागार" के स्थान पर "भाण्डागार" पढ़िये ।

पृष्ठ 146, पंक्ति 4, "आर" के स्थान पर "और" पढ़िये ।

पृष्ठ 148, नीचे से पंक्ति 2 के ऊपर बाईं ओर "(अनुवाद)" अंत:स्थापित करिये ।

पृष्ठ 150, पंक्ति 4, "(अनुवाद)" का लोप कीजिये ।

पृष्ठ 156, पंक्ति 5, "श्री के०एल०प्रधान" के स्थान पर "श्री के०एन०प्रधान" पढ़िये ।

विषय-सूची

अंक 13, बुधवार, 27 मार्च, 1985/6 चैत्र, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
...सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1-19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 201 से 203 और 206 से 208	1-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20-122
तारांकित प्रश्न संख्या : 204, 205 और 209 से 220	20-28
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1173 से 1262 और 1264 से 1291	29-118
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	122-124
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	124
पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही तत्वों की कथित हिंसक गतिविधियों तथा सशस्त्र जनजातीय छापामारों द्वारा गैर-जनजातीय ग्रामीणों पर आक्रमण से उत्पन्न स्थिति	124
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	126
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा	126
श्रीमती जयंती पटनायक	128
श्री जैनुल बशर	130
श्री सी० माधव रेड्डी	132
श्री ललित माकन	132
नियम 377 के अधीन मामले	135-139
(एक) दिल्ली में, विशेषकर विद्यार्थियों द्वारा, नशीली दवाओं का बढ़ता जा रहा उपयोग	
श्री जयप्रकाश अग्रवाल	135
(दो) बीदर (कर्नाटक) में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी	136
(तीन) चित्तौड़गढ़ किले पर एक डाक टिकट जारी करने की आवश्यकता	
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	136
(चार) आवश्यक वस्तुओं के उचित भण्डारण तथा वितरण के लिए केरल में गोदाम बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	137
श्री वी० एस० विजयराघवन	
(पाँच) सातवीं योजना में उत्तर प्रदेश में ओवरा-धोरावल सड़क का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देना	
श्री राम प्यारे पनिका	137
(छः) पणजी रिले केन्द्र के लिए नया दूरदर्शन टॉवर लगाना तथा ई० एन० जी उपकरण देना	
श्री शान्ताराम नायक	138
(सात) पूरे देश में एक समान विद्युत-शुल्क लगाने की आवश्यकता	
श्री एस० एम० भट्टम	138

*किसी नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(आठ) गया, बिहार में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन चल रही गया काटन एण्ड जूट मिल में कुप्रबन्ध

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 39

(नौ) इटुक्की के काफी उत्पादकों से काफी खरीदने के लिए काफी बोर्ड को निदेश देना और इटुक्की में भाण्डागार सुविधाओं की व्यवस्था करना

प्रो० पी० जे० कुरियन 13

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति का प्रतिवेदन 140-145

श्री जियाउरईहमान अंसारी

भोपाल गैस विभीषिका (दावा-कार्यवाही) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प और भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) विधेयक 146-206

विचार किए जाने के लिये प्रस्ताव

श्री सी० जंगा रेड्डी 146

श्री वीरेन्द्र पाटिल 148

श्री डी० बी० पाटिल 150

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 154

श्री के० एल० प्रधान 156

श्री एस० एम० भट्टम 160

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 162

श्री मूल चन्द डागा 165

श्री लाल विजय प्रताप सिंह 168

श्री सैफुद्दीन चौधरी 169

श्री गिरधारी लाल व्यास 172

श्री अजय मुशरान 173

श्री बालकवि बैरागी 175

श्री आर० अन्ना नाम्बी 176

श्री अजीज कुरेशी 178

श्री नारायण चौबे 180

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 183

श्री अब्दुल रशीद काबुली 185

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन 193

श्री एच० ए० डोरा 194

भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) विधेयक 206

खंड 2 से 12 और 1

पारित किये जाने के लिए प्रस्ताव

श्री वीरेन्द्र पाटिल 206

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प और 206

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव

प्रो० सैफुद्दीन सोज 206

श्री अब्दुल गफूर 208

श्री सुधीर राय 209

प्रो० एन० जी० रंगा 210

श्री सी० जंगा रेड्डी 210

श्री गिरधारी लाल व्यास 210

लोक सभा

बुधवार, 27 मार्च, 1985/6 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री दाजीबा बलवन्तराय देसाई के, जो 1977-1979 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे, दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचना देनी है । वह 1960-66 के दौरान राज्य सभा के भी सदस्य रहे ।

वह एक प्रसिद्ध राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों में प्रौढ़ शिक्षा के लिए काम किया । वह दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मण्डल, बेलगाँव के अध्यक्ष भी रहे । वह एक मासिक और साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे ।

श्री देसाई का निधन 59 वर्ष की आयु में 19 मार्च, 1985 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आलीबाग में हुआ ।

हम श्री देसाई के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा भी मेरे साथ दुःखी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है । दुःख व्यक्त करने के लिए सभा कुछ देर मौन खड़ी होगी ।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

गिर वन का विकास

*201 **श्री आर०पी० गायकवाड़ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन के संवर्धन हेतु गिर वन का "सफारी" पार्क के रूप में विकास करने का है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीर सेन) : (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार ने गिर में सफारी पार्क का विकास करने का प्रस्ताव किया है और 1984-85 के दौरान इस प्रयोजन के लिए 12.52 लाख रुपये का प्रावधान किया है ।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : गिर वन का कम से कम एक भाग तो पहले से ही पशु-विहार है और दूसरा भाग राष्ट्रीय पार्क है, जहां पर्यटक जाते रहते हैं । मैं माननीय प्रधान मंत्री

जी से जानना चाहता हूं कि सफारी पार्क बनाने से इस पार्क विशेष को क्या अतिरिक्त लाभ मिलेगा और क्या इस विषय के विशेषज्ञ संगठनों को सफारी पार्क चलाने के लिए कोई अतिरिक्त सुविधा मिलेगी ?

श्री बीर सेन : यह मुख्यतया शैक्षिक परियोजना है। लोगों को देश के प्राकृतिक इतिहास की शिक्षा दी जाती है और यहां का दौरा करने वाले पर्यटक पशुओं के बारे में, अर्थात पशु कैसे रहते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, जान सकेंगे। यह लोगों, बच्चों और विद्यार्थियों आदि को सामान्य शिक्षा देने के लिए है।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : मैंने उन संगठनों के बारे में पूछा है जिन्हें इस विषय की जानकारी हो सकती है। क्या इन सफारी पार्कों को चलाने लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शक्तियां भी दी जाएंगी ?

श्री बीर सेन : इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री रणजीतसिंह गायकवाड़ : स्वर्गीय प्रधान मंत्री और वर्तमान प्रधान मंत्री दोनों हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में अत्यधिक रुचि लेते रहे हैं। मेरे विचार में ये सफारी पार्क और प्राकृतिक पशु-विहार हमारी विरासत का ही एक अंग हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं कि वह कृपया मुझे बताएं कि क्या इन वनों को सघन बनाने का कोई कार्यक्रम है ताकि वनों में पेड़ों को न गिराया जाय और इन वनों में जंगली पशुओं के रहने के लिए जो प्राकृतिक स्थान विद्यमान हैं, वे समाप्त न हो जाएं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी को इस संबंध में क्या कहना है। क्या इस संबंध में कोई और भी कार्यक्रम है ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप एक और प्रधान मंत्री पंडित नेहरू का नाम भी जोड़ सकते हैं।

श्री बीर सेन : वन्य जीवन के संरक्षण हेतु हम कई परियोजनाओं विशेष रूप से पशु-विहार और राष्ट्रीय पार्कों के बारे में निर्णय ले रहे हैं।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या इन वनों के हितों की देखभाल हेतु कोई राष्ट्रीय संगठन है ?

श्री बीर सेन : इस प्रकार का संगठन बनाने का इस समय हमारा कोई विचार नहीं है।

श्री बी० के० गढवी : सम्पूर्ण सभा को यह जानकारी है कि एक सींग वाले उत्कृष्ट गैंडे की भांति एशियाई सिंह भी गिर वन में ही पाये जाते हैं। अफ्रीका में सफारी व्यवस्था है और पार्क सफारी के लिए खुले हैं जो कि पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण का केन्द्र हैं। अतः इन पशुओं की सुरक्षा तथा पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु यह गुजरात में भी किया जा सकता है जो कि सम्पूर्ण एशिया में एक अद्वितीय स्थान है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन वनों के विकास हेतु अधिक धनराशि आबंटित करके इनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहती है क्योंकि वहां चोरी-छिपे शिकार किया जाता है और वहां रहने वाले लोगों को कहीं और बसाने की व्यवस्था नहीं है। अतः शेरों के प्राकृतिक वास धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और उनके विकास हेतु प्रतिकूल वातावरण बनता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को

इस तथ्य की जानकारी है और क्या वह इस ओर समुचित ध्यान देकर अधिक धनराशि आबंटित कर रही है।

श्री वीर सेन : ये राष्ट्रीय पार्क वन्य जीवन की सुरक्षा हेतु हैं विशेषरूप से पार्क और सफारी पार्क तो इसीलिए हैं।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : वन और वन्य जीवन हमारी सम्पदा का अभिन्न अंग हैं और उनकी रक्षा की जानी है। सरकार वन्य जीवन और वनों की सुरक्षा हेतु सभी संभव कदम उठाएगी। इन पार्कों के ईर्द-गिर्द जनसंख्या का दबाव बहुत बढ़ जाने से उन पार्कों को अत्यधिक खतरा है। हम इसका पता लगा रहे हैं कि इन पार्कों की रक्षा कैसे की जा सकती है। पहले से ही एक विचार यह है कि इन पार्कों के गिर्द एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाए और ज्यों-ज्यों आप प्रमुख क्षेत्र से दूर जाए नियंत्रण कम होता जाए। हम सुरक्षा प्रदान करने के प्रत्येक पहलू की जांच कर रहे हैं और यह भी देखेंगे कि हम सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के प्रति लोगों को कैसे शिक्षित कर सकते हैं। और इस सब का भारत में लोगों की जीवित रहने के प्रश्न से सम्बन्ध हैं क्योंकि यदि हम पर्यावरण को बिल्कुल खराब कर देते हैं तो हमारे लिए जीवित रहना अत्यन्त कठिन होगा। इसका उत्तर केवल यही है कि लोगों को शिक्षित किया जाए और विद्यालय स्तर पर इस विषय को पढ़ाया जाए ताकि इसमें अन्तर्निहित खतरों की जानकारी हो सके और हम यह सब करने का प्रयास भी करेंगे।

श्री डी०बी० पाटिल : प्रश्न में मुख्य जोर इस बात पर था कि क्या केन्द्रीय सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गिर वन को सफारी वन में विकसित करना चाहती है। उत्तर में यह बताया गया है कि गुजरात सरकार ने इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है और वर्ष 1984-85 के लिए इस बारे में प्रावधान कर दिया गया है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस परियोजना में गुजरात सरकार की मदद करेगी।

श्री वीर सेन : केन्द्रीय सरकार सड़कें बनाने और तार लगाने आदि जैसे अनावर्ती खर्चों के लिए अनुदान देती है। केन्द्रीय सरकार ने अब तक इस काम के लिए 9.24 लाख रुपए दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बेरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में इस समय दो बहुत महत्वपूर्ण गेम सैंक्चुअरीज हैं—एक तो सवाई माधोपुर जिले में रण थम्भौर सैंक्चुअरी है और दूसरी अलवर जिला में सिरस्का है—वहां पर बड़े पैमाने पर कई किस्म के जानवर शेर वगैरह हैं जिनका बहुत अच्छा विकास हुआ है। क्या इन दोनों गेम सैंक्चुअरीज के लिए सरकार की कोई योजना है जिससे कि उसका विकास हो सके ? चूंकि वहां पर बहुत टूरिस्ट आते हैं और ठहरने का प्रबन्ध कम है इसलिए क्या इसके ऊपर सरकार विचार करेगी ?

श्री वीर सेन : इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

[अनुवाद]

बनरोपण के लिए परती भूमि का पता लगाने का तरीका

202. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परती भूमि विकास योजना के अन्तर्गत विकास के लिये क्षेत्रों के निर्धारण हेतु कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किन-किन राज्यों में किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो वन रोपण के लिए परती भूमि का पता लगाने के लिए क्या अन्य तरीका अपनाया जा रहा है; और

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत क्या संस्थागत प्रबंध किये गये हैं और कौन सी किस्मों के वृक्ष लगाए जाएंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बीर सेन) : (क) से (ग) देश में दूर संवेदन तकनीकों का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण किया गया है। इकट्ठे किये गये आंकड़ों का प्रतिपादन किया जा रहा है और शीघ्र ही परिणाम प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। उपभोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अकृष्य भूमि विकास योजना के अन्तर्गत विकास क्षेत्रों का निर्धारण किया जायेगा। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे ऐसी अकृष्य भूमि का पता लगायें जिसे वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सके।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा इस योजना को क्रियान्वित के लिये निम्नलिखित संस्थागत प्रबन्ध पहले ही उपलब्ध हैं :—

(1) वन विभाग,

(2) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी,

(3) मृदा संरक्षण विभाग,

(4) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिये गैर-सरकारी संगठनों और अन्यों का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

इस योजना को संस्थागत वित्त और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायक एजेंसियों से प्राप्त सहायता से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। मृदा और जलवायु सम्बन्धी स्थितियों पर विचार करते हुए वृक्ष की विभिन्न किस्मों का चयन किया जायेगा।

श्रीमती किशोरी सिंह : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या हमारे माननीय प्रधान मंत्री सभा को यह सूचना दे सकेंगे कि क्षेत्र का निर्धारण करने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने में कितना समय लगेगा। क्या सरकार को राज्य सरकारों से यह जानकारी मिली है कि इसमें कितना समय लगने की सम्भावना है।

श्री बीर सेन : यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

श्रीमती किशोरी सिंह : मैं जानना चाहती हूं कि इसमें कितना निवेश किये जाने की सम्भावना हैं और उससे कितने रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

श्री बीर सेन : विस्तृत अनुमान अभी नहीं लगाया गया है। इसके लिए एक अलग सूचना की आवश्यकता है।

श्री के० राममूर्ति : मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वनरोपण के लिए कितनी अकृष्य भूमि है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रति वर्ष वर्षा कम होती जा रही है।

पहली समस्या तो यही है कि ऐसी भूमि का निर्धारण राज्य स्तर पर वन और अन्य विभागों द्वारा किया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं, बल्कि लाखों लोग हैं जो अपनी भूमि जोत रहे हैं पर उन्हें बेदखल कर दिये जाने का खतरा है। दूसरी बात यह है कि वनरोपण के नाम पर कुछ ऐसे किस्म के पेड़ लगाए जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए हानिकारक हैं। उनमें से एक गन्धसफेदा है जो केवल अधिक जल वाले क्षेत्रों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसे दूसरे क्षेत्रों में भी लगाया जा रहा है। इस संबंध में किए गए कुछ अनुसंधानों से पता चलता है कि गन्ध सफेदे का पेड़ भूमिगत जल को सुखा देता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन राज्यों को, जिनमें ऐसी भूमि का निर्धारण किया जाना है, किसानों के हितों का ध्यान रखने और विशिष्ट किस्म के पेड़ लगाने के बारे में कोई मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

श्री बीर सेन : वहां पर अवैध कब्जा हो रहा है और राज्य सरकारों से यह पता लगाने का अनुरोध किया गया कि वास्तव में वहां पर कितनी भूमि उपलब्ध है। अतः भूमि का सीमांकन तथा शिनाख्त राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, भूमि की किस्म तथा जलवायु की स्थिति के अनुसार राज्य के विभाग द्वारा अलग किस्म के वृक्षों की सिफारिश की जाती है। जहां तक यूकेलिप्टस वृक्षों का प्रश्न है, मेरे विचार में, यह एक बहुत ही अनिष्टकारी वृक्ष है और जो विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं, वह सही नहीं हैं।

श्री के० राममूर्ति : इन्होंने उत्तर नहीं दिया है··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए अलग से प्रश्न कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पहले क्वेश्चन में ही पूछना चाहता था, लेकिन आप इस तरफ कम देखते हैं, उधर ही देखते हैं।

यह कहा जाता है कि फारेस्ट बढ़ाओ, बात ठीक है, लेकिन जो जानवर वहां पलते हैं, वे आदमियों और दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, इनकी रक्षा के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। जैसे मेरी कांस्टीचूएन्सी में, आन्ध्र प्रदेश के नागरकरनूल के ताल्लुक अच्छमपेट में टाइगर प्रोजेक्ट बना है, जो वहां के आदमियों और जानवरों को खा जाते हैं···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पिछले प्रश्न पर मत जाइये। अगर आप इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसी राम : मैं यही पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आदमियों और जानवरों की रक्षा हो सके।

[अनुवाद]

डा० कृपासिन्धु भोई : मंत्री महोदय ने पहले ही दूर संवेदन अनुसंधान प्रयोगशाला के बारे में जवाब दिया है। क्या उन्होंने एन० आर० एस० ए०, हैदराबाद की मदद ली है जो देश

में भूगर्भशास्त्र की सारी जानकारी का नक्शा खींच कर देश के विभिन्न भागों की परती भूमि के बारे में बता सकता है जिसका उपयोग वनस्पति उगाने तथा पशु पालन के लिए किया जा सकता है ? क्या विभाग द्वारा यह सर्वेक्षण एन० आर० एस० ए०, जो पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था, की सहायता लेकर किया गया है ? अगर नहीं, तो क्या मंत्री महोदय इस सारे उप-महाद्वीप का चित्र लेने के लिए एन० आर० एस० ए० के पास धनराशि जमा करायेंगे ? भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है । क्या मंत्री महोदय एन० आर० एस० ए० की मदद भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए लेंगे और राज्य सरकार को उसके अनुसार वन रोपण के कार्यक्रम का सुझाव देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विशिष्ट प्रश्न कीजिए । आप इस तरह से भाषण जारी नहीं रख सकते हैं । आप विशिष्ट प्रश्न पूछिये ।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैंने पूछा है । आप इसे समझ नहीं पाये हैं । **(व्यवधान)**

श्री वीर सेन : मैंने पहले ही अपने जवाब में बताया है कि दूर संवेदन तकनीक तथा एन० आर० एस० ए० हैदराबाद की मदद से भी सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

डा० कृपासिन्धु भोई : क्या आपने राज्य सरकारों को निर्देश दे दिये हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

डा० कृपासिन्धु भोई : आपको मेरे अधिकार का संरक्षण करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही आपने प्रश्न पूछ लिया है और मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है । अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मंत्री महोदय को लिखकर दे सकते हैं, वह आपको उत्तर दे देंगे ।

डा० कृपासिन्धु भोई : स्वर्गीय प्रधानमंत्री यह करना चाहती थीं, पंडित जवाहर लाल नेहरू यह चाहते थे, श्री राजीव गांधी इसे करना चाहते हैं··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपको आपका अधिकार दिलाया है तथा आपको जवाब दिलवाया है । मैंने आपको अवसर दिया था जो आपने खो दिया है । अब कृपया बैठ जाइये ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, वह वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए भी भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं ।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं बैठ जाता हूं लेकिन आपने मुझे मेरा अधिकार नहीं दिलाया है । देश को इससे हानि होगी । आपको प्रश्न की गंभीरता को समझना चाहिए··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपको मौका दे दिया है । मुझे अन्य सदस्यों को भी अवसर देना है जो अपनी बारी का इन्तजार कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : मैं जानना चाहूंगा कि देश के अन्दर कितनी बैरेन लैंड हैं, कितनी ऊसर भूमि है जिस पर खेती नहीं हो रही है और क्या सरकार ने ऐसी परती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि बनाई है तो वह क्या योजना है ? इसके अलावा बहुत सी ऐसी भूमि है जहां साल के नौ महीने तक बाढ़ का पानी लगा रहता है, उसमें

खेती नहीं होती है तो उस भूमि को उपजाऊ और खेती के योग्य बनाने के लिए आपके पास कोई योजना है ?

श्री बीर सेन : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो वेस्ट लैंड के एफारेस्टेशन के बारे में है। जहां तक खेती का प्रश्न है, वह इससे नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या परती भूमि को सामाजिक वानिकी में बदलने के लिए कोई विशेष कदम उठाये गये हैं; और अगर ऐसा है तो कौन-कौन से कदम किन-किन राज्यों में उठाये गये हैं।

[हिन्दी]

श्री बीर सेन : उत्तर के (बी) भाग में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस एजेंसी के जरिए से काम कर रहे हैं और यह काम इस वक्त भी चालू है। पिछले 30 वर्षों से, सन् 51 से यह फारेस्ट्री का काम चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : मेरा खास प्रश्न सामाजिक वानिकी के बारे में है, महोदय।

[हिन्दी]

श्री बीर सेन : जी हां, सोशल फारेस्ट्री के बारे में मैंने बताया।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रभावती गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या परती भूमि विकास कार्यक्रम को कृषि या जंगल उत्पाद पर आधारित औद्योगिक प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा ताकि संसाधनों का भरपूर उपयोग तथा रोजगार के विविध अवसर सुनिश्चित किये जा सकें।

श्री बीर सेन : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका, महोदय।

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी) : मेरे विचार में प्रश्न का उत्तर 'हां' है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, वन-रोपण एक ऐसा क्षेत्र है जहां देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की रचनात्मक योजनाओं के बारे में सोचा जा सकता है। रोजगार के अवसर तथा सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर व्यापक जन चेतना उत्पन्न करना संभव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए ऐसी कोई कल्पनाशील योजना सरकार के पास है।

श्री बीर सेन : सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत, पौधे लगाने तथा छोटे पौधों को किसानों तथा अन्य जंगली क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तियों, किसानों तथा शिक्षित बेरोजगारों का सहयोग लिया जायेगा। इस तरह से उन्हें रोजगार मिलेगा तथा धन भी।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि परती भूमि विकास योजना के अन्तर्गत बिहार में कहां-कहां सर्वेक्षण किया गया है क्योंकि बिहार में बहुत सी ऐसी जगह परती पड़ी हुई है।···(व्यवधान)···हिन्दुस्तान के अन्दर बिहार है या नहीं ?

बिहार में सर्वेक्षण किया है या नहीं ? आप बिहार के बारे में बतलाएंगे या नहीं ?

श्री वीर सेन : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर दे तो दिया है कि हम सारे देश में सर्वेक्षण करा रहे हैं।

श्री राम श्रेष्ठ खिरहर : बिहार में सर्वेक्षण किया है या नहीं, इसके बारे में मिनिस्टर साहब को जवाब देना चाहिए ।

श्री वीर सेन : बिहार में भी हो रहा है ।

[अनुवाद]

इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा टिकटों की हेरा-फेरी

*203 **श्री सनत कुमार मंडल**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 मार्च, 1985 के "बिजनेस स्टेंडर्ड" में "टिकट रैकेट बाई इण्डियन एयरलाइन्स स्टाफ" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या बातें कही गई हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की गई है और दोषी व्यक्तियों को पकड़ा गया है/आरोप पत्र दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर क्या अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां ।

(ख) समाचार में यह आरोप लगाया गया है कि कलकत्ता में इण्डियन एयरलाइन्स कर्मचारियों का एक समूह कुछ हेराफेरियों में लगा हुआ है जैसे बिना पुष्टिकृत टिकटों के यात्रियों की यात्रा करने में सहायता करना, रियायती दरों पर अधिक सामान ले जाने देना और आधे किरायों पर मुख्य मार्गों पर यात्रा करने देना, आदि ।

(ग) से (ङ) एयरलाइन्स के कर्मचारियों की कथित हेराफेरी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ध्यान में "बिजनेस स्टेंडर्ड" में प्रकाशित उक्त समाचार से पहले ही आ गई थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस मामले को देख रहा है। यात्रियों को सीटों के अनियमित रूप से आवंटन के लिए इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के विरुद्ध उन्होंने जांच पूरी कर ली है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो उन्हें भेजे गए कुछ अन्य मामलों की जांच कर रहा है।

श्री सनत कुमार मंडल : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की हेराफेरियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ? इसमें शामिल हुए कर्मचारियों का ओहदा क्या है और इन खामियों को दूर करने के लिए जिससे इस प्रकार की हेराफेरियां व्यवहार्य होती हैं, कौन से कदम उठाए गए हैं ? यदि इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो क्या यह देश के प्रधानमंत्री के पद से पूरी तरह गैर-जिम्मेदार वक्तव्य के कारण है, जिसमें कलकत्ता हवाई अड्डे से और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के सुझावों को रद्द किया गया है, इस प्रकार कलकत्ता जैसे सजीव शहर को निर्जीव शहर में बदला जा रहा है। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : यह प्रश्न नहीं है। यह राजनैतिक प्रेरित प्रश्न है···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछ सकती हैं। इससे आगे न जाइए।

(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : विपक्षी दलों की शालीनता पर महिला सदस्य द्वारा प्रहार किया जा रहा है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों को शांति बनाए रखने का अनुरोध करता हूं।

श्री सनत कुमार मंडल : इस तरह की हेराफेरियों के प्रति संस्थागत बचाव क्या है? इसमें शामिल हुए कर्मचारियों का ओहदा क्या था? इन खामियों को दूर करने के लिए, जिससे इस प्रकार की हेराफेरियां व्यवहार्य होती हैं, कौन से कदम उठाए गए हैं? यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो क्या यह देश के प्रधानमंत्री के पद से पूरी तरह गैर जिम्मेदार वक्तव्य के कारण हैं जिसमें इस तरह के सुझावों को रद्द करते हुए···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आप आगे क्यों जा रहे हैं?

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी : मेरे विचार से माननीय सदस्य पूरी तरह से संभ्रमित हैं और पहली नजर में वह पहला प्रश्न नहीं समझ सके हैं। वह यह समझना चाहते हैं कि इंडियन एयरलाइन्स में कुछ हेराफेरियां हो रही हैं जो कलकत्ता के अन्दर और बाहर चलने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ संबंधित नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार की ओर से हम एयरलाइन्स को कलकत्ता में जाने के लिए बाध्य करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वे कलकत्ता जाने के लिए इन्कार कर रहे हैं। हमने 'स्केनडिनेवियन एयरलाइन्स' पर इसके लिए दबाव डाला तो वे इसमें शामिल होना चाहते हैं···(**व्यवधान**) कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दें और मुझे यह सूचना मिली है कि अगले कुछ सप्ताहों में कुछ और विमान कम्पनियां कलकत्ता से अपनी उड़ानें बन्द कर देंगी। लेकिन इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? हम अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को कलकत्ता जाने के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइन्स को पूछिये।

श्री राजीव गांधी : हमने पिछले कुछ दिनों में अपनी विमान कम्पनियों के द्वारा कलकत्ता से दो अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि की है।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने बम्बई और दिल्ली को अधिक पसन्द किया।

श्री राजीव गांधी : जी हां। उन्होंने बम्बई और दिल्ली को पसंद किया और यदि वे बम्बई और दिल्ली को पसन्द करते हैं तो हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। बम्बई और दिल्ली में अधिक गतिविधियां हैं। वे दिल्ली और बम्बई से अधिक यातायात प्राप्त करते हैं। हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं। हम इंडियन एयरलाइन्स को खाली विमान ले जाने के लिए दबाव डाल सकते हैं लेकिन हम ब्रिटिश एयरवेज, स्केनडिनेवियन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान

कम्पनियों को कलकत्ता के लिए खाली विमान ले जाने के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं। यह आप पर है कि आप कलकत्ता को बनाएं और वे स्वतः आयेंगे। यहां शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने दूसरे सदन में अन्य दिन ऐसा ही किया था···

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दो। कलकत्ता के बारे में मैंने राज्य सभा में जो कहा था उसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने अन्य दिन शोर मचाया। मैं मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि यह स्पष्ट है कि वही बात आपको ठेस पहुंचा रही है। विपक्ष से एक सदस्य, मेरा ख्याल है कि वह पश्चिम बंगाल से है, ने कहा था कि कई वर्षों से कलकत्ता से पहले अंग्रेजों द्वारा और उसके बाद अन्यों द्वारा अनुचित लाभ उठाया गया है। इसके बाद मैंने यह बताया कि इसका अभी भी एक राजनैतिक पार्टी द्वारा अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। अब यह···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया शांत रहें। आप सभी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : वे जो कुछ पूछेंगे मैं उन सभी का जवाब दूंगा (व्यवधान) कृपया एक प्रश्न पूछें; मैं इसका जवाब दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जाइए। उन्हें भाषण समाप्त करने दो।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ शामिल नहीं किया जायेगा। कृपया बैठ जाइए। प्रधानमंत्री जी खड़े है, मैं इस तरह की अनुमति नहीं दूंगा। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। उसके उत्तर में आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन उन्हें अपनी बात पूरी करने का अधिकार है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले आप अपनी सीट ग्रहण करें। पहले आप अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी सीट पर जा रहे हैं या नहीं ? यह कोई तरीका नहीं है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ शामिल नहीं किया जायेगा। आप सदन का समय क्यों ले रहे हैं ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी सीट पर जा रहे हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले अपनी सीट ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभी सदस्यों के अधिकार को सुरक्षित करना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप अपनी सीट ग्रहण करें। आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं। आप कृपा करके बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से व्यवस्थित ढंग से व्यवहार करने के लिए अनुरोध करता हूं। यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जाइए। प्रधानमंत्री जी खड़े हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं एक प्रक्रिया संबंधी मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कुछ देर के लिए बात मान जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मैं कार्यवाही वृत्तांत के लिए एक प्रक्रिया संबंधी मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। सौभाग्यवश उन्होंने स्वीकार कर लिया है क्योंकि मैं एक प्रक्रिया संबंधी मुद्दा उठा रहा हूं। वह प्रक्रिया संबंधी मुद्दा यह है कि प्रश्न का जवाब देते समय सदन का नेता अपने विचारों को रखने के लिए स्वतन्त्र है लेकिन, महोदय, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वह इस बारे में कोई हवाला नहीं दे सकते कि उन्होंने दूसरे सदन में क्या कहा। वह स्वतन्त्र रूप से जवाब दे सकते हैं। **(व्यवधान)**। वह इसी मुद्दे को उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइए। उस सदन में इन्होंने जो कुछ कहा उसे उन्होंने कभी भी उद्धृत नहीं किया। उन्होंने कोई उद्धरण नहीं दिए। उन्होंने हवाला दिया लेकिन उन्होंने वास्तव में क्या इसे उद्धृत नहीं किया। प्रक्रियात्मक रूप से इसमें कोई गलती नहीं है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री अमर रायप्रधान : उन्होंने पहले ही इस बारे में बताया है जिसका उन्होंने दूसरे सदन में ज़िक्र किया था।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : वे इसे स्पष्ट करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, कृपया आप अपनी सीट ग्रहण करें। यह प्रश्न काल है। प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। उन्होंने वहां क्या कहा इस बारे में उन्होंने इसे कभी भी वैसा उद्धृत नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री अमर रायप्रधान : उन्होंने इस बारे में पहले ही बताया है। वह इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम पढ़ूंगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, यह क्या है? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्नकाल के दौरान समय नष्ट कर कर रहे हैं। अपनी सीट पर चले जाइए। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे शान्त रहें। मैं सभी सदस्यों से शांत रहने का निवेदन करता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। नियम 354 के अनुसार :

"राज्य सभा में दिया गया कोई भाषण सभा में उद्धृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी मंत्री द्वारा दिया गया कोई नीति सम्बन्धी निश्चित वक्तव्य न हो :

परन्तु अध्यक्ष, उससे पहले से प्रार्थना की जाने पर, किसी सदस्य को राज्य सभा में दिए गए किसी भाषण को उद्धृत करने या राज्य सभा को कार्यवाही का निर्देश करने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि अध्यक्ष यह समझे कि ऐसा करना किसी सदस्य के लिए किसी विशेषाधिकार या प्रक्रिया के प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है।"

उन्होंने कभी कुछ उद्धृत नहीं किया और न ही यह कहा कि वह उद्धृत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अमर रायप्रधान : उन्होंने कार्यवाही वृत्तांत से उद्धृत किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। आप इस प्रकार से क्यों शोर मचा रहे हैं। कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने कभी भी कुछ उद्धृत नहीं किया है । कृपया बैठ जाइए । इसी तरह से चिल्लायें नहीं । उन्हें बोलने दीजिए । यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसे आप बाद में उठा सकते हैं । अभी आप क्यों उठा रहे हैं ? कृपया बैठ जाइए । मैं किसी सदस्य को इस तरह का व्यवहार नहीं करने दूंगा । कृपया बैठ जाइए ।

श्री राजीव गांधी : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैंने दूसरे सदन की कार्यवाही से उद्धृत नहीं किया है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें सुनना चाहिए । यदि सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो मैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा । पहले दूसरे सदस्य को सुनिए तथा फिर आप उसका जवाब दीजिए, लेकिन इस तरह से नहीं । सदस्यों को इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आप सदन की कार्यवाही चलाने देंगे या नहीं?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय मैं नियम का उल्लेख कर रहा हूं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं ।

(व्यवधान)

प्रो०मधु दण्डवते : महोदय, आपने अपना विनिर्णय दे दिया है । मैंने यह कहा है कि नियम 354 के अनुसार—तत्पश्चात आप कार्यवाही वृत्तांत की जांच कर सकते हैं । यदि उसमें प्रधानमन्त्री द्वारा राज्य सभा में दिए गए भाषण का कोई हवाला हो और यदि आप उसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री पायें तो वह नियम 354 के तहत कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि उन्होंने·····का हवाला दिया है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें । यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं तो मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह उनके कार्यवाही वृत्तान्त से कुछ भी हवाला न दें ।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद): माननीय प्रधानमन्त्री ने केवल उसका हवाला दिया है । उन्होंने दूसरे सदन की कार्यवाही को उद्धृत नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सच है ।

श्री अमर रायप्रधान : उन्होंने दूसरे सदन के कार्यवाही वृत्तान्त से उद्धृत किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उद्धृत नहीं किया है ।

श्री अमर राय प्रधान: यदि आप कार्यवाही को देखेंगे तो आप उसमें इसे पायेंगे । यह कार्यवाही वृत्तान्त में है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए मैं बोल रहा हूं मुझे बोलने दीजिए ।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, यह हम आप पर छोड़ देते हैं। आप कार्यवाही वृतान्त की जांच कर लीजिए। यदि उसके किसी भाग पर नियम 354 लागू होता हो तो केवल उसी भाग को छोड़ दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं केवल इतना और कहना चाहता हूं कि कलकत्ता के प्रति केन्द्रीय सरकार का इरादा सौतेली मां जैसा व्यवहार करने का नहीं है। कलकत्ता के लिए हमने असंख्य परियोजनायें चालू की हैं तथा यह क्रम हम जारी रखेंगे।

दुर्भाग्यवश हम जो परियोजनायें चालू करते हैं तथा जिनमें स्थानीय सरकार भी शामिल हो जाती है उनमें से बहुत सी परियोजनायें पूरी करने में बहुत समय लग जाता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम बच नहीं सकते। आपको यह देखना है कि आपकी सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करे तथा उसमें पर्याप्त रुचि ले।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत संयंत्रों का विस्तार

*206. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए परमाणु विद्युत संयंत्रों के विस्तार की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने नए परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और इन्हें किन राज्यों में स्थापित किया जाएगा ?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) जी हां। परमाणु बिजली की स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 2000 ईसवी तक 10,000 मेगावाट कर देने के लिए एक 15 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है।

(ख) उस रूपरेखा के अनुसार, जिसे सरकार ने सिद्धांततः अनुमोदित कर दिया है, यह प्रस्ताव है कि सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 235 मेगावाट क्षमता वाले 12 और यूनिटों पर तथा 500 मेगावाट क्षमता वाले छह यूनिटों पर काम शुरू किया जाए। यह निर्णय लिया गया है कि 235 मेगावाट क्षमता वाले नए यूनिटों में से दो यूनिट राजस्थान में रावतभाटा में और दो अन्य यूनिट कर्नाटक में कैगा नामक एक नए स्थल पर लगाए जायें। अन्य स्थलों के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय अभी लिया जाना है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस शताब्दी के अंत तक दस हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा है। बिजली, आज मनुष्य के जीवन का एक अंग बन गई है। जब हमारी 21वीं शताब्दी शुरू होगी तो शायद हमें चलने-फिरने के लिए भी बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। उस

समय हमको बिजली की कितनी आवश्यकता होगी और किन-किन स्रोतों से हम बिजली प्राप्त करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, ऐसा माना गया है कि जब हमारी शताब्दी पूर्ण होने को आएगी, उस समय हम अपने देश में करीब-करीब एक लाख बीस हजार मेगावाट बिजली तैयार कर सकेंगे । उस समय हम न्यूक्लियर टैक्नोलाजी, न्यूक्लियर रिएक्टर से दस हजार मेगावाट इलेक्ट्रीसिटी बनायेंगे । यह जो विद्युत बनाई जायेगी वह थर्मल, हाइडल और न्यूक्लियर पावर स्टेशन्स में से बनाई जायेगी । आजकल हम नौन-कनवैन्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को टेप करके भी विद्युत बनाने की कोशिश कर रहे हैं । आज तक हमारे यहां विद्युत पैदा करने के लिए जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, उनके अलावा भी, सौर ऊर्जा से, खेतों से निकलने वाली चीजों से, गोबर से गैस बनाकर और हवा से तथा समुद्र से उठने वाली लहरों से विद्युत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं । यदि किन्हीं अन्य तरीकों से भी विद्युत पैदा की जा सकती है तो उन तरीकों पर हमारा शोध-कार्य जारी है ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया हमारे यहां जितनी एनर्जी पैदा हो रही है, उसका लगभग 40 प्रतिशत भाग लकड़ी, गोबर, मनुष्यों और पशुओं के मल आदि को प्रयोग में लाकर बनाया जाता है लेकिन इससे पूर्व एक प्रश्न के दौरान यह उल्लेख किया गया कि हमारे यहां जंगल नष्ट होते जा रहे हैं । उस अवस्था में हमें कुछ समय बाद लकड़ी नहीं मिल पायेगी । इसी तरह थर्मल पावर स्टेशन को चलाने में कोयले का प्रयोग किया जाता है और कोयले के भन्डार लगातार कम होते जा रहे हैं । इसलिए 21 वीं शताब्दी के आरम्भ होने तक आपने जो 10 हजार मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है, वह आप पूरा प्राप्त नहीं कर पायेंगे । क्या उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही आपने यह लक्ष्य निर्धारित किया है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : अभी हमने सिर्फ अनुमान बनाया है कि इस शताब्दी के अंत तक हम एटामिक एनर्जी या न्यूक्लिअर एनर्जी इतनी मात्रा में बना पायेंगे । यह सिर्फ प्लान है, आयोजन है । यदि इससे ज्यादा की आवश्यकता महसूस की जाएगी, उस समय तक हमारी नई टैक्नोलोजी किस अवस्था तक विकसित हो पाएगी, वह आने वाला समय बताएगा कि हम किस मात्रा तक उस टैक्नोलोजी का उपयोग कर पाते हैं । आज की अवस्था में हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया है । आवश्यकता पड़ने पर नई टैक्नोलोजी को अपनाया जाएगा, अन्य पद्धतियां अपनाई जाएंगी ताकि बिजली की कमी को पूरा किया जा सके ।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या माननीय मन्त्री को नागार्जुनसागर में परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने के बारे में आंध्र सरकार द्वारा किए गए अभ्यावेदन की जानकारी है ? दूसरे, क्या सरकार ऐसे किसी सूत्र के बनाने की आवश्यकता महसूस करती है जिसके द्वारा परमाणु विद्युत परियोजनाओं को विभिन्न राज्यों में बांटा जा सके ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जिन स्थलों पर रिएक्टर स्थापित किए जाने हैं उनका फैसला करने के लिए एक समिति गठित की गई है । इन स्थलों के बारे में समिति द्वारा निर्णय लेने के

लिए हमने कुछ मानदण्ड बनाए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों से हमारे पास अभ्यावेदन आए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है तथा उन अभ्यावेदनों पर समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

जहां तक इन रिएक्टरों द्वारा उत्पादित बिजली की बात है यह पड़ोसी राज्यों में बंट जाती है। राजस्थान द्वारा उत्पादित बिजली को हम उत्तरी ग्रिड में तथा तारापुर द्वारा उत्पादित बिजली को हम पश्चिमी ग्रिड में सप्लाई कर रहे हैं। उत्पन्न की गई बिजली इस प्रकार से विभिन्न राज्यों में बांट दी जाती है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने विभिन्न राज्यों में विद्युत परियोजनाओं को बांटने के बारे में एक सामान्य सूत्र बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में कहा था। सरकार कलपक्कम परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली के वितरण को लेकर हुए विवाद को जानती है। इसीलिए, क्या माननीय मन्त्री इस मामले पर विचार करेंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि बिजली का उचित वितरण होना चाहिए। परन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बिजली के वितरण की आवश्यकता तो है न कि विद्युत स्रोतों के वितरण की। यह महत्वपूर्ण है। हमें यह याद रखना चाहिए कि देश के कुछ भागों में पन ऊर्जा उपलब्ध है और देश के अन्य भागों में कोयला उपलब्ध है। हमें जल से, कोयले से, परमाणु शक्ति से तथा अन्य किस्म से उत्पादित ऊर्जा का सन्तुलन बनाये रखना है तथा एक मिश्रित तस्वीर बनानी है जिससे सभी को अपेक्षित बिजली मिल सके। इसका मतलब परमाणु बिजली केन्द्रों के राजनीतिक वितरण से नहीं है। इसका मतलब है कि यह वितरण ऊर्जा की आवश्यकता तथा साधनों के अनुसार होना चाहिए। इस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। विशिष्ट प्रश्न पूछिए।

डा० कृपासिंधु भोई : प्रधान मंत्री ने जल विद्युत की जरूरत··· (व्यवधान) के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। प्रधान मंत्री ने जल विद्युत तथा तापीय विद्युत की जरूरत के बारे में स्पष्ट रूप से घोषणा की है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं ? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आप वस्तुतः क्या चाहते हैं ?

डा० कृपासिंधु भोई : मैं ···के बारे में कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें। अन्यथा मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं कुछ नहीं चाहता। आप कृपया प्रश्न पूछें।

डा० कृपासिंधु भोई : मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि परमाणु बिजलीघर में इस्तेमाल किए जाने वाला खनिज उड़ीसा तट से 625 कि. मी. की दूरी पर उपलब्ध है और उड़ीसा में परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिए इस खनिज की उपलब्धता जरूरत से कहीं अधिक है, क्योंकि जल विद्युत हमेशा··· (व्यवधान)। अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा हमारे देश के मानदण्डों के अनुसार देश में तापीय विद्युत तथा परमाणु विद्युत उपलब्ध न होने पर जल विद्युत का सहारा लिया जाता है। उड़ीसा में जल से विद्युत उत्पन्न करने की अधिकतम क्षमता मौजूद है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसे आप समझ नहीं रहे। आप प्रश्न नहीं पूछ रहे। आप वक्तव्य दे रहे हैं।

डा० कृपा सिंधु भोई : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उड़ीसा में सभी परमाणु खनिज तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध होने के कारण क्या वहां परमाणु विद्युत केन्द्र की स्थापना की जा सकती है? क्या माननीय मंत्री उड़ीसा में परमाणु विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करेंगे अथवा नहीं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : विद्युत की उपलब्धता एक बात है और खनिज का संरक्षण दूसरी बात। जब तक खनिज से ईंधन नहीं बनाया जाता तथा रियेक्टर स्थापित नहीं किया जाता तब तक विद्युत-निर्माण संभव नहीं है।

माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि विद्युत की जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। हम जल, ताप तथा परमाणु साधनों से विद्युत-निर्माण करके ग्रिड में भेजते हैं और उसके बाद उसकी सप्लाई करते हैं। किसी विशेष स्थान पर बिजली की जरूरत के आधार पर वहां परमाणु या आणविक रियेक्टर स्थापित करना एक बात है और उसे एक विशेष स्थान पर स्थापित करना दूसरी।

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या उड़ीसा में विद्युत केन्द्र की स्थापना की जाएगी क्योंकि वहां खनिज उपलब्ध हैं।

समिति अगर यह निर्णय लेती है कि वहां विद्युत केन्द्र की स्थापना की जा सकती है तथा वहां अन्य सुविधाएं तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध है तो और बात है। खनिज उपलब्ध होना ही काफी नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान में रखकर कि आणविक खनिज बिहार के जादूगुडा स्थान पर ही उपलब्ध होने, बिहार के पिछड़े होने तथा वहां विद्युत निर्माण की मात्रा बहुत कम होने के कारण क्या वहां आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। आणविक प्रौद्योगिकी से राज्य आधुनिक बनेगा।

अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है तथा उसे स्वीकार क्यों नहीं किया गया।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि···

उपाध्यक्ष महोदय : इतना काफी है। एक अनुपूरक प्रश्न ही पर्याप्त है।

प्रो० के० के० तिवारी : हमने केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री राजीव गांधी : इसका उत्तर मैं अपने पिछले जवाब में दे चुका हूं। हमने एक समिति बनाई है जो इस बात की जांच करती है कि विद्युत संयंत्रों की स्थापना कहां की जाए। यह समिति खनिज परिवहन लागत, विद्युत पारेषण लागत, आदि जैसे विभिन्न मानदंडों तथा इस तरह की बड़ी परियोजना में जो अन्य बातें अन्तर्ग्रस्त होती हैं उन पर विचार करेगी। मुझे विश्वास है कि समिति बिहार की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। हमारी सूचना के अनुसार उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए गठित समिति ने आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर के समीप एक स्थान की सिफारिश की है। क्या प्रधानमंत्री इस मामले में निर्णय लेकर नागार्जुन सागर के समीप एक आणविक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय करेंगे। समिति सिफारिश कर ही चुकी है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : समिति ने विभिन्न स्थानों का दौरा किया है तथा रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस संबंध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। जब तक अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक यह कहना गलत होगा कि हम परमाणु बिजलीघर अमुक स्थान पर लगा रहे हैं, अमुक स्थान पर नहीं लगा रहे। समिति की सिफारिशें मिलने के बाद वे उपयुक्त समय पर सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएंगी।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा फ्रंटियर आफ इंडिया लि० लंदन के साथ सहयोग

*207. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने लंदन स्थित "फ्रंटियर आफ इंडिया लि०" (एफ० आई० एल०) के प्रबंध निदेशक के साथ लंदन में "स्पेशिएलिटी रेस्टोरेंट" प्रारम्भ करने के लिए एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है और किस तारीख और कौन से स्थान पर उक्त समझौता किया गया था;

(ग) इस संबंध में भारत पर्यटन विकास निगम को पहला प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था;

(घ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने होटल व्यापार में सहयोग हेतु कभी किसी प्रस्ताव पर बातचीत की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की ओर से उनके वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल्ज) द्वारा "फ्रंटियर आफ इंडिया लि०" (एफ० आई० एल०) के साथ लंदन में एफ० आई० एल० द्वारा "स्पेशिएलिटी इंडियन रेस्टोरेंट" स्थापित करने सम्बन्धी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक करार पर दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। करार की शर्तों के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम उसके डिजाइन और प्लानिंग पर परामर्श प्रदान करेगा। भारत पर्यटन विकास निगम वाणिज्यिक शर्तों पर रेस्तरां की प्रबंध व्यवस्था भी करेगा।

(ग) प्रस्ताव पहले-पहल सितम्बर, 1984 में भारत पर्यटन विकास निगम को प्राप्त हुआ था।

(घ) और (ङ) आई० टी० डी० सी० ने राज्य सरकारों और राज्य पर्यटन निगमों के साथ संयुक्त उद्यम होटल परियोजनाओं के लिए कई प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार-विमर्श

किया । उन्होंने तकनीकी परामर्श और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ प्राइवेट सैक्टर कंपनियों के साथ भी करार किया ।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, वह स्पष्ट नहीं है, इसलिए वह इसको स्पष्ट करें ।

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्य पूरी बात पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा ।

[अनुवाद]

श्री एच० ए० डोरा : सदन में, कुछ वाक्यांशों का इस्तेमाल होता है जैसे "यथासंभव" "यथाशीघ्र"···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस प्रश्न में हुआ है ?

श्री एच०ए० डोरा : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या किसी शब्दकोश में या राजनैतिक शब्दावली में "यथासंभव" का अभिप्राय 30 या 40 साल और "यथाशीघ्र" का अभिप्राय 25 साल ? क्या राजनैतिक भाषा में कोई ऐसी चीज है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रश्न से संबंधित कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछें । अन्यथा कृपया बैठ जाइए ।

अगला प्रश्न ।

गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वारा समस्त परमाणु अस्त्रों को नष्ट करने की अपील

[अनुवाद]

*208. **श्री सी०डी० गामित** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष देशों के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भारत के प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि वह गुट निरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष होने की हैसियत से महाशक्तियों को विश्व से परमाणु युद्ध का भय समाप्त करने और उनके द्वारा अपने शस्त्रागारों में रखे सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए अपील करें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार को यदि कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) गुट-निरपेक्ष देशों के वरिष्ठ नेताओं ने कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया कि प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से अलग से अपील करें । लेकिन नई दिल्ली में आयोजित सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने सभी नाभिकीय अस्त्र वाले राज्यों से अपील की कि वे नाभिकीय अस्त्रों की होड़ रोक कर उसे विपरीत दिशा में मोड़ दें और नाभिकीय अस्त्रों के प्रयोग या उनके प्रयोग की धमकी को तत्काल निसिद्ध करार दे दें ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बाजार में टी० वी० सेटों की उपलब्धता

*204. श्री जी०वी० रामाराव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि "अप्ट्रॉन" जैसे प्लास्टिक कैबिनेट वाले 12 इंच के लोकप्रिय "पोर्टेबल टी.वी. सेट" बाजार से गायब हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि कई बेईमान टी.वी. यूनिटों ने इन सेटों की जमाखोरी कर ली है और मूल "अप्ट्रॉन" प्लास्टिक कैबिनेट के स्थान पर उसकी मशीन को लकड़ी के भारी फ्रेम में डालकर नए व्यापारिक नामों से ऊंचे मूल्यों पर बेच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस कदाचार को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) अप्ट्रॉन ने सूचित किया है कि वे बाजार में दो से तीन हजार सेट प्रति माह की दर से 12 इंची प्लास्टिक कैबिनेट के सुवाद्य दूरदर्शन सेटों की आपूर्ति कर रहे हैं जिन्हें उनके प्राधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से खरीदा जा सकता है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अप्ट्रॉन ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें न तो प्लास्टिक कैबिनेट के दुरुपयोग की कोई विशिष्ट शिकायत मिली है और न ही स्टॉक जमा करने की ही कोई शिकायत मिली है । अप्ट्रॉन ने इस बात की भी पुष्टि की है कि उन्होंने इन दूरदर्शन सेटों को अन्य विनिर्माताओं को नहीं बेचा है तथा इन्हें केवल उन्हीं के प्राधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से ही बेचा जा रहा है और प्रामाणिक खरीददार इन्हें देश भर के किसी भी प्राधिकृत विक्रेता से खरीद सकते हैं ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय खेल संघों का कार्यकरण

*205. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघ ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां तो उनके कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि देश में खेलों को प्रोत्साहन मिले ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह): (क) सरकार को कुछ राष्ट्रीय खेल संघों के असंतोषजनक कार्य करने की जानकारी है ।

(ख) सरकार ने संघों के अच्छी तरह से कार्य करने के लिए कुछ मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी की हैं । विशेष उदाहरण में संघ, जो भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध है, के लिए

सरकार संघ के असंतोषजनक कार्य करने को ओलम्पिक एसोसिएशन के ध्यान में लाती है और उनसे उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करती है। शेष संघों के बारे में भारतीय खेल प्राधिकरण से अनुरोध किया जाता है कि वे उपचारात्मक कार्रवाई के लिए अपने सद्प्रभाव का प्रयोग करें।

शहरी क्षेत्रों के स्कूलों/कालेजों में खेल के मैदानों की व्यवस्था

*209. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुल विद्यालयों, कालिजों और विश्वविद्यालयों में से, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, 80 प्रतिशत से भी अधिक के अपने खेल के मैदान नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, ग्रामीण भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का उपयोग करके और यदि आवश्यक हो, तो खेलों के प्रयोजन के लिए सामान्य रूप से भूमि का अर्जन करके इस अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में खेल के अधिक मैदानों के लिए आन्दोलन संबंधी कार्यक्रम आरम्भ करेगी; और

(ग) प्रत्येक राज्य में उपलब्ध स्टेडियम और खेल के मैदानों की संख्या क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० अवधन्न सिंह) : (क) से (ग) 30 सितम्बर, 1978 को एक संदर्भ तिथि के रूप में लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए गए अद्यतन अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (चौथे) के अनुसार देश में 6,34,144 स्कूलों में से 52.74% में ही खेल मैदान थे। इनमें से 77,271 स्कूल शहरी क्षेत्रों में थे और इनमें से 55.86% में खेल मैदान थे। 1978 में भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 112 विश्वविद्यालय और 874 कालेज थे। जबकि ऐसे विश्वविद्यालय और कालेज की प्रतिशतता उपलब्ध नहीं है जिनमें खेल मैदान हैं, फिर भी यह दिखाई देगा कि जब देश में विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों को मिलाया जाए तो खेल मैदान रखने वाले शैक्षिक संस्थानों की प्रतिशतता 52 से थोड़ी ऊपर होगी। इन आंकड़ों को देखकर हमारे शैक्षिक संस्थानों में अधिक खेल मैदानों की व्यवस्था करने पर बल देने की आवश्यकता है।

राज्य सरकारों के समर्थन से भारत सरकार द्वारा अपनाये गये राष्ट्रीय खेल नीति पर सरकारी संकल्प जो 21 अगस्त, 1984 को संसद के दोनों सदनों पर रखा गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि बड़े पैमाने पर खेल तथा शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि खेल मैदान आदि जैसी न्यूनतम खेल सुविधाएं आम जनता औद्योगिक कामगारों और शैक्षिक संस्थानों की भांति गांवों और शहरों में उपलब्ध नहीं कराई जाती है। संकल्प में यह भी व्यवस्था है कि :

> "खेल मैदानों तथा खुले स्थानों को सुरक्षित रखना केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त कानून द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने चाहिए कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मौजूदा खेल मैदान और स्टेडियम खेल उद्देश्यार्थ सुरक्षित रखे गए हैं और धीरे-धीरे अधिक मौजूदा खुले मैदान खेल तथा शारीरिक शिक्षा का कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं"।

उपर्युक्त नीति विवरण की धारणा की प्रत्याशा है कि राज्य सरकारें, शैक्षिक संस्थानों तथा सामान्य तौर पर भी अधिक खेल मैदान प्रदान करने से लिए उपयुक्त कदम उठायेगी। केन्द्रीय सरकार ने भी अपनी ओर से राष्ट्रीय खेल नीति के संदर्भ में इस आवश्यकता की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है और उन्हें कहा है कि खेल प्रयोजनार्थ धीरे-धीरे अधिक खेल मैदान उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं।

स्टेडियम तथा खेल मैदान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने को ध्यान में रखकर युवा कार्य और खेल विभाग, राज्य खेल परिषदों, स्थानीय निकायों आदि को बराबरी के आधार पर, वित्तीय सहायता देने की योजना चला रहा है। इस उद्देश्यार्थ 1985-86 के बजट में 247 लाख रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है। यद्यपि, सारे देश में खेल मैदानों और स्टेडियमों की संख्या उपलब्ध नहीं है, फिर भी 1982 में जिला मुख्यालयों में 125 स्टेडियम थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक जिला मुख्यालय को स्टेडियम प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने का प्रस्ताव है।

मोदी डिस्टिलरीज द्वारा काली नदी का प्रदूषण

*210. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पैसर्स मोदी डिस्टिलरीज ने काली नदी के जल को प्रदूषित कर दिया है जो कि निकटवर्ती गांवों के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्रवाही करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत अक्टूबर, 1983 को इस उद्योग पर अभियोजन चलाया है तथा यह मामला अभी भी चल रहा है।

पाकिस्तान द्वारा अमरीका से कोबरा हेलीकाप्टर गनशिप प्राप्त करना

*211. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पाकिस्तान को अमरीका से कोबरा हेलीकाप्टर गनशिप की पहली खेप प्राप्त हो गई है;

(ख) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा परमाणु विकास निरंतर जारी रखे जाने की भी जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सरकार इस बात से चिंतित है कि पाकिस्तान निरंतर अत्युन्नत हथियार हासिल कर रहा है और उसके नाभिकीय कार्यक्रम के शांति से इतर आयाम भी हो सकते हैं। हमने संयुक्त राज्य अमरीका और पाकिस्तान दोनों की सरकारों को इस संबध में अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया है। सरकार उन सभी घटनाओं पर अत्यधिक सतर्कता से निगरानी रख रही है जिनसे देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का विकास

*212. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत कार्यरत प्रयोगशालायें ऐसी प्रक्रियाओं के विकास पर अधिक ध्यान दे रही हैं, जो समाज के संभ्रांत वर्गों के लिए उपयोगी होती हैं, तथा कारीगर, छोटे तथा सीमांत किसान इत्यादि जैसे समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के लाभ के लिये प्रौद्योगिकी के विकास की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इस संबंध में कार्य किए जाने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) अपने कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं के चलचित्र, जनसंचार, प्रकाशनों और पुस्तिकाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाने के लिए संलग्न है । परिषद ने ग्रामीण विकास अभिकरणों के साथ सीधे संबंध स्थापित किये हैं । सी. एस. आई. आर. प्रौद्योगिकियों का ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में प्रसार और विकास करने के लिए बहुत सी राष्ट्रीय प्रयोगशालायें, उनके विस्तार केन्द्र और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्र कार्यरत हैं । सी.एस.आइ.आर. से सम्बन्धित प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय करने के लिए गोष्ठियां, सम्मेलन और कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं ।

कोटा (राजस्थान) में प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय

*213. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा (राजस्थान) में उद्योगों द्वारा अपने अपशिष्ट डाले जाने और प्रदूषण रोधी उपाय करने में उनकी उदासीनता के कारण यहां रासायनिक तत्वों के "आसमान से बरसने" का खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन उद्योगों द्वारा जन सुरक्षा को खतरा पैदा न हो, क्या कदम उठाये हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जल प्रदूषण

अब तक कुल 8 बड़े उद्योगों में से 6 ने तथा कुल 4 मझौले उद्योगों में से 1 ने उपचार पद्धतियां स्थापित की हैं ।

वायु प्रदूषण

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी 9 प्रदूषण उद्योगों को उनके उत्सर्जनों पर नियंत्रण के लिए निर्देश दिए हैं ।

कलकत्ता हवाई अड्डा

*214. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री और माल यातायात, सर्विसिंग और ओवरहालिंग कार्यों की दृष्टि से कलकत्ता हवाई अड्डे की स्थिति में छटे दशक से भारी गिरावट आई है और यह हवाई अड्डा दिल्ली और बम्बई के हवाई अड्डों से पीछे रह गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वर्ष 1968 से यातायात के आंकड़े इस समय उपलब्ध हैं। इनसे यह दिखाई देता है कि कलकत्ता हवाई अड्डे पर यात्री और माल यातायात में वृद्धि दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों की तुलना में कम रही है, जबकि दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों में यह वृद्धि बहुत काफी रही है। ऐसा दिल्ली और बम्बई की तुलना में कलकत्ता में यातायात में अपेक्षाकृत बहुत कम वृद्धि के कारण हुआ है।

कलकत्ता में सर्विसिंग तथा ओवरहालिंग की सुविधाओं में समग्र रूप में वृद्धि हुई है। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कलकत्ता में जेट विमान और इंजन के हिस्से पुर्जों की सर्विसिंग के लिए कई बड़ी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इंडियन एयरलाइन्स ने नई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए पिछले पांच वर्षों में 7 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय

*215. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य पर्यटन विकास निगमों को गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अक्तूबर 1984 में विभिन्न राज्य पर्यटन विकास निगमों की एक बैठक हुई थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी और उसमें क्या निर्णय लिए गए थे; और

(घ) क्या उक्त बैठक का मुख्य उद्देश्य विशेषकर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के प्रश्न पर विचार करना था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा यथा-प्रतिपादित और बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित सातवीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर में निम्नलिखित सिफारिश की गई है:—

> "देश में पर्यटन के विकास की अपार सम्भावनायें हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। प्राइवेट सैक्टर निवेश को पर्यटन के विकास के लिए प्रोत्साहित करना होगा और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों को केवल सहायक आधार-संरचना के विकास पर केन्द्रित करना चाहिए।"

राज्य/संघशासित क्षेत्र के पर्यटन विकास निगमों के प्रबंध निदेशकों की 12 अक्तूबर, 1984 को नई दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान यह सिफारिश उनके ध्यान में लाई गई।

बैठक में किए गए विचार-विमर्श के दौरान जो उल्लेखनीय मुद्दे उभरे, वे इस प्रकार थे :

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव तैयार करते हुए राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश और केन्द्रीय सरकार की सातवीं पंचवर्षीय योजना हेतु पर्यटन योजना की रूपरेखा को ध्यान में रखा जाए ताकि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रयास और संसाधन, सुविधाओं के दोहराव से बचते हुए, एक दूसरे के पूरक सिद्ध हों।

(2) प्रत्येक राज्य को चाहिए कि वे अपने राज्य में एक या दो प्रसिद्ध उत्सवों को भारत और विदेशों में प्रचारित करने के लिए अभिनिर्धारित करें।

(3) राज्य पर्यटन विकास निगमों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे :

I. स्वदेशी पर्यटन की अभिवृद्धि करने के लिए एक दूसरे के दौरों का विपणन करने हेतु अन्य निगमों के साथ समन्वय करें।

II. पारस्परिक विचार-विनिमय और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए अपने सम्पर्कों को बार-बार सक्रिय बनायें।

III. अपने राज्यों में जल-क्रीड़ाओं और अन्य क्रीड़ाओं को प्रारम्भ करने में सक्रिय भूमिका निभायें।

IV. बजट-होटलों की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न करें, यदि आवश्यक हो तो आई. टी. डी. सी. अथवा प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ऐसा करें और, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टायलट ब्लॉक्स और स्नैक बार जैसी पर्याप्त मार्गस्थ सुविधायें प्रस्तुत करें।

V. होटल प्रबंध, खान-पान शिल्प विज्ञान और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान द्वारा प्रस्तुत की जा रही प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठायें।

(4) निगमों द्वारा निर्मित आवास यूनिटों का स्थापत्य और सजावट ऐसी होनी चाहिए कि वह उस स्थान के पर्यावरण/संस्कृति और अन्य विशिष्ट लक्षणों को प्रतिबिंबित करें।

(5) इस बैठक में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर, पर्यटन के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरणों के बीच और प्राइवेट सेक्टर से समन्वय के महत्व पर भी जोर दिया गया।

[हिन्दी]

लोकसभा और विधान सभा चुनावों के दौरान हुई हत्यायें

*216. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री हरीश रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले लोकसभा और विधान सभा चुनावों के दौरान राज्य-वार कितने लोगों की हत्या हुई और कितने मतदान केन्द्रों पर जबरन कब्जा किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त हत्याओं और मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के इन मामलों में बिना लाइसेंस के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था;

(ग) यदि हां, तो बिना लाइसेंस वाले हथियारों के इस्तेमाल को रोकने और इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल में बिना लाइसेंस के सर्वाधिक हथियार होने का समाचार है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार लोकसभा और विधान सभाओं के पिछले चुनावों के दौरान जिन व्यक्तियों की हत्या/मारे गए, उनकी संख्या इस प्रकार है :

राज्य का नाम	लोकसभा चुनावों के दौरान हत्या की गई/मारे गए लोगों की संख्या	विधान सभा चुनावों के दौरान हत्या की गई/मारे गए लोगों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	7	21
2. बिहार	28	51
3. गुजरात	शून्य	2
4. हरियाणा	1	शून्य
5. केरल	4	शून्य
6. महाराष्ट्र	2	3
7. उत्तर प्रदेश	6	6

2. जम्मू और कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और सभी संघ क्षेत्रों के बारे में सूचना "शून्य" है ।

3. भारत के चुनाव आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार मतदान केन्द्रों की राज्य-वार संख्या, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के कारण फिर से चुनाव के आदेश दिए गए थे, इस प्रकार हैं :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	29
2. बिहार	155
3. मणिपुर	2
4. पश्चिम बंगाल	2
5. हरियाणा	3
6. जम्मू-कश्मीर	30
7. उत्तर प्रदेश	38

4. बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार लोकसभा और विधान सभा चुनावों के दौरान बिना लाइसेंस के अग्नेस्त्रों और विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया गया । बिना लाइसेंस के हथियार और गोला बारूद बरामद करने के लिए छापे मारे गए और निम्नलिखित हथियार पकड़े गए :

देशी रिवाल्वर (36) पिस्तौल (140) राइफल्स (14) बन्दूक (83) कारतूस (1185) और बम (174)

राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन छापों और बरामदगियों का प्रवोक्षन किया । पड़ोसी राज्यों और राज्य के भिन्न-भिन्न जिलों में प्रवेश के मार्गों को सील किया गया और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी जांच की गई कि अवैध अग्नेस्त्र न लाए जाएं ।

5. उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि बिना लाइसेंस के अग्नेस्त्रों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान हिंसा से संबंधित मामलों में फैक्ट्री में बने 22 हथियार पकड़े गए और विधान सभा चुनावों के दौरान पकड़े गए फैक्ट्री में बने ऐसे हथियारों की संख्या 18 थी । राज्य सरकार ने मतदान हिंसा न होने के उद्देश्य से लाइसेंस शुदा तथा बिना लाइसेंस के अग्नेस्त्रों के नियमन के संबंध में लोकसभा और विधान सभा चुनावों से पहले सभी संबंधित अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए थे ।

[अनुवाद]

लाटरियों में राजनीतिज्ञों और समाज विरोधी तत्वों द्वारा भाग लेना

*217. **प्रो० मधु दण्डवते :**

श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में बहुत सी बम्पर और सुपर बम्पर लाटरी को चलाने में राजनीतिज्ञों और समाज विरोधी तत्वों द्वारा सक्रिय हिस्सा लेने संबंधी हाल ही में उद्घाटित समाचारों पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों ने लाटरी संयोजकों को ये लाटरियां आयोजित करने की अनुमति दी है; और

(ग) क्या गैर सरकारी लाटरी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार ने कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित कतिपय ऐसे समाचार देखे हैं, जिनमें कुछ राज्यों द्वारा प्राधिकृत लाटरियों से जिन्हें गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाया जा रहा है कुछ राजनीतिज्ञों के संबंध होने का आरोप है । चूंकि गैर-सरकारी लाटरियां राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं, इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा गैर-सरकारी लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

पालम हवाई अड्डे के निकट इलेक्ट्रॉनिक नगर की स्थापना करना

*218. **श्री जी० जी० स्वैल :**

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पालम हवाई अड्डे के निकट एक इलेक्ट्रॉनिक नगर बनाने के लिए विभिन्न ग्रुपों/संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने इस प्रकार का नगर बनाने के लिए अपनी अनुमति दे दी है; और

(घ) इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी और इसका वित्त पोषण किस प्रकार किया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्यमंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) गुड़गांव, हरियाणा में पालम के पास एक इलेक्ट्रॉनिक नगर की अवधारणा को सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक पार्टी से आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है । इस प्रस्ताव में अनिवासी भारतीयों/वैज्ञानिकों/उद्यमकर्ताओं के लिए एकीकृत सुविधाएं मुहैया करने की परिकल्पना की गई है और इसका उद्देश्य

इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्रों में भूमि, भवन, सेवाएं उपस्कर, बाजार, धनराशि, परामर्श सेवा आदि जैसी मूल संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराना है । संवर्धनकर्ताओं द्वारा आशा व्यक्त की गई है कि इसके फलस्वरूप उद्यमकर्ताओं को उत्पादन, आयोजना, विकास, गुणवत्ता नियंत्रण पर अधिक ध्यान देने का अवसर प्राप्त होगा न कि मात्र सुविधाएं जुटाने की प्रक्रिया पर ।

(ग) प्रस्ताव में औद्योगिक अनुमोदन नहीं मांगा गया है । अत: अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता । किन्तु इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इलेक्ट्रॉनिक नगर की अवधारणा का स्वागत करेता है। औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण के सभी आवेदन-पत्रों पर सरकारी नीतियों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

(घ) एक उद्यमकर्ता के प्रस्ताव के अनुसार गुड़गाव में इस परियोजना पर 72.71 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की परिकल्पना की गई है, जो साम्यापूंजी (इक्विटी) तथा बने बनाए भूखण्डों की बिक्री के माध्यम से प्राप्त होगा ।

वायुदूत के लिए 50 सीटों वाले कम्प्यूटर विमान

*219. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के तीसरे वर्ग की एयरलाइन्स, वायुदूत के लिए 50 सीटों वाले कम्प्यूटर विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; ताकि बड़े पैमाने पर विमान सेवा से होने वाली किफायत सुनिश्चित हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वायुदूत इस समय अपनी सेवाओं का प्रचालन अपने स्वयं के डोर्नियर विमान से तथा इंडियन एयरलाइन्स से पट्टे पर लिए गए एफ-27 और एच एस-748 विमान से कर रहा है । एफ-27 विमान और एच एस-748 विमान की क्षमता क्रमश: 40 और 48 यात्री है । वायुदूत ने सातवीं योजना की अवधि में वायुदूत ने 40-50 सीटों वाले दो विमान प्राप्त करने की आवश्यकता का अनुमान लगाया है । एक विमान वर्ष-1987-88 में और दूसरा वर्ष 1988-89 में ।

(ख) सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है ।

पश्चिम बंगाल में पश्चिम दिनाजपुर, जलपाइगुड़ी और मालदा के लिए वायुदूत सेवा शुरू करना

*220. **श्री आनन्द पाठक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में पश्चिम दिनाजपुर, जलपाइगुड़ी, और मालदा के जिला मुख्यालयों में इस क्षेत्र में संचार सुविधा के सुधार के लिए वायुदूत सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में वायुदूत सेवा कौन सी तारीख तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) पश्चिमी दिनाजपुर, मालदा और जलपाइगुड़ी के जिला मुख्यालयों को वायुदूत सेवाओं के

आरम्भ किये जाने के संबंध में समय-समय पर प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया कि इन सेवाओं को वायुदूत की विस्तार योजनाओं की पहली अवस्था में आरम्भ नहीं किया जायेगा। वायुदूत को इन स्टेशनों का यातायात सर्वेक्षण करने को कहा गया है। तथापि इन स्टेशनों को सेवाओं के आरम्भ किये जाने पर विचार प्रचालनों की विकास क्षमता, अपेक्षित आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास तथा उपयुक्त विमान की अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। किस संभावित तारीख तक वायुदूत सेवाएं इन स्टेशनों को शुरू की जा सकेंगी यह इस समय नहीं बताया जा सकता।

[अनुवाद]

सिलिकॉन सौदे की स्थिति

1173. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलिकॉन सौदे की स्थिति के बारे में निर्णय प्रधान मंत्री करेंगे (टाइम्स ऑफ इण्डिया 21 फरवरी, 1985); और

(ख) क्या मेट्टूर कैमिकल्स द्वारा किए गए दावों की पुष्टि सचिव, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान द्वारा की गई है और यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के हिस्से के रूप में यह काम इस फर्म को सौंपेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स हेमलॉक सेमीकण्डक्टर कार्पोरेशन के साथ तकनीकी सहयोग विषयक समझौते को अन्तिम रूप दे दिया था। नवम्बर, 1984 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से उक्त आयात के लिए अपेक्षित अनुमति नहीं प्राप्त हुई थी; और इस बीच नवम्बर, 1984 में कुछ जानकारी की ओर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया। उन सभी मुद्दों का गहन अध्ययन किया गया था और अब यह निर्णय किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिकी विभाग प्रक्रिया संबंधी तकनीकी जानकारी, मूलभूत इन्जीनियरी तथा स्वस्वामित्व के उपस्करों को मैसर्स हेमलॉक से खरीदने की दिशा में कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही साथ प्रौद्योगिकी को वाणिज्यिक आधार पर स्थापित करने के लिए विकास के क्षेत्र में स्वदेशी प्रयासों को पूरी सहायता दी जाएगी।

राष्ट्रीय सिलिकॉन सुविधा के पालिसिलिकन संयंत्र की स्थापना के विकल्प के रूप में अपेक्षाकृत कम लागत पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, इसके बारे में मेत्तूर केमिकल्स द्वारा किए गए दावे की विस्तृत जांच सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा की गई है और यह पाया गया है कि मेत्तूर कैमिकल्स ने हाल ही में प्रतिवर्ष 2 मीटरी टन क्षमता वाले एक प्रायोगिक संयंत्र को कुछ महीनों के लिए चालू किया है और वे लगभग प्रतिवर्ष 25 मीटरी टन की क्षमता वाले उत्पादन संयंत्र की स्थापना कर सकेंगे। किन्तु वर्तमान प्रायोगिक संयंत्र में प्रौद्योगिकी की क्षमता में और अधिक विस्तार करने के लिए उन्हें अनेक सुविधाएं प्रतिष्ठापित करनी पड़ेंगी ताकि वे उच्च क्वालिटी की सामग्रियों का सन्तोषजनक उत्पादन किफायती तौर पर और लगातार कर सकें। उन्होंने यह वांछनीय समझा कि राष्ट्रीय

सिलिकॉन सुविधा की स्थापना के लिए विदेशों से अनुभव-सिद्ध प्रौद्योगिकी यथाशीघ्र मंगानी चाहिए। किन्तु, भारत में राष्ट्रीय सिलिकॉन सुविधा के संयंत्र की स्थापना के संबध में निर्णय मेत्तूर कैमिकल्स में स्थापित की जा रही 25 टी०पी०ए० की उत्पादन-इकाई से प्राप्त होने वाले परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद ही लिया जायेगा।

समुद्र में प्रदूषण रोकने के लिए कदम

1174. **श्री चिंतामणि जेना :**

श्री मोहनलाल पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र में प्रदूषण से समुद्र तटीय पर्यावरण स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई है;

(ख) समुद्र में प्रदूषण के विभिन्न कारण क्या हैं; और

(ग) समुद्र में प्रदूषण को रोकने और समुद्री उद्योग को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) समुद्री प्रदूषण का कारण अलग-अलग तरह के अपशेषों का समुद्र में छोड़ना है। इनमें बड़े नगरों का मल-जल निष्कासन, औद्योगिक अपशेष, कृषीय अपशेष, तापीय और रेडियो-धर्मी अपशेष, तेल का पानी में मिल जाना तथा टैंकरों की धुलाई शामिल है।

(ग) सरकार ने समुद्री प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक समिति गठित की है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसे विभिन्न संबंधित विभागों और एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

लाभकारी और अलाभकारी रेल लाइनों का चयन

1175. **श्री गदाधर साहा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग द्वारा लाभकारी और अलाभकारी रेल लाइनों का चयन करने का आधार क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव रेल मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं और अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेजे जाते हैं। वे लाइनें जिनसे बट्टागत नकदी प्राप्ति तकनीक के अन्तर्गत हिसाब लगाकर निवेश पर 10 प्रतिशत आय प्राप्त होती है उन्हें लाभकारी माना गया है। मोटे तौर पर योजना आयोग द्वारा परियोजना की स्वीकृति का निर्णय यातायात की आवश्यकताओं, सामरिक आवश्यकताओं, अविकसित क्षेत्रों तक पहुंच और भीड़भाड़ वाले मार्गों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अथवा सम्पर्क रहित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए वर्तमान लाइनों के विस्तार आदि जैसे आधारों पर किया जाता है।

जनता-पुलिस सम्बन्धों के बारे में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें

1176. **श्री अनिल बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने जनता का सहयोग लेने और पुलिस जनता संबंधों में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या उक्त सिफारिशों को राज्य सरकारों के पास क्रियान्वयन हेतु भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन सिफारिशों को लागू कर दिया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने, जिसका देश में पुलिस प्रशासन सुधारने हेतु सिफारिशें करने के लिए गठन किया गया था, यह सिफारिश की है कि पुलिस के कार्य को समाज के लिए सार्थक तथा स्वीकार्य बनाने के लिए इसमें जनता के शामिल होने तथा सहयोग देने और कानून प्रवर्तन बढ़ाने का वांछित उपाय करना निरन्तर दिन प्रतिदिन आधार पर एक स्वस्थ जनता पुलिस संबंध महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने अपनी 5वीं रिपोर्ट के अध्याय XII में कुछ सुझाव दिए हैं। रिपोर्टों की प्रतियां 30-3-1983 को सभा पटल पर रख दी गई थीं। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों वाली रिपोर्टों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है। चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है इसलिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का काम है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को उधारी की सुविधा

1177. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष इंडियन एयरलाइन्स ने पश्चिम बंगाल सरकार को विमान के टिकट उधार देने से इन्कार कर दिया था क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स को टिकटों की अदायगी के संबंध में पश्चिमी बंगाल सरकार की वित्तीय क्षमता पर सन्देह था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय और इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कब और किस आधार पर उक्त प्रतिबंध हटाया गया है;

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने उत्तर प्रदेश सहित किसी अन्य राज्य सरकार को भी उधार में टिकट देना बंद कर दिया है; और

(ङ) वर्ष 1980 से लेकर अब तक इंडियन एयरलाइन्स को इस प्रकार हुए घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) बिलों का भुगतान न करने के कारण/बिलों का भुगतान देरी से करने के कारण 1980-83 से पश्चिम बंगाल सरकार से टिकटों को जारी करने के लिए ऋण सुविधाएं वापस ले ली गई थीं। तथापि, इन सुविधाओं को वर्ष 1983 में बहाल कर दिया गया था।

(घ) महाराष्ट्र और पांडिचेरी की सरकारों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों को ऋण सुविधाएं आस्थगित कर दी गई थीं/वापस ले ली गई थीं परन्तु इन्हें पांडिचेरी और उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ विभागों के सम्बन्ध में बहाल कर दिया गया था।

(ङ) इस अवधि में इस कारण इंडियन एयरलाइन्स को कोई हानि नहीं हुई है।

बीस सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले शीर्ष राज्यों को पुरस्कार

1178

1177. श्री अमरसिंह राठवा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीस सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ख) वर्ष 1984 के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र की कार्यनिष्पत्ति के लिए कौन कौन से राज्य कार्यनिष्पत्ति वार पहले तीन स्थानों पर हैं; और

(ग) बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सबसे अच्छी कार्यनिष्पत्ति के लिए राज्यों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए क्या मानदंड एवं दिशानिर्देश हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा इस पर निगरानी के लिए समितियां स्थापित की गई हैं जिससे कार्यक्रम की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सके । सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों में भी निगरानी के लिए व्यवस्था की गई है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1984-85 में प्रत्येक सूत्र के संबंध में निष्पादन-वार उच्चतम स्थान प्राप्त करने वाले तीन राज्यों के नाम दिए गए हैं ।

(ग) राज्यों को 20 सूत्री कार्यक्रम के सर्वोत्तम निष्पादन के लिए पुरस्कार देने की कोई स्कीम नहीं है ।

विवरण

सूत्र सं०	राज्य का नाम
1-क सिंचाई उत्पादन	वर्ष समाप्त होने के बाद सूचना उपलब्ध होगी
1-ख शुष्क भूमि खेती	वर्ष समाप्त होने के बाद सूचना उपलब्ध होगी
2. दालें तथा तिलहन उत्पादन	वर्ष समाप्त होने के बाद सूचना उपलब्ध होगी
3-क एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	असम, बिहार, कर्नाटक
3-ख राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	कर्नाटक, राजस्थान, असम
3-ग ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु
4. बेशी भूमि	राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब
5. कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी	लक्ष्य इतर मद
6. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र
7-क सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के परिवार	गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान
7-ख सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति के परिवार	कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु
8. पेय जल	कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश

सूत्र सं०	राज्य का नाम
9-क आवंटित किए गए आवास स्थल	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात
9-ख दी गई निर्माण सहायता	राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश
10-क शामिल की गई गंदी बस्तियां	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा
10-ख आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए आवास	मध्य प्रदेश, केरल, मणिपुर
11-क बिजली चालित ग्राम	हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश
11-ख लगाए गए पम्पसैट	तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश
12-क लगाए गए पेड़	राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र
12-ख (1) बायोगैस संयंत्र (राज्य)	राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु
(2) बायोगैस संयंत्र (खादी ग्राम उद्योग आयोग)	असम, केरल, महाराष्ट्र
13. नसबंदियां	असम, सिक्किम, तमिलनाडु
14-क स्थापित किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	राजस्थान, असम, बिहार
14-ख स्थापित किए गए उप-केन्द्र	तमिलनाडु, मेघालय, उत्तर प्रदेश
15. एकीकृत सामुदायिक विकास खण्ड	सभी राज्यों में खंड स्थापित किए गए हैं।
16. प्रारम्भिक तथा प्रौढ़ शिक्षा	वर्ष समाप्त होने के बाद सूचना उपलब्ध होगी
17. खोली गई उचित दर की दुकानें	उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार
18-क औद्योगिक नीतियों/पद्धतियों इत्यादि का सरलीकरण	लक्ष्य इतर मद
18-ख स्थापित की गई ग्रामीण तथा लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयां	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
19. काले धन इत्यादि की जांच	लक्ष्य इतर मद
20. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	लक्ष्य इतर मद

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को भंग करना और उड़ीसा के विस्थापित लोगों को बसाना

1179. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को भंग करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है और इससे उड़ीसा के कोरापुट जिले में परियोजना की संचालन गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) उड़ीसा राज्य सरकार को कोरापुट जिले में स्थापित विभिन्न प्रतिष्ठानों के संबंध में किस सीमा तक जिम्मेदारी सौंपी जा रही है; और

(घ) क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और न केवल विस्थापित लोगों की अपितु काश्तकारों और ग्रामीण कलाकारों को कुछ सामयिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय जन-

जातियों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र में कृषि पर आधारित कुछ उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) चूंकि दण्डकारण्य परियोजना के तीन क्षेत्रों में, नामत: मध्य प्रदेश में पारालकोट और कोंडागांव, उड़ीसा मे उमेरकोट, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास संबंधी कार्य लगभग पूरा हो गया है अत: इन क्षेत्रों में संपत्ति और संस्थानों को संबंधित राज्य सरकारों को मुफ्त हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया है। चौथा क्षेत्र नामत: उडीसा में मलकानगिरी, परियोजना प्राधिकरण और सभी क्षेत्रीय कार्यालय कुछ और समय तक कार्य करते रहेंगे।

(ग) संपत्ति और संस्थानों के हस्तांतरण के बाद राज्य सरकार उनके रख रखाव के लिए जिम्मेदार होगी। तथापि, राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली संपत्ति और संस्थानों में कमियों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार धन उपलब्ध करेगी और पांच वर्ष की अवधि तक उनके रख रखाव के खर्च को भी वहन करेगी।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

पर्यटन सेवाओं का व्यावसायिकीकरण

1180. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन सेवाओं का व्यावसायिकीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्यों को भेजे गए मार्गनिर्देश क्या हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क), (ख), (ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश के अन्तर्गत पर्यटन सेवाओं के प्रशिक्षण और व्यावसायिकीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान और होटल प्रबंध की राष्ट्रीय परिषद संगोष्ठियों, कार्यशालाओं "एग्जिक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम" आदि का आयोजन करते ह। प्रशांत क्षेत्र यात्रा संघ, विश्व पर्यटन संगठन आदि जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा पेश की गई सुविधाओं का प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। पर्यटन विभाग के पास एक स्कीम है, जिसके तहत होटलों और रेस्तरांओं द्वारा विदेश-स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों मे प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित प्रत्याशियों को विदेशी-मुद्रा रिलीज की जाती है।

यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में व्यावसायिक रूप मे निपुण कार्मिकों की मांग को पूरा करने के लिए, मत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रो में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और वोकेशनल इन्स्टीट्यूट्स में पर्यटन संबंधी शिक्षा-सुविधाएं प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करें।

रंगीन टी० वी० सैटों की गोदामों से सीधी बिक्री

1181. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन और श्वेत श्याम टी० वी० सैटों की गोदामों से सीधी बिक्री शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब आरम्भ होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्यमंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) रंगीन तथा श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों की बिक्री सीधे गोदामों से करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है । किन्तु इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) द्वारा शुरू की गई "सामग्री प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम योजना" के अन्तर्गत सदस्य-विनिर्माताओं को ई० टी० एण्ड टी० ने सलाह दी है कि वे अपनी सुविधानुसार धीरे-धीरे गोदामों से सीधी बिक्री करने की पद्धति अपनाएं जिससे अन्य प्रयोगकर्ताओं को विनिर्माताओं के गोदामों में स्थित बिक्री-काउन्टरों से दूरदर्शन सेट खरीदने का विकल्प रहेगा, तथा उसकी सुविधा प्राप्त होगी । इस प्रकार की बिक्री ऐसे मूल्यों पर होगी जिनमें वितरण-लागत तथा अन्य किसी भी प्रकार के प्रभार नहीं जोड़े जाएंगे जैसा कि विक्रेताओं अथवा खुदरा बिक्री के दुकानों में शामिल किए जाते हैं । ऐसा सुझाव ई० टी० एण्ड टी० ने अपनी "सामग्री प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम योजना" के अन्तर्गत सदस्यों को सलाह के रूप में दिया है ।

अभी से यह अनुमान लगाना कठिन है कि विनिर्मातागण कब उपर्युक्त पद्धति से गोदामों से सीधी बिक्री करना शुरू करेंगे ।

केरल में प्रदूषण-रोधी उपायों का क्रियान्वयन

1182. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में प्रदूषण-रोधी उपायों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई बरती जा रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रदूषण सम्बन्धी नियमों को लागू करने का कार्य जिस तंत्र को सौंपा गया है उसे चुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हवाई अड्डों पर पक्षियों के कारण परेशानी

1183. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी ने हवाई अड्डों पर पक्षियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) जी, हां। बम्बई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी ने दिल्ली और बम्बई के दो सिविल हवाई अड्डों हिंडन, आगरा तथा अम्बाला के तीन रक्षा हवाई अड्डों पर पक्षियों द्वारा उत्पन्न खतरे के अध्ययन के संबंध में अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1. इन विमान-क्षेत्रों से रुका हुआ पानी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए।
2. विमान क्षेत्र के भीतर मौजूदा पेड़-पौधों के स्थान पर "दूब" लगा दी जाए जो एक प्रकार की लान की छोटी घास है।
3. हवाई अड्डों के भीतर और आस-पास की सभी मौजूदा इमारतें और नई बनने वाली इमारतें ऐसी होनी चाहिएं जिनमें कबूतर न रह सकें।
4. हवाई अड्डे के भीतर और आस-पास कूड़े कचरे के ढेर लगाने, खुले कूड़ेदान अथवा ढके हुए कूड़ेदान बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
5. खाद्य पदार्थों का कूड़ा कचरा भवन के भीतर ही ढके हुए डिब्बों में अस्थाई रूप से इकट्ठा किया जाना चाहिए और तत्काल बन्द थैलों में भस्मकों को भेज दिया जाए। खान-पान अभिकरणों की खान-पान की गाड़ियों को अनिवार्य रूप से "बर्ड-प्रूफ" बनाया जाना चाहिए।
6. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय विमानों के उतरने और उड़ान भरने को टाला जाना चाहिए।
7. दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर भस्मकों में सुधार किया जाए जिससे कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वातावरण प्रदूषण मुक्त रहें।
8. दिल्ली में तथा आगरा और अम्बाला में पशु-शव संसाधन केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किए जाने चाहिएं।
9. दिल्ली/हिंडन और आगरा में मौजूदा बूचड़खाने के स्थान पर आधुनिक बूचड़खाने बनाए जाने चाहिएं।
10. दिल्ली, बम्बई और आगरा के सभी बड़े-बड़े होटलों और भोजनालयों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि उनके खाद्य पदार्थों के कचरे के निपटान के लिए उनके अपने भस्मक हों।
11. दिल्ली, बम्बई और आगरा की मांस और मछली की बड़ी मार्केट के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि मार्केट के भीतर ही उनके कार्यशील भस्मक हों।
12. चिकन ड्रेसिंग यार्डों द्वारा चिकन का बचा-खुचा कचरा खुले स्थान पर डालना गंभीर अपराध माना जाना चाहिए।
13. दिल्ली में सूअर बाड़ों को चारों तरफ से और ऊपर से भी तार की जाली से बर्ड प्रूफ बनाना चाहिए।
14. हड्डी मिलों और हड्डी संसाधन की इकाइयों, जिनमें सरेस की फैक्ट्रियां भी शामिल हैं, हड्डी सुखाने के मैदान सभी ओर से पूरी तरह बर्ड-प्रूफ होने चाहिएं।

15. मांस के बन्द डिब्बे तैयार करने वाली सभी फैक्ट्रियों को हड्डियां केवल प्राधिकृत हड्डी संसाधन इकाइयों को और मांस का कचरा पशु-शव संसाधन केन्द्रों को भेज दिया जाना चाहिए।

(ग) सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

[हिन्दी]

रावतभाटा परमाणु बिजली घर का विस्तार

1184. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजस्थान में रावतभाटा परमाणु बिजलीघर में 235 मेगावाट के दो नए परमाणु ऊर्जा एकक स्थापित करके इसका विस्तार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन एककों का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और इस पर कितनी धन राशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) इन एककों का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) आशा है कि इन यूनिटों को सन 1994 में चालू कर दिया जाएगा। ऐसा अनुमान है कि इन दोनों यूनिटों की लागत सन 1984 के मूल्य स्तर के आधार पर लगभग 609 करोड़ रुपये रहेगी।

(ग) आशा है कि इन दोनों ही यूनिटों के मामले में संयंत्र-स्थलों को काम में आने योग्य बनाने का काम सन् 1985 में शुरू कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पुलिस बल को आधुनिक बनाना

1185. **श्री के० कुन्जम्बु :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की जा रही है; और

(ख) यदि हां तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

उद्योगीकरण और विज्ञान और तकनीकी में विकास के साथ अपराध परिष्कृत और जटिल बन गए हैं। कानून और व्यवस्था को बनाये रखने और इस प्रकार की परिस्थितियों में शान्ति बनाए रखने के विचार से पुलिस को अपराधों का बेहतर ढंग से पता लगाने और जांच पड़ताल करने के लिए विज्ञान और तकनीकी में आधुनिकतम विकास का प्रयोग करके अपनी तकनीकी को अवश्य ही आधुनिक बनाना चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1969-70 में गैर योजना स्कीम के रूप में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक योजना प्रारम्भ की थी। 1969-70 से 1979-80 तक इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 52.24 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। 1979-80 के दौरान योजना को समाप्त

कर दिया गया था। तथापि आधुनिकीकरण कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 10 वर्षों की अवधि के लिए योजना को पुन: प्रारम्भ करने का निर्णय लिया, जिसके लिए 1980-81 और 1989-90 के कुल परिव्यय 100 करोड़ रुपये का है। केन्द्रीय सहायता का प्रतिमान 50 प्रतिशत ऋण और सहायता अनुदान का है। ऋण को 25 वर्षों की अवधि में भुगतान किया जाना है।

2. केन्द्रीय सहायता, वाहनों, बेतार उपकरणों, कम्प्यूटरों, जांच पड़ताल के लिए वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद के लिए गैर-आवर्ती प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिए है। आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता राज्य पुलिस तन्त्र की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए राज्यों के प्रयत्नों में कमी को पूरा करने के लिए बनाई गई है जो मूल रूप से उनकी जिम्मेदारी है। योजना के अन्तर्गत ग्राह्य मदों की सूची उनकी प्रासंगिक प्राथमिकता के साथ नीचे दी गई है :—

1. बेतार उपकरण, टेलीप्रिंटर सेवा सहित लाइन संचार पर मूल व्यय, शहरों और अन्य स्थानों में प्रयोग के लिए बेतार उपकरण; प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वायर लेस सैट लगाने के उद्देश्य से;
2. वाहनों की गतिशीलता व्यवस्था; प्रत्येक पुलिस स्टेशन को एक जीप देने का प्रयास;
3. प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरण;
4. अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपकरण और जांच पड़ताल के लिए अन्य वैज्ञानिक साधनों के लिए उपकरण;
5. फिंगर प्रिंट ब्यूरो के लिए उपकरण;
6. विवादास्पद कागजातों की जांच के लिए उपकरण;
7. राज्य अपराध शस्त्र प्रयोगशालाओं के लिए भवनों का निर्माण, प्रत्येक राज्य के लिए अधिक से अधिक 10 लाख रुपये;
8. अपराध कागजातों, आकड़ों और लेखा के लिए डाटा प्रोसेसिंग मशीन।

3. राज्य सरकारों से समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिय विशष प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है; जैसे कि नीचे दिया गया है:—

1. साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील जिला/स्थान/क्षेत्र
2. हरिजनों पर अत्याचारों होने वाले जिल/स्थान;
3. पांच लाख और उससे अधिक जनसख्या वाले शहर;
4. गहन श्रमिक समस्याओं और औद्योगिक परिसरों के क्षेत्र;
5. विशिष्ट समस्याओं जैसे संकट प्रणत क्षेत्र;
6. विस्तृत शैक्षिक परिसर वाले क्षेत्र और अक्सर छात्र विवाद प्रणत क्षेत्र।
7. अत्यधिक पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र;
8. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र।

4. पिछले पांच सालों (फरवरी, 1985 तक) के दौरान राज्यों को दी गई धनराशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	रुपए (लाखों में)
1980-81	750.00
1981-82	800.00
1982-83	733.7775
1983-84	838.10
1984-85	630.16 (फरवरी 1985 तक)

आंध्र प्रदेश में हवाई अड्डों पर तेलुगू भाषा में उद्घोषणायें

1186. **श्री बड्डे सोभानेश्वीसवारा राव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय हैदराबाद हवाई अड्डे पर केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ही उद्घोषणायें की जा रही हैं जिससे केवल तेलुगू भाषा ही जानने वाले यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है; और

(ख) हैदराबाद हवाई अड्डे पर तथा आंध्र प्रदेश में अन्य हवाई अड्डों पर तेलुगू भाषा में उद्घोषणायें करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स ने सूचित किया है कि वे आंध्र प्रदेश में सभी हवाई अड्डों पर तेलुगू हिंदी और अंग्रेजी में घोषणायें कर रहे हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण

1187. **श्री जनवारी लाल बेरवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8-2-85 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा है कि गृह मन्त्रालय के निर्देशों के बावजूद विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों या बैंकों में कार्यरत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को अतिरिक्त सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में कोई खास काम नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सलाह दी गई है कि विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में पर्याप्त कदम उठाये जाने चाहिएं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) सरकार के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिए जाने के सम्बन्ध में मन्त्रालयों तथा विभागों को विद्यमान अनुदेशों के बारे में पुनः कहा जा रहा है । जहां तक सरकारी उपक्रमों तथा बैंकों का सम्बन्ध है, नाडल एजेन्सी को इस सम्बन्ध में उचित सलाह दी जा रही है ।

भाषा विकास बोर्ड की स्थापना

1188. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी ने ऐसी भाषाओं तथा उनके साहित्य के संवर्धन के लिए कोई कदम उठाए हैं जिनको अकादमी द्वारा अभी भी मान्यता नहीं दी गई है और भाषा विकास बोर्ड की स्थापना सहित जिनको मान्यता दिए जाने की मांग की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी भाषाओं में से प्रत्येक के लिए अब तक इस संबंध में किस प्रकार के ठोस कदम उठाये गए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) साहित्य अकादमी ने उन भाषाओं के विकास के लिये जिसको अकादमी द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, एक भाषा विकास बोर्ड गठित किया है । इस प्रकार की भाषाओं के आगे विकास के संबंध में साहित्य अकादमी द्वारा भाषा विकास बोर्ड की सलाह और सिफारिश के आधार पर विचार किया जाएगा ।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम का निर्माण

1189. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री मुहम्मद महफूज अली खां :

डा० कृपासिंधु भोई : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1985 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि इस्लामाबाद परमाणु बम का विस्फोट करने में समर्थ होने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार उन सभी घटनाओं पर अत्यधिक सतर्कता से निगरानी रख रही है जिनसे देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है ।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु ऊर्जा का विकास

1190. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद के समीप संयत्र लगाने के बाद संसाधित यूरेनियम तैयार करने वाला विश्व का छठा देश बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात से सिद्ध होता है कि पाकिस्तान, परमाणु ऊर्जा के विकास के मामले में भारत से आगे बढ़ गया है;

(ग) क्या पाकिस्तान अब परमाणु बम तैयार करने के नजदीक पहुंच गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल):(क) तथा (ग) पाकिस्तान उन अनेक देशों में से एक है जिनका दावा है कि उन्होंने समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करने की क्षमता

हासिल कर ली है। सिद्धांततः, कोई भी ऐसा देश जिसके पास समृद्ध यूरेनियम के उत्पादन की क्षमता मौजूद है, यदि चाहे तो परमाणु हथियार बना सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों से संबंधित सभी संगत बातों से अपने को अवगत रखता है। पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश की सूचनाओं के बारे में सरकार अपनी चिंता बार-बार व्यक्त भी कर चुकी है। इस संदर्भ में, सरकार अधिकतम सतर्कता बरतेगी और देश के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सभी उपाय करेगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की एसोसिएशनों को मान्यता

1191. **श्री आयनल अबेडिन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने आचरण नियम 4-ख को 1962 में रद्द कर दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके पश्चात केन्द्रीय सरकार तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों की एसोसिएशनों को औपचारिक विधितः मान्यता देना बन्द कर दिया गया है तथा केवल वस्तुतः और तदर्थ मान्यता ही दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1955 के नियम 4-ख को रद्द किए जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा एसोसिएशनों की मान्यता) नियमावली, 1959 इस समय निष्क्रिय हो गई है। तदनुसार सरकार अब यह नीति अपना रही है कि मंत्रालयों/विभागों को, अपने कर्मचारियों की सेवा एसोसिएशनों के बारे में, उनकी औपचारिक मान्यता के लिए आग्रह किए बिना ही कार्रवाई करनी चाहिए बशर्ते कि ऐसी एसोसिएशनें इस विषय से संबंधित मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों में निर्धारित शर्तें पूरी करती हों।

पश्चिम बंगाल के गंगा नदी के थाले में पर्यावरण की समस्याएं

1192. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के पश्चिम बंगाल से होकर गुजरते समय उसे प्रदूषित करने वाले पदार्थ, मुख्यतः औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ भारी मात्रा में उसमें बहा दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के थाले को पर्यावरण संबंधी समस्याओं से उत्पन्न खतरे का क्या हाल है; और

(घ) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल में गंगा की मुख्य धारा में औद्योगिक अपशिष्टों से प्रदूषण भार का 69 प्रतिशत प्राप्त होने का अनुमान किया गया है तथा घरेलू अपशिष्टों से 31 प्रतिशत।

(ग) कुछ प्रमुख हल हैं:—

(I) शहरी ईकाईयों में द्वितीय उपचार संयंत्र से सज्जित विशेषकर नगरपालिका वाले शहरों में मलजल प्रणाली बनाना, कम कीमत वाले अपशिष्ट स्थिर तालाबों तथा नगरपालिका वाले शहरों में सामान्य उपचार सुविधायें बनाना ।

(II) नगरपालिका वाले शहरों में विद्यमान अपर्याप्त मलजल प्रणाली में सुधार तथा वृद्धि ।

(III) शहर जिनमें मलजल प्रणालियां नहीं हैं उनमें व्यवस्थित जल आपूर्ति की मात्रा को बढ़ाना तथा व्यवस्था करना ।

(IV) औद्योगिक निस्सारों का नियन्त्रण तथा प्रबोधन करना ।

(घ) पश्चिम बंगाल के 17 शहर (कलकत्ता तथा हावड़ा के नगर निगमों को छोड़कर) जहां पर गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत मलजल उपचार संत्रंत्र स्थापित/वृद्धि की जायेगी, वे हैं : बहरामपुर, नबद्विप, हुगली, छुछुरा, चंदन नगर, भटोयरा, बैरकपुर, श्री रामपुर, टीटागढ़, पानीहटी वाली, कमरहटी, बारानगर, दक्षिण दम-दम, जादवपुर, गार्डनरीच, नेहाटी तथा दक्षिण शहरी क्षेत्र ।

अमरीकी सहायता से पाकिस्तान द्वारा यूरेनियम का उत्पादन

1193. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अमरीका की सहायता से परिष्कृत यूरेनियम का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है और पाकिस्तान सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है;

(ख) क्या इसके अतिरिक्त चीन भी इस सम्बन्ध में पाकिस्तान की सहायता कर रहा है;

(ग) क्या पाकिस्तान वर्तमान विशेषज्ञता और सामग्री को परमाणु हथियारों के निर्माण में उपयोग करने में समर्थ हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो हमारे देश की सुरक्षा आवश्यकता की तुलना में इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं ।

(घ) सरकार उन सभी घटनाओं पर अत्यधिक सतर्कता से निगरानी रख रही है जिनसे देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है ।

दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

1194. **श्री आनन्द पाठक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं योजना में दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता के माध्यम से मुख्यत: किस बात पर जोर दिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जिनमें दार्जिलिंग भी शामिल है, केन्द्रीय सहायता के अधिक आवंटन के बारे में सातवीं योजना तैयार करते समय विचार किया जाएगा ।

जनजातियों के उत्थान के लिये धनराशि

1195. **श्री मुहम्मद महफूज अली खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में जनजातियों के उत्थान के सम्बन्ध में अब तक की उपलब्धियों के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और छठी योजना अवधि के जनजातीय विकास के लिये सरकार द्वारा कितनी धनराशि का नियतन किया गया तथा राज्य सरकारों द्वारा इन कार्यक्रमों पर वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिये यदि कोई व्यवस्था है, तो उसका स्वरूप क्या है तथा वह अपेक्षित कार्य करने में किस सीमा तक कारगर सिद्ध हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमन् । छठी योजना अवधि के दौरान दिसम्बर, 1984 तक आर्थिक योजनाओं के अधीन 39-67 लाख परिवारों को सहायता दी गई है जबकि संशोधित लक्ष्य 27.59 लाख परिवारों का था ।

(ख) चुने हुए व्यक्तिगत क्षेत्रीय मूल्यांकन अध्ययनों के जरिए जनजाति विकास का मूल्यांकन किया गया था, जैसे 1982 में बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्था, पुणे द्वारा बड़े आकार की कृषि बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों का मूल्यांकन, 1981 में भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्था नई दिल्ली द्वारा एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं में प्रशासनिक ढांचे का मूल्यांकन और 1984 में सामाजिक अध्ययन केन्द्र, सूरत द्वारा जनजाति शिक्षा सम्बन्धी अन्तर-राज्य अध्ययन जनजाति अनुसंधान संस्थाओं ने भी विभिन्न राज्यों में पर्याप्त संख्या में चयनात्मक मूल्यांकन अध्ययन किए । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजाति विकास सम्बन्धी कार्यदल ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजाति विकास का पुनरीक्षण किया । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग भी जनजाति विकास कार्यक्रमों की जांच करते हैं और समय-समय पर संसद के दोनों सदनों में रखी जाने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्टों में अपने विचार/सिफारिश शामिल करते हैं । छठी योजना अवधि के दौरान जनजाति विकास के लिए कुल परिव्यय लगभग 5,535 करोड़ रुपए है जिसमें 485.50 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल है । छठी योजना के दौरान राज्य योजना साधनों में से खर्च लगभग 3,520 करोड़ रुपए आंका जाता है ।

(ग) जनजाति विकास सम्बन्धी कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं । समय-समय पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करने के लिए गृह मंत्रालय में एक प्रबोधन कक्ष है । जनजाति जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में उनके चार्ज में अपने-अपने प्रबोधन ढांचे हैं । केन्द्र में और राज्यों में प्रबोधन कक्ष का कार्य कारगर सिद्ध हो रहा है ।

बंगलौर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलना

1196. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में न बदलने के कारण, बंगलौर शहर के तथा कर्नाटक राज्य के बहुत से यात्रियों को भारी कठिनाई हो रही है; और

(ख) क्या सरकार वर्तमान बंगलौर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने के प्रस्ताव पर विचार करेगी क्योंकि बंगलौर एक बहुत बड़ा औद्योगिक और वाणिज्यिक केन्द्र बन चुका है और केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उद्योग यहां स्थापित हो चुके हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) इंडियन एयरलाइन्स की बंगलौर और बम्बई, दिल्ली और मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बीच दैनिक उड़ानों की व्यापक व्यवस्था है जहां से बंगलौर के यात्री सुविधापूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें ले सकते हैं।

(ख) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नागालैंड राष्ट्रवादी समाजवादी परिषद के लोगों का बर्मा भाग जाना

1197. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1985 के 'टेलिग्राफ' में नागालैंड राष्ट्रवादी समाजवादी परिषद् के लोगों के बर्मा भाग जाने सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 18 फरवरी, 1985 को उखरूल जिले में कंगपाट से कामजांग गांव को आ रहे सुरक्षा बलों के एक वाहन पर छासाद के दक्षिण में लगभग 10 कि. मी. नामपिशा गांव के निकट नागालैण्ड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के भूमिगत नागाओं के एक दल द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। तेरह सुरक्षा बल कर्मी (एक जे. सी. ओ. समेत) और ग्राम स्वयंसेवी बल का एक सर्कल अधिकारी मारे गए और वाहन में यात्रा कर रहे ग्राम स्वयंसेवी बल के दो कर्मियों में से एक लापता हुआ जबकि दूसरा बचकर भाग गया। नागालैण्ड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के भूमिगत नाया घात लगा कर हमला किए गए कर्मियों के सामान के अतिरिक्त कुछ हथियार तथा गोलाबारूद भी ले गए। बताया जाता है कि भूमिगत लोग बर्मा भाग गए हैं।

(ग) सीमा पर सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं और उग्रवादियों की सीमा पर गति-विधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

परमाणु निरस्त्रीकरण हेतु छह राष्ट्रीय शिखर समिति की अपील

1198. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु निरस्त्रीकरण हेतु छह राष्ट्रीय शिखर समिति द्वारा की गई अपील के जवाब में परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों से कोई उत्तर मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों पर उनके परमाणु हथियारों को समाप्त करने हेतु दबाव डालना जारी रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी हां। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ ने दिल्ली घोषणा का समर्थन किया है और इसमें व्यक्त दृष्टिकोण के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। चीन ने भी इस घोषणा का स्वागत किया है परन्तु अपनी यह स्थिति दोहरायी है कि पहले संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ को अपने नाभिकीय अस्त्रों के भंडार में पर्याप्त रूप से कमी कर देनी चाहिए तभी उसको इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमरीका ने कहा है कि वह "विश्व के छह राजनेताओं के शांति के उद्देश्य की निष्ठा तथा वचनबद्धता का सम्मान करता है जिन्होंने यह घोषणा जारी की।

(ग) परन्तु इस घोषणा में बताए गये कदमों के बारे में उसने अपने कुछ आरक्षण व्यक्त किए हैं।

यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। नाभिकीय अस्त्रों की होड़ को रोकने तथा उन्हें धीरे-धीरे कम करते हुए अन्ततः समाप्त करने की बात पर बल देने के लिए भारत सरकार ने जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्बन्धी सम्मेलन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में अपने प्रयास जारी रखे हैं।

28 जनवरी, 1985 को अर्जेन्टीना, यूनान, मैक्सिको, स्वीडन, तंजानिया और भारत द्वारा पारित दिल्ली घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विशिष्ट कदम भी उठाए हैं।

नई इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटर नीति में बहु-राष्ट्रीय संगठनों को सम्मिलित किया जाना

1199. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर नीति में विदेशी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है;

(ख) यदि हां तो किन बहु राष्ट्रीय संगठनों को इस नीति में शामिल किया गया है;

(ग) क्या उन बहु राष्ट्रीय संगठनों के साथ सौदों में कोई प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त सौदों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह सौदे निजी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र अथवा दोनों क्षेत्रों में हुए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) से (ङ) नवम्बर, 1984 में घोषित नई कम्प्यूटर नीति के अनुसार सूक्ष्म/लघु कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए, जिसमें वैयक्तिक कम्प्यूटर सूक्ष्म कम्प्यूटर भी शामिल हैं तथा बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ पर आधारित ऐसे लघु कम्प्यूटर, भी शामिल हैं जो 32-बिट अथवा उसके समकक्ष चिपों पर आधारित हैं (32 तथा उससे अधिक बिट के सुपर मिनी/मेनफ्रेम की वास्तुकला को छोड़कर), किसी भारतीय कम्पनी को अर्थात् निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय कम्पनियां तथा ऐसी कम्पनियां जिनमें विदेशी साम्यपूंजी (इक्विटी) 40 प्रतिशत से अधिक न हो, अनुमति दी जा सकती है।

मेनफ्रेम कम्प्यूटरों तथा सुपर मिनी-कम्प्यूटरों के लिए केन्द्रीय संसाधन यूनिट (सी० पी० यू०) के विनिर्माण का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए जाने के लिए दो वर्षों तक आरक्षित रखा जाएगा।

विदेशों में स्थित संगठनों के लिए कोई अलग नीति नहीं है। संसद में दिनांक 21 मार्च, 1985 को नीति से सम्बन्धित एकीकृत उपायों की भी घोषणा की गई है।

आणविक प्रौद्योगिकी वितरण को प्रतिबन्धित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध

1200. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आणविक प्रौद्योगिकी वितरण को प्रतिबन्धित करने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था भारत और विकासशील विश्व के अन्य देशों के प्रति भेदभावपूर्ण है;

(ख) क्या वर्तमान व्यवस्था कुछ देशों द्वारा परमाणु हथियारों को रखने को न केवल वैध ठहराती है वरन उन्हें अन्य देशों की तुलना में स्थाई प्रौद्योगिकी और आर्थिक श्रेष्ठता भी प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति के प्रति इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क), (ख) और (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण को सीमित रखने के बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें इस बात की भी कोशिश की जाती है कि नाभिकीय अस्त्रों वाली शक्तियों के पास जो नाभिकीय अस्त्र हों उन्हें रखने का इन शक्तियों को वैध अधिकार प्राप्त हो। भारत इनमें से किसी भी प्रबन्ध का पक्षकार नहीं है और इन प्रबन्धों की प्रकृति में जो मतभेद है, उसके सम्बन्ध में भी उसने अपने विचार जता दिए हैं।

बंगलादेश और श्रीलंका से आये शरणार्थी

1201. **श्री चित्त महाता** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बंगलादेश और श्रीलंका से कितने शरणार्थी आए हैं; और

(ख) उनको बसाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को इस हेतु अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1971 में बंगलादेश से भारत में आए कुल व्यक्तियों की संख्या 98.99 लाख है। जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है, जुलाई 1983 में श्रीलंका में जातिगत हिंसा प्रारम्भ होने के बाद से 20 मार्च 1985 तक भारत में 85.610 शरणार्थी आए।

(ख) बंगलादेश से आए परिवार विदेशी नागरिक होने के कारण भारत में पुनर्वास सहायता के हकदार नहीं हैं।

श्रीलंका से आए शरणार्थियों के विषय में उनको बसाने के लिए किसी सहायता पर विचार नहीं किया जा रहा है लेकिन वे राहत सहायता के पात्र हैं जो दी जा रही है। वित्तीय सहायता के विषय में, तमिलनाडु सरकार द्वारा स्वदेश लौटने वाले लोगों और शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास सहायता के लिए अब तक 60.78 करोड़ रु० की राशि दी गई है। राहत के लिए शरणार्थियों पर हुए व्यय का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है क्योंकि राज्य सरकार इस विषय में अलग आंकड़े नहीं रख रही है।

श्रीलंका से आए शरणार्थी परिवारों का पुनर्वास

1202. **श्री के० राममूर्ति** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में जुलाई, 1983 में प्रारम्भ हुई जातिगत हिंसा की घटनाओं के पश्चात वहां से भारत में कितने शरणार्थी परिवार आए;

(ख) भारत में आए लोगों में से श्रीलंका के उन तमिल लोगों की संख्या कितनी है जो श्रीलंका के नागरिक हैं और उनके संख्या कितनी है जो श्रीलंका में नागरिकता के अधिकारों से विहीन तमिल मूल के राज्यविहीन लोग हैं; और

(ग) उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तमिलनाडु सरकार की सूचना के आधार पर, उस देश में जुलाई, 1983 में जातिगत हिंसा प्रारम्भ होने से 20 मार्च 1985 तक भारत में 85,610 शरणार्थी आए हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार इन शरणार्थियों को कोई पुनर्वास सहायता नहीं दी जा रही है । तथापि, जिन शरणार्थियों ने तमिलनाडु सरकार से सहायता मांगी है उन्हें वे सभी राहत सुविधायें दी जा रही हैं जो स्वदेश लौटने वाले लोगों को ग्रह्य हैं और तमिलनाडु के विभिन्न शिविरों में रखा जा रहा है ।

विदेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ सम्बन्धी समस्या

1203. **श्री रेणु पद दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ से उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए अधिक बल तैनात करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सीमा सुरक्षा बल ने सुझाव दिया है कि घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें बल को सौंपने हेतु सीमा स्थित ग्रामीणों को उचित प्रशिक्षण दिया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार का विचार बल की संख्या बढ़ाने और ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) घुसपैठ विरोधी उपायों और सीमा सुरक्षा बलों की संख्या की समीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है और सीमा सुरक्षा बल की सीमा बाह्य चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है । सरकार ने 1983 में 6 अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की थी ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर अर्द्ध सैनिक बलों की संख्या की समीक्षा की जाती है । ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर सतत निगरानी रखी जाती है । अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल टुकड़ियों को तैनात किया गया है और अधिक सीमा बाह्य चौकियां स्थापित की गई

हैं। और अधिक निगरानी बुर्जों का निर्माण किया जा रहा है और भूमि और नदी तटीय रास्तों पर गश्त गहन की गई है।

मध्य प्रदेश में पर्यटक आकर्षण के स्थान

1204. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पर्यटक आकर्षण के कौन-कौन से विभिन्न स्थान हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन स्थानों का कितने पर्यटकों ने दौरा किया; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करते हुए निम्नलिखित तीन यात्रा परिपथ, जो राष्ट्रीय पर्यटक रुचि के स्थल हैं, केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों द्वारा विकास के लिए अभिनिर्धारित किये गये हैं :—

1. ग्वालियर-शिवपुरी-दतिया-ओरछा-खजुराहो-बांधवगढ़-खजुराहो/जबलपुर।
2. भोपाल-सांची-विदिशा-उदयगिरी-भोपाल (भीमबेटका, भोजपुर) उज्जैन-इन्दौर-मांडू-महेश्वर-मंडलेश्वर-ओंकारेश्वर-इन्दौर।
3. जबलपुर-मेड़ाघाट-चिराई-डोंगरी (गर्म कुण्ड) मांडला-कान्हा नेशनल पार्क-ब्रह्मदेव-जबलपुर/रायपुर।

(ख) और (ग) विभाग के पास राज्य/स्थानवार आंकड़े एकत्र करने की कोई प्रणाली नहीं है। तथापि आवधिक रूप से विशेष सर्वेक्षण कराए जाते हैं और 1982-83 के विदेशी पर्यटकों के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ऐसे 200 से अधिक स्थान थे जहां विदेशी पर्यटकों ने कम से कम एक रात गुजारी; उनमें से 4.37 प्रतिशत ने मध्य-प्रदेश में कम से कम एक रात व्यतीत की; महत्वपूर्ण स्थान थे—खजुराहो (3.33 प्रतिशत) और भोपाल (0.50 प्रतिशत)।

छठी योजना के दौरान बायोगैस संयंत्र स्थापित करने में प्राप्त लक्ष्य

1205. **डा० फूल रेणु गुहा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान परिवार और समुदाय के आकार के अपेक्षित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना के वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) उपर्युक्त लक्ष्यों और उपलब्धियों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एन. पी. बी. डी.) को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 4 लाख वैयक्तिक बायोगैस संयंत्रों के निश्चयार्थक लक्ष्य के साथ 1981-82 से प्रारंभ किया गया। सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 100 संयंत्रों को लगाने का विचार किया गया।

(ख) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के लिए वार्षिक आधार पर राज्य-वार लक्ष्यों को निर्धारित किया गया जिसका कुल जोड़ 3.35 लाख संयंत्र है। बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

वर्ष	संयंत्रों की संख्या	
	लक्ष्य	उपलब्धि
1981-82	35,000	25,369
1982-83	75,000	57,498
1983-84	75,000	92,590
1984-85	1,50,000	1,17,820 (फरवरी, 1985 तक)

जहां तक सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों का संबंध हैं, वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

(ग) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के राज्यवार लक्ष्यों और उपलब्धियों संबंधी सूचना विवरण-I में दी गई है। यद्यपि सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों के राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, फिर भी फरवरी, 1985 तक संपूर्ण परियोजनाओं की राज्यवार उपलब्धियां विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

छठी योजना अवधि के दौरान बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (परिवार आकार) के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि बताने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	1981-82		1982-83		1983-84		1984-85	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (फरवरी, 1985 तक) (संपूर्ण)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2,000	515	5,000	3324	6,000	7669	24,500	13,037
2.	असम	70	23	200	180	200	208	500	368
3.	बिहार	2,400	2064	6,000	5312	6,500	6001	10,500	2,766
4.	गुजरात	3,000	1807	6,700	5217	8,000	7004	8,900	6,374
5.	हरियाणा	700	47	2,500	2259	2,500	2551	2,500	2,409
6.	जम्मू और कश्मीर	100	3	200	2	100	67	200	131
7.	कर्नाटक	3,500	1282	5,000	3037	5,500	7274	13,500	5,668
8.	केरल	500	262	2,500	392	1,000	1277	4,000	2,024
9.	महाराष्ट्र	3,000	3061	7,000	8615	10,000	24009	28,500	37,014
10.	मध्य प्रदेश	2,000	468	7,000	5154	7,000	6602	7,500	3,050
11.	उड़ीसा	1,000	280	3,000	1152	2,000	1552	2,750	1,474
12.	पंजाब	700	505	2,500	1082	2,500	1356	1,500	1,571
13.	राजस्थान	2,000	1220	5,000	2404	3,000	2581	4,000	6,551
14.	तमिलनाडु	3,500	1275	5,000	5005	6,000	7326	11,500	12,237
15.	उत्तर प्रदेश	10,000	12188	14,000	12502	12,000	15239	23,000	19,811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	पश्चिम बंगाल	400	274	3,000	1315	2,000	1665	4,000	553
17.	त्रिपुरा	47	4	100	6	10	—	10	—
18.	पांडिचेरी	10	10	100	87	100	95	100	74
19.	गोवा	20	46	100	109	200	190	250	190
20.	हिमाचल प्रदेश	2	10	15	270	300	800	2,500	2,483
21.	मणिपुर	5	—	5	7	15	—	5	—
22.	मेघालय	1	1	5	9	10	9	5	—
23.	नागालैंड	5	8	15	1	5	13	2	6
24.	अण्डमान और निकोबार	—	—	5	2	5	1	5	—
25.	चण्डीगढ़	10	—	10	12	10	24	5	3
26.	दिल्ली	10	5	15	8	5	34	140	6
27.	दादर और नगर हवेली	15	9	25	27	15	23	10	—
28.	मिजोरम	15	2	5	8	10	1	10	—
29.	सिक्किम	—	—	—	—	10	10	15	—
30.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	3	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	5	—	—	—
	कुल	35,000	25,359	75,000	57,498	75,000	92,590	1,50,000	1,17,820*

* इसके साथ-साथ फरवरी, 1985 तक 37,236 संयंत्र निर्माणाधीन थे।

विवरण-II

छठी योजना अवधि के दौरान फरवरी, 1985 तक लगाए गए सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य	संपूर्ण
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	असम	1
3.	बिहार	—
4.	दिल्ली	1
5.	गुजरात	2
6.	हरियाणा	2
7.	हिमाचल प्रदेश	—
8.	कर्नाटक	2
9.	केरल	1
10.	मध्य प्रदेश	6
11.	महाराष्ट्र	5
12.	उड़ीसा	1
13.	पंजाब	3
14.	पाण्डिचेरी	1
15.	राजस्थान	11
16.	तमिलनाडु	2
17.	उत्तर प्रदेश	15
18.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	60*

* इसके साथ-साथ फरवरी, 1985 में 182 सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र निर्माणाधीन थे।

12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने के बारे में परिपत्र

1206. कुमारी ममता बनर्जी : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इस वर्ष स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिन 12 जनवरी, को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने के लिए राज्य सरकारों को कोई परिपत्र जारी किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इस अनुदेश का पालन किया है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। देश में 1985 से लेकर 12 जनवरी को एक राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने के लिए राज्य सरकारों को विस्तृत मार्गदर्शी रूपरेखाएं परिचालित की गई थीं।

(ख) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से दिखाई देता है कि सभी राज्यों में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था।

कलकत्ता के रास्ते से ब्रिटिश एयरवेज की उड़ानें

1207. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयरवेज ने दमदम हवाई अड्डे के रास्ते से अपनी उड़ानों की संख्या प्रति सप्ताह चार से कम करके एक कर दी है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इसके विपरीत दिये गये आश्वासनों के बावजूद एयरलाइन्स द्वारा कलकत्ता से न गुजरने के लिए क्या कारण दिए गए हैं; और

(ग) क्या इस स्थिति की जिम्मेदारी ट्रैवल एजेन्टों, अधिकारियों और व्यापारियों के नकारात्मक रवैये पर है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) ब्रिटिश एयरवेज इस समय कलकत्ता को वहां से होकर प्रति सप्ताह दो सेवाओं का प्रचालन कर रही है। अप्रैल, 1985 से शुरू अपनी ग्रीष्मकालीन समयावली में उनका प्रति सप्ताह कलकत्ता को वहां से होकर केवल एक ही सेवा का प्रचालन करने का विचार है।

(ख) उन्होंने अपनी सेवा की आवृत्ति को कम करके एक करने के बारे में कोई कारण नहीं बताया है।

(ग) जी, नहीं।

वनों का संरक्षण

1208. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के वनों की रक्षा के लिए, जिन्हें अब तक पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटे जाने और कोयले के लिए जंगलों को जलाने के कारण नष्ट किया जा रहा था, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ख) देश के बंजर क्षेत्रों में वन लगाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) देश में वनों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है :

(1) वन भूमि के गैर-वन के प्रयोजनों में इस्तेमाल को रोकने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(2) कार्यकारी (प्रबंध) योजनाएं तैयार करने, वनों का कार्य करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं।

(3) वन संरक्षण के पक्ष में तथा इस प्रयोजन के लिए विशाल जन समूह का आन्दोलन शुरू करने के लिए अपेक्षित बल देने की दृष्टि से राष्ट्रीय वन नीति की पुनः समीक्षा की जा रही है।

(4) वनों पर दबाव कम करने के लिए, विशेष रूप से प्रतिस्थापनी सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, निश्चित मात्रा का पता लगाने के लिये गहन अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान देश में वनरोपण की गति को काफी तेज करने का प्रस्ताव है । प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा अकृष्य भूमि विकास परिषद की स्थापना की जा रही है ताकि देश भूमि संसाधनों की स्वच्छता तथा वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित सभी मामलों की योजना बनाई जा सके तथा समन्वय किया जा सके । ईंधन तथ चारा फसलों के तहत 50 लाख हेक्टेयर भूमि लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय अकृष्य भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की जा रही है ।

गांधी सागर और चम्बल नदी द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए वन परियोजना

1209. **श्री खुम्मार सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी सागर और चम्बल नदी से होने वाले भूमि के कटाव को रोकने और कम करने के लिए वन परियोजना आरम्भ की गई है और यदि हां, तो इस परियोजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आता है;

(ख) इस वन परियोजना में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ग) क्या इस परियोजना को आरम्भ किए जाने के पश्चात् भी वनों की कटाई में वृद्धि हुई है और वनों को लगभग नष्ट कर दिया गया है; और

(घ) इस परियोजना के अन्तर्गत वनों की रक्षा और भूमि के कटाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) चम्बल सहित विभिन्न नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना भूमि के कटाव को रोकने के लिए 1962 से क्रियान्वित की जा रही है । चम्बल नदी का स्रवण क्षेत्र 26 लाख हेक्टेयर है और इसमें गांधी सागर का स्रवण क्षेत्र शामिल है ।

(ख) इस योजना के तहत चम्बल स्रवण क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या 443 है ।

(ग) ईंधन तथा पशुचारा की स्थानीय मांग वनों की सम्भाल क्षमता से बढ़ गई है । जिसका उनपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रकृति रही है ।

(घ) वनों की रक्षा और भूमि के कटाव को रोकने के लिए पहले ही निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :

(1) वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए विशेष दलों के माध्यम से सक्षम वन क्षेत्रों की गश्त लगाना ।

(2) मृदा संरक्षण तथा वनरोपण संबंधी कार्यक्रमों को तेज करना ।

(3) ईंधन तथा चारे की आपूर्ति को बढ़ाने तथा इसके परिणामस्वरूप वनों पर दबाव को कम करने के लिए गैर-वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य वानिकी सहित सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम शुरू करना ।

किसी क्षेत्र विशेष को जनजाति का दर्जा देने की कसौटी

1210. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी क्षेत्र अथवा समुदाय को किन आधारों पर जनजाति का दर्जा दिया जाता है;

(ख) किन-किन क्षेत्रों और समुदायों के लोगों को गत पांच वर्षों के दौरान जनजाति के रूप में घोषित किया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कौन-कौन से क्षेत्र और समुदाय इस समय जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) संविधान के 342 अनुच्छेद के अन्तर्गत किसी समुदाय को जनजाति स्तर देने के लिए सामान्य मापदण्ड हैं :

(I) आदिम लक्षणों का संकेत, (II) विशेष संस्कृति, (III) भौगोलिक अलगाव, (IV) समुदाय के साथ सम्पर्क करने में संकोच, और (V) पिछड़ापन।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और इस अवस्था में इसे प्रकट करना जनहित में नहीं है।

नेपाल से अपराधियों की आमद को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल तैनात करना

1211. श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जय नगर, मधुबनी जिला और सीतामढ़ी जिला नेपाल की सीमाओं पर स्थित है;

(ख) क्या अपराधी मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों में हत्या, डकैती और चोरी करने के पश्चात् प्रायः नेपाल भाग जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और नेपाल से आने वाले अपराधियों को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल तैनात करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

[अनुवाद]

सातवीं योजना में उड़ीसा के लिए परिव्यय

1212. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अपनी सातवीं योजना केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कितने परिव्यय का सुझाव दिया गया है और क्या उस पर विचार-विमर्श प्रारंभ हो गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा अपनी सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यद्यपि इन प्रस्तावों पर अधिकारी स्तर पर पहले ही विचार-विमर्श हो चुका है तथापि राज्य की सातवीं योजना को अन्तिम रूप देने के लिए अप्रैल, 1985 में राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने का प्रस्ताव है।

विवरण

सातवीं योजना 1985-90	(लाख रु०)
1	2
1. कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	
अनुसंधान और शिक्षा	1000
फसल संरक्षण	9580
शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित कृषि	1050
भू तथा जल संरक्षण	1537
पशु पालन	2990
डेयरी विकास	370
मछली पालन	3070
वन	7962
कृषि वित्तीय	800
संस्थाओं में निवेश	...
विपणन	174
भंडारण और भांडागारण	60
जोड़ (1)	28593
2. ग्रामीण विकास	
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	11047
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	5000
सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	1463
रेगिस्तान विकास कार्यक्रम	...
अन्य कार्यक्रम	5000**
(**निर्धारित किए जाने हैं)	
सामुदायिक विकास और पंचायत	1341
भूमि सुधार	7149

1	2
क्षेत्र विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	
(राज्य कार्यक्रम)	
(1) पिछड़े क्षेत्रों का विकास	
(2) अन्य (निर्धारित किए जाने हैं)	
जोड़ (2)	31000
3. सहकारिता	6600
4. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	
(क) सिंचाई	
(1) जल विकास	
(सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा अनुसंधान)	1476
(2) बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएं	
(केवल सिंचाई भाग)	17290
(3) बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाएं	67234
उपजोड़ (1+2+3)	86000
(ख) लघु सिंचाई	29950
(ग) नियंत्रण क्षेत्र विकास	2255
(घ) बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	
(समुद्र कटाव विरोधी परियोजनाओं सहित)	3700
जोड़-(4)	121905
5. विद्युत	
(1) विद्युत विकास	
(सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान)	400
(2) बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएं	
(केवल विद्युत भाग)	38358
(3) विद्युत परियोजनाएं (सृजन)	1766
(4) संचरण और वितरण	44500
(5) सामान्य (ग्रामीण विद्युतीकरण सहित)	36100
(6) बायोगैस और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सहित)	
(ऊर्जा के नए स्रोत)	29479
जोड़ (5)	150543
6. उद्योग तथा खनिज	
ग्राम तथा लघु उद्योग	7500
मझोले तथा बड़े उद्योग	15500
खनन	2280
जोड़ (6)	25280

1	2
7. परिवहन	
लघु पत्तन और प्रकाश गृह	2471
नौवहन	—
नागर विमानन	474
सड़क तथा पुल	20950
सड़क तथा परिवहन	4401
अन्तर्देशीय जल परिवहन	143
पर्यटन	1500
अन्य (निर्धारित किए जाने हैं)	—
जोड़ (7)	29939
8. वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान	
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	980
पर्यावरणीय कार्यक्रम (जल प्रदूषण नियंत्रण को छोड़कर)	623
जल प्रदूषण नियंत्रण	200
जोड़ (8)	1803
9. सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	
शिक्षा	
सामान्य शिक्षा	38939
कला तथा संस्कृति	600
तकनीकी शिक्षा	2050
खेल और युवा सेवाएं	760
(उपजोड़ शिक्षा)	42349
चिकित्सा (ई०एस०आई० को छोड़कर)	11838
कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम	49
लोक स्वास्थ्य और सफाई	561
उपजोड़ (स्वास्थ्य)	12448
सीवेज और जलपूर्ति	26433
आवास (पुलिस आवास को छोड़कर)	4998
पुलिस आवास	
शहरी विकास	650
(राज्य पूंजीगत परियोजनाओं को छोड़कर)	5476
राज्य पूंजीगत परियोजनाएं	3000
सूचना तथा प्रकाशन	613

1	2
श्रम और श्रमिक कल्याण	1395
विशेष रोजगार स्कीमें (राज्य कार्यक्रम)	—
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2500
समाज कल्याण	497
पोषाहार	9424
अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं (निर्धारित की जानी हैं)	—
जोड़ (9)	109783
10. आर्थिक सेवाएं	
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	156
आर्थिक सलाह और सांख्यिकी	287
माप और तोल	32
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (निर्धारित की जानी हैं)	—
जोड़ (10)	475
11. सामान्य सेवाएं	
लेखन सामग्री और मुद्रण	444
लोक निर्माण कार्य	1428
नागरिक आपूर्ति*	1078
अन्य (निर्धारित किए जाने हैं)	—
जोड़ (11)	2950
कुल जोड़	508871

* सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नागरिक पूर्ति निगम सहित ।

** ग्रामीण गरीबों तथा छोटे और मझोले किसानों के आर्थिक पुनर्स्थापन संबंधी स्कीम ।

[हिन्दी]

तीर्थ स्थलों का विकास

1213. **श्री निर्मल खत्री** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तीर्थ स्थलों के विकास के लिये उपाय कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार अयोध्या, जोकि एक तीर्थ स्थल है, के विकास के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने सितम्बर, 1984 में अयोध्या में एक पार्क के सौन्दर्यीकरण का एक प्रस्ताव 23.70 लाख रु० की अनुमानित लागत पर प्रस्तुत किया था। इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गये हैं और राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रौद्योगिकी

1214. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को उच्च प्रौद्योगिकी के अन्तरण के जटिल मामले पर गतिरोध को समाप्त करने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हाल ही में अमेरिका का दौरा करने वाले भारतीय दल की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत को प्रौद्योगिकी अन्तरण संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर नवम्बर, 1984 में हस्ताक्षर किए थे। समझौता ज्ञापन में यह कहा गया है कि दोनों सरकारों के प्रतिनिधि इसके उपबन्धों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया तैयार करने के लिए अपनी बैठक करेंगे।

(ख) कार्यान्वयन प्रक्रिया पर विचार-विमर्श करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 4 से 8 मार्च, 1985 तक संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य नीचे लिखे अनुसार थे :—

1. श्री मणि शंकर अय्यर, संयुक्त सचिव, प्रधान मन्त्री कार्यालय : प्रतिनिधिमंडल के नेता
2. श्री ए. पांडे, संयुक्त सचिव, प्रधान मन्त्री कार्यालय
3. श्री जी. वी. जी. कृष्णामूर्ति, संयुक्त सचिव, विधि मंत्रालय
4. श्री के. संथानम, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय
5. श्री एन. डब्ल्यू. नेरुरकर, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रोनिकी विभाग
6. डा. के. जी. नारायणन वैज्ञानिक, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
7. श्री एल. प्रसाद, संयुक्त मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक, वाणिज्य मंत्रालय
8. श्री ए. के छाबड़ा, अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय के विशेषाधिकारी
9. डा. एस. जयशंकर, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय प्रतिनिधिमंडल के सचिव

दिल्ली में अमोनिया गैस ले जा रहे एक टैंकर के उलटने के मामले की जांच

1215. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 फरवरी, 1985 को अलीपुर, दिल्ली में एक अनाधिकृत कहे जाने वाले संयंत्र को अमोनिया गैस ले जा रहा एक टैंकर उलट गया था और उसका प्रेशर गेज वाल्व टूट गया जिसके परिणामस्वरूप काफी गैस लीक हो गयी;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना स्थल से 30 गज की दूरी पर भी आंखों में तेज जलन और तीखी बदबू महसूस की गयी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस घटना की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) और (घ) इस मामले की जांच की गई थी और यह सड़क दुर्घटना का मामला पाया गया और इसके लिए किसी को दोषी नहीं पाया गया ।

प्रशासनिक सुधार

1216. **श्री जी. वी. रामाराव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार मुख्य सचिवों के सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर किये जा रहे हैं (न्यूज टाइम, 7 फरवरी 1985);

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि समर्पित और अभिप्रेरित कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जायेगा बल्कि उनको प्रोत्साहित किया जायेगा;

(घ) क्या सरकार एक ऐसा प्रभावशाली निगरानी तंत्र बनाएगी, जिसमें ईमानदार नागरिकों तथा सरकारी कर्मचारियों, भ्रष्ट मंत्रियों एवं भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की सूचना दे सकेंगे;

(ङ) क्या सरकार ऐसे नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी और शिकायत प्राप्त करने की पूर्ववर्ती पद्धति को लागू करेगी, जिसमें शिकायत भेजने वाला अपना परिचय दिये और शिकायत भेज सकता है; और

(च) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत, इंग्लैण्ड और अमेरिका में यह पाया जाता है कि 50 प्रतिशत शिकायतें चाहे, वे हस्ताक्षरित हों या गुमनाम, परन्तु सही सिद्ध होती हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) तथा (ख) 4 तथा 5 फरवरी, 1985 को हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में, प्रशासन में सुधार लाने के विभिन्न उपायों की पुनरीक्षा की गई थी : इन उपायों में जनता के लिए वस्तुएं तथा सेवाएं जुटाने में सुधार लाना, कार्मिक प्रबंध तथा प्रशिक्षण में सुधार लाना, बेहतर पर्यवेक्षण तथा निगरानी के साथ शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि, नियमों तथा विनियमों का सरलीकरण तथा सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण शामिल है। इसमें जनता की शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था पर भी विचार-विमर्श किया गया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यदि किसी व्यक्ति के पास किसी सरकारी कर्मचारी के बारे में भ्रष्टाचार या सत्यनिष्ठा की कमी के संबंध में वास्तविक शिकायत हो तो वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास इस आश्वासन के साथ जा सकता है कि यदि शिकायत न्यायोचित पाई गई तो उसके संबंध में तत्काल तथा समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

(ङ) मंत्रालयों को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि मुखबिरों तथा गवाहों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाए तथा उन्हें तंग किए जाने से बचाया जाए। विद्यमान अनुदेशों के अनुसार गुमनाम तथा कृतकनात शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

(च) भारत में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। इंग्लैण्ड और अमेरिका की स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

1217. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सामूहिक वितरण के लिए इलेक्ट्रोनिक घड़ियां

1218. **श्री मोहन लाल पटेल** :

श्री अन्नत प्रसाद सेठी :

श्री चिंतामणि जेना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ही बनाई गई कम मूल्य की इलेक्ट्रोनिक घड़ियां (40 और 90 रुपये के बीच) सामूहिक वितरण के लिए उपलब्ध कराई जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा ऐसी घड़ियां बाजार में उपलब्ध कराने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या वर्ष 1978 में निर्धारित इलेक्ट्रानिक घड़ी नीति में कोई परिवर्तन किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) कम कीमत वाली अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के विनिर्माण तथा उनकी बिक्री से संबंधित सरकार की नीति दिनांक 21 मार्च, 1985 को संसद में "इलेक्ट्रानिकी से संबंधित नीति पर एकीकृत उपायों" के एक भाग के रूप में घोषित कर दी गई है।

गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में पूंजी उत्पादन

1219. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र पहली से छठी योजनाओं के दौरान औसतन कितना पूंजी उत्पादन हुआ है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : निजी और सरकारी क्षेत्रों के लिए औसतन पूंजी उत्पादन अनुपात उपलब्ध नहीं है। पहली पांच वर्षीय योजनाओं और छठी

योजना (1980-84) के पहले चार वर्षों के लिए (1970-71 की कीमतों पर) केवल सकल पूंजी उत्पादन में वृद्धि के अनुपात उपलब्ध हैं वे नीचे दिए गए हैं :—

योजना	अवधि	सकल पूंजी उत्पादन में वृद्धि का अनुपात (1970-71 की कीमतों पर आधारित सकल)
पहली योजना	1951-52 से 1955-56	3.2
दूसरी योजना	1956-57 से 1960-61	4.1
तीसरी योजना	1961-62 से 1965-66	5.4
वार्षिक योजनाए	1966-67 से 1968-69	4.9
चौथी योजना	1969-70 से 1973-74	5.7
पांचवीं योजना	1974-75 से 1978-79	3.9
छठी योजना (पहले चार वर्ष)	1980-81 से 1983-84	3.9

यातनाएं रोकने के उपायों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

1220. **श्री जी. वी. रामाराव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 फरवरी, 1983 की "न्यूज टाइम" में "यातना को रोकने के लिए उपायों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र अभिसमय" के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अभिसमय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत इस अभिसमय में भाग ले रहा है और यदि हां, तो क्या माननीय विषय के अभिसमय के निष्कर्षों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किसी निगरानी समिति/संगठन की स्थापना की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अत्याचार तथा अन्य क्रूर अमानविक या अपमानजनक व्यवहार या दंड विरोधी अभिसमय को 10 दिसम्बर, 1984 को बिना मतदान के ही स्वीकार कर लिया था।

(ख) अभिसमय का पाठ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) इस अभिसमय को हस्ताक्षार के लिए 4 फरवरी, 1985 से खोल दिया गया था। भारत द्वारा इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

अभिसमय में यह कहा गया है कि जब यह अभिसमय लागू हो जाएगा तो उसके बाद अत्याचार विरोधी एक समिति की स्थापना की जाएगी जिसके कार्यों में उन उपायों पर विभिन्न देशों के दलों द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों पर विचार करना शामिल होगा जो उन्होंने अभिसमय के अन्तर्गत अपनी वचनबद्धताओं को क्रियान्वित करने के लिए किए हैं। इस समिति में उच्च नैतिक ख्याति प्राप्त तथा मानव अधिकारों के क्षेत्र में पर्याप्त दक्षता वाले दस विशेषज्ञ शामिल होंगे। वे समिति में अपनी व्यक्तिगत हैसियत से काम करेंगे।

भारत में लाटरी के कारोबार में घोटाला

1221. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री सत्य गोपाल मिश्र :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री मूल चन्द डागा :
श्री भोलानाथ सेन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 1985 के "स्टेट्समैन" में लाटरी के कारोबार के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तथाकथित घोटाले की कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) लाटरियां दो प्रकार की हैं अर्थात केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली और निजी व्यक्तियों/संस्थानों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली । बाद की श्रेणी में आने वाली लाटरियां संविधान की 7 वीं अनुसूची की राज्य सूची में हैं और राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत की जाती हैं ।

20 फरवरी, 1985 के स्टेट्स मैन में प्रकाशित रिपोर्ट मुख्यत: निजी लाटरियों से संबंधित है ।

राज्य लाटरियों के आयोजन के लिए जून, 1984 में कुछ मार्गदर्शी निदेश जारी किए गए थे और राज्यों से अनुरोध किया था कि निजी लाटरियों को प्राधिकृत करते समय राज्य लाटरियों के लिए बनाए गए मार्गदर्शी निदेशों को ध्यान में रखें । राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र प्रशासनों ने राज्य लाटरियों के संबंध में मार्गदर्शी निदेशों का प्राय: पालन किया है । उनसे फरवरी, 1985 में यह सुनिश्चित करने का पुन: आग्रह किया गया था कि वे मार्गदर्शी निदेशों का सख्ती से अनुपालन करें और सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऐसा बनाने के लिए अन्य उपाय करें जिससे कि वह अचूक बन जाए ।

प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के बारे में भारत-अमरीकी समझौता ज्ञापन

1222. **श्री जी० जी० स्वैल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमरीका के रक्षा विभाग के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी मेजर जनरल कैनेथ डी. बर्न्स द्वारा हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव की दक्षिण एशिया संबंधी उप-समिति के सम्मुख दिए गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उन्हें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में भारत अमरीका समझौता ज्ञापन से बहुत खुशी हुई है;

(ख) यह समझौता ज्ञापन प्रौद्योगिकी के किन-किन क्षेत्रों के बारे में है;

(ग) क्या इसके ब्यौरे पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत से एक दल भेजा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दल वाशिंगटन के लिए कब रवाना हो रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समझौता ज्ञापन में अमरीकी वस्तु नियंत्रण सूची तथा युद्ध सामग्री सूची की सभी मदें तथा इस प्रकार की सूचियों में सम्मिलित सभी नियंत्रित तकनीकी आंकड़े शामिल होंगे।

(ग) और (घ) इस समझौता ज्ञापन की कार्यान्वयन प्रणाली के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 4 से 8 मार्च, 1985 तक संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया। यह प्रतिनिधिमंडल पहले ही वापस आ चुका है।

दिल्ली में भूकम्पीय झटका

1223. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 2 फरवरी, 1985 के अपराह्न के समय जो भूकम्पीय झटका आया था जिससे संसद भवन सहित दिल्ली के बहुत से मकान हिल गए थे, वह झटका 1983 में रंगून में आए झटके जितना शक्तिशाली था जिसने दक्षिण कोरिया से दौरे पर आए पांच कैबनिट मंत्रियों और अन्य कई लोगों की जानें ले ली थीं;

(ख) क्या उक्त झटके को रिक्टर पैमाने पर मापा गया है; और

(ग) उक्त झटके का अधि केन्द्र क्या था और क्या उसके कारणों का पता लगाया गया है और क्या उससे कोई नुकसान भी हुआ है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु, ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिलीकॉन परियोजना की पुनरीक्षा

1224. **श्री आनन्द सिंह** :

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अमरीकी फर्म के सहयोग वाली तथाकथित सिलीकॉन परियोजना की पुनरीक्षा के पश्चात यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो वह क्या है; और

(ख) यदि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है और इस विषय में अन्तिम निर्णय लेने में कितना और समय लगने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स हेमलाक सेमीकण्डक्टर कार्पोरेशन के साथ तकनीकी सहयोग विषयक समझौते को अन्तिम रूप दे दिया था। नवम्बर, 1984 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से उक्त आयात के लिए अपेक्षित अनुमति नहीं प्राप्त हुई थी; और इस बीच कुछ जानकारी की ओर इलेक्ट्रोनिकी विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया। उन सभी मुद्दों का गहन अध्ययन किया गया था और अब यह निर्णय किया गया है कि इलेक्ट्रानिकी विभाग प्रक्रिया संबंधी तकनीकी जानकारी, मूलभूत इंजीनियरी तथा स्वस्वामित्व के उपस्करों को मैसर्स हेमलाक से खरीदने की दिशा में कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही साथ प्रौद्योगिकी को वाणिज्यिक

आधार पर स्थापित करने के लिए विकास के क्षेत्र में स्वदेशी प्रयासों को पूरी सहायता दी जाएगी और राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा के लिए पूंजीनिवेश संबंधी निर्णय मेत्तूर कैमिकल्स में स्थापित किए जा रहे 25 टी० पी० ए० की उत्पादन-इकाई से प्राप्त होने वाले परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद लिया जाएगा।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के अपहरणकर्ताओं को भारत को सौंपना

1225. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के अपहरणकर्ताओं को वापस भेजने की भारत की मांग को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;

(ख) क्या पाकिस्तान का यह रवैया दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधारने में सहायक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का पाकिस्तान सरकार द्वारा अपहरणकर्ताओं की वापसी के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

(घ) क्या इससे इस बात की और पुष्टि हो गई है कि पाकिस्तान द्वारा अपहरणकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ङ) इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से कई अवसरों पर अनुरोध किया है कि वह सितम्बर, 1981 और जुलाई, 1984 की दो विमान अपहरण घटनाओं में पकड़े गए चौदह अपहरणकर्ताओं को या तो लौटा दे अथवा उन पर वहीं मुकदमा ही चलाए। सितम्बर, 1981 की पहली अपहरण घटना में पांच अपहरणकर्त्ताओं पर 9 मार्च, 1985 को लाहौर में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई है।

सरकार पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण एवं सहयोग-पूर्ण संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह आशा करती है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयां भारत के साथ मित्रता के लिए उनकी घोषित इच्छा के अनुरूप होंगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वन नीति

1226. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई राष्ट्रीय वन नीति तैयार की गई है;

(ख) क्या देश में वन संरक्षण का कार्य राज्य सरकारों के माध्यम से सुचारू रूप से चल रहा है;

(ग) क्या पर्यावरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई नीति के अन्तर्गत वन विकास और संरक्षण कार्य परीक्षण के आधार पर गैर-सरकार के विचाराधीन है;

(घ) क्या नई नीति में इस प्रकार का कोई प्रावधान किए जाने की संभावना है कि जनजातियों के लोगों को, जो जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में वन उत्पादों को एकत्र करके अपनी जीविका चलाते हैं, वन उत्पादों का उचित दाम मिले; और

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में लागू कानूनों की पुनरीक्षा किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई थी।

(ख). राज्य सरकारें वन संरक्षण का कार्य राष्ट्रीय वन नीति की संरचना के अनुसार कर रही हैं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत किसी वन भूमि को गैर-वन के प्रयोजनों में उपयोग में लाने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) नीति में संशोधन करते समय सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

"सूर्य भगवान" की प्रतिमा

1227. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश शासन के दौरान उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की सूर्य भगवान की मूल प्रस्तर प्रतिमा भारत से ले जाई गई थी और वह अब ब्रिटिश संग्रहालय में रखी है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय सस्कृति के गौरव के लिए उक्त प्रतिमा को वापिस लाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) कोणार्क मंदिर को संरक्षित रखने और उसे भूक्षरण से बचाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) अनुसंधानों से यह बात सिद्ध नहीं हुई है कि ब्रिटिश संग्रहालय में रखी सूर्य भगवान की प्रतिमा कोणार्क मंदिर से ले जाई गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोणार्क के सूर्य मंदिर में संरचनात्मक और रासायनिक संरक्षण और उद्यानकृषि संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त 11.4 हैक्टेयर पुरातत्वीय भूमि में केस्वरीना और काजू के पौधे लगाने का प्रस्ताव है ताकि वे हवाओं को रोक सकें और मंदिर के तल पर क्षारीय हवाओं से होने वाले भूक्षरण को रोक सकें।

[हिन्दी]

तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ईंधन

1228. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ईंधन का कोई वैकल्पिक प्रबंध किया गया है;

(ख) क्या इसके संचालन के सम्बन्ध में अमरीका के साथ किया गया समझौते का पूर्ण रूप से निरसन हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कौन कौन से मुद्दे अभी तय किये जाने बाकी हैं; और

(घ) क्या सरकार का उक्त मुद्दों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) नवम्बर, 1982 में भारत और फ्रांस के बीच सम्पन्न करार के अनुसरण में संयुक्त राज्य अमरीका के स्थान पर फ्रांस 1963 के सहयोग करार की रूप रेखा क अन्दर तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए समृद्ध यूरेनियम सप्लाई कर रहा है ।

(घ) जी, नहीं ।

सौर ऊर्जा का उपयोग

1229. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सौर ऊर्जा के उपयोग के सम्बन्ध में हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सौर ऊर्जा बोर्ड का गठन करने का केन्द्र सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और क्या बोर्ड राज्य स्तर पर भी अपने कार्यालय स्थपित करेगा; और

(घ) सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिये केन्द्र सरकार द्वारा उठाये जा रहे अन्य कदमों का क्या ब्यौरा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 28-2-1985 तक सप्लाई किए गए या स्थापित किये गए कुछ महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा प्रणालियों का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) भारत सरकार का अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग अनुसंधान और विकास, प्रदर्शन, सौर ऊर्जा का उपयोग और ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों पर एक देश-व्यापी कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है । सौर तापीय और सौर प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकियों पर आधारित अनेक प्रणालियों और युक्तियों का देश में विकास कर दिया गया है और निर्माणकर्त्ताओं और लाभार्थियों के लिए प्रोत्साहन, आर्थिक सहायता जागृति में वृद्धि करना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि जैसे विभिन्न उपायों के द्वारा उनके प्रयोग को बढ़ाया जा रहा है । प्रदर्शन, क्षेत्र परीक्षण और लोकप्रियता के प्रयोजन से देश के विभिन्न भागों में कई प्रणालियां स्थापित की जा चुकी हैं। जिनमें सौर जल पम्पन प्रणालियां, रोशनी एकक, सामुदायिक दूरदर्शन सेट, पानी गरम करने की प्रणालियां, शुष्कन एकक, सौर कुकर सौर टिम्बर भट्टियां और सौर आसवन प्रणालियां सम्मिलित हैं । सौर तापीय प्रणालियों का एक विस्तृत स्तर पर पहले ही विकास कर दिया गया है । इस क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों तथा गहन अनुसंधान और विकास प्रयत्नों के लिए, 1981 में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग की स्थापना की गई थी । राज्य स्तर पर, कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए कई राज्यों में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के लिए नोडल एजेंसियों की स्थापना कर दी गई है ।

विवरण

28-2-1985 को सौर ऊर्जा की स्थापित/स्थापनाधीन सौर ऊर्जा पर आधारित प्रणालियों और युक्तियों की सूची ।

क्रम सं.	राज्य	जल पंपन प्रणालियां	सामुदायिक दूरदर्शन/ रोशनी प्रणालियां	सड़क रोशनी एकक	सौर जल तापक	सौर आसवन प्रणालियां	सौर वायु तापक/फसल शुष्कन प्रणालियां	टिम्बर भट्टियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	18	5	98	30	—	1	3
2.	असम	10	—	30	8	2	2	—
3.	बिहार	2	—	30	3	—	—	5
4.	गुजरात	7	1	30	108	26	3	3
5.	हरियाणा	2	—	1	7	—	1	2
6.	हिमाचल प्रदेश	2	2	60	3	—	1	2
7.	जम्मू और काश्मीर	1	3	0	2	—	—	—
8.	कर्नाटक	2	—	—	3	—	1	2
9.	केरल	2	—	—	—	—	1	—
10.	मध्य प्रदेश	10	4	114	119	8	2	2
11.	महाराष्ट्र	15	—	40	15	—	—	—
12.	मणिपुर	2	—	20	—	—	—	—
13.	मेघालय	4	—	—	—	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	40	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	13	3	64	11	1	—	—

1 2	3	4	5	6	7	8	9
16. पंजाब	4	—	—	32	—	1	6
17. राजस्थान	5	5	20	1	—	—	—
18. सिक्किम	—	—	33	—	—	—	—
19. तमिलनाडु	16	2	100	12	1	2	—
20. त्रिपुरा	23	—	1	—	—	—	—
21. उत्तर प्रदेश	55	34	143	326	—	3	3
22. पश्चिम बंगाल	1	1	60	2	1	1	1
संघ शासित प्रदेश							
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	1	—	—	—	—
2. अरुणाचल प्रदेश	2	2	7	1	—	—	1
3. दिल्ली	7	1	2	56	21	1	3
4. गोवा दमण और द्वीव	3	—	—	—	—	—	—
5. मिजोरम	3	—	—	—	—	—	—
6. चण्डीगढ़	1	—	—	—	—	—	—

[अनुवाद]

भारतीय सामाजिक-आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का सर्वेक्षण

1230. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे गरीबी उन्मूलन के सरकारी कार्यक्रमों का उन लोगों को लाभ नहीं मिला है जिनके लिए वे प्रारम्भ किए गये थे;

(ख) क्या भारतीय सामाजिक आर्थिक अध्ययन संस्थान ने एक सर्वेक्षण किया था जिससे यह पता चला है कि बंगलौर जैसे एक शहरी क्षेत्र में भी लोगों को इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो उसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण की अन्य मुख्य बात क्या है;

(घ) क्या भारतीय सामाजिक-आर्थिक अध्ययन संस्थान के निदेशक ने गरीबी की समस्या भावी ढंग से हल करने के लिए आर्थिक तथा प्रशासनिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की सिफारश की है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किस सीमा तक सुझावों की जांच की गई है तथा उन्हें या स्वीकार किया गया है; और

(च) 20-सूत्रीय कार्यक्रम को गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिये क्या उपाय किए जा हे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 1982-83, 83-84 और 84-85 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता देने के लिए रखे ाए परिवारों के लक्ष्यों की प्राप्ति 100 प्रतिशत से भी अधिक रही है। 20 सूत्री कार्यक्रम की अन्य मदों के अन्तर्गत भी प्रगति संतोषजनक रही है।

(ख) से (च) ऐसा मालूम हुआ है कि इस प्रकार का सर्वेक्षण बंगलौर शहर में किया गया था। विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्टार्कटिका दल

1231. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे अन्टार्कटिका दल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं,

(ग) क्या उक्त दल के कुछ सदस्य सर्दियों के मौसम में उक्त क्षेत्र में ही ठहरेंगे;

(घ) क्या इससे पहले के दल के सर्दियों में वहां रुकने से कोई वैज्ञानिक लाभ हुआ था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान, 83 सदस्यों के अभियान दल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। इसने भूविज्ञान-भू-भौतिकी, हिमक्रिया विज्ञान, मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं।

इसने क्षेत्र की खनिज क्षमता का पता लगाने के लिए भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और प्रयोग भी किए हैं। इसने भारत और अन्टार्कटिका के बीच उच्च फ्रिक्वैन्सी वाला सीधा संचार सम्पर्क भी स्थापित किया है। यह, पिछले तीन वर्षों से पहले ही कार्यरत उपग्रह सम्पर्क के अतिरिक्त है। इसने स्थायी भारतीय अन्टार्कटिक स्टेशन का रख-रखाव, अतिरिक्त आवास तथा प्रयोगशाला स्थान का निर्माण, वाहनों को खड़ा करने तथा उपस्कर के भंडारण के लिए एक बड़ा गराज भी बनाया। अभियान-दल ने स्थाई भारतीय अन्टार्कटिक स्टेशन से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों में तीन कुटीरों वाले एक छोटे क्षेत्रीय स्टेशन का भी निर्माण किया।

(ख) अभियान-दल द्वारा लाए गए आंकड़ों और नमूनों का विभिन्न प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जाएगा। इनके परिणामों का बाद में पता चलेगा।

(ग) पहले के 12 सदस्यों का दल लौट आया है, अब 13 व्यक्तियों का एक दल वहीं ठहरा हुआ है।

(घ) और (ङ) हमारे पास अन्टार्कटिक के सम्बन्ध में पूरे वर्ष के, और विशेषकर सर्दी के महीनों के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं जो कि हमारे भविष्य के कार्य-कलापों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास हिमक्रिया विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, संचार प्रणाली, मानव अनुकूलन, अन्टार्कटिका में रहते हुए हमारे दल के सामने पेश आई कठिनाइयों, खाद्य और तेल सम्बन्धी आवश्यकताओं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं, वस्त्र, रहने और जीने की दशाओं आदि के बारे में भी वार्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं। भविष्य की योजना के लिए ये आंकड़े हमारे बहुत काम के हैं और विश्लेषण पूरा होने के बाद परिणामों का पता चलेगा। मौसम विज्ञान और सूक्ष्मजीव विज्ञान के बारे में कुछ आंकड़े हमारी अन्टार्कटिक प्रयोगशालाओं में पहले ही संसाधित किए गए हैं। वर्ष के दौरान एकत्र की गई अन्य सामग्री और नमूनों का विभिन्न संस्थाओं द्वारा विश्लेषण किया जाएगा और परिणामों का बाद में पता चलेगा।

त्रिपुरा में विद्रोही

1232. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में विद्रोही पुन: अधिक सक्रिय हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस खतरे को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) त्रिपुरा नेशनल वोलन्टियर्स हाल के महीनों में आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हैं।

(ख) टी०एन०वी० वन रक्षकों तथा सरकारी कर्मचारियों पर आक्रमण करके उन्हें राज्य के आन्तरिक क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकते हैं ताकि उग्रवादियों के आन्तरिक भाग में आने जाने को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त टी०एन०वी० की नीति से यह प्रतीत होता है कि वह उन उग्रवादियों के मन में भय पैदा करना चाहते हैं जिन्होंने या तो आत्मसमर्पण कर दिया है अथवा जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। ऐसी हिंसक गतिविधियों में ग्रस्त होकर टी०एन०वी यह भी दिखाना चाहते हैं कि उनके वर्तमान लड़ाकू नेतृत्व के अधीन केवल वही एक उग्रवादी दल है।

(ग) सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। केन्द्रीय सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। खोजबीन की गहन कार्यवाही भी शुरू की गई है।

ओलम्पिक खेल—1992

1233. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ओलम्पिक 1992 के आयोजन के लिए प्रस्ताव करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) चूंकि 1992 ओलम्पिक खेल आयोजित करने के लिए स्थान के चयन पर अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा 1986 में ही विचार किया जाना है, इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्णय लेने का अभी समय नहीं आया है।

देश में भारी जल (हैवी वाटर) के बड़े संयंत्रों की स्थापना

1234. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में थाल में आन्ध्र प्रदेश में मानुगुरू और गुजरात में हजीरा में भारी जल के बड़े संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र के कब तक स्थापित किये जाने तथा चालू हो जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) महाराष्ट्र में थाल वैशट में 110 मीट्रिक टन भारी पानी की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र तथा आंध्र प्रदेश में मानुगुरू में 185 मीट्रिक टन भारी पानी की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। गुजरात में हजीरा में 110 मीट्रिक टन भारी पानी की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ख) आशा है कि थाल में निर्माणाधीन संयंत्र फरवरी, 1987 में और मानगूरू में निर्माणाधीन संयंत्र अप्रैल, 1988 में चालू कर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

जनजाति क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को विशेष फील्ड भत्ता देने के लिये राज्यों को आवंटित धनराशि

1235. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को विशेष फील्ड भत्ता देने के लिए वर्ष 1981 से अब तक की अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस धनराशि को कर्मचारियों को देने के बजाय इसे कुछ अन्य मदों पर खर्च कर दिया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में जनजाति क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को समान आधार पर फील्ड भत्ता नहीं दिया जा रहा है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह भत्ता देने के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सातवें वित्त आयोग ने 1979-84 की अवधि के लिए जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन को उन्नत करने के लिए जनजाति क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के वास्ते 3071.00 लाख रुपए की धनराशि पूरक भत्ते के रूप में 13 राज्यों को दी थी। सन् 1980-81 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान 13 राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा पूरक भत्ते के रूप में दी गई रकम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसमें राज्यों द्वारा रकम के अपेक्षित विशाखन तथा भारत सरकार द्वारा दी गई सहमति को ध्यान में रखा गया है।

(ख) प्रारंभ में मध्य प्रदेश सरकार को पूरक भत्ते के लिए 1056.00 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। बाद में, मध्य प्रदेश सरकार इस निवेदन पर कि पूरक भत्ते की रकम का विशाखन क्वार्टरों के निर्माण में करना वांछनीय होगा और इस संबंध में एक अच्छा प्रोत्साहन होगा, 695.00 लाख रुपए के विशाखन की अनुमति राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके गृह मंत्रालय द्वारा दी गई थी।

(ग) गृह मंत्रालय को उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजाति क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाता है जिसका हिसाब संबंधित कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर किया जाता है। विशेष भत्ते की दरें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है और वे क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या के जमाव, विकास स्तर, अधिकारियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों और असुविधाओं पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को पूरक भत्ते देने के संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये हैं और संबंधित जनजाति क्षेत्रों को ध्यान में रखकर दरों का निर्धारण राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

विवरण

वित्त मन्त्रालय द्वारा 1979-84 के दौरान दी गई राशि

(रु० लाख में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल आवंटन 1979—84	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	165.00	—	41.00	41.00	41.00	42.00
2.	असम	146.00	—	36.50	36.50	36.50	36.50
3.	बिहार	621.00	—	85.00	177.00	179.00	180.00
4.	हिमाचल प्रदेश	20.00	—	5.00	2.10	7.00	5.90
5.	केरल	20.00	—	3.45	4.00	6.00	6.55

1 2	3	4	5	6	7	8
6. मध्य प्रदेश	1056.00	—	226.00	255.00	—	220.00
7. मणिपुर	74.00	—	—	—	—	—
8. उड़ीसा	603.00	—	115.00	122.00	133.00	133.00
9. राजस्थान	150.00	—	—	—	—	—
10. तमिलनाडु	22.00	0.27	3.28	3.28	9.28	5.89
11. त्रिपुरा	95.00	—	8.50	—	62.83	23.67
12. उत्तर प्रदेश	1.00	—	0.25	0.25	0.25	0.25
13. पश्चिम बंगाल	98.00	—	5.50	14.50	—	38.00
कुल जोड़	3071.00	0.27	529.48	655.63	474.86	691.76

[अनुवाद]

खेल होस्टलों का निर्माण

1236. **प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश में खेलों के संवर्धन हेतु प्रत्येक राज्य में सातवीं योजना अवधि में काफ़ी संख्या में खेल होस्टलों का निर्माण किया जायेगा, जिनमें आधुनिक व्यायामशाला तथा कम से कम 150 खिलाड़ियों के लिए आवास की व्यवस्था होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन होस्टलों का निर्माण पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकारों के माध्यम से किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार ऐसे होस्टलों के नाम भारत के प्रसिद्ध दिवंगत खिलाड़ियों के नाम पर रखेगी ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क), (ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेलों के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के निकट खेल छात्रावासों की स्थापना करने की योजना शामिल है। योजना राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इन खेल छात्रावासों को नाम देने पर निर्णय लेने का अभी समय नहीं आया है।

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल में समुद्र तटों पर पर्यटक गृहों का निर्माण

1237. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 और 1984 में भारत में कुल कितने पर्यटक आये;

(ख) भारत में भारत पर्यटन विकास निगम के पर्यटक होटलों और होस्टलों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) क्या सरकार का युवाओं को यात्रा के अवसर तथा सामान्य व्यय पर ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा में पुरी समुद्री तट पर पश्चिम

बंगाल में दीघा समुद्र-तट पर तथा केरल में कोवालम समुद्र-तट पर आधुनिक सुविधाओं सहित पर्यटक गृह बनाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत): (क) विदेश पर्यटन आगमन, पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर, वर्ष 1983 और 1984 के दौरान क्रमशः 884,731 और 852,503 था ।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम अब भारत में 24 होटलों, 9 यात्री-गृहों और 4 वन गृहों का परिचालन कर रहा है । ये निम्नलिखित स्थानों पर अवस्थित हैं—

स्थान (राज्य)

होटल

1. नई दिल्ली (9 होटल)
2. पटना (बिहार)
3. जम्मू (जम्मू और कश्मीर)
4. बंगलौर (कर्नाटक)
5. मैसूर (कर्नाटक)
6. हसन (कर्नाटक)
7. कोवलम (केरल)
8. औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
9. खजुराहो (मध्य प्रदेश)
10. भुवनेश्वर (उड़ीसा)
11. जयपुर (राजस्थान)
12. उदयपुर (राजस्थान)
13. मागल्लापुरम (तमिलनाडु)
14. मदुरै (तमिलनाडु)
15. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
16. कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)

वन-गृह

1. काजीरंगा (आसाम)
2. सासणगीर (गुजरात)
3. मुक्की (मध्य प्रदेश)
4. भरतपुर (राजस्थान)

यात्री-गृह

1. बीजापुर (कर्नाटक)
2. बोधगया (बिहार)
3. कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)
4. मनाली (हिमाचल प्रदेश)
5. कोणार्क (उड़ीसा)
6. कांचीपुरम (तमिलनाडु)

7. तंजावुर (तमिलनाडु)
8. त्रिचुरापल्ली (तमिलनाडु)
9. कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)

(ग) सातवीं योजना में विभाग के पास पुरी (उड़ीसा), दीघा (पश्चिम बंगाल) और त्रिवेन्द्रम (केरल) सहित प्रमुख समुद्र विहार-स्थलों पर सामान्य कीमत पर बोर्डिंग सुविधायें सुलभ कराने के प्रस्ताव हैं।

राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाएं

1238. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा राजस्थान में प्रतिवर्ष खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनके मंत्रालय और भारत पर्यटन निगम की भावी योजनायें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत): (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में किए गये खर्च के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

(लाख रुपयों में)

	1981-82	1982-83	1983-84
पर्यटन विभाग	6.76	16.30	14.28
भा०प०वि०नि०	12.40	17.36	0.29

चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य में अभी तक पर्यटन विभाग ने 23.17 लाख रुपए और भारत पर्यटन विकास में 13.00 लाख रुपए रिलीज किए हैं।

(ख) पर्यटन का विकास और संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है तथापि-पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के साथ परामर्श करते हुए केन्द्र राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुले संसाधनों के माध्यम से राजस्थान राज्य में पर्यटन विकास के लिए तीन यात्रा परिपथ निर्धारित किए हैं जिनमें 20 पर्यटक केन्द्र शामिल हैं।

2. पर्यटन विभाग ने पहले से ही राज्य सरकार से निम्नलिखित स्कीमों पर ब्यौरे भिजवाने का अनुरोध किया है जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभाग द्वारा चालू किया जायेगा—

(क) मेवाड़ कम्पलैक्स का विकास।
(ख) स्मारकों की प्रकाश-पुंज व्यवस्था।
(ग) मास्टर योजनायें तैयार करना।
(घ) जोधपुर परिसर का विकास।
(ङ) विविध झीलों पर जल-क्रीड़ा सुविधायें।
(च) पुष्कर घाटों का विकास।

(छ) तल-छप्पर में आधार-भूत सुविधाओं की व्यवस्था ।

(ज) राजस्थान में अजमेर और नाथद्वाड़ा को शामिल करते हुए धर्मशालाओं और सरायों का निर्माण ।

3. राजस्थान में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए पर्यटन विभाग भारत पर्यटन विकास निगम के माध्यम से विभिन्न राज्यों पर जिनमें राजस्थान भी शामिल है फिल्मों आदि सहित प्रचार सामग्री का प्रकाशन करता है । विभाग के आतिथ्य कार्यक्रम के अधीन, यात्रा लेखकों, यात्रा अभिकर्ताओं/पर्यटन परिचालकों को महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसमें राजस्थान शामिल है । ये लोग वापस लौटते समय विदेश स्थित मार्किटों में भारत का प्रचार करते हैं ।

भारत पर्यटन विकास निगम की भावी योजनाओं के अन्तर्गत उदयपुर में उनके विद्यमान लक्ष्मी विलास पैलेस होटल में 32 लाख रु. की अनुमानित लागत पर 19 कमरों के एक नए ब्लाक को जोड़ते हुए इस होटल के विस्तार की योजना शामिल है । इस स्कीम में इस होटल के 3-स्टार से 4 स्टार के स्तरों पर उन्नयन (अपग्रेडेशन) की भी परिकल्पना की गई है ।

भारत बंगलादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाढ़ लगाना

1239. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री अमर सिंह राठवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए भारत बंगलादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाढ़ लगाने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सरकार ने अगस्त, 1983 में भारत बंगलादेश सीमा पर कंटीले तार लगाने का निर्णय लिया था । तकनीकी समिति, जिसने सलाह दी थी कि कटीले तार लगाने के कार्य को वास्तव में प्रारम्भ करने से पहले सर्वेक्षण कार्य किया जाना है, की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद असम के धुबी जिले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वास्तविक सर्वेक्षण कार्य 27 मार्च, 1984 से प्रारम्भ किया गया था । कार्य अप्रैल, 1984 के अन्तिम सप्ताह तक जारी रहा इसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया था । बाढ़, मानसून आदि के कारण कार्य को बाद में जारी नहीं जा सका । कंटीले तार लगाने के कार्य को पुनः शुरू करने के लिए सरकार ने अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं की है ।

श्री लंका को अमेरिका द्वारा सहायता

1240. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 फरवरी, 1985 के इण्डियन एक्सप्रैस में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत पर आर्थिक प्रतिबन्धों के माध्यम से श्रीलंका की सहायता करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इन समाचारों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से इन समाचारों के तथ्यों का पता लगाया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) श्रीलंका की दैनिक पत्रिका "द आईलैंड" में 8 फरवरी, 1985 को लसान्था विक्रेमेटुंज की "ललिथ राजीव से बातचीत करने के लिए दिल्ली गए" शीर्षक से रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति रीगन के भ्रमणकारी राजदूत ने श्रीलंका की सरकार को यह गारंटी दी थी कि अमरीका आतंकवादी अड्डों को हटाने के लिए भारत पर आर्थिक दबाव डालेगा। संयुक्त राज्य अमरीका ने श्रीलंका के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में भारत पर कोई दबाव नहीं डाला है। भारत सरकार ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि वह श्रीलंका की एकता और प्रादेशिक अखंडता का पूरी तरह से सम्मान करती है और आतंकवाद के किसी भी रूप का समर्थन नहीं करती। भारत यह चाहता है कि श्रीलंका की जातीय समस्या का कोई राजनीतिक समाधान शीघ्र निकल आये ताकि सभी शरणार्थी सुरक्षा और सम्मान के साथ अपने घरों को लौट सकें।

(ग) श्रीलंका की दैनिक पत्रिका में छपी खबर के बाद अमरीका के विदेश मंत्रालय ने इस विषय पर एक प्रैस मार्ग-निर्देश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि यह कहानी पूरी तरह मनगढ़न्त है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अमरीका की सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इसने ऐसे इरादे की कभी भी घोषणा नहीं की है और न ही कभी ऐसा कदम सोचा है।

कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद

1241. **प्रो० मधु दंडवते** :

श्री हुसैन दलवाई : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का लम्बे अर्से से चले आ रहे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद का हल ढूंढने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकारों के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करने का विचार है; और

(ख) क्या एक निश्चित समय में इसका हल ढूंढ लिया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) भारत सरकार का विचार है कि दोनों राज्य सरकारों के इच्छित सहयोग से ही विवाद हल हो सकता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार को उन्हें सभी संभव सहायता प्रदान करने में खुशी होगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों की तीन बार बैठकें हुई हैं और समस्या पर विचार विमर्श किया गया है। इनके प्रयासों के परिणाम की प्रतीक्षा है।

(ख) इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है।

यूनियन कार्बाइड भोपाल के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को केन्द्र सरकार की मन्जूरी

1242. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कार्बाइड, भोपाल के अनुसंधान और विकास केन्द्र को उनके विभाग से मंजूरी प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने उसके द्वारा प्रारंभ की जा रही अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई थी ; और

(ग) क्या वहां जीवविज्ञानीय युद्ध में संभावित प्रयोग की किन्हीं परियोजनाओं पर कार्य हो रहा था ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) यद्यपि उद्योग को औद्योगिक अनुसंधान में कार्य में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की एक स्कीम के अन्तर्गत अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, तथापि भोपाल में यूनियन कार्बाइड रिसर्च सेंटर को 1974 में मान्यता प्रदान की गई थी ।

(ख) केन्द्र, मान्यता के नवीकरण के समय सुविधाओं, कर्मचारियों और क्रियाकलापों के संबंध में आवधिक विवरणियां प्रदान करता है ।

(ग) मान्यता स्कीम के अन्तर्गत, आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास एककों के लिए उन सभी कार्यक्रमों को, जो उन्होंने अतीत में हाथ में ले रखे थे अथवा जो वे भविष्य में हाथ में लेने की योजना बना रहे हैं, प्रकट करना अनिवार्य नहीं है । उनकी सुविधाओं में जीविकीय कल्याण के लिए कोई संभव अनुप्रयोग दिखाई नहीं देता ।

समाचार पत्रों द्वारा इंडियन एयरलाइन्स में होने वाली मामूली दुर्घटनाओं को प्रमुखता देना

1243. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र इंडियन एयरलाइन्स के संचालन में होने वाली मामूली दुर्घटनाओं को भी प्रमुखता दे रहे हैं और इस प्रकार वे जनता का विश्वास कम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुईं और उनमें से कितनी दुर्घटनाएं निरीक्षण में बरती गई लापरवाही के कारण हुई और उनमें से कितनी दुर्घटनायें गंभीर थीं;

(ग) क्या सुरक्षा उपाय और निरीक्षण व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुरूप हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निरीक्षण और जांच की प्रक्रिया वास्तव में प्रभावी बने जिससे यात्रियों के लिये उड़ान सुरक्षित हो सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की दुर्घटनाओं और घटनाओं के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में समाचार दिए जाते हैं ।

(ख) पिछले दो वर्षों में सात अधिसूचनीय दुर्घटनाएं हुईं । उनमें से छह दुर्घटनाओं की जांच पूरी हो चुकी है और इनमें से किसी भी दुर्घटना का कारण पर्यवेक्षण में लापरवाही नहीं बताया गया है । इनमें से एक दुर्घटना कुछ गम्भीर प्रकार की थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विलिंगडन क्रैसेंट का इंदिरा गांधी मार्ग के रूप में नया नाम दिया जाना

1244. **श्री बाबा साहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने उनके मंत्रालय के नई दिल्ली में बिलिंगडन क्रैसेंट को "इंदिरा गांधी मार्ग", नाम देने के प्रस्ताव की सिफारिश की है;

(ख) क्या 21 फरवरी, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के समाचार के अनुसार मंत्रालय ने इस विचार का समर्थन नहीं किया है और वह यह महसूस करता है कि राष्ट्रीय नेताओं के नाम से केवल नये मार्गों का ही नामकरण किया जाना चाहिये; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में किन दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) 1975 में दिल्ली प्रशासन को जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वर्तमान गलियों/सड़कों आदि के नाम सामान्य तौर पर बदले नहीं जाते हैं। केवल नई गलियों/सड़कों और इस प्रकार की वर्तमान पुरानी गलियों/सड़कों के नाम जो बिना विशिष्ट नामों के हैं, प्रसिद्ध व्यक्तियों, स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए उनके नामों पर रखने के लिए विचार किया जा सकता है। केवल विशेष और अपवादिका परिस्थितियों में भारत सरकार के अनुमोदन से इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों से विचलन की अनुमति दी जा सकती है।

डाबोलिम, गोआ में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का उतरना

1245. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें डाबोलिम, गोआ में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के उतरने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) गोआ और खाड़ी के स्थानों के बीच एयर इंडिया की उड़ानें शुरू करने के लिए विभिन्न स्थानों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं, जिन पर विचार किया गया लेकिन यातायात की अपर्याप्तता के कारण इन्हें साध्य/व्यवहार्य नहीं पाया गया। तथापि, एयर इंडिया ने हाल ही में किए गए एक मार्केट सर्वेक्षण के आधार पर कुवैत और गोआ के बीच सप्ताह में एक उड़ान शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है, जिस पर विचार किया जाएगा। गोआ को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक चार्टरों को बढ़ावा देने के लिए भी सिद्धांत रूप में निर्णय किया गया है।

यातायात में वृद्धि के कारण हवाई अड्डों पर उपलब्ध अपर्याप्त सुविधाएं

1246. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए देश में अनेक हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डों पर सुविधाओं में सुधार करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) नागर विमानन विभाग अंतर्देशीय हवाई अड्डों पर और सिविल एन्क्लेव पर विमान प्रचालनों

के प्रकार तथा यात्री यातायात की मात्रा के अनुसार आधार संरचनात्मक सुविधाओं और यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करता है । हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और इष्टतमीकरण सहित हवाई अड्डों पर पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करना सतत् प्रक्रिया है और इसकी मात्रा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

(ख) हमारे अंतर्देशीय हवाई अड्डों का उन्नयन करने और उन पर सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार का प्रयत्न रहा है । संलग्न विवरण में छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में यात्री सुविधाओं में हुए सुधारों की सूची दी गई है । इंडियन एयरलाइन्स वायुदूत और एयर इंडिया की आवश्यकताओं को और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना प्रारूप में बोइंग 737 प्रचालनों के लिए 10 हवाई अड्डों और एयर बस प्रचालनों के लिए 11 हवाई अड्डों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है ।

विवरण

छठी योजना की अवधि में पूरे किए गए अन्तस्थ भवनों से सम्बन्धित निर्माण कार्य

1. अगरतला	अन्तस्थ भवन का विस्तार और परिवर्तन	पूरा हो गया है ।
2. आगरा	अन्तस्थ भवन का विस्तार	"
3. अमृतसर	अन्तस्थ भवन का विस्तार	"
4. अमृतसर	अन्तर्राष्ट्रीय आगमन हाल का निर्माण	"
5. औरंगाबाद	अन्तस्थ भवन का परिवर्तन	"
6. बंगलौर	अन्तस्थ भवन का विस्तार	"
7. बड़ौदा	अन्तस्थ भवन का परिवर्तन	"
8. भावनगर	अन्तस्थ भवन का विस्तार और परिवर्तन	"
9. चण्डीगढ़	अन्तस्थ भवन का परिवर्तन	"
10. कोचीन	अन्तस्थ भवन का विस्तार	"
11. डाबोलिम	नए अन्तस्थ भवन का निर्माण	"
12. गोहाटी	अन्तस्थ भवन का विस्तार और परिवर्तन	"
13. हैदराबाद	अन्तस्थ भवन का परिवर्तन	"
14. इम्फाल	(क) आगमन हाल का निर्माण	"
	(ख) अन्तस्थ भवन का परिवर्तन/विस्तार	"
15. जामनगर	अन्तस्थ भवन का विस्तार और परिवर्तन	"
16. जोरहाट	अन्तस्थ भवन का निर्माण	"
17. खजुराहो	अन्तस्थ भवन का विस्तार	"
18. पटना	भीतरी खंड का विस्तार	"
19. राजकोट	अन्तस्थ भवन का विस्तार और परिवर्तन	"
20. त्रिवेन्द्रम	अन्तस्थ भवन का विस्तार	"

अन्तस्थ भवनों से सम्बन्धित चल रहे निर्माण कार्य

1. भुवनेश्वर में अन्तस्थ भवन का विस्तार और परिवर्तन ।
2. जम्मू में नए अन्तस्थ परिसर का निर्माण ।

3. डिब्रूगढ़ (मोहनबाड़ी) में अन्तस्थ भवन का विस्तार ।
4. डाबोलिम (गोआ) में अन्तस्थ भवन का विस्तार ।
5. त्रिवेन्द्रम में नए अन्तर्राष्ट्रीय अन्तस्थ भवन का निर्माण ।
6. लेह में नए अन्तस्थ भवन का निर्माण ।
7. लखनऊ में अन्तस्थ भवन का विस्तार और परिवर्तन ।
8. मंगलौर में अन्तस्थ भवन का विस्तार और परिवर्तन ।
9. पटना में अन्तस्थ भवन का विस्तार/परिवर्तन ।
10. रांची में नया अन्तस्थ भवन ।
11. श्रीनगर में अन्तस्थ भवन का विस्तार और परिवर्तन ।
12. वाराणसी में अन्तस्थ भवन का विस्तार और परिवर्तन ।
13. विशाखापत्तनम में नए अन्तस्थ भवन का निर्माण ।

[हिन्दी]

राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति

1247. **श्री हरीश रावत** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी देशों में, जिनके साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध हैं और जहां हमारे दूतावास हैं राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त किए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन में ये पद रिक्त पड़े हैं और उन पर नियुक्तियां कब की जायेंगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) बेरुत, बोमोटा, लिलोंग्वे और लन्दन स्थित हमारे मिशनों के लिए मिशन प्रमुखों की नियुक्तियां अभी की जानी हैं । ये नियुक्तियां विचाराधीन हैं ।

[अनुवाद]

दिल्ली वर्कशाप में बंदरों द्वारा विमानों को क्षति पहुंचाया जाना

1248. **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बन्दरों ने दिल्ली वर्कशाप में मरम्मत के लिए खड़े इंडियन एयरलाइन्स के विमानों को काफी क्षति पहुंचाई है; और

(ख) यदि हां, तो उनसे कितना नुकसान हुआ है और बन्दरों के इस उत्पात को रोकने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स के विमानों में कालीनों, गलीचों तथा सीटों के कुशनों को बंदरों द्वारा क्षति पहुंचाने की कुछ घटनाएं उस समय हुई हैं जब ये विमान व्यापक जांच (मेजर चैक) के लिए हैंगरों में खड़े थे । भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इस मामले से अवगत कराया गया था जो बन्दरों को पकड़वाने के लिए प्रबंध कर रहा है । इसके साथ-साथ लोगों को भी यह जानकारी देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि वे खाद्य पदार्थों तथा कूड़ा-करकट आदि को खुले में न फेंके क्योंकि इनसे बन्दर आकर्षित होते हैं ।

कम्प्यूटरों और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नीति

1249. **श्री रेणुपद दास** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्षों के लिए इलेक्ट्रोनिक्स और कम्प्यूटरों सम्बन्धी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उनके स्रोतों की स्थिति क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में विदेशी सहयोग की अनुमति दिये जाने की स्थिति में, देश में, उद्योग के हित की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) कम्प्यूटरों के संबंध में सरकार की नीति के निम्नलिखित उद्देश्य है :

(i) नवीनतम प्रौद्योगिकी के आधार पर देश में ही और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कम्प्यूटरों का विनिर्माण करना और आर्थिक व्यवहार्यता के अनुरूप स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में क्रमश: वृद्धि करना ।

(ii) विद्यमान प्रतिक्रियाओं को सरल बनाना ताकि प्रयोगकर्ता अपनी आवश्यकतानुसार या तो स्वदेशी स्रोतों से अथवा विदेशों से कम्प्यूटर प्राप्त कर सकें, क्योंकि ऐसे अभिग्रहण मुख्यत: आर्थिक उपायों के माध्यम से विनियमित होते हैं ।

(iii) समूचे देश में कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया से होने वाले दीर्घकालीन लाभों को ध्यान में रखते हुए कम्प्यूटरों के समुचित ऐसे अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना जो विकास की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सहायक सिद्ध होते है ।

(iv) संसद में दिनांक 21 मार्च, 1985 को इलेक्ट्रानिकी से संबंधित नीतियों पर एकीकृत उपायों की घोषणा भी की गई है ।

(ख) नवम्बर, 1984 में घोषित कम्प्यूटर नीति के द्वारा स्वदेशी उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है ताकि इकाइयों को अधिक व्यवहार्य बनाया जा सके । स्वदेशी प्रौद्योगिकी के ग्रेड को उन्नत करने के लिए डिजाइन एवं ड्राईंग के उदार आयात की व्यवस्था की गई है ।

(ग) विदेशी सहयोग सम्बन्धी सभी तकनीकी पहलुओं पर अन्तर्मंत्रालयी स्थायी समिति द्वारा छानबीन की जाती है । प्रत्येक मामले की जांच करते समय दिनांक 19 नवम्बर, 1984 को घोषित कम्प्यूटर नीति के समूचे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में उपलब्ध स्वदेशी विशेषज्ञता पर भी समुचित ध्यान दिया जाता है ।

हरिजनों पर अत्याचार

1250. **श्री रेणुपद दास** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हुई अत्याचार की घटनाओं का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अत्याचार की घटनाओं के कारण क्या रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध वर्ष 1979, 1980, 1981, 1982 तथा 1983 के दौरान हुए अपराधों के मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध					अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध				
		1979	1980	1981	1982	1983	1979	1980	1981	1982	1983
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	92	152	206	213	181	13	14	29	31	31
2.	असम	03	—	—	—	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	बिहार	2152	1890	1983	2073	1809	200	196	174	85	116
4.	गुजरात	475	498	654	455	476	87	130	95	101	94
5.	हिमाचल प्रदेश	83	68	69	73	47	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	हरियाणा	80	78	74	144	113	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	जम्मू और कश्मीर	114	120	124	45	23	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	शून्य
8.	कर्नाटक	500	377	397	363	194	54	शून्य	05	04	04
9.	केरल	887	478	260	145	149	33	04	09	10	18
10.	मध्य प्रदेश	3866	3877	4033	4749	5292	1373	1429	302	3110	3119
11.	महाराष्ट्र	503	518	695	680	704	169	146	231	222	240
12.	उड़ीसा	43	80	80	150	147	16	14	11	43	53
13.	पंजाब	171	79	51	73	36	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य
14.	राजस्थान	760	1180	1562	1731	1604	205	318	384	472	439
15.	तमिलनाडु	115	140	199	153	299	शून्य	शून्य	02	शून्य	शून्य
16.	त्रिपुरा	—	—	18	03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	उत्तर प्रदेश	4102	4279	3865	3977	3851	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	पश्चिम बंगाल	02	33	23	17	17	02	12	25	19	20
19.	दिल्ली	03	03	06	01	02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	गोवा, दमन और दीव	03	—	01	02	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	पांडिचेरी	19	16	08	07	03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़	13973	13866	14308	15054	14948	2152	2263	1207	4098	4331

टिप्पणी : उ. न. उपलब्ध नहीं

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में सूचना

कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में एक ब्रिटिश नागरिक की मौत

1251. **श्री मुहम्मद महफूज अली खां** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कार्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल में एक ब्रिटिश नागरिक मि० डेविड हंट को एक बाघ ने मार दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने नेशनल पार्क में आने वाले दर्शकों की सुरक्षा के लिए मौजूदा व्यवस्था की कोई पुनरीक्षा की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ।

(ग) मि० डेविड हंट ने अपनी इच्छा से वन के भीतर दूर तक पैदल जाकर पार्क के नियमों का उल्लंघन किया। किन वास्तविक परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, इसकी जाँच की जा रही है प्राथमिक जांच से पता चला है कि उन्हें एक बाघिनी ने मारा था, जिसने पहले कभी-किसी आदमी को नहीं मारा।

(घ) कार्बेट नेशनल पार्क के नियमों में यह स्पष्ट रूप में बताया गया है कि दर्शकों को वन के भीतर पैदल नहीं जाना चाहिए। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे इस नियम को सख्ती से लागू करें और दर्शकों की पूरी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इसी प्रकार के नियम अन्य राष्ट्रीय पार्कों में भी विद्यमान हैं।

वाहनों द्वारा जोर से हार्न बजाये जाने के कारण महानगरों में ध्वनि प्रदूषण

1252. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समस्या की जानकारी है कि महानगरों में कुछ वाहनों द्वारा जोर से हार्न बजाये जाने के कारण ध्वनि प्रदूषित हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो जोर की आवाज करने वाले हार्न का प्रयोग करने वाले वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध अथवा रोक लगाने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को क्या निदेश दिए गये हैं; और

(ग) तेज आवाज के कारण उत्पन्न प्रदूषण को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या मार्ग निर्देश जारी किए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) विभिन्न राज्यों के मोटर वाहन अधिनियम में हार्न जो जोर का शोर/आवाज करते हैं उनके निषेध के लिए तथा शोर के स्तर को कम करने के लिए सांइलेन्सरों (रव-शामकों) के अनिवार्य रूप से प्रयोग करने हेतु, उचित व्यवस्था है। नगरपालिका तथा पुलिस प्राधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकरों) के प्रयोग के समय को सीमित कर रहे हैं तथा कुछ इलाकों में भारी वाहनों के आवागमन को निषिद्ध कर रहे हैं एवं वाहनों में बहुत तेज आवाज वाले हार्नों के लगाने पर रोक लगा रहे हैं। सड़क के किनारों पर किया गया वृक्ष वीथि वृक्षारोपण भी रोक का कार्य करता है तथा शोर के स्तर को कम करता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति देने के लिये केन्द्रीय सहायता

1253. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति देने के व्यय में राज्य सरकारों के साथ हिस्सा बंटाती रही है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति देने के लिये राज्य को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति देने की योजनाएं राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती हैं, न कि केन्द्र सरकार द्वारा अत: उन राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति देने के व्यय में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ कोई हिस्सा नहीं बटाती रही है । तथापि, अस्वच्छ व्यवसायों अर्थात शुष्क शौचालयों की सफाई, चमड़ा कपान, चमड़ा उतारना, में लगे व्यक्तियों के बच्चों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति देने के व्यय में केन्द्र सरकार 50% खर्च वहन कर रही है ।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान । उड़ीसा राज्य सरकार ने मई, 1982 में केन्द्र सरकार से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति देने में होने वाले व्यय को राज्य सरकार के साथ 50:50 आधार पर वहन करने का अनुरोध किया था । लेकिन केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध को मानने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी । बताया जाता है कि राज्य सरकार ने योजना आयोग के साथ मामला उठाया है ।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सांस्कृतिक संबंध

1254. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के प्रयास किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बेहतर आपसी सद्भाव के लिये स्थापित किये जाने वाले संबंधों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) अमरीकी मंचीय कलाओं का एक समारोह 1984 में भारत में हुआ था और भारतीय दृश्य एवं मंचीय कलाओं का एक समारोह 1985-86 में संयुक्त राज्य अमरीका में आयोजित किया जा रहा है ।

वन्य जीवन एवं पर्यावरण का संरक्षण

1255. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिकों को राजस्थान में वन्य जीवन संरक्षण के महत्व की शिक्षा प्रदान करने के लिये कोई कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) वन जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अन्य लोगों के लिये भी उनने क्षेत्रों में वन्य जीवन के संरक्षण हेतु ऐसी कोई कार्यशाला आयोजित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सैन) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) वन्य जीव संरक्षण में जन-सहयोग प्राप्त करने हेतु सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं । इस प्रयोजन के लिए जन-संचार, फिल्म, दृश्य-श्रव्य साधन, प्रकाशन और अन्य प्रचार सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । चुनिंदा वन्य जीव आश्रय स्थलों और चिड़ियाघरों में आगन्तुक सूचना और शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं । भारतीय विश्व वन्य-जीव निधि और बम्बई प्राकृतिक इतिहास सोसायटी जैसे प्रमुख गैर-सरकारी संगठन बच्चों और युवाओं के लिए प्राकृतिक शिविर और अन्य शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं । प्रतिवर्ष अक्तूबर में आयोजित होने वाले वन्य-जीवन सप्ताह के दौरान, देश भर में इन प्रयासों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है ।

विवरण

1. वन्य-जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्न प्रकार हैं :—

(1) वन्य-जीव संरक्षण के लिए कानूनी आधार पर देशव्यापी प्रवर्तन करने हेतु वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 नामक एक केन्द्रीय विधान अधिनियम बनाया गया है । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वन-भूमि, जो देश में वन्य-जीवों का प्रमुख आवास है, के अन्धाधुन्ध इस्तेमाल पर नियंत्रण करता है ।

(2) भारतीय वन्य-जीव बोर्ड, जो इस क्षेत्र में, देश का सर्वोच्च परामर्शदायी निकाय है, 1980 में प्रधानमंत्री के इसके अध्यक्ष बनने के बाद से इसकी महत्ता और प्रभाव बढ़ गया है ।

(3) देश में संरक्षित नेटवर्क क्षेत्रों की संख्या, जो 1980 में 19 राष्ट्रीय पार्क और 205 अभ्यारण्य थी, को अब बढ़ाकर 53 राष्ट्रीय पार्क और 247 अभ्यारण्य कर दिया गया है । इनके अन्तर्गत देश की कुल भूमि का लगभग 3% और वन-क्षेत्र का लगभग 12% क्षेत्र आ गया है ।

(4) खतरे में पड़ी प्रजातियों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और घड़ियाल परियोजना जैसी विशेष परियोजनाएं शुरू की गई हैं । बाघ परियोजना प्रख्यात आधुनिक संरक्षण सफलताओं में से एक है ।

(5) वन्य-जीवों, पक्षियों, पौधों और उनके उपजातों का व्यापार और निर्यात तथा आयात पर सख्ती से नियंत्रण रखा जाता है ।

(6) राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों (बाघ आश्रय स्थलों सहित) और चिड़ियाघरों के विकास में सहायता देने और संरक्षण के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए **केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं** शुरू की गई हैं।

(7) वन्य-जीव प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वन्य-जीव संस्थान नामक एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना की गई है।

(8) संरक्षण के संबंध में जन-चेतना जगाने और जन-सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रति-वर्ष अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य-जीव सप्ताह मनाया जाता है।

(9) भारत पांच अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों अर्थात वन्य पौधों और वन्य-प्राणियों की खतरे में पड़ी प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, दलदली भूमि, ह्वेल का शिकार, प्रवासी प्रजातियों से सम्बंधित सम्मेलनों तथा प्रवासी पक्षियों के सम्बन्ध में सोवियत संघ के साथ हस्ताक्षर कर्त्ता है।

(10) **एक राष्ट्रीय वन्य-जीव कार्यकारी योजना** हाल ही में अपनाई गई है, जो भविष्य में वन्य-जीव संरक्षण हेतु नीति, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का ढांचा प्रदान करती है। इसके मुख्य घटक हैं :—

—संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क के एक प्रतिनिधि तंत्र की स्थापना;

—संरक्षित क्षेत्रों और प्राकृतिक आवासों की मरम्मत का प्रबंध;

—बहुप्रयोजनी क्षेत्रों में वन्य-जीव संरक्षण;

—खतरे में पड़ी और खतरे में पड़ने की आशंका वाली प्रजातियों का पुनर्वास;

—नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम;

—वन्य-जीव शिक्षा और निर्वचन;

—अनुसंधान और प्रबोधन;

—घरेलू विधान और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन;

—राष्ट्रीय संरक्षण नीति; और

—स्वैच्छिक निकायों/गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग।

कार्यकारी योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है और कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकारों के सक्रिय सहयोग और स्वैच्छिक निकायों तथा अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से केन्द्रीय वन्य-जीव संरक्षण निदेशालय और भारतीय वन्य-जीव संस्थान नोडल एजेंसी हैं।

कार्यकारी योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए वन्य-जीव संरक्षण कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु बनाया गया है।

2. पर्यावरण विभाग ने पर्यावरणात्मक संरक्षण और सुरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। पर्यावरण विभाग की पर्यावरण अनुसंधान समिति और मानव तथा जैव-मंडल समिति ने पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कई अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रदूषण प्रबोधन और नियंत्रण पर कई कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। जल प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण के लिए केन्द्रीय बोर्ड और राज्य

बोर्डों का गठन किया गया है। ये बोर्ड औद्योगिक बहिस्राव और उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए नियंत्रक एजेंसियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हाल ही में गठित केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण विशेष उल्लेखनीय है। देश में प्रतिनिधि जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में जैविक विविधता के संरक्षण के लिए जैव-मंडल- सुरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क की एक योजना बनाई गई है। पूर्णतः अवक्रमित अथवा कमजोर पारिस्थितिक मण्डलों में सुधारात्मक/संरक्षणात्मक तरीकों के प्रदर्शन के लिए पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में पर्यावरण संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण संबंधी शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पर्यावरण प्रबंध से संबंधित विषयों में उच्च अध्ययन केन्द्रों की योजना बनाई गई है। इस सम्बन्ध में प्रस्तावित हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान विशेष उल्लेखनीय है। सातवीं योजना में पर्यावरण प्रबन्ध कार्यक्रमों को बढ़ाया जा रहा है।

आग जलाने के लिए लकड़ी के उपयोग के कारण वनों को होने वाली हानि का अनुमान

1256. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आग जलाने के लिए लकड़ी के उपयोग के परिणामस्वरूप वनों को होने वाली हानि का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईंधन के अन्य साधनों को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई प्रयत्न किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीर सैन) : (क) और (ख) वनों को होने वाली हानि की सही मात्रा का कोई ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश में जैव-गैस संयंत्रों के संवर्धन पर अधिक जोर दिया है। जैव-गैस विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना 1981-82 में एक केन्द्रीय क्षेत्रीय की योजना के रूप में शुरू की गई थी। 1984-85 के लिए 1,50,000 संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें से फरवरी, 1985 तक 1,17,820 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। सामुदायिक जैव-गैस संयंत्रों के मामले में एक वर्ष के लिए पूर्ण पूंजीगत लागत तथा प्रचालन लागत दी गई है। संस्थागत जैव-गैस संयंत्रों के मामले में 33⅓ प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक राज सहायता दी जाती है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा संवर्गों के अधिकारियों के सेवा नियमों में परिवर्तन

1257. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा संवर्गों के अधिकारियों के सेवा नियमों में परिवर्तन करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किए जाने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) अखिल भारतीय सेवाओं, जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा शामिल है, के अधिकारियों पर लागू सेवा नियमों का पुनरीक्षण सतत रूप से किया जाता है और जब कभी इन नियमों में किन्हीं संशोधनों की आवश्यकता होती है तो उन्हें राज्य सरकारों के परामर्श से लागू किया जाता है। नियमों में जिन महत्वपूर्ण संशोधनों पर फिलहाल राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रस्तावित नियमों के ब्यौरे	प्रस्तावित संशोधनों की विषयवस्तु संक्षेप में
1. अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) नियमावली, 1955 का नियम 20-ग	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में उसी दर पर छुट्टी नगदीकरण की मंजूरी, जो कि केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों के मामले में लागू है।
2. अखिल भारतीय सेवायें (अध्ययन) छुट्टी नियमावली, 1960 का विनियमन-9	जिन मामलों में अध्ययन छुट्टी मंजूर कर दी गई थी और अध्ययन पूरे नहीं हो पाये थे उनके बारे में निर्णय लेने की पद्धति का विनियमन।
3. अखिल भारतीय सेवायें (भविष्यनिधि) नियमावली, 1955 का नियम 12	गृह निर्माण के लिए रकम निकालने की पात्रता की शर्तों में ढील देना।
4. अखिल भारतीय सेवायें (भविष्यनिधि) नियमावली, 1955 का नियम 13	-वही-
5. अखिल भारतीय सेवायें (भविष्यनिधि) नियमावली, 1955 के नियम 11,13,14 और 27	भविष्य निधि की बकाया से अधिक रकम निकाले जाने/अग्रिमों या निकासियों का दुरुपयोग किए जाने के मामलों का विनियमन।
6. अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली, 1968 का नियम 13	क्रीड़ा कार्यकलापों से संबंधित संगठनों में अधिकारियों के भाग लेने को विनियमित करना।
7. अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु और सेवानिवृत्ति प्रसुविधायें) नियमावली, 1958 का नियम 19-क	उपदान/मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान के विलम्ब से भुगतान होने पर उस पर ब्याज की अदायगी से संबंधित उपबन्धों में ढील देना।
8. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 का नियम 9-ग तथा अनुसूची III-ग	भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 की अनुसूची III-ग में केन्द्रीय सचिवालय में निदेशक के पद का शामिल किया जाना तथा उसी नियमावली का नियम 9-ग हटाया जाना।
9. भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अन्तिम परीक्षा) विनियमावली, 1955 की अनुसूची-II	सिक्किम संवर्ग से परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सिखाए जाने वाली भाषाओं के बारे में व्यवस्था करना।

10. भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अन्तिम परीक्षा) विनियमावली, 1955 की अनुसूची-III	-वही-
11. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 का नियम 6	केन्द्रीय सरकार/अथवा अन्य राज्य में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को उसी ढंग से विनियमित करना जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति विनियमित की जाती है।

अमरीकी प्रौद्योगिकी का भारत को अन्तरण किया जाना

1258. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अमरीकी प्रौद्योगिकी का भारत को अन्तरण कराने के प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह किन क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं और उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या हम ऊर्जा उपकरणों के बारे में भी उनकी प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रही हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक मशीनरी, विद्युत इलेक्ट्रानिकी रसायन और यांत्रिक इंजीनियरी, उद्योग आदि के क्षेत्र में 1983 और 1984 के वर्षों के दौरान लगभग 200 सहयोगों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। भुगतान के संबंध में शर्तें प्रत्येक मामले के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। इनमें से कुछ में वित्तीय भागीदारी शामिल होंगी, कुछ में एकमुश्त भुगतान और कुछ में रायल्टी व्यवस्थायें अथवा उनके संयोजन सामान्य रूप से सहमत करार की अवधि 8 वर्ष है। इसके अलावा रायल्टी भुगतानों, एकमुश्त भुगतानों के मानक किश्तों, परियोजनाओं से सम्बन्धित उपस्करों और सामग्री का आयात, प्रयोज्य विधि और ब्रांड नामों के उपयोग जैसे मामलों को शामिल करते हुए सभी सहयोगों के लिए मानक शर्तें लागू हैं।

(ग) जी हां।

ऊर्जा उपस्करों तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी संयुक्त राज्य अमरीका से आयात किया गया है।

[हिन्दी]

प्रत्येक योजना में बेरोजगारी

1259. **श्री सी० डी० शामित** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार लोगों तथा अल्प बेरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रेणी वार कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) प्रत्येक राज्य में छठी योजना के अंत में कितने लोग बेरोजगार रहेंगे; और

(घ) इन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में उठाए जा रहे ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जैसाकि योजना आयोग द्वारा 1968 में स्थापित बेरोजगारी अनुमानों से संबंधित विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट के अध्याय-2 की सारणी में बताया गया है, चौथी योजना के मसौदे की रूपरेखा तक क्रमिक योजना दस्तावेजों में प्रस्तुत बेरोजगारी श्रमिक बलों में निवल वृद्धि, "रोजगार की संभावना" और वास्तविक रोजगार सृजन के अनुमान संलग्न विवरण एक में दिए गए हैं । इस समिति की रिपोर्ट संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है । जहां तक पहली योजना (1951-56) का संबंध है समिति ने नोट किया कि पहली पंचवर्षीय योजना तैयार कराते समय कस्बों और प्रमुख नगरों के रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों के सिवाय रोजगार और बेरोजगारों के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया गया था । इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था मे बेरोजगारी के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाए गए । लेकिन कुछ क्षेत्रों के लिए रोजगार की स्थिति पर योजना के संभावित प्रभाव के बारे में अलग से अनुमान लगाया गया था । समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि योजना की अवधि के अंत में बेरोजगारी और योजनाओं सृजित अतिरिक्त रोजगार, श्रमिक बल में वृद्धि संबंधी सम्मिलित अनुमान प्रस्तुत करने की पहले की प्रथा को छोड़ दिया जाए । इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ने संबंधित संकल्पनाओं और परिभाषाओं का विकास किया और उनका मानकीकरण किया और उन्हें 1972-73 (27 वें दौर से) अपने पांच वर्ष में एक बार किए जाने वाले रोजगार तथा बेरोजगारी से संबंधित सर्वेक्षणों में अपनाया ।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 32 वें दौर (1977-78) पर आधारित राज्यों द्वारा बेरोजगारी दरों की दैनिक स्थिति का एक विवरण छठी योजना के दस्तावेज (पृष्ठ 216 की सारणी में) दिया गया है ।

रोजगार कार्यालयों के रिक्ति रजिस्टरों में नौकरी तलाश करने वालों की संख्या और रोजगार कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई नियुक्तियों की संख्या संबंधी आकड़े संलग्न विवरण 2, 3 और 4 में दिए गए हैं । [ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 693/85] उल्लेखनीय है कि यह जरूरी नही है कि रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी तलाश करने वाले सभी लोग बेरोजगार ही हों । इसी प्रकार सभी बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज नहीं कराते हैं ।

(ग) यह मानकर कि बेरोजगारी की दरें वही थीं जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 1977-78 के 32वें दौर में बताई गई थी, 5† के आयु वर्ग के लिए सामान्य स्थिति के अनुसार मार्च, 1980 में बेरोजगारों की संख्या 12.02 मिलियन होने का अनुमान था । छठी योजना के दस्तावेजों में 1980-85 के दौरान श्रमिक बल में निवल वृद्धि का अनुमान 34.24 मिलियन लगाया गया था । योजना अवधि में रोजगार में प्रत्याशित वृद्धि 32.44 मिलियन मानक श्रम वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है । चूंकि ऐसा हो सकता है कि पूरे वर्ष में श्रमिक बल के प्रत्येक सदस्य को पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त न हो इसलिए लाभग्राहियों की वास्तविक संख्या और अधिक होने की संभावना है ।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। सातवीं योजना में रोजगार के मामले से संबंधित दृष्टिकोण सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के नीति पत्र नामक दस्तावेज में दिया गया है। यह दस्तावेज 30 जुलाई, 1984 को सदन के पटल पर रखा गया था।

विवरण-एक

क्रमिक योजना दस्तावेजों में प्रस्तुत बेरोजगारी, श्रमिक बल में निवल वृद्धि, "रोजगार की संभावना" और वास्तविक रोजगार सृजन संबंधी अनुमान

(आंकड़े मिलियन में)

	दूसरी योजना (1956-61)	तीसरी योजना (1961-66)	चौथी योजना के मसौदे की प्रारूप रेखा (1966-71)
1	2	3	4
प्रत्येक योजना के प्रारम्भ में बेरोजगारों की संख्या	5.3	9.0 (7.0)	9.0—10.0
योजना अवधि के दौरान श्रमिक बल में निवल वृद्धि	10.0 (11.7)	17.0	23.0
योजना में रोजगार की संभावना			
(क) जोड़	10.0	14.0	18.5—19.0
(ख) कृषि से भिन्न	8.0	10.5	14.0
(ग) कृषि से संबंधित	2.0	3.5	4.5 — 5.0
योजना द्वारा सृजित रोजगार			
(क) जोड़	8.0 (10.0)	14.5	...
(ख) कृषि से भिन्न	6.5	10.5	...
(ग) कृषि से संबंधित	1.5	4.0	...

स्रोत : बेरोजगारी के अनुमानों से संबंधित विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट, 1970 अध्याय-2 सारणी-1 योजना आयोग, भारत सरकार।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।

[अनुवाद]

देश में इस्पात/सीमेंट संयंत्रों द्वारा प्रदूषण

1260. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के प्रमुख इस्पात सीमेंट संयंत्रों में चारों ओर अब आबादी हो गई है;

(ख) क्या यह औद्योगिक एकक धुएं गैस और अपशिष्ट पदार्थों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से लैस नहीं हैं;

(ग) क्या इन एककों का व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा और वर्तमान प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, नहीं।

(ख) सभी बड़े इस्पात संयंत्रों को प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं से सज्जित किया गया है। अधिकांश सीमेंट संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण पद्धतियां हैं जो संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं। इनमें से कुछ के निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है।

(ग) इस्पात संयंत्रों के बहिस्रावों के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया है तथा संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं। सीमेंट संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण स्तरों के बारे में एक सूची भी तैयार की गई है। इस्पात और सीमेंट संयन्त्रों के उत्सर्जनों के नियंत्रण लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए परिव्यय

1261. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य भी छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पिछड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो—

(एक) पश्चिम बंगाल किन क्षेत्रों/ उद्देश्यों में पिछड़ा हुआ है;

(दो) 1984-85 तक इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(तीन) यह उद्देश्य अब तक किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं; और

(चार) 1980-85 अवधि के लिए पश्चिम बंगाल में इन कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग द्वारा कुल कितना परिव्यय मंजूर किया गया था और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस परिव्यय का किस-सीमा तक उपयोग किया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) छठी योजना (1980-85) के दौरान पश्चिम बंगाल में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के अन्तर्गत वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां क्रमशः संलग्न विवरण एक और दो में दी गई हैं।

विवरण-एक

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

छठी योजना (1980-85) पश्चिम बंगाल

(परिव्यय/व्यय)

(लाख रु०)

कार्यक्रम का नाम	छठी योजना 1980-85 सहमत परिव्यय	छठी योजना 1980-85 संभावित व्यय
1	2	3
ग्रामीण विद्युतीकरण	1388	1127
ग्रामीण सड़कें	3750	2900

1	2	3
प्रारंभिक शिक्षा	12750	8184
प्रौढ़ शिक्षा		467
ग्रामीण स्वास्थ्य	2588	1984
ग्रामीण जलपूर्ति	4800	3002
ग्रामीण आवास-स्थल/निर्माण स्कीम	1200	775
गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	2700	1895
पोषाहार	2500	2205
जोड़	31676	22539

विवरण-दो

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

छठी योजना (1980-85)—लक्ष्य/संभावित उपलब्धियां-पश्चिम बंगाल

कार्यक्रम	इकाई	छठी योजना (1980-85)	
		लक्ष्य	संभावित उपलब्धियां
1	2	3	4
ग्रामीण सड़कें			
गांव जिनकी जनसंख्या			
(i) 1500 और इससे ऊपर	संख्या	3753	3723
(ii) 1000-1500	"	2056	1969
ग्रामीण स्वास्थ्य			
उप-केन्द्र	संख्या	3000	4316
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	"	30	22
सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	"	150	70
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	"	45	16
प्रारंभिक शिक्षा			
कक्षा (1 से 8)			
लड़के	000	5663	5973
लड़कियां	"	4317	4352
जोड़	"	9980	10325
प्रौढ़ शिक्षा	लाख व्यक्ति निर्धारित नहीं की है		18.73 (लगभग)
आवास-स्थल/आवास निर्माण			
(क) आवंटित आवास-स्थल	संख्या	60,000	37,752

1	2	3	4
(ख) निर्माण सहायता	"	85,000	54,886
गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार			
गंदी बस्तियों में रहने वाले लाभान्वित व्यक्ति	"	18,00,000	6,39,000
पोषाहार			
एस० एन० पी०	लाख	निर्धारित नहीं की गई	6.5
एम० डी० एम०	"	-वही-	35
ग्रामीण जलपूर्ति			
समस्या-ग्रस्त समाविष्ठ गांव	संख्या	10687	11758 (दिसम्बर, 1984 तक)
ग्रामीण विद्युतीकरण			
बिजली लगाए गए गांव	संख्या	3060	2521
बिजली-चालित पम्पसैट	"	6800	1187

बंजर भूमि में खेती करना, बायोगैस संयन्त्रों की स्थापना और बेहतर किस्म के चूल्हों के प्रचलन के लिए योजना

1262. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने 15 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को तेजी से बढ़ाने वाली ईंधन लकड़ी की विभिन्न किस्मों के लिये इसे खेती के अधीन लाने की एक योजना बनाई थी; यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है;

(ख) क्या विभाग ने बायोगैस संयंत्र लगाने, संशोधित चूल्हों का उपयोग आरंभ करने और सौर ऊर्जा तथा जल संसाधनों के उपयोग का भी एक कार्यक्रम बनाया था; यदि हां, तो कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना/कार्यक्रम में कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) योजना आयोग द्वारा परिव्यय में की गई भारी कटौती को देखते हुए व्यय की पूर्ति किस प्रकार से की जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी हां, सातवीं पंचवर्षीय योजना की एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ, उस 1.5 मिलियन हेक्टेयर सब-स्टैंडर्ड भूमि अथवा बेकार जमीन पर ऊर्जा बागवानी का प्रस्ताव है जिस पर वर्तमान में कृषि नहीं की जाती है। कार्यक्रम का राज्य सरकारों, पब्लिक कार्पोरेशनों और इसी प्रकार की अन्य एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव है। ऊर्जा बागवानी के लिए उपयुक्त स्थलों का राज्य सरकारों और अन्य सक्षम एजेंसियों के द्वारा पता लगाया जाएगा। सातवीं योजना अवधि के लिए पूर्ण ऊर्जा बागवानी और संबद्ध कार्यक्रमों के लिए 1200 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। योजना प्रारूप में 15 लाख

पारिवारिक आकार के और 1200 सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इसमें 50 लाख कुशल चूल्हों के निर्माण/स्थापना पर भी विचार किया गया है। योजना में बायोगैस कार्यक्रम के लिए 641 करोड़ रुपए और कुशल चूल्हों के कार्यक्रम के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम में जिन विभिन्न सौर तापीय प्रणालियों के विस्तार और प्रदर्शन को सम्मिलित किया गया है वे हैं :—सौर जल तापक, काष्ठ भट्टे, शुष्कक, विलवणीकरण प्रणाली, प्रयोगिक आधार पर सौर विद्युत संयंत्र, सौर कुकर "निष्क्रिय वास्तुकला" का संवर्धन सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के उद्देश्य हैं :—उत्पादन सुविधाओं का विस्तार, प्रायोगिक संयंत्रों का निर्माण, अलग थलग और दूर-दराज के गांवों का विद्युतीकरण और सौर चालित जल पंपों का प्रावधान। पूरे सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए 1004 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। सूक्ष्म जलीय कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे जल शक्ति संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 200 मे० वा० होगी और इन पर 506 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है।

(घ) विभाग के प्रस्तावों को अभी तक योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए इस समय योजना आयोग द्वारा योजना परिव्यय में कटौती करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

1264. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शासकीय गुप्त बात अधिनियम के उपबंधों के अधीन 1 जनवरी, 1985 से कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं;

(ख) सरकारी वर्गीकरण दस्तावेजों के रख-रखाव तथा अभिरक्षण के संबंध में एक दोषमुक्त पद्धति बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्गीकृत दस्तावेजों की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं मामले में सर्वोच्च स्तर पर विचार किया गया है और सुरक्षा प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए विशेष रूप से सभी वर्गीकृत दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रिया तथा रख-रखाव के विषय में जांच करने के लिए एक समिति गठित की गयी है।

[हिन्दी]

1984 के दौरान हिन्दी परामर्शदात्री समिति की बैठक

1265. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 के दौरान उनके मंत्रालय की हिन्दी परामर्शदात्री समिति की कितनी बैठकें हुईं;

(ख) इन बैठकों में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए; और

(ग) इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की वर्ष 1984 में दो बैठकें हुईं—14 मार्च और 31 अगस्त, 1984 को।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें इन दो बैठकों में स्वीकृत मुख्य प्रस्ताव और उनके कार्यान्वयन के संबंध में की गई कार्रवाई संक्षेप में बताई गई हैं।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 694/85**]

[**अनुवाद**]

1985-86 के लिए उड़ीसा की वार्षिक योजना

1266. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 1985-86 की वार्षिक योजना हेतु परिव्यय के अपने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा द्वारा प्रस्तावित परिव्यय स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक योजना के परिव्यय के लिए कितना धन जुटाने का संकेत दिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार द्वारा अपनी वार्षिक योजना 1985-86 के लिए प्रस्तावित परिव्ययों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वार्षिक योजना के आकार तथा उसमें राज्य के अंशदान को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

उड़ीसा सरकार द्वारा वार्षिक योजना (1985-86) के लिए प्रस्तावित परिव्ययों संबंधी ब्यौरा

(लाख रु०)

1	वार्षिक योजना (1985-86) 2
1. **कृषि और सम्बद्ध सेवाएं**	
अनुसंधान और शिक्षा	155
फसल संरक्षण	1210
शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित कृषि	70
भू तथा जल संरक्षण	250
पशु पालन	375
डेयरी विकास	25
मछली पालन	300
वन	969

1	2
कृषि वित्तीय	...
संस्थाओं में निवेश	100
विपणन	30
भंडारण और भांडागारण	15
जोड़ (1)	3499
2. ग्रामीण विकास	
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2085
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	1200
सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	293
रेगिस्तान विकास कार्यक्रम	...
अन्य कार्यक्रम	1000**
(निर्धारित किए जाने हैं)	
सामुदायिक विकास और पंचायत	130
भूमि सुधार	855
क्षेत्र विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	
(राज्य कार्यक्रम)	
(1) पिछड़े क्षेत्रों का विकास	
(2) अन्य (निर्धारित किए जाने हैं)	
जोड़ (2)	5563
3. सहकारिता	1055
4. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	
(क) सिंचाई	
(1) जल विकास	
(सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा अनुसंधान)	232
(2) बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएं	
(केवल सिंचाई भाग)	2946
(3) बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाए	8022
उपजोड़ (1+2+3)	11200
(ख) लघु सिंचाई	3209
(ग) नियंत्रण क्षेत्र विकास	300
(घ) बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	
(समुद्र कटाव विरोधी परियोजनाओं सहित)	700
जोड़-(4)	15409

1	2
5. विद्युत	
(1) विद्युत विकास	
(सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान)	50
(2) बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएं	
(केवल विद्युत भाग)	5330
(3) विद्युत परियोजनाएं (सृजन)	1100
(4) संचरण और वितरण	3900
(5) सामान्य (ग्रामीण विद्युतीकरण सहित)	2000
(6) बायोगैस और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सहित)	
(ऊर्जा के नए स्रोत)	2761
जोड़ (5)	15141
6. उद्योग तथा खनिज	
ग्राम तथा लघु उद्योग	950
मझोले तथा बड़े उद्योग	2310
खनन	530
जोड़ (6)	3790
7. परिवहन	
लघु पत्तन और प्रकाश गृह	1500
नौवहन	—
नागर विमानन	33
सड़क तथा पुल	3437
सड़क तथा परिवहन	687
अन्तर्देशीय जल परिवहन	50
पर्यटन	150
अन्य (निर्धारित किए जाने हैं)	—
जोड़ (7)	5857
8. वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान	
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	125
पर्यावरणीय कार्यक्रम	
(जल प्रदूषण नियंत्रण को छोड़कर)	51
जल प्रदूषण नियंत्रण	24
जोड़ (8)	200
9. सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	
शिक्षा	
सामान्य शिक्षा	6173
कला तथा संस्कृति	120

1	2
तकनीकी शिक्षा	320
खेल और युवा सेवाएं	150
(उपजोड़ शिक्षा)	5763
चिकित्सा (ई०एस०आई० को छोड़कर)	2316
कर्मचारी बीमा स्कीम	10
लोक स्वास्थ्य और सफाई	92
उपजोड़ (स्वास्थ्य)	2418
सीवरेज और जलपूर्ति	2125
आवास (पुलिस आवास को छोड़कर)	745
पुलिस आवास	150
शहरी विकास (राज्य पूंजीगत परियोजनाओं को छोड़कर)	460
राज्य पूंजीगत परियोजनाएं	350
सूचना तथा प्रकाशन	150
श्रम और श्रमिक कल्याण	240
विशेष रोजगार स्कीमें (राज्य कार्यक्रम)	—
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	500
समाज कल्याण	66
पोषाहार	442
अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं (निर्धारित किए जाने हैं)	—
जोड़ (9)	13409
10. आर्थिक सेवाएं	
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	34
आर्थिक सलाह और सांख्यिकी	45
माप और तोल	10
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (निर्धारित की जानी हैं)	—
जोड़ (10)	89
11. सामान्य सेवाएं	
लेखन सामग्री और मुद्रण	175
लोक निर्माण कार्य	360

1	2
नागरिक आपूर्ति*	515
अन्य (निर्धारित किए जाने हैं)	—
जोड़ (11)	1050
कुल जोड़	65062

* सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नागरिक पूर्ति निगम सहित ।

** ग्रामीण गरीबों तथा छोटे और मझोले किसानों के आर्थिक पुनर्स्थापन संबंधी स्कीम ।

[हिन्दी]

फैजाबाद को वायुदूत सेवा द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव

1267. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वायुदूत सेवा आरम्भ करने का प्रयोजन क्या है; और

(ख) क्या पर्यटकों को तीर्थ स्थल अयोध्या की ओर आकर्षित करने के लिए फैजाबाद को वायुदूत सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वायुदूत सेवाएं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के दूरस्थ तथा अगम्य स्थानों को जोड़ने के लिए तथा उत्तर-पूर्व के बाहर ऐसे स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए शुरू की गई हैं जो व्यापार, वाणिज्य तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तथा जहां इण्डियन एयरलाइन्स प्रचालन नहीं करती है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाना

1268. **श्री अनिल बसु** : क्या **युवा कार्य और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देशभर में तथा विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 1985 को "अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष" के रूप में मनाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में युवा संगठनों का परामर्श लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1985 को अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में नामित किया है जिसका उद्देश्य "सहभागिता, विकास और शान्ति" है । संयुक्त राष्ट्र का सक्रिय सदस्य देश होने के नाते भारत सरकार ने इस वर्ष को उपयुक्त और उचित ढंग से मनाने का निर्णय लिया है । इस वर्ष को भारत में युवा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है ।

भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष पर कार्यकारी दल का गठन किया है । कार्यकारी दल में युवा

कार्यकलापों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन अर्थात् क्लाइम्बर्स एण्ड एक्सप्लोररस क्लब, नई दिल्ली, रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली और टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई के प्रतिनिधि शामिल हैं।

देश में पूर्वी क्षेत्र सहित अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिन (12 जनवरी) को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाना।

(ii) 12 जनवरी से 19 जनवरी तक को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में मनाना।

(iii) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन।

(iv) राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों का आयोजन।

(v) प्रदर्शनियों का आयोजन।

(vi) राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन।

(vii) राष्ट्रीय रंगशाला समारोह का आयोजन।

(viii) राष्ट्रीय युवा समारोह का आयोजन।

(ix) और अधिक युवा छात्रावासों की स्थापना।

(x) अन्तर्राष्ट्रीय युवा सांस्कृतिक समारोह का आयोजन।

(xi) संस्मारक सिक्के और टिकटें जारी करना।

(xii) राष्ट्रीय सेवा योजना एककों तथा नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन।

(xiii) राष्ट्रीय युवा पुरस्कार शुरू करना।

हथियारों के सम्बन्ध में अमरीका और रूस के बीच जेनेवा में बातचीत

1269. **श्री महेंद्र सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथियारों के सम्बन्ध में अमरीका और रूस के बीच 12 मार्च, 1985 को जेनेवा में जो बातचीत होने वाली थी, वह शुरू हो गई है और क्या हमें उस बातचीत की अधिकृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत में जिन विषयों पर चर्चा की गई है उनका ब्यौरा क्या है और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सभी परमाणु शक्तियों को इसमें शामिल करते हुए परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में किसी समझौते पर पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ ने यथा निश्चित तारीख 12 मार्च को जेनेवा में अस्त्र सम्बन्धी बातचीत शुरू कर दी है। 8 जनवरी, 1985 को अमरीका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार इस बातचीत का विषय "अंतरिक्ष और नाभिकीय अस्त्रों-सामरिक तथा माध्यमिक रेंज दोनों से सम्बद्ध विभिन्न प्रश्न होंगे और इन सभी प्रश्नों पर उनके पारस्परिक संबंध में विचार किया जाएगा और उन्हें सुलझाया जाएगा।"

दोनों वार्ता पक्षकार आपसी समझौते द्वारा इस बात पर सहमत हुए कि वे अब अपनी इस बातचीत को गोपनीय रखेंगे। अन्य तीन नाभिकीय अस्त्र वाले राज्य यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन इस बातचीत में शामिल नहीं हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

1270. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक और बिहार से स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के कितने-कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने मामलों पर फैसला कर दिया गया है और अब तक वर्ष-वार कितने पेंशन आदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) जिन मामलों का निपटारा नहीं किया गया है उनके संबंध में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1-8-1980 से लागू उदार बनाई गई पेंशन योजना के अन्तर्गत 28-2-1985 तक कर्नाटक से (बिदार जिले सहित) 5489 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) कर्नाटक राज्य (बिदार जिले सहित) के स्वतंत्रता सेनानियों के जिन मामलों में पेंशन स्वीकृत और रद्द की गई उनकी संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	पेंशनों की संख्या	
	स्वीकृत	रद्द की गई
1982	434	620
1983	344	440
1984	301	1954

(ग) अधिकांश मामले राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लम्बित हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा एक तारा होटलों की स्थापना

1271. **श्री के० प्रधानी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अवकाश पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नौका होटल और वाराणसी और इलाहाबाद के बीच गंगा यात्रा नौका चलाने की योजना पर फिर से विचार किया है;

(ख) क्या इस परियोजना पर विस्तार से विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी पूंजी व्यय होगी;

(घ) इसे आरम्भ होने में कितना समय लगेगा;

(ङ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम उड़ीसा में चिल्का झील, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा और अन्य तीर्थ स्थलों पर एक तारा होटल स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार करेगा; और

(च) यदि हां, तो मोटे तौर पर उनकी योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) भारत पर्यटन विकास निगम के पास एक पंटोटिंग होटल में गंगा पर नदी-परिभ्रमण का एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है और ब्यौरे अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

(ङ) फिलहाल भारत पर्यटन विकास के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रॉनिकी के विकास के लिये "ब्रांड-बेंडिंग"

1272. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इलेक्ट्रॉनिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा उत्पादन लाइसेंस की "ब्रांड बेंडिंग" सहित अन्य अनेक उपायों पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी के विकास के लिये सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र को क्या क्या भूमिका दी जाएगी और प्रत्येक को कौन सी विशिष्ट लाइन/क्षेत्र दिया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) इलेक्ट्रॉनिकी राज्य मंत्री द्वारा संसद में दिनांक 21 मार्च, 1985 को "इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित नीति पर एकीकृत उपायों" की जो घोषणा की गई थी, उसमें ये ब्यौरे शामिल हैं।

मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों से तेजी

1273. **श्री के० प्रधानी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों में हाल ही में तेजी आई है;

(ख) क्या मिजो विद्रोहियों ने 10 मार्च, 1985 को इम्फाल जिले में ऊचायेल स्थित मणिपुर रायफल्स की पांचवीं बटालियन के अन्दर कैम्प में स्थित सीमा सड़क कार्य दल के शास्त्रागार पर छापा मारा था और काफी मात्रा में विस्फोटक पदार्थों, फ्यूज की तारों और जिलेटिन उठा ले गये थे;

(ग) क्या मणिपुर में मिजो विद्रोहियों द्वारा विस्फोटक पदार्थों की इस साहसिक और भारी लूट का कोई सुराग मिला है; और

(घ) इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिये क्या प्रभावकारी कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) 9 मार्च 1985 की सुबह को सीमा सड़क कार्य बल अधिकारियों को पता चला कि ऊचायेल, जिरीबाम (इम्फाल जिला) में पांचवीं मणिपुर राइफल शिविर के परिसर के अन्दर स्थित उनके विस्फोटक पदार्थों के गोदाम से 10,000 डिटोनेटर्स, 25 किलो ग्राम जिलेटिन और 250 मीटर फ्यूज तार लापता है और उन्होंने चोरी के बारे में पुलिस को सूचित किया। अब तक की गई जांच पड़ताल से मिजो नेशनल फ्रंट का अन्तर्ग्रस्त होना सिद्ध नहीं हुआ है।

(घ) सीमा सड़क संगठन द्वारा कोर्ट आफ इन्क्वायरी के आदेश दिए गए हैं।

तीन एयरलाइनों के अध्यक्ष की कार्यकारी शक्तियां

1274. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों एयरलाइनों (एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत) के एक ही अध्यक्ष के पास कोई कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बोर्डों का पुनर्गठन कर दिया गया है और यदि हां, तो उनके सदस्यों का ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उनका गठन कब तक कर दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) तीन एयरलाइनों के एक ही अंशकालिक अध्यक्ष को विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं। वे निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उनसे इन एयरलाइनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का सामान्य मार्गदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है।

(ग) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडलों का दिनांक 23-7-1984 से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया है। इन दोनों मंडलों का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडलों का गठन

एयर इंडिया		इंडियन एयरलाइन्स	
1. अंशकालिक अध्यक्ष, अध्यक्ष एयर इंडिया		1. अंशकालिक अध्यक्ष, अध्यक्ष इंडियन एयरलाइन्स	
2. वायुसेना अध्यक्ष—निदेशक		2. वायुसेना अध्यक्ष—निदेशक	
3. सचिव, नागर विमानन	"	3. सचिव, नागर विमानन	"
4. विदेश सचिव	"	4. सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय	"
5. सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय	"	5. आर्थिक कार्य विभाग का प्रतिनिधि	"
6. अपर सचिव (बैंकिंग) वित्त मंत्रालय	"	6. महानिदेशक (पर्यटन)	"
7. महा निदेशक (पर्यटन)	"	7. प्रबंध निदेशक एयर इंडिया	"
8. प्रबंध निदेशक एयर इंडिया	"	8. प्रबंध निदेशक इंडियन एयर लाइन्स	"
9. अध्यक्ष, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानन पतन प्राधिकरण	"	9. अध्यक्ष, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानन पतन प्राधिकरण	"

10. अंशकालिक अध्यक्ष इंडियन एयरलाइन्स	"	10. अंशकालिक अध्यक्ष एयर इंडिया	"
11. प्रबंध निदेशक इंडियन एयरलाइन्स	"	11. श्रीमती किश्वर खबीर खां	गैर-सरकारी निदेशक
12. श्री जे० आर० डी० टाटा गैर-सरकारी निदेशक			
13. श्री जेन जी० रंगूनवाला	"		

दक्षिणी समुद्री जल में अशांति की स्थिति

1275. **श्री एन० डेनिस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हमारे दक्षिणी समुद्री जल में मौजूदा गड़बड़ी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तटरक्षी दल की गतिविधियों को तेज करने हेतु क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत के अपने समुद्री क्षेत्र के अन्दर अपने मछेरों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने पाक जल डमरूमध्य में अपने तट रक्षक बढ़ा दिए हैं और नौसैनिक उपस्थिति में वृद्धि कर दी है तथा इस क्षेत्र में नियमित गश्त की व्यवस्था की है । पिछले महीने से अतिरिक्त वायु निगरानी भी शुरू कर दी गई है ।

जातीय समस्याओं के राजनीतिक हल के विरुद्ध श्रीलंका के प्रधान मन्त्री का वक्तव्य

1276. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रीलंका के प्रधानमंत्री द्वारा राज्य द्वारा संचालित दूरदर्शन प्रसारण में दिनांक 22, 23 फरवरी, 1985 को दिए गए साक्षात्कार में इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में तमिल जातीय समस्याओं के राजनीतिक हल का आह्वान अत्यधिक अनुचित है और इन परिस्थितियों में व्यवहार्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 22 फरवरी को सिंगापुर के दूरदर्शन पर श्रीलंका के प्रधान मन्त्री के साक्षात्कार के बारे में कुछ अखबारों में छपी खबरें सरकार ने देखी हैं ।

(ख) भारत सरकार अब भी यही मानती है कि श्रीलंका की जातीय समस्या एक ऐसी शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए ही सुलझाई जा सकती है जो सभी सम्बद्ध पक्षों को स्वीकार्य हो ।

इस्कान द्वारा आयोजित की गई पदयात्रा

1277. **श्री रेणुपद दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस्कॉन ने 2 सितम्बर, 1984 से गुजरात में द्वारका से लेकर पश्चिम बंगाल में मायापुर तक दस राज्यों की 4000 कि. मी. की पदयात्रा आयोजित की है;

(ख) इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का भारत में इतने बड़े पैमाने पर पदयात्रायें आयोजित करने का क्या उद्देश्य है;

(ग) इसे धन कहां से प्राप्त होता है;

(घ) क्या कोई अन्य धार्मिक संस्था, संस्थान या ग्रुप अथवा व्यक्ति इस्कॉन के इस कार्य से किसी प्रकार से सम्बद्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सम्बद्ध व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस्कॉन ने चैतन्य महाप्रभु की 500 वीं वर्षगांठ मनाने और आम जनता में कृष्ण चेतना के प्रचार के लिए पदयात्रा आयोजित की थी ।

(ग) रिपोर्ट के अनुसार इसके धन प्राप्त करने के स्रोत इस प्रकार हैं :—इस्कॉन के आजीवन सदस्यों से प्राप्त की जाने वाली फीस, "हरे कृष्ण" साहित्य को बेच कर प्राप्त आय, निजी व्यक्तियों और संगठनों से प्राप्त दान । इसे लॉस एंजेल्स (अमेरिका) मुख्यालय से भी पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होता है ।

(घ) और (ङ) रिपोर्टों के अनुसार इस्कॉन के पदयात्रा के आयोजन के कार्य से कोई अन्य धार्मिक, समितियां, संस्थान या ग्रुप या व्यक्ति सम्बद्ध नहीं हैं ।

श्रीलंका की जाति समस्या का समाधान

1278. **श्री जी० जी० स्वैल :**

श्री अमल दत्त :

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने नई दिल्ली में अपने उच्चायुक्त के माध्यम से श्रीलंका में तमिलों के प्रश्न को हल करने के लिए नए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है और क्या इन्हें पिछली स्थिति से एक कदम आगे पाया है; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकार का विचार सर्वमान्य समझौते के लिए अब एक नई पहल करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वरदाराज स्वामी गुडी सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश

1279. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आत्मकुर तालुकस आंध्र प्रदेश में जंगल साफ करने के लिए वरदाराज स्वामी सिंचाई परियोजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां,, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना बहुत दिनों से विचाराधीन है ।

(घ) क्या वन भूमि की सफाई केवल 20 हेक्टेयर तक सीमित रखी जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परियोजना को शीघ्र ही मंजूरी देगी क्योंकि आंध्र-प्रदेश सरकार पहले ही उस पर लगभग 30 लाख रुपये खर्च कर चुकी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) करनूल जिले में वरदाराजस्वामी गुडी सिंचाई परियोजना के लिए 260 हेक्टेयर वन क्षेत्र निर्मुक्त करने के सम्बन्ध में फरवरी, 1981 में आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया पर उसे मंजूर नहीं किया गया । राज्य सरकार ने अगस्त, 1982 में एक संशोधित प्रस्ताव भेजा था जिसमें वन भूमि की आवश्यकता को घटाकर 200 हेक्टेयर कर दिया गया था । इस संशोधित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत गठित सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया और यह आवश्यक पाया गया कि इस परियोजना को पहले केन्द्रीय पर्यावरण विभाग से पर्यावरण की दृष्टि से मंजूर कराया जाए । पर्यावरण विभाग ने इस प्रयोजन के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया । विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण विभाग ने जनवरी, 1983 में यह सिफारिश की कि वन्य प्राणि वास आरक्षण के महत्व पर विचार करते हुए प्रस्तावित स्थान पर सिंचाई परियोजना शुरू नहीं की जानी चाहिए । जलमग्न क्षेत्र नागार्जुनसागर श्री सेलम वन्य प्राणि आश्रमस्थल का एक भाग है । इसे भी बाघ आरक्षण में संस्थापित किया गया है ।

इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पहले एक अन्तर-विभागीय दल जिसमें कृषि मंत्रालय के निदेशक (बाघ परियोजना) तथा आंध्र प्रदेश के वनपाल (वन्य प्राणि) के प्रतिनिधि शामिल हैं, क्षेत्र के स्थान का निरीक्षण करने तथा इसकी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया है । दल ने बांध की ऊंचाई कम करने तथा कुछ रक्षकों के अनुसार सिर्फ 160 हेक्टेयर वन भूमि निर्मुक्त करने की सिफारिश की है । इसमें एक गांव को आश्रय-स्थल क्षेत्र से बाहर के स्थान पर ले जाना शामिल है । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे गांव को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कार्यवाही शुरू करें । राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि बांध की ऊंचाई कम करने सम्बन्धी बाधाओं की तत्काल जांच करें और इसकी सूचना दें । राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित जानकारी प्राप्त होते ही इस मामले में निर्णय लिया जाएगा ।

केन्द्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में दिहाड़ी पर काम करने वाले लिपिकों को नियमित करना

1280. **श्री गदाधर साहा :**

श्री अजीत कुमार साहा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में दिहाड़ी पर काम करने वाले लिपिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों सहित जिनकी आयु निर्धारित सीमा से अधिक हो गई है उन कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है जिन्होंने नियमित रोजगार में स्थाई होने की शर्तें पूरी कर ली हैं; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या कार्यविधि अपनाई जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विदेश मन्त्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के अन्तर्गत भारत के विभिन्न भागों में स्थित 19 पासपोर्ट कार्यालयों में 307 अवर श्रेणी लिपिक रोजनदारी के हिसाब पर काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे कर्मचारियों को (जिनमें वे लिपिक भी शामिल हैं जिनकी आयु उनकी नियुक्ति के समय अधिक थी अथवा जो उसके बाद निर्धारित आयु से अधिक आयु के हो गए हैं) नियमित किया जाए जो विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जिसमें टाइपराइटिंग परीक्षा शामिल है) पास कर लें। इस परीक्षा की तारीख 24 मार्च 1985 निश्चित की गई है जो पांच केन्द्रों यानी दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, मद्रास और कोचीन में आयोजित की जाएगी। यह अवर श्रेणी लिपिकों की नियमित रिक्तियों पर भी निर्भर करेगी। उन दिहाड़ी लिपिकों की सेवायें तदनुसार समाप्त करनी पड़ेंगी जो उक्त परीक्षा तथा टाइपराइटिंग परीक्षा पास नहीं कर पायेंगे।

विदेशी भारतीय पत्रकारों को निःशुल्क टिकट

1281. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया द्वारा विदेशी भारतीय पत्रकारों और उनके परिवारों को निःशुल्क टिकट जारी किए जाने की कोई योजना है अथवा कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ख) क्या कुछ भारतीय राष्ट्रीय समाचार पत्रों के लंदन स्थित कम से कम तीन सम्वादाताओं के साथ उन्हें और उनके परिवार वालों को निःशुल्क टिकट जारी करने के मामले में किए गए भेदभावों के सम्बन्ध में भारत में एयर इण्डिया के प्रबन्धकों को लिखित शिकायत दी गई है जैसा कि "बिजनैस स्टैंडर्ड" कलकत्ता के 11 फरवरी, 1985 के अंक में समाचार प्रकाशित हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच की गई है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एयरलाइन तथा समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के बीच हस्ताक्षरित संविदा के अनुसार ऐसे समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए विज्ञापनों के बदले में, किसी एयरलाइन द्वारा विदेशी/भारतीय पत्रकारों को निःशुल्क टिकटें दी जा सकती हैं। एयर इण्डिया और किसी पत्रकार के बीच हस्ताक्षरित इसी प्रकार के संविदा के अन्तर्गत भी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों के बदले में निःशुल्क टिकट दिए जा सकते हैं। इन मामलों में निगम को निःशुल्क टिकटों के बदले विज्ञापन तथा प्रचार का लाभ मिलता है। कुछ मामलों में पत्रकारों को आकस्मिक ऋण की सुविधा दी जिससे कि वे भारतीय राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की ऐसी घटनाओं का विवरण

देते समय उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए और ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में विदेशी समाचार पत्रों में प्रतिकूल प्रचार का प्रतिरोध करने के लिए भारत भ्रमण कर सकें।

(ख) जी, हां।

(ग) एयर इण्डिया द्वारा यह आवश्यक समझा गया था कि भारत में दशाओं के बारे में विदेशी समाचार पत्रों में प्रतिकूल प्रचार को, जिसके कारण विदेशी व्यक्ति भारत आने के लिए अनुत्साहित होते हैं, भारत को यातायात में संवर्द्धन के लिए किसका मुकाबला किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कुछ पत्रकारों को आकस्मिक ऋणों पर टिकटें जारी की गई थीं जिससे कि उनके भारत से अपने देश में लौटने पर विदेशी समाचार पत्रों में भारत में दशाओं के बारे में उनके द्वारा विवरण उचित परिप्रेक्ष्य में दिया जाएगा। ये तथ्य स्पष्ट होने के कारण एयर इंडिया ने कोई जांच करना आवश्यक नहीं समझा।

वन्य जीवन का संरक्षण

1282. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीवन की बहुत सी दुर्लभ जातियों का भारत में समाप्त होने का भय पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रभावकारी संरक्षण उपाय कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) भारत में वन्य जीवन की बहुत-सी अभिज्ञात प्रजातियों में कुछ दुर्लभ हैं और कुछ खतरे में पड़ी हैं : अभिज्ञात प्रजातियों में से कोई भी समाप्त नहीं हो रही है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पंजाब समस्या के सम्बन्ध में अकाली नेताओं से बातचीत

1283. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब समस्या के बारे में अकाली नेताओं के साथ पुनः बातचीत आरम्भ करने का है;

(ख) क्या समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने कोई सिफारिश की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार शेष अकाली नेताओं को, जो इस समय जेल में हैं, रिहा करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) देश की एकता और अखण्डता को कायम रखने को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बातचीत द्वारा समझौते के लिए हमेशा द्वार खुले हुए हैं।

(ख) इस समय मंत्री मण्डलीय कमेटी मामले के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है और उसका पंजाब में कुछ स्थानों पर जाने का भी विचार है।

(ग) जो अकाली नेता इस समय जेलों में हैं, उनके मामलों की उचित समय पर समीक्षा की जाएगी।

योजना आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को मंजूरी

1284. **श्री संफुद्दीन चौधरी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्र में कितनी बड़ी औद्योगिक और विकासात्मक परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी;

(ख) उनके पूरा होने का निर्धारित समय क्या था;

(ग) उनमें से कितनी परियोजनायें अपने निर्धारित समय पर पूरी की गई;

(घ) कितनी परियोजनायें अभी अधूरी पड़ी हैं; और

(ङ) उनके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन): (क) से (ङ) इस बारे में किसी संकेत के अभाव में कि क्या केन्द्र अथवा राज्यों की परियोजनायें अथवा दोनों ही की परियोजनायें शामिल हैं और संदर्भित परियोजनाओं के लागत आकार (कट आफ साइज) के सम्बन्ध में भी कोई संकेत न दिए जाने की वजह से इस प्रश्न के बारे में सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा ।

परेमाणु प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता

1285. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधुनिक और अग्रणी परमांणु प्रौद्योगिकी और परमाणु ईंधन के स्वदेशी निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) उक्त मामले में क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सरकार ने भारत में बनाए गए परमाणु विद्युत रिऐक्टरों में स्वदेशी सामग्री का अंश क्रमशः बढ़ाया है। भारत न्यूक्लियर ईंधन सम्बन्धी अपनी आवश्यकता को भी स्वदेशी आधार पर पूरा करने की स्थिति में है । परिणामस्वरूप भारत अब विश्व के उन इने-गिने देशों में से एक है जो न्यूक्लियर रिएक्टरों के डिजायन बनाने, उनका निर्माण करने तथा उन्हें चलाने के कामों को बाह्य निवेशों का सहारा लिए बिना स्वदेशी आधार पर कर सकते हैं ।

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी

1286. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में राजनन्द गांव जिले में छिरपानी कादरघा में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य उनके मन्त्रालय द्वारा इस मामले में मंजूरी न दिए जाने के कारण रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) विद्युत, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभागों से सम्बन्धित राजनन्द गांव जिले के कितने मामले उनके मन्त्रालय में लम्बित पड़े हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण विभाग को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। इसके प्राप्त होते ही इस पर विचार किया जायेगा।

(ग) पर्यावरण विभाग के पास राजनन्द गांव जिले के लिए अन्य कोई परियोजना लम्बित नहीं है।

लंदन में एयर इंडिया के दौरा करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों का यात्रा भत्ता बिल

1287. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के चेयरमैन को लंदन में रहने वाले एक अनिवासी भारतीय से लंदन में एयर इंडिया के दौरा करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के सम्बन्ध में यात्रा भत्ता बिलों के बारे में 19 नवम्बर, 1984 को कथित कोई शिकायत व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में 11 फरवरी, 1985 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" (कलकत्ता) में प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच की है और उसका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) श्री बलवन्त सिंह ने, जो एसोशिएटेड जर्नल्स (यूरोप) के विशेष संवाददाता कहे जाते हैं, एयर इंडिया के अध्यक्ष को संबोधित दिनांक 19-11-1984 के पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया था कि किराये पर लिए गए वाहन के किराये पर 490 पाउंड की राशि का भुगतान एयर इंडिया द्वारा किया गया था और इस राशि को एक झूठे शीर्ष के अधीन दिखाया गया था। इस राशि का भुगतान यात्रा करने वाले एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए था।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) एयर इंडिया के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र की फोटोप्रति संलग्न करते हुए, उसी संवाददाता का दिनांक 10-1-1985 का एक पत्र केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त हुआ है। इस मामले का सत्यापन किया जा रहा है।

परमाणु विद्युत संयंत्रों के खतरे

1288. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और दो अन्य वैज्ञानिकों द्वारा यह दावा किया गया है कि परमाणु उर्जा संयंत्रों से किसी खतरे की सम्भावना नहीं है अथवा कम से कम खतरे की संभावना है और यदि हां, तो केवल परमाणु ऊर्जा के लिए अलग बोर्ड की स्थापना के क्या कारण हैं (न्यूज टाइम 4-2-85);

(ख) क्या सरकार को अमरीका में कुछ वर्ष पहले हुई 7-माइल परमाणु विद्युत की विख्यात दुर्घटना की जानकारी है और क्या भारत द्वारा इस बात का कोई विश्लेषण किया गया है कि ये खतरे निराधार थे; और

(ग) क्या भारत में परमाणु विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता और खतरों की वास्तविकता का पता लगाया गया है और लोगों को इसके बारे में अवगत कराया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्यमंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विश्व के विभिन्न भागों में लगे परमाणु बिजलीघर 3100 रिएक्टर-वर्षों से भी अधिक समय तक काम कर चुके हैं और उन प्रचालन से यह बात सामने आई है कि परमाणु बिजली मूलतः साफ, विश्वसनीय और सुरक्षित है। नियंत्रण संबंधी उपायों का अनुपालन सख्ती से करने पर ही यह संभव हो सका है। चूंकि हमारे परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम का विस्तार तेजी से हो रहा है, इसीलिए प्रगति के इस अच्छे स्तर को बनाए रखने के लिए सन् 1983 में एक स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड सुरक्षा संबंधी मानक निर्धारित करने और नियम तथा विनियम बनाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूक्लियर ऊर्जा संबंधी सुविधाओं के डिजायन तैयार करने, उन सुविधाओं का निर्माण करने तथा उन्हें चलाने के दौरान सुरक्षा संबंधी कोडों और मानकों का अनुपालन किया जा रहा है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के अन्तर्गत बताए गए नियामक और सुरक्षा संबंधी कार्य करता है। न्यूक्लियर विद्युत बोर्ड का गठन देश में परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम में परमाणु बिजलीघरों के डिजायन तैयार करना, उनके इंजीनियरिंग संबंधी पक्षों पर काम करना तथा उनका निर्माण और प्रचालन करना शामिल हैं।

(ख) उल्लेखनीय है कि थ्री-माइल द्वीप में हुई दुर्घटना के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। थ्री-माइल द्वीप में हुई दुर्घटना के बारे में अमरीका के संबंधित अधिकारियों की रिपोर्टें मिल गई हैं और भारतीय अधिकारियों ने उन रिपोर्टों का अध्ययन किया है। इसके अलावा, थ्री-माइल द्वीप की घटना के फौरन बाद परमाणु ऊर्जा विभाग ने उस घटना से समुचित सबक लेने के लिए एक समिति गठित की थी। उस सबक का उपयोग भारत के परमाणु बिजलीघरों के अभिकल्पन, संनिर्माण और प्रचालन के कामों में किया गया है।

(ग) न्यूक्लियर ऊर्जा सम्बन्धी सुरक्षा के बारे में किए जाने वाले खुले विचार-विमर्श में परमाणु ऊर्जा विभाग भी शामिल होता है और जनता को संगत सूचना उपलब्ध कराता रहता है।

सेंटॉर होटल में घोटाला

1289. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 15 जनवरी और 16 फरवरी, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स", नई दिल्ली में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें सेंटॉर होटल, नई दिल्ली में कथित वित्तीय घोटाले, सामग्री के दुरुपयोग, विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग और अन्य अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने मामले की जांच कराई है और उनमें इंगित विभिन्न अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की है और उसके क्या परिणाम रहे हैं तथा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसी स्तर पर बम्बई और दिल्ली में सेंटॉर होटल को उनके मंत्रालय में सरकारी क्षेत्र के एक अन्य उपक्रम, भारत पर्यटन विकास निगम के नियंत्रणाधीन लाने के प्रस्ताव पर विचार किया था ताकि इसके बेहतर कार्यकरण को सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रकार उसके ऊपरी खर्चों में कमी की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में उल्लिखित आरोपों की जांच की गई थी और यह पाया गया कि इनमें कोई सच्चाई नहीं थी।

(ग) और (घ) जी, हां। इस प्रश्न पर विचार किया गया था तथा सभी संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय होटल निगम लिमिटेड तथा भारत पर्यटन विकास निगम को अलग-अलग बनाए रखने का निर्णय किया गया था।

पाकिस्तान के बम बनाने के प्रयास

1290. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अमरीका ने अपने विचार व्यक्त किये हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने के अपने प्रयास नहीं छोड़े हैं और दक्षिण एशियायी देशों की कोई भी आणविक गतिविधि उत्पादक विरोधी होगी;

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिण एशियायी मामलों के विशेषज्ञ, मि. रिचर्ड पी० क्रोनिन ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये थे;

(ग) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि अमरीका की सरकार ने पाकिस्तान से परमाणु बम न बनाने और इसके स्थान पर अपनी सुरक्षा के लिए वाशिंगटन पर निर्भर करने को कहा था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके विचारों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अमरीका कांग्रेस के समक्ष 28-2-1985 को अमरीकी प्रशासन के एक प्रतिनिधि ने यह कहा था कि पाकिस्तान को अमरीकी सुरक्षा सहायता इसलिए दी जा रही है ताकि पाकिस्तान का अपनी सुरक्षा में विश्वास मजबूत बने और उसके द्वारा पाकिस्तानी नेताओं को यह निश्चय हो जाए कि नाभिकीय विकल्प न तो आवश्यक है और न ही पाकिस्तान के व्यापक हित में यह भी कहा गया था कि अमरीकी प्रशासन ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया है कि नाभिकीय क्षेत्र में प्रतिबन्ध न लगाने से अमरीका के आर्थिक और सैनिक सहायता कार्यक्रम को जो 1981 में शुरू किया गया था, जारी रखने पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख), (ग) और (घ) अमरीका कांग्रेस अनुसन्धान सेवा के दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ श्री रिचर्ड पी० क्रोनिन ने 24 जनवरी से 14 फरवरी, 1985 तक भारत की यात्रा की। भारत में समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार डॉ० क्रोनिन ने यह विचार व्यक्त किया कि पाकि-

स्तान ने बम बनाने के अपने प्रयास नहीं छोड़े हैं और यह भी कि दक्षिण एशिया के इस देश में अगर कोई नाभिकीय गतिविधि होती है तो दूसरे देश भी ऐसा ही करेंगे। समाचारपत्रों की इन रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि डॉ० क्रोनिन ने कहा था कि अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान से यह कहा है कि वह बम न बनाये और और यह कि अपनी सुरक्षा के लिए वह वाशिंगटन पर निर्भर करे।

राज्यों में परिवहन का विकास

1291. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में क्षेत्रीय असंतुलन राज्यों में परिवहन सुविधाओं के असमान विकास के लिए उत्तरदायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों को परिवहन के विकास के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की गई थीं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) परिवहन क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित 2 कार्यक्रम हैं जिनके अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है ये स्कीमें हैं :— (1) अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों/पुलों का विकास और (2) अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास। अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कों/पुलो के निर्माण कार्यों के लिए मूल लागत की शत-प्रतिशत सीमा तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। आर्थिक महत्व की अन्तर्राज्यीय सड़कों के लिए राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत दिया जाता है। अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए संबंधित राज्यों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुनी हुई स्कीमों के लिए लागत का 50 प्रतिशत दिया जाता है।

सड़क परिवहन निगम अधिनियम के अधीन केन्द्र भी राज्य सड़क परिवहन निगम की पूंजी में अंशदान देता है। इस समय, यह अंशदान संबंधित राज्य सरकार के अंशदान का 50 प्रतिशत है।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत (1) सड़कों तथा पुलों (2) अन्तर्देशीय जल परिवहन और (3) पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य सड़क परिवहन निगमों को पूंजी अंशदान, केन्द्रीय परिव्यय/व्यय संलग्न विवरण में दिया गया गया है। परन्तु अधिकांशतः परिवहन के विकास के लिए निवेश, राज्यों की योजनाओं से होता है।

विवरण

परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत—केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम राज्यों को दी गई योजना-वार केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रु०)

	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	वार्षिक योजनाएं	चौथी योजना	पांचवीं योजना	वार्षिक योजना	छठी योजना
			1966-69				1979-80	योजना परिव्यय
1. अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कें/पुल	4.03	18.95	18.22	7.87	11.85	23.45	4.00	40.5
2. अन्तर्देशीय जल परिवहन	शून्य	शून्य	1.26	0.87	3.04	4.97	0.86	3.83
3. सड़क परिवहन निगम, एक्ट 1950 के अन्तर्गत राज्य सड़क परिवहन निगमों को समान केन्द्रीय पूंजी अंशदान		14.98	7.65	4.71	8.8	69.59		164.96

12.01 म०प०

[अनुवाद]

डा० कृपासिंधु भोई (सम्भलपुर) : महोदय मैंने कम से कम आठ ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं। पहली है अकाली आंदोलन के बारे में, दूसरी है लोकसभा तथा विधान सभा चुनावों में हुई भारी भूलों के बारे में, तीसरी श्रीलंका में तमिल लोगों को सताए जाने के बारे में,...

उपाध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, आप मेरे कक्ष में आकर क्यों नहीं चर्चा कर लेते ?

डा० कृपासिंधु भोई : महोदय, इसके बाद पाकिस्तान द्वारा हथियारों का जमा करना। परन्तु कुछ भी मंजूर नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा... मैं इन्हें कार्य मंत्रणा समिति को भेजूंगा और आपको स्थिति से अवगत करायेंगे। ...(**व्यवधान**) कृपया मेरे कक्ष में आईये। मैं आपको बताऊंगा।

श्री सोमनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : मैंने एक सूचना दी थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 30 से 40 फिल्मों को अमरीका तथा फ्रांस में दिखाने के लिए चुना था। इनमें एक भी फिल्म दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में बनी फिल्मों में से एक भी नहीं है। यह दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के साथ खुला भेदभाव है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप कोई सूचना दें तो मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमारे देश के विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों द्वारा कड़ा विरोध करने पर भी भारत सरकार ने अमरीका की फर्म हेम्लॉक से पोलिसिलिकोन प्रौद्योगिकी खरीदने का निश्चय कर लिया है। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। इससे देशी प्रौद्योगिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा और आपको जानकारी दे दूंगा। मैं सदस्यों के अनुरोध को ध्यान में रखूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : आचार्य जी ने इसका उल्लेख किया। मैंने भी एक सूचना दी थी और अध्यक्ष महोदय से पूछा था और अध्यक्ष महोदय ने सदन में मुझे आश्वासन दिया कि वे इसकी जांच करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिंदूपुर) : मैंने रायलसीमा में सूखे की स्थिति के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी जहां पर लोग पानी की कमी आदि से मर रहे हैं। मैंने सोमवार को सूचना दी थी। अभी तक इसे नहीं लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके निवेदन पर विचार करूंगा।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा) : इस सत्र के प्रारम्भ होने के समय से ही हम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत—तमिल शरणार्थियों की स्थिति तथा श्रीलंका में तमिल व्यक्तियों आदि पर अनेक सूचनाएं दी हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस बात पर मुझसे सहमत होंगे कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है...

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीलंका के विषय में मैंने आपको कल बताया था कि सरकार क्या कार्यवाही कर रही है···

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : यह बहुत ही नाजुक विषय है । मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप अपने विवेक के अनुसार इस पर चर्चा करवायें या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अवश्य देखूंगा ।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : अब ज्यादा इन्तजार नहीं किया जा सकता । यह मेरा मुद्दा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री थी०एस० कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : बंगलौर तथा पश्चिम बंगाल में फिल्मस डिविजन के बंद होने का मामला श्री इन्द्रजीत गुप्त ने हाल ही में उठाया था, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वह वक्तव्य देंगे···

उपाध्यक्ष महोदय : आप सूचना दीजिए । मैं देखूंगा ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : आपको मालूम है कि हमने अहमदाबाद दंगों के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था परन्तु अध्यक्ष ने उसे गृहीत नहीं किया । परन्तु उसी समय प्रधान मन्त्री जी ने अहमदाबाद का दौरा किया था और हमें इस बात की खुशी है । हम नियम 193 के तहत अहमदाबाद दंगों पर चर्चा करवाना चाहते हैं और वह भी जल्दी से जल्दी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : अहमदाबाद घटना के बारे में मैं पहले ही सूचना दे चुका हूं । हमने मांग की है कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होनी चाहिए । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी कभी-कभी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप स्थगन प्रस्ताव की सूचना दीजिये, आपको स्वीकृति मिल जाएगी ।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : प्रश्न काल में भी हमने हाथ उठाया था परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया । श्रीलंका का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है । जैसा मेरे मित्र श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ने कहा है कि दुर्भाग्यवश इसे दूसरे मामलों में मिलाया जा रहा है । यह बहुत ही गम्भीर बात है । यह संकट की स्थिति में है । इस विषय पर कल चर्चा होनी चाहिए अन्यथा बात हमारे हाथ से निकल जाएगी और संसद द्वारा इस पर चर्चा करवाने में बहुत देर हो जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रंगाराजन, मैं पहले ही सदन को आश्वस्त कर चुका हूं कि हम इस पर जल्दी से जल्दी विचार करेंगे ।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इसे तुरन्त चाहते हैं । हम इसे अगले महीने नहीं करवाना चाहते ।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, नीलांचल एक्सप्रेस से सवारी कर रहे यात्री कल यहां पहुंचे और उन्होंने सूचना दी है कि टाटानगर के निकट नीलांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। माननीय रेल मंत्री जी इस बारे में वक्तव्य दें और लोगों के हताहत होने की संख्या के बारे में सदन को सूचित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सूचना दीजिए, मैं उस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी इजाजत के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा। मैं आपके निवेदन पर विचार करूंगा।

12.07 म०प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

वायु निगम संशोधन नियम, 1984

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, वायु निगम (संशोधन) नियम, 1984, जो 4 अगस्त 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या का० आ० 2542 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 593/85]

केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखे

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 594/85]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचनाएं तथा सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधरा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1985, जो 19 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 37(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1985, जो 19 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 38(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1985, जो 19 जनवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 39(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सा०का०नि० 144(अ) जो 8 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 26 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 102(अ) का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 595/85]

(2) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद, के वर्ष 1983-84 संबंधी *वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 596/85]

विशेष आयोजक समिति, नवम् एशियाई खेल, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा और विविध पत्रों को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) विशेष आयोजक समिति, नवम् एशियाई खेल, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) विशेष आयोजक समिति, नवम् एशियाई खेल, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 597/85]

*वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे 25 जनवरी, 1985 को सभा-पटल पर रखे गये थे।

आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन अधिसूचना

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आयुध (संशोधन) नियम, 1985, जो 18 मार्च 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 283(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा०का०नि 673(अ), जो 19 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आयुध नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 598/85]

12.08 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही तत्वों की कथित हिंसक गतिविधियों तथा सशस्त्र जनजातीय छापामारों द्वारा गैर-जनजातीय ग्रामीणों पर आक्रमण से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि सदन अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेगा।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : महोदय, उनका व्यवस्था का प्रश्न इस कार्यसूची में उल्लिखित मद अर्थात् ध्यानाकर्षण से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री अजय बिश्वास : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की भाषा से सम्बन्धित है। मैं आपका ध्यान प्रस्ताव की तीसरी पंक्ति की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि "सशस्त्र जनजातीय छापामारों द्वारा गैर जनजातीय ग्रामीणों पर आक्रमण" अब यह उचित नहीं है। इसमें सांप्रदायिकता झलकती है।

श्री सोमनाथ रथ (आसंका) : महोदय, क्या यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री अजय बिश्वास : महोदय, मुझे दो मिनट दें और बात पूरी करने दें। पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति गंभीर है···।

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, मैं दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर, व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। क्या व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर वह कोई वक्तव्य दे सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी बयान को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए जाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ रथ : व्यवस्था का प्रश्न केवल तभी उठाया जा सकता है जबकि किसी नियम का उल्लंघन किया गया हो।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप माननीय सदस्य से पूछेंगे कि किस नियम का उल्लंघन हुआ है।

श्री अजय बिश्वास : मैं पहले ही अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा चुका हूं।

(व्यवधान)

उस क्षेत्र में उग्रवादी साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों पर बहस करा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने नोटिस दिया है। मैं मजबूर हूं।

अब श्री धर्मपाल सिंह मलिक। दूसरे सभी सदस्य कृपया बैठ जाएं। कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

श्री अजय बिश्वास : विनिर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ आप कहना चाहते थे वह आपने हमें बता दिया है। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे तो वह इसका भी उत्तर देंगे। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : मुख्य प्रश्न सशस्त्र जनजातीय गुरिल्लाओं से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे रद्द कर चुका हूं। अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अमर राय प्रधान : यह विषय हमारे राष्ट्रीय हित के बीच में नहीं आना चाहिए। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं। मैं मंत्री महोदय से भी प्रार्थना करता हूं। कृपया इसे बदल दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

अब केवल श्री धर्मपाल सिंह मलिक। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : महोदय, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :—

"पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही तत्वों की कथित हिंसक गतिविधियों तथा सशस्त्र जनजातीय छापामारों द्वारा गैर-जनजातीय ग्रामीणों पर आक्रमण से उत्पन्न स्थिति तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : महोदय, मणिपुर और त्रिपुरा में कुछेक हिंसक घटनाओं को छोड़कर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थिति सामान्यत: नियंत्रण में है । हाल के महीनों में त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स (टी० एन० वी०) की हिंसक गतिविधियों में कुछ वृद्धि हुई है। नेशनल सोसलिस्ट काऊंसिल आफ नागालैण्ड (एन० एस० सी० एन०) एक अन्य हिंसक दल है जो इस वर्ष के दौरान मणिपुर और नागालैण्ड में हिंसक वारदातों में अन्तर्ग्रस्त रहा । उत्तर पूर्वी क्षेत्र के शेष राज्यों अर्थात् असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, में स्थिति शांतिपूर्ण है ।

त्रिपुरा में चालू वर्ष में टी० एन० वी० ने 19 वारदातों में 34 व्यक्तियों की हत्या की है जब तक 1984 के दौरान 72 वारदातों में 64 व्यक्ति मारे गए थे । क्योंकि टी० एन० वी० के आक्रमण मुख्यत: गैर-आदिवासियों पर होते हैं जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में 18 गैर-आदिवासियों की मृत्यु हुई इसलिए हमने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की सलाह दी है कि लोगों के भिन्न-भिन्न वर्गों में सौहार्द कायम रहे । इस वर्ष के आरम्भ में अर्थात 8 जनवरी को टी० एन० वी० ने उत्तरी त्रिपुरा में 6 गैर आदिवासी श्रमिकों की हत्या की । 19/20 मार्च, 1985 को हुई एक अन्य बड़ी वारदात में थाना कमालपुर, उत्तरी त्रिपुरा के अन्तर्गत गांव छेत्रई के 7 गैर-आदिवासी मछली पकड़ने के लिए गए थे । वे 20 मार्च तक वापस नहीं लौटे और उनके गुम हो जाने की सूचना दी गई । पुलिस द्वारा खोज किए जाने के बाद 20 मार्च को चार शवों का पता लगा और तीन और शव पुलिस द्वारा 21 मार्च की सुबह थाना कमालपुर, उत्तरी त्रिपुरा के अन्तर्गत सकराईल के निकट एक जंगल से बरामद किए गए । संदेह है कि इन सात व्यक्तियों की टी० एन० वी० के उग्रवादियों के द्वारा हत्या की गई है । इस वर्ष मणिपुर में दो हिंसक वारदातों के लिए एन० एस० सी० एन० के उग्रवादी उत्तरदायी हैं । 18 फरवरी को हुई एक मुख्य वारदात में उखरूल जिले में घात लगाकर सुरक्षा बल के 13 कार्मिकों और ग्रामीण स्वयंसेवी बल के एक सर्किल आफिसर की हत्या की गई थी । किन्तु नागालैण्ड में चालू वर्ष में हिंसा की केवल दो वारदात हुई । 22/23 फरवरी, 1985 को दीमापुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक गांव में एन० एस० सी० एन० के भूमिगत लोगों के छिपने के एक स्थान पर छापा मारने के बाद एन० एस० सी० एन० भूमिगत लोगों द्वारा पुलिस दल पर गोली चलाई गई और इसके परिणामस्वरूप आपस में हुई गोलीबारी में एन० एस० सी० एन० के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता अपने को लेफ्टीनेंट कर्नल कहने वाले इहोशे सेमा सहित एन० एस० सी० एन० के तीन उग्रवादी भी मारे गए । किन्तु इस मुठभेड़ में नागालैण्ड पुलिस का एक हवलदार मारा गया । नागालैण्ड पुलिस ने छिपने के स्थान से 4 कारबाइन और पिस्तौलों के 230 से अधिक खाली खोल तथा कारबाईन राऊंड बरामद किए । इसके अतिरिक्त कुछ दस्ता-

वेज बरामद हुए जिनसे अन्य बातों के साथ यह मालूम हुआ कि एन. एस. सी. एन. का तीन बैंकों की लूटपाट में हाथ था जो नागालैण्ड में सितम्बर, 1984 के बाद की गई थी।

सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थिति का निकट से प्रबोधन कर रही है। त्रिपुरा में हाल में अर्ध सैनिक बलों की संख्या बढ़ाई गई है। राज्य सरकार को विद्रोह विरोधी कार्रवाईयों के लिए के० रि० पु० बल का सख्ती से प्रयोग करने की सलाह दी गई है। चिटगांव पहाड़ी क्षेत्रों की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और त्रिपुरा क्षेत्र में सीमा चौकियों में काफी वृद्धि की गई है। विद्रोही कार्यों का अध्ययन करने और त्रिपुरा सरकार के साथ उपलब्ध बलों को कारगर रूप से तैनात करने का सुझाव देने के लिए सितम्बर, 1984 में त्रिपुरा में एक अध्ययन दल भेजा गया था। तैनातगी के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशें वास्तविक रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं। त्रिपुरा मिजोरम सीमा में एक क्षेत्र को सितम्बर, 1982 से "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया गया है और इस क्षेत्र में सेना तैनात कर दी गई है। इस क्षेत्र से सूचित की गई हिंसा की वारदातें नगण्य हैं।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अधीन मणिपुर को पहले ही "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया जा चुका है और स्थिति से निपटने के लिए नागरिक प्राधिकारियों की सहायता के लिए सेना तैनात की गई है। मणिपुर घाटी में सक्रिय उग्रवादी संगठन नामतः पिपल्स लिबरेशन आर्मी तथा अन्य मैतेई संगठनों को "गैर कानूनी एसोसिएशन" घोषित किया गया है। इन संगठनों की गतिविधियां कम हो रही हैं।

सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि संवेदनशील उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हिंसक गतिविधियों से मुक्त होना चाहिए। इस बात को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने मिजो नेशनल फ्रंट के नेता श्री लालडेंगा, जो स्वर्गीय-प्रधान मन्त्री द्वारा निर्धारित दो शर्तों पर नामतः विद्रोही कार्यों को समाप्त करने, और भारतीय संविधान के दायरे में मिजो समस्या के समाधान के लिए सहमत हो गए हैं, के साथ बातचीत पहले ही शुरू की जा चुकी है। एम० एन० एफ० के साथ एक समझौता हुआ है कि वार्ता के दौरान यह टी० एन० वी० और अन्य उग्रवादी संगठनों को कोई सहायता नहीं देगा। सरकार आम आदिवासियों में विश्वास उत्पन्न करने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी उत्सुक है। आदिवासी क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में अधिक स्वायत्तता देने की दृष्टि से त्रिपुरा में संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों का विस्तार करना इस दिशा में उठाया गया एक मुख्य कदम है। सरकार ने हाल में यह अधिसूचित किया है कि छठी अनुसूची लागू करने का अधिनियम पहली अप्रैल, 1985 से लागू होगा। इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास पर भी यथोचित ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य समझा जाता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के समेकित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई उत्तर पूर्वी परिषद विभिन्न विकास योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करके उपयोगी कार्य कर रही है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि टी० एन० वी० उग्रवादियों ने 19 मार्च, 1985 को सात गैर जनजातीय लोग बेकसूर लोगों की कायरता पूर्ण हत्या कर दी और पिछले 6 महीनों में इस तरह की यह उन्नीसवीं वारदात है जिनमें कुल मिलाकर 24 व्यक्ति मारे गए हैं। इस प्रकार से यह बहुत ही चिन्ता की बात है।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि बदमाशों की इस तरह की गतिविधियों में क्या कोई विदेशी हाथ है। यदि हाँ, तो मैं ऐसी गतिविधियों में लिप्त देशों और मिशनरियों का नाम और सीमावर्ती राज्यों में ऐसी ताकतों को उभारने के पीछे उनके उद्देश्य के बारे में जानना चाहता हूं। भविष्य में ऐसी वारदातों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे कि राष्ट्रीय एकता को जो खतरा है वह दूर हो सके।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : जहां तक किसी विदेशी हाथ के होने का सम्बन्ध है, विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उन्हें बंगला देश से सम्बन्धित कुछ रिपोर्टें मिली हैं कि बंगला देश सरकार ने एम० एन० एफ० और टी० एन० वी० को कुछ शस्त्र और गोलाबारूद दिया है। रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की जा सकी है। तथापि इस बात के ठोस प्रमाण दिखाई पड़ते हैं कि टी० एन० वी० उग्रवादियों के छोटे-छोटे ग्रुपों ने बंगला देश के फौजी प्रशिक्षकों के निरीक्षण में एम० एन० एफ० कैम्पों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

भारत सरकार ने बार-बार बंगला देश साथ यह मामला उठाया है मामला सर्वोच्च स्तर तक उठाया गया है। 2 अगस्त 1984 को विदेश सचिव ने बंगला देश में सी० एच० टी के अन्दर से संचालित टी० एन० वी० गतिविधियों पर विरोध प्रकट करने के लिए नई दिल्ली स्थित बंगला देश के उच्चायुक्त को अपने पास बुलाया। इसके तुरंत बाद बंगला देश के अपर विदेश सचिव ने हमारे ढाका स्थित उच्चायुक्त को बुलाया और कहा कि बंगलादेश टी० एन० वी० को किसी प्रकार का सहायता अथवा सहयोग नहीं दे रहा है। उसने कहा कि बंगला देश सरकार ने विदेश सचिव द्वारा उठाए गए मामले की छानबीन की है तथा वह बंगला देश की ओर से यह आश्वासन देना चाहते हैं कि बंगला देश टी० एन० वी० को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दे रहा है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मिशनरियों के बारे में स्थिति क्या है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : अध्यक्ष महोदय, समस्यायें मुख्य रूप से बहुत वर्षों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्त हिंसा से सम्बन्धित हैं। हमें प्रसन्नता है कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि सरकार ने इन वारदातों को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। वास्तव में, किसी न किसी प्रकार से इन क्षेत्रों में हिंसक घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और हम हमेशा ही उग्रवादियों की गतिविधियों से बहुत ही सशंकित रहते हैं। परन्तु सरकार को देखना चाहिए कि जातीय संतुलन हर कीमत पर बना रहे।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि 19/20 मार्च, 1985 को कुछ गैर-जनजातीय लोग मछली पकड़ने गए थे और उसके बाद उनकी लाशें ही बरामद हुई। इसके अतिरिक्त बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले दिसम्बर में ही मणिपुर के मुख्यमन्त्री पर ही एक हमला हुआ था। मैं मात्र यह जानना चाहता था कि इस वर्ष 19/20 मार्च को जो घटना घटी है, जिसमें सात गैर जनजातीय लोग मारे गए हैं, क्या हमारा गुप्तचर विभाग इसके वास्तविक तथ्यों का पता लगा रहा है। क्या हमारे गुप्तचर विभाग को इस घटना से किसी बात का सुराग मिला है ? सितम्बर, 1984 में त्रिपुरा में एक अध्ययन दल भेजा गया था। क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए इस बार भी

कोई अध्ययन दल भेजा गया और क्या उसने इस बार भी वे विभिन्न उपाय सुझाए हैं जो वह पहले भी सुझाता रहा है।

सितम्बर, 1982 से ही त्रिपुरा मिजोरम सीमा को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार किसी अन्य क्षेत्र में भी विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम लागू करने जा रही है।

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह पूर्णतया कानून और व्यवस्था की समस्या है या राजनीतिक समस्या है। यदि यह कानून और व्यवस्था की समस्या है तो क्या हम स्थायी रूप से वहां पर सेना या अर्ध-सेना नियुक्त कर सकते हैं? अथवा यदि यह एक राजनीतिक समस्या है तो इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैं बता चुकी हूं कि इन समस्याओं के संबंध में सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। अर्ध-सैनिकों की नियुक्ति के बारे में भी अपने पहले वाले वक्तव्य में विस्तारपूर्वक बता चुकी हूं।

जहां तक त्रिपुरा में अध्ययन दल भेजने का संबंध है, माननीय सदस्या को यह पता होना चाहिए कि विद्रोहपूर्ण स्थिति का अध्ययन करने और त्रिपुरा सरकार के पास उपलब्ध बल को प्रभावी ढंग से नियुक्त करने हेतु सुझाव देने के लिए एक अध्ययन दल सितम्बर 1984 में त्रिपुरा भेजा गया था। नियुक्ति संबंधी अध्ययन दल की सिफारिशों को सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल, राज्य पुलिस के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

सीमा पर तार लगाने और सीमा उपायों को सुदृढ़ करने संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुरूप, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। बाहरी चौकियों की संख्या प्रत्येक 8 किलोमीटर पर एक बाहरी चौकी के हिसाब से बढ़ाकर 107 कर दी गई है। त्रिपुरा क्षेत्र में सीमा 861 किलो मीटर पड़ती है।

केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा की स्थिति पर नजदीक से निगाह रख रही है और विद्रोह की स्थिति का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

पिछले वर्ष प्रारम्भ में सीमा सुरक्षा ड्यूटी पर सीमा सुरक्षा बल की छह बटालियन त्रिपुरा क्षेत्र में पड़ने वाली बंगला देश की सीमा पर तैनात की गई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के अनुरोध और त्रिपुरा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा ड्यूटी तथा उग्रवादियों के देश में घुसने और देश से बाहर जाने से रोकने के लिए एक अतिरिक्त बटालियन उपलब्ध कराई गई। मी. एच. टी. के साथ लगती सीमा पर सुरक्षा और मंजबूत कर दी गई है क्योंकि उग्रवादी त्रिपुरा में घुसने के लिए इस सीमा पर विभिन्न रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं।

विद्रोहपूर्ण कार्यवाहियों का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भी समुचित वृद्धि की गई है। फरवरी, 1985 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक अतिरिक्त बटालियन त्रिपुरा भेजी गई थी। इस बटालियन को विद्रोह संबंधी कार्यवाहियों का मुकाबला करने के लिए और टी. एन. वी. को सहायता बन्द करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

माननीय सदस्य ने जैसा कि इस क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने की बात कही है, इस बारे में मैं पहले ही कह चुकी हूं कि सम्पूर्ण मणिपुर को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जा चुका

है। परन्तु जहां तक त्रिपुरा का संबंध है, वहां के मुख्यमंत्री इससे सहमत नहीं हैं। वह कहते हैं, इससे समस्या हल नहीं होगी। इस समस्या का कोई राजनीतिक हल होना चाहिए। अतः इस समय इसके किसी भी भाग को विक्षुब्ध घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या यह पूर्णतया कानून और व्यवस्था की समस्या है या राजनीतिक समस्या है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : माननीय सदस्या इसे भली भांति समझ सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री अंनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदया ने अपने स्टेटमेंट में यह बताया है कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में शांति है, त्रिपुरा, नागालैन्ड और मणिपुर में हिंसक घटनाएं रह रह कर हो जाती हैं। इतना तो संतोष है कि उत्तरी पूर्वी राज्यों के केवल तीन राज्य इन हिंसक घटनाओं से प्रभावित हैं। समय-समय पर समाचार-पत्रों के द्वारा हम लोग भी देखते हैं कि कुछ न कुछ लोग मारे जाते हैं। घटनाएं होती रहती हैं और दो संगठन, जो मंत्री जी ने बताए हैं अपने स्टेटमेंट में, "त्रिपुरा नेशनल वालेंटियर्स" त्रिपुरा में और "नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड" मणिपुर में और नागालैण्ड में ज्यादा सक्रिय हैं। ये दो संगठन क्या चाहते हैं, इस मामले में सरकार ने उनसे क्या कोई बातचीत करने की कोशिश की है या नहीं की है, यह मैं जरूर सरकार से जानना चाहूंगा और जहां तक पूरे उत्तर-पूर्वी राज्यों का सवाल है, उसके एक राजनीतिक हल की आवश्यकता है, इसको केवल ला एण्ड आर्डर प्राब्लम मानकर नहीं चला जा सकता और राजनीतिक हल के लिए सरकार ने पहले भी कदम उठाए थे और अब भी कदम उठाए हैं। मिजोरम के नेता लालडेंगा से, जो दिल्ली में मौजूद हैं सरकार की बातचीत चल रही है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह बातचीत किस स्टेज पर है और बातचीत कहां तक पहुंची है। जिस प्रकार से आप मिजोरम में लालडेंगा जी से बातचीत कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी इसी प्रकार से जो वहां के संगठन हैं, उनसे बातचीत क्यों नहीं करते।

अध्यक्ष जी, एक बड़ी मुश्किल जो सरकार के सामने है, जिसको हम लोग भी जानते हैं कि जब सरकार किसी संगठन से बातचीत करना शुरू करती है और कोई संगठन जब बातचीत करने के लिए तैयार होता है तो उसी संगठन के अन्दर मतभेद पैदा हो जाते हैं और उनका एक दूसरा सेक्शन बन जाता है और वह सेक्शन हिंसक घटनाएं करने लगता है और इस बात की कोशिश की जाती है कि बातचीत में बाधा पड़े। लेकिन इससे हमको मायूस नहीं होना चाहिए, बातचीत जारी रखनी चाहिए। एक तरफ सख्ती के साथ जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उनको दबाना चाहिए और दूसरी तरह अगर कोई राजनीतिक ऐसा समझौता जो भारत के संविधान के अन्दर भारत की एकता और अखण्डता को दृष्टि में रखते हुए अगर कोई ऐसा समझौता हो जाता है, ऐसी कोई बात हो जाती है तो यह बहुत अच्छी बात होगी।

एक दूसरा सुझाव मैं देना चाहता हूं कि उत्तर-पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों के करीब लाया जाना चाहिए। उनको अलग-थलग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर-पूर्वी राज्य बहुत सुन्दर हैं, वहां देखने की बहुत अच्छी जगह हैं, टूरिस्ट स्पाट्स हैं। अगर अधिक

संख्या में लोग, भारत के लोग, दूसरे भागों के लोग उन राज्यों में जाएं और उन टूरिस्ट स्पाट्स को डेवलप किया जाए, उनका विकास किया जाए, वहां पर लोग जाएं और वहां रहें तो इससे उन क्षेत्रों में और भारत के बाकी लोगों में घनिष्टता बनेगी। इसी प्रकार से जो उस क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी एक ग्रुप की शक्ल में भारत के दूसरे भागों को दिखाने के लिए ले जाना चाहिए, उनके सांस्कृतिक कार्यों का आदान-प्रदान होना चाहिए। इस बात की सरकार की तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि भारत के बाकी लोगों से उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों के संबंध ज्यादा मजबूत हों, वे करीब आएं और आपस में ज्यादा मिलजुल कर रहें। इससे वहां पर जन-चेतना पैदा होगी और इस प्रकार के जो आतंकवादी, थोड़ी संख्या में आतंकवादी हैं, ज्यादातर तो शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन जो थोड़ी संख्या में आतंकवादी हैं, वहां पर जो एंस्ट्रीमिस्ट्स हैं, उनकी कार्यवाहियों में बकिया लोग मदद नहीं करेंगे, बल्कि बकिया लोग उनकी निन्दा करेंगे। तो मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा, जैसा मैंने सुझाव दिया है कि भारत के लोगों को उत्तर-पूर्वी राज्यों के करीब लाने के लिए, आदान-प्रदान के लिए, क्या ऐसा कोई कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है।

जहां तक विकास का सवाल है, सरकार कर रही है। उत्तर-पूर्वी राज्यों का प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जा रहा है और विकास के काम भी शुरू हो गए हैं। मुझे पूरी आशा है, वहां की अर्थव्यवस्था में व्यापक पैमाने पर सुधार होगा और सुधार होने जा रहा है। जो भी आर्थिक पिछड़ेपन की शिकायतें उस क्षेत्र को रही हैं, कुछ दिनों के बाद वह दूर हो जायेंगी। मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैण्ड में जो संगठन हैं, क्या उनसे बातचीत शुरू करने की पहल की गई है। बातचीत करने के लिए वे तैयार है या नहीं। क्या दूसरे संगठनों से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लालडेंगा से किस-स्तर पर बातचीत हो रही है। उस बातचीत का ब्यौरा क्या इस सदन और देश को देना चाहते हैं, कब देंगे और किस स्थिति पर वह बातचीत है। उत्तर पूर्वी राज्यों में बाहर से जो लोग जाते हैं, वहां के विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए या नौकरियों में शिक्षक की हैसियत से जाते हैं, उन लोगों को असुरक्षा का बड़ा भय है। क्या उनके लिए आपने कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था की है। अगर नहीं की है तो कौन सी विशेष व्यवस्था आप करने वाले हैं। वहां से बराबर हमारे पास पत्र आते रहते है कि हमें यहां से हटाइए, हमें यहां पर डर लगता है। मैं यही जानना चाहूंगा कि उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : जहां तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पिछड़ेपन को हटाने का सवाल है, माननीय सदस्य ने खुद ही कबूल किया है कि प्राथमिकता के आधार पर वहां विकास का कार्य हो रहा है और पूरी सतर्कता हम लोग बरत रहे हैं। जहां तक बाहर से जाने वाले लोगों की सुरक्षा का प्रश्न है, वह हम लोगों के ध्यान में है। उनके लिए पूरी सुरक्षा का इन्तज़ाम किया गया है। यदि कोई स्पेसिफिक बात माननीय सदस्य हमें बतायेंगे तो उनकी सुरक्षा का तुरन्त प्रावधान किया जायेगा। जहां तक लालडेंगा से बात करने का सवाल है, यह बातचीत अभी प्रोग्रेस में है और तब तक इसकी डिटेल मैं यहां पर डिसक्लोज करना नहीं चाहूंगी जब तक की पूरी वार्ता समाप्त न हो जाए। नेकस्ट राउन्ड आफ टाक्स अभी ड्यू है और यह वार्ता सैकण्ड

वीक आफ अप्रैल में होने जा रही है। जहाँ तक अदर एक्स्ट्रीमिस्ट्स ग्रुप से बात करने का सरकार का सवाल है तो मैं यही माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी :

[अनुवाद]

इस अन्य उग्रवादियों के साथ बातचीत करने का प्रश्न तब तक नहीं उठता जब तक वे हिंसा नहीं छोड़ते और भारतीय संविधान स्वीकार नहीं करते।

[हिन्दी]

लालडेंगा जी से जो बात हो रही है, वह संविधान के अन्तर्गत ही हो रही है।

श्री जैनुल बशर : भारत के बाकी लोगों से उन लोगों का संबंध बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : संबंध बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारे टूरिज्म के मिनिस्टर यहाँ नहीं हैं। आपके सजेशन्स उनको भेज दिए जायेंगे। ऐसा मत समझें कि वे लोग सेक्ल्युडेड हैं।

यह उत्तरी पूर्व क्षेत्र भारत का एक सुन्दर क्षेत्र है। संस्कृति और सम्पदा अनोखी है। हमें इस क्षेत्र पर गर्व है। आना-जाना बराबर बना हुआ है। शान्ति स्थापना के हर प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं इस समस्या को आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच की समस्या नहीं समझता हूं। मैं इसे केवल विद्रोह की समस्या समझता हूं। और इसे यही समझा जाना चाहिए। दूसरा मैं मंत्री महोदय का ध्यान हाल ही में प्राप्त हुए उन समाचारों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनमें यह प्रकाशित हुआ है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि नागालैंड विद्यार्थी संघ ने उन्हें बोरिया-बिस्तर बांधने का अल्टीमेटम दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की विद्रोह पूर्ण गतिविधियों के कारण ड्रिलिंग कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। ये विद्रोह पूर्ण गतिविधियां इसलिए जारी हैं क्योंकि सीमा पार बर्मा प्रदेश में उनके छिपने के स्थान हैं। इस स्थिति में, छिपने के स्थानों को नष्ट करने के उद्देश्य से बर्मा सरकार से बात करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? मैं जानता हूं कि हमारी एक नई नीति है जिसे "विदेश मन्त्रालय की पड़ोसी कूटनीति" कहा जाता है। हम अपने पड़ोसियों से अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते हैं। परन्तु अच्छा पड़ोसी होने के नाते बर्मा सरकार सीमा के पार इन विद्रोह पूर्ण गतिविधियों को समाप्त करने के लिए हमारी सहायता क्यों नहीं करती है?

[हिन्दी]

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : सर, बर्मा की तरफ से ही ट्रेनिंग लेकर नागालैंड में वे लोग आ जाते हैं लेकिन जैसा मैंने आपको अभी बतलाया था सरकार सतर्क है और वहां से आने-जाने वाले रास्तों को रोकने के लिए कई तरह के प्रबंध किए गए हैं। जहां तक बर्मा के साथ अच्छे पड़ोसी के से सम्बन्धों को कायम करने का प्रश्न है, उसको मेन्टेन करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में हमने बर्मा गवर्नमैंट को लिखा भी है।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी : उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में जाने वाले अधिकांश कर्मचारी दक्षिण भारत के होते हैं क्योंकि उत्तर भारतीय तो वहां जाते ही नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां जाने वाले कर्मचारियों और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी संभव कदम उठाये गए हैं और उठाये जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यह मसला बहुत गम्भीर है और खास तौर पर यह बात नोट करने की है कि हमारे सीमा प्रांतों में, सीमावर्ती राज्यों में ही इस प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं जिसमें आसाम भी शामिल है, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और पंजाब प्रांत भी आते हैं। मैंने सीमावर्ती राज्यों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मैं यह मानकर चलता हूं कि विदेशी ताकतों ने जान-बूझकर सीमावर्ती राज्यों को ही चुना है ताकि हमारे सीमावर्ती राज्यों में आंदोलन हो, तोड़फोड़ हो और इस तरीके से हमारे देश को अन्दर से खोखला किया जा सके और राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया जा सके। हमारे देश में जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, उनमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो समान है और उसका जिक्र कालिंग अटेंशन मोशन में भी किया गया है कि वहां के ट्राइबल्स ही नौन-ट्राइबल्स पर हमला कर रहे हैं। इन राज्यों में जो बाहर के रहने वाले लोग हैं, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। वहां के क्षेत्रीय लोग दूसरे राज्यों से सम्बन्ध रखने वाले लोगों को ही अपना निशाना बना रहे हैं, उनके ही खिलाफ आंदोलन तैयार किया जाता है और उनके खिलाफ ही वातावरण बनाया जाता है। मैं समझता हूं कि यह हमारे देश की एकता के लिए गम्भीर चुनौती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन सारी कार्यवाहियों के पीछे विदेशी ताकतों का बहुत बड़ा हाथ है और वे चाहती हैं कि इस तरह हमारे देश को कमजोर कर दिया जाए।

इसके अलावा इन राज्यों में आपको एक बात और देखने को मिलती है कि वहां जैसा भी वातावरण बनाया गया, जैसी परिस्थितियां पैदा की गईं, वह वातावरण भारतीय संविधान के विरुद्ध, देश की एकता के विरुद्ध बनाया गया और उसी आधार पर आंदोलन किए गए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उनकी अपनी कुछ समस्यायें हैं, वहां इकानामिक बैकवर्डनैस है, अपनी परेशानियां हैं लेकिन उसके साथ-साथ इन तमाम बातों से विदेशी ताकतें फायदा उठा रही हैं, यह भी सत्य है। वहां ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है जिससे वहां के लोग बगावत कर सकें, हमारे देश के संविधान को न मानें और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को निकालने की बात की जाए, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को निशाना बनाया जाए, उनका कत्ल किया जाए और उनको राज्य से बाहर निकाला जाए। अभी विदेशों का जिक्र किया गया है, खासतौर से बंगला देश और बर्मा के बारे में है, अभी दो, चार दिन पहले अखबारों में भी छपा है कि वहां पर 1500 लोगों को भर्ती किया गया है जिसमें टी० एन० वी० का ही नाम नहीं है, बल्कि मिजो नेशनल फ्रंट के नेता का नाम भी है जिनसे बातचीत चल रही

है। उन 1500 लोगों में से 400 को बर्मा में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है ताकि वहां से ट्रेनिंग करके आयें और नार्थ ईस्ट स्टेट्स में लोगों पर हमला करें और उनकी जान लें।

अखबारों में यह भी पढ़ने को मिला है कि एम० एन० एफ०, मिजो नेशनल फ्रन्ट ने पिछले दिनों 50 लाख रुपया वहां के व्यापारियों और कर्मचारियों से जबर्दस्ती इकट्ठा किया है और इसी प्रकार से टी० एन० वी० ने भी 31 लाख रुपया इकट्ठा किया है।

अभी यह बताया गया है कि लालडेंगा साहब से दिल्ली में बातचीत चल रही है। सवाल यह पैदा होता है कि पिछले कई सालों से लालडेंगा साहब से बातचीत चल रही है और उसी के दौरान वहां पर लोग कत्ल भी किए गए हैं। पिछले साल 64 आदमी मारे गये और इस साल पिछले 3 महीनों में 24 आदमी मारे जा चुके हैं। अगर इसकी रेशियो देखी जाये तो साल में 96 आदमी मरेंगे। यह रेशियो पिछले साल से ज्यादा है।

मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि लालडेंगा साहब के हाथ में वहां की स्थिति पर नियंत्रण है भी या नहीं क्योंकि उनसे हमारी सरकारी बातचीत कर रही है और उसके बावजूद भी धड़ाधड़ लोग मर रहे हैं।

उनसे बातचीत हो भी जाये, फैसला हो भी जाए फिर भी बुनियादी सवाल यह है कि इससे वहां पर समस्या का समाधान होगा या नहीं?

इस स्टेटमैंट में जिक्र किया गया है कि लालडेंगा साहब ने दो कंडीशन्स मानी हैं। एक यह कि होस्टेलिटीज को खत्म किया जायेगा और इण्डियन कांस्टीट्यूशन को माना जायेगा। यह बड़ी अच्छी बात है हम इसकी तारीफ करते हैं। इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि जो 50 लाख रुपये जबर्दस्ती इकट्ठे किए गए हैं, वह किस बात के लिए किए गए हैं? उनका इस्तेमाल किस बात के लिए होगा? क्या उनसे हथियार लिए जायेंगे और लोगों को मारा जायेगा? यह रुपया इकट्ठा करने की बात क्या सच है, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : सभापति महोदय, लालडेंगा से जो बातचीत चल रही है, उसमें यह बात भी आई है कि उन्होंने उन लोगों को इन्स्ट्रक्शन दिया है कि डोनेशन शुड आलसो नाट बी कलैक्टेड।

[अनुवाद]

दान भी एकत्र न किया जाए।

[हिन्दी]

न्यूज आइटम के बारे में जो आपने कहा—

[अनुवाद]

अगरतला से प्राप्त समाचार के अनुसार, जो 26 मार्च, 1985 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ है, सुरक्षा अधिकारी मिजो नेशनल फ्रंट और टी० एन० वी० के ताजा आक्रमण से आशंकित हैं क्योंकि इन दोनों भूमिगत संगठनों ने अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों से हथियार खरीदने के लिए कर वसूली का अपना अभियान तेज कर दिया है। समाचार में यह कहा गया है कि जब से श्री लालडेंगा से बातचीत आरम्भ हुई है तब से पिछले सात महीनों में भूमिगत एम०एन०एफ० ने दक्षिणी और पश्चिमी मिजोरम से 50 लाख रुपये के कर वसूल किए हैं। बताया जाता है कि

टी० एन० बी० के सक्रिय सदस्यों ने भी त्रिपुरा में प्राइवेट ठेकेदारों, और व्यापारियों से पिछले चार महीनों में 25 लाख रुपये एकत्र किए हैं। उपर्युक्त समाचार बढ़ा-चढ़ा कर लिखा गया है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार नवम्बर, 1984 में जब से बातचीत आरम्भ हुई है एम०एन०एफ० ने दान के रूप में (करों के रूप में नहीं) 1½ लाख रुपए एकत्र किए हैं। जहां तक टी०एन०बी० द्वारा संग्रहण का सम्बन्ध है हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उन्होंने एक लाख रुपये एकत्र किए हैं।

समाचार में टी०एन०बी० दस्तों के निर्जन क्षेत्रों से घुसने का भी उल्लेख है। मैं यही कह सकती हूं। उन्हें अब अनुदेश दे दिया गया है कि वे दान भी एकत्र न करें।

[हिन्दी]

जैसा कि मैंने कहा कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में बातचीत शुरू हो रही है।

श्री ललित माकन : मैं पुरानी बात पूछ रहा हूं कि लालडेंगा से बातचीत चली है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर वायलेंस हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तीन महीने के अन्दर 24 आदमी मर चुके हैं। वहां की स्थिति लालडेंगा के कंट्रोल में है या नहीं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ; इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि वहां कई ग्रुप्स काम कर रहे हैं, एक मिजो नेशनल फ्रन्ट है, एक टी. एन. वी. और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है। किसी पर बैन लगा हुआ है और कोई अपना काम-धाम करती रहती हैं।

[अनुवाद]

परन्तु मैं यह कह सकती हूं कि मिजोरम में आजकल कोई हिंसा नहीं है। बल्कि मिजोरम आजकल शान्त है।

12.51 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दिल्ली में विशेषकर विद्यार्थियों द्वारा, नशीली दवाओं का बढ़ता जा रहा उपयोग

[अनुवाद]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : नशीली दवाओं का दुरुपयोग और नशीली दवाओं का व्यसन एक गम्भीर समस्या बना हुआ है। हाल ही में दिल्ली में विशेषरूप से चांदनी चौक, पहाड़गंज और अन्य क्षेत्रों में यह खतरनाक हद तक बढ़ गया है। साइकोटिओपिक जिसे स्माइक (एस एम आई के ई) भी कहा जाता है, के उत्पादन से स्थिति और भी गम्भीर हो गई है।

महोदय, यह कहा जाता है कि ओपिएट, कोकाइन, कैनाबीस और सुकोट्रोपिक जैसी नशीली दवाओं में स्माइक सर्वाधिक घातक दवा है। इस विषय की अच्छी जानकारी रखने वालों के मतानुसार इस दवा के व्यसन से दिमाग पर तत्काल असर पड़ता और थोड़े समय में ही व्यक्ति मर जाता है।

12.52 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

दिल्ली में पहले ही स्थिति भयावह हो चुकी है और तत्काल कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है विशेषरूप से इसलिए कि यह 'बीमारी' विद्यार्थियों में अधिक फैल गई है। वर्तमान स्थिति से उत्पन्न इन समस्याओं के अतिरिक्त, इस नशीली दवा के गैर-कानूनी व्यापार की समस्या की ओर विशेषरूप से दिल्ली के चांदनी चौक और पहाड़गंज क्षेत्रों में, तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि अवैध व्यापार उत्पादन और मांग के बीच माध्यम का काम करता है। अवैध व्यापार अवैध मांग और अवैध सप्लाई के बीच एक सम्पर्क सूत्र बनता है। अधिकांश मामलों में इसे चलाने वाले स्वयं इस दवा का कारोबार नहीं करते बल्कि वित्तपोषण करते हैं और कार्य संचालन हेतु निदेश देते हैं। इस समस्या के इस पहलू के कारण इस संबंध में गहरी छानबीन की आवश्यकता है, यह छानबीन केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी की जा सकती है।

(दो) बीदर (कर्नाटक) में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी (बीदर) : अध्यक्ष महोदय, बीदर जिला कर्नाटक राज्य के राजधानी बेंगलूर से 750 कि० मी० दूर उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश की सीमाओं से लगते हुए हैं। बीदर टी०वी० सहूलतों से वंचित है। गुलबर्गा रिले सेंटर का बीदर के लिए कोई भी उपयोग नहीं है। बीदर "नो इंडस्ट्रीज" जिला की सूची में होते हुए भी कर्नाटक का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। आशा की गई थी कि टी.वी. रिले सेंटर आने से अविकसित जिले के हर पहलू के विकास की दृष्टि से लाभ होगा, किसान, विद्यार्थी, महिलाओं वगैरह सभी को एक शिक्षा का माध्यम उपलब्ध होगा। संबंधित मंत्रालय से जो सूचना मिली है उससे पता लगता है कि टी. वी. रिले सेंटर के कुछ आने वाले दिनों में शुरू होने की कोई आशा नहीं है।

महोदय, आपके माध्यम से सूचना व प्रसारण मन्त्रालय से अनुरोध है कि वे इस जिले को खास प्राधान्य देकर 1985 के भीतर ही टी० वी० रिले सेंटर की सुविधा प्रदान करके बीदर वासियों को लाभ पहुंचाने की कृपा करें।

(तीन) चित्तौड़गढ़ किले पर एक डाक-टिकट जारी करने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : नियम 377 के तहत महत्वपूर्ण विषय की तरफ मैं संचार मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आपने कई पुराने दुर्ग तथा ऐतिहासिक स्थल के डाक टिकट प्रचिलत किए हैं। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो अपने में शक्ति तथा भक्ति का इतिहास संजोये हुए है जहां मातृभूमि की बलि बेदी पर कई वीर तथा वीरांगनाओं ने कुरबानी की है, ऐसे प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग का डाक टिकट अवश्य ही निकाला जाना चाहिए। 50 पैसे का डाक टिकट हो जिससे जन साधारण इसके सम्पर्क में आ सके। इससे इस महत्वपूर्ण दुर्ग का ऐतिहासिक तथा पर्यटक महत्व बढ़ेगा।

(चार) आवश्यक वस्तुओं के उचित भण्डारण तथा वितरण के लिए केरल में गोदाम बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट)** : सार्वजनिक वितरण प्रणाली 20 सूत्री कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मद है। परन्तु केन्द्र सरकार के पास कुछ वस्तुओं को नियन्त्रित मूल्यों पर वितरित करने के अतिरिक्त इस प्रणाली को सुदृढ़ करने की कोई प्रभावी योजना नहीं है। राज्यों के नागरिक पूर्ति निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिन्न अंग हैं परन्तु इसे सुदृढ़ करने की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्र द्वारा भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम जैसी केन्द्रीय एजेंसियों को राज-सहायता प्रदान की जाती है परन्तु राज्यों के नागरिक पूर्ति निगमों को इस प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती है।

केरल नागरिक पूर्ति निगम सभी जिलों और तालुकों के मुख्यालयों में किराए के गोदामों में वस्तुओं का भण्डारण करता है। राज्य के सभी तालुकों के मुख्यालयों में गोदाम बनाने के लिए इसे 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसी प्रकार इन वस्तुओं के परिवहन के लिए एक करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। इनके अतिरिक्त प्रभावी निगरानी हेतु 50 लाख रुपयों की आवश्यकता है। इस प्रकार इन तीन योजनाओं के लिए 12 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने प्रभावी कार्यचालन हेतु ये तीन योजनाएं अत्यन्त आवश्यक हैं।

अत: मैं केन्द्र से राज्य नागरिक पूर्ति निगम को आवश्यक सहायता तत्काल प्रदान करने हेतु अनुरोध करता हूं।

(पांच) सातवीं योजना में उत्तर प्रदेश में ओवरा-घोरावल सड़क का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देना

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मीरजापुर जनपद में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को जोड़ने के लिए तथा औद्योगिक संरचना हेतु उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि अनपरा, ओवरा-घोरावल मार्ग को वरीयता पर निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार धनराशि उपलब्ध कराये। यह मार्ग बहुत सी केन्द्रीय परियोजनाओं जैसे सिंगरौली कोल फील्ड्स, शक्तिनगर, विन्ध्याचल, रिहन्द, अनपरा एवं ओवरा विद्युतगृहों को तो जोड़ती ही है इस से इलाहाबाद से काफी दूरी भी कम हो जाती है। इस सड़क के अभाव में काफी धनराशि केन्द्रीय एवं प्रदेशीय परियोजनाओं की अधिक दूरी के परिणामस्वरूप व्यय करना पड़ता है। दूसरे जिन गांवों को यह सड़क जोड़ती है वह आदिवासी बाहुल्य हैं और आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं।

अत: मैं केन्द्रीय परिवहन एवं नौवहन मंत्री का ध्यान इस महत्वपूर्ण सड़क की ओर दिलाते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करने की मांग करता हूं।

* मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(छह) पणजी रिले केन्द्र के लिये नया दूरदर्शन टावर लगाना तथा ई. एन. जी. उपकरण देना

[अनुवाद]

श्री शांता राम नायक (पणजी) : गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में पणजी में एक दस किलोवाट का टी. वी. ट्रांसमीटर है। परन्तु इस टी. वी. टावर की ऊंचाई पर्याप्त न होने के कारण केवल एक किलोवाट क्षमता के ट्रांसमीटर का प्रयोग किया जा रहा है। नया टावर लगाने का कार्य हाल ही में शुरू हुआ है।

हमारी प्रार्थना है कि नया टावर लगाने का कार्य संबंधित ठेकेदारों को विशेष कड़ी हिदायतें देकर तेजी से कराया जाना चाहिये।

दूसरे, यह सर्वविदित है कि गोवा की अपनी कला है और अपनी संस्कृति है। यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे सुरक्षित रखने पर जोर दिया था। इस संबंध में, मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर ध्यान दें कि पणजी प्रसारण केन्द्र में संपादन और प्रतिश्रवण सुविधाओं वाले ई. एन. जी. उपकरणों की व्यवस्था की जाये, ताकि वह स्थानीय प्रतिभाओं का उपयोग करते हुये शुरू में अल्पावधि वाले कार्यक्रम तैयार किये जा सकें।

तीसरे, संघ राज्य क्षेत्र के दो जिलों दमन और दीव, जोकि गुजरात के पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र पर गोवा जिले से बहुत दूर हैं, देश में हाल ही में स्थापित किसी भी ट्रांसमीटर के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

हमारा निवेदन है कि इन दो जिलों में उपयुक्त क्षमता के दो टी. वी. रिले स्टेशन भी शीघ्र स्थापित किए जायें।

1.00 म० प०

(सात) पूरे देश में एक समान विद्युत शुल्क लगाने की आवश्यकता

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों चाहे वे परम्परागत, कोयले पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र हों अथवा पन बिजली घर या परमाणु ऊर्जा केन्द्र हों, से विद्युत की आपूर्ति के लिये समूचे देश में बिजली की एक समान दर निर्धारित करने के संबंध में सरकार ने राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों के विपरीत विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की विभिन्न टैरिफ वाले समझौते करने के लिये प्रस्ताव रखे हैं जोकि भेदभाव पूर्ण होंगे और जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश को नुकसान होगा। सम्पूर्ण देश के संसाधनों से केन्द्रीय विद्युत केन्द्र तथा संबंधित ग्रिड लाइनें स्थापित की जा रही हैं। ये संसाधन किसी विशेष राज्य अथवा क्षेत्र ने नहीं दिये हैं। इन विद्युत केन्द्रों से किसी भी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को विद्युत की बिक्री के संबंध में कोई भी भेदभाव बरतने की कोशिश नहीं की जानी चाहिये। बिजली का एक ही टैरिफ रखने का उद्देश्य यह है कि इस बात पर विचार न करते हुए कि विद्युत केन्द्र चाहे किसी भी राज्य अथवा क्षेत्र में स्थित हो इससे किसी भी एक या अन्य राज्यों में भेदभाव न रखा जाये। विद्युत टैरिफ की समान दर के सिद्धांत से पूरे देश में यह सुनिश्चित होगा कि सारे देश में विशेष रूप से तापीय विद्युत केन्द्रों को अव्यवस्थित ढंग से स्थापित नहीं किया जाएगा। परन्तु ये ऐसे क्षेत्रों में ही स्थापित किये जायेंगे जहां पर ऐसा करना बहुत ही किफायती होगा और पूर्व निश्चित विद्युत

ब्लाकों को प्रत्येक राज्यों को स्थानान्तरित किया जाएगा। उपर्युक्त प्रस्तावों को शीघ्र क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।

(आठ) गया, बिहार में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन चल रही गया काटन एण्ड जूट मिल में कुप्रबन्ध

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, बिहार राज्य के अन्तर्गत गया जिले में गया काटन एवं जूट मिल्स एन टी सी द्वारा संचालित एक संस्थान है। यह काटन एवं जूट मिल अब मृतप्राय: हो गई है। मिल वर्षों से घाटे में चल रही है। इस मिल में कार्यरत 400 मजदूर बराबर व्यवस्थापकों को मिल के विकास तथा राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। मिल में कच्चा माल उपलब्ध करवाने तथा मशीनों, जोकि काफी पुरानी हो गई हैं, के नवीनीकरण के लिए बराबर व्यवस्था पर दबाव डालने की कोशिश करते रहे हैं। जो मजदूर व्यवस्था पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, उनको छटनी कर दिया जाता है। इस मिल की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहां के कार्यरत मजदूरों को भुगतान 4-4 महीनों में होता है। इसके कारण मजदूरों के बच्चे कुपोषण और अशिक्षा के शिकार हो रहे हैं।

सरकार इस बारे में उचित कार्यवाही करे तथा मिल को सुचारू रूप से चलवाए।

[अनुवाद]

इडुक्की के काफी उत्पादकों से काफी खरीदने के लिए काफी बोर्ड को निदेश देना तथा इडुक्की में भण्डागार सुविधाओं की व्यवस्था करना

प्रो० पी०जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, वाणिज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं लोक महत्व के निम्नलिखित मामले को उठा रहा हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, इडुक्की में ऐसे बहुत से काफी उत्पादक हैं जिनकी जोतें बहुत ही छोटी हैं। वास्तव में केरल में उत्पादित काफी का बहुत बड़ा हिस्सा इडुक्की जिले से ही प्राप्त होता है। काफी उत्पादकों द्वारा उत्पादित काफी की खरीद काफी बोर्ड अपने एजेण्टों द्वारा करता है। इसकी खरीद करने का मौसम जनवरी से मार्च है। इन एजेण्टों द्वारा पहले खरीदी गई काफी बोर्ड द्वारा न उठाये जाने के कारण इस वर्ष उत्पादकों से काफी खरीदने में ये एजेण्ट असमर्थ हैं। पूल डिपुओं से मुख्य संग्रह डिपुओं तक काफी पहुंचाने के लिए काफी बोर्ड द्वारा पर्याप्त परिवहन की व्यवस्था नहीं की जाती है। इस समय किसानों को सहकारी समितियों तथा अन्य बैंकों के ऋणों की अदायगी करनी होती है और किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। वे अपनी उपज बेचने में असमर्थ हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मामले की ओर तुरन्त ध्यान दें। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह काफी बोर्ड को पूल डिपुओं से तुरन्त काफी उठाने दें और काफी उत्पादकों से काफी खरीदने के बारे में तुरन्त कदम उठाने का आदेश दें और इडुक्की जिले में जहां कहीं आवश्यक हो अतिरिक्त गोदाम बनाने के संबंध में आवश्यक कदम उठाएं।

काफी कृषि की लागत ज्यादा होने की वजह से आज काफी उगाना लाभप्रद नहीं है। अत: मैं निवेदन करता हूं कि काफी के न्यूनतम बिक्री मूल्य को बढ़ाया जाये और इस पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को हटाया जाये।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति का प्रतिवेदन—जारी

1.04 म०प०

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री श्री जियाउर्रहमान अंसारी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : माननीय सभापति महोदय, यह आंशिक रूप में सुना गया भाषण है।

उस दिन राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के प्रतिवेदन पर वाद विवाद में भाग लेते हुए पत्तन क्षेत्र के संबंध में माननीय सदस्य ने जो कुछ प्रश्न पूछे थे उनमें से मैंने कुछ प्रश्नों का जवाब दिया था। पत्तनों के सम्बन्ध में सिर्फ एक मुद्दा है जिसे मैं छोटे पत्तनों के बारे में स्पष्ट करूंगा। छोटे और मझोले पत्तनों के रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। छोटे पत्तनों का रख-रखाव और सुधार तथा उनका विकास राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। किन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये योजना आयोग द्वारा स्थापित पत्तनों संबंधी कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि छोटे और मझोले पत्तनों के विकास के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाये। ये सिफारिशें सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई हैं। इस सिफारिश की क्रियान्विति पर अर्थात योजना के तहत छोटे और मझोले पत्तनों के विकास के लिए, केन्द्र की राज्य सरकारों को दिए जाने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तभी उन छोटे तथा मझोले पत्तनों पर हम पूरा ध्यान देंगे और इन पत्तनों को सहायता देंगे।

जहां तक अन्तर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र का संबंध है, यह सम्मानित सदन भली-भांति जानता है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के अनुसरण में भारत सरकार ने एक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया है और इसके लिए एक अधिनियम भी संसद ने पारित कर दिया है। और फरक्का लाक गेट को चालू करने के बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। राष्ट्रीय जल मार्गों के लिए दस नदी और नहर प्रणालियों का पता लगाया गया है। इन्हें, एक-एक करके लिया जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यकारी दल ने ऐसी पांच प्रणालियों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने की सिफारिश की है।

माननीय सदस्य श्री एम० कृष्ण कुमार ने पश्चिम तटवर्ती नहर को राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने के संबंध में प्रश्न उठाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य तथा सदन को बताऊंगा कि पश्चिम तटीय नहर प्रणाली कोचीन से लेकर क्विलोन तक उन प्रणालियों में से एक है जिसे कार्यकारी दल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए विचार किया है। इस योजना अवधि के दौरान अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में विकास कार्य बहुत तेजी से हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए कोई आवंटन नहीं था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 143 लाख रुपये का आवंटन किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 760 लाख रुपये का आवंटन किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना

में 900 लाख रुपये तथा पांचवीं में 2,492 लाख रुपयों का और छठी योजना में 4,500 लाख रुपयों की धनराशि का आवंटन किया गया था।

हमारे द्वारा घोषित पहला राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा-हुगली-भागीरथी नदी प्रणाली है। इस हिस्से को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर दिया गया है।

अब अगर आप इसे तीन हिस्सों में बांटें तो एक हिस्सा है हल्दिया और फरक्का के बीच का। इसके लिए बुनियादी सुविधाओं की स्वीकृति सरकार ने दे दी है और इस पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना में नदी रक्षण कार्य तथा मार्ग निर्धारण कार्य सम्मिलित हैं। इस हिस्से में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ने नदी सेवायें चलाने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। फरक्का और पटना के बीच के हिस्से के लिये 390 लाख रुपये की लागत की एक योजना हाल ही में स्वीकृत की जा चुकी है और इस पर शीघ्र कार्य शुरू किया जायेगा।

जहां तक इलाहाबाद और पटना के बीच तीसरे भाग में ऐसा करने का संबंध है इसका और आगे अध्ययन करना आवश्यक है। और नदी सेवाओं को शुरू करने के लिये कुछ और उपाय करने होंगे। इस हिस्से के लिये डच की सहायता से 10 करोड़ रुपये लागत की एक प्रायोगिक परियोजना स्वीकार की गई है। इसमें 4 करोड़ रुपये डच की तरफ से तथा 6 करोड़ रुपये का योगदान हमारी ओर से है। इस योजना में सर्वेक्षण करने वाले जलयानों की खरीद ईकाइयों में वृद्धि, सर्वेक्षण करने वाले यंत्र, नौकाएं तथा प्रशिक्षण सम्मिलित हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने नर्मदा नदी पर अंतर्देशीय जल परिवहन के मामले को उठाया है। माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि कोयले जैसी भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए होशंगाबाद से सागर के बीच के मार्ग में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के बारे में सम्भाव्यता प्रतिवेदन का अध्ययन किया जा रहा है। इस योजना में भी डच विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। चूंकि हम अंतर्देशीय जल परिवहन को परिवहन के अन्य साधनों के एक विकल्प के रूप में व्यापक स्तर पर शुरू करना चाहते हैं क्योंकि यह भारी परिवहन के लिये है, बहुत सस्ता है और प्रदूषण-मुक्त है और इसमें कम विद्युत की जरूरत है : इसलिये राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है। जहां तक हमारा संबंध है। हमने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। समिति ने सिद्धांत रूप में इसकी सिफारिश भी कर दी है और प्राधिकरण की स्थापना के लिये कानून का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के लिये, 50 जलपोत खरीदने के लिए स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य निगम की एक तरफ से माल ढोने की क्षमता 2.04 लाख टन से बढ़ाकर 5.80 लाख टन बढ़ाना था।

अंतर्देशीय जल परिवहन के बड़े फायदों को विशेष रूप में भारी मात्रा में माल ढोने के मामले में जानने के साथ ही साथ अंतर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा माल ढोने की मांग काफी बढ़ गयी है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना की मांग पूरी करने के उद्देश्य से केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की क्षमता इस योजना के अन्त तक बढ़ाकर 12 लाख टन करने का प्रस्ताव है। जहाजों के निर्माण तथा अन्तर्राज्यीय जहाजों की मरम्मत किए जाने सम्बन्धी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इस निगम के अन्तर्गत राजबागान डाक यार्ड को आधुनिक बनाया जा रहा है।

जहां तक सड़क यातायात का सम्बन्ध है, जिन महानगरों की आबादी 5 लाख या उससे अधिक है, वहां लोगों की आवश्यकता के लिए बस व्यवस्था की सुविधा है। दिल्ली तथा अन्य कई महानगरों में इस सड़क यातायात का कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था की कोई पूरक व्यवस्था नहीं है।

जहा तक दिल्ली परिवहन निगम की प्रगति का सम्बन्ध है, 1980-81 में दिल्ली परिवहन निगम के पास 3091 बसें थीं और 1984-85 में हमारे पास 5040 बसें हैं। 1980-81 में इनमें 25.5 लाख लोगों ने यात्रा की और 1984-85 के दौरान यह संख्या बढ़कर 40.86 लाख हो गई। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली परिवहन निगम के कार्य बढ़ रहे हैं। 1980-81 में कुल 456 रूट थे। अब 660 रूट हैं। यदि आप रूट किलोमीटर देखें तो 1980-81 में इसकी लम्बाई 8,570 किलोमीटर थी जबकि 1984-85 में यह बढ़कर 13,220 किलोमीटर हो गई है। दिल्ली के दैनिक यात्रियों के प्रति दिल्ली परिवहन निगम के कार्य क्षेत्र और बस सेवा में बहुत बढ़ोतरी हुई है लेकिन मैं इस मांग से सहमत हूं कि अभी इस सम्बन्ध में और काम करने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान बस व्यवस्था हमारे दैनिक यात्रियों की मांग पूरा नहीं करने में असमर्थ है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने शाहदरा से लेकर जनकपुरी तक ई० टी०बी० प्रणाली की जो सिफाफिश की है, वह विचाराधीन है तथा दिल्ली में एम वाहन व्यवस्था के सम्बन्ध में संभाव्यत: का अध्ययन भी किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था से दिल्ली के दैनिक यात्रियों की समस्या हल हो जायेगी। श्रीनगर तथा त्रिवेन्द्रम के लिए इस व्यवस्था का सम्भाव्यत: अध्ययन पहले ही किया जा चुका है।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने पुरजोर सिफारिश की है कि सड़क यातायात उपयुक्त और सक्षम बनाने के लिए वर्तमान अधिनियम को बदलकर एक सुसंगत विधान लाया जाए। जैसी कि सभा को जानकारी है, वर्तमान मोटर परिवहन अधिनियम बहुत पुराना पड़ गया है और उसमें कई बार संशोधन किए गये हैं। सरकार ने राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है तथा कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वर्तमान अधिनियम के उपबन्धों की जांच करने तथा इन्हें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये पोवहन और परिवहन मंत्रालय ने एक कार्यकारी दल का गठन किया है।

अखिल भारतीय पर्यटक बस परमिटों के दुरुपयोग किये जाने के बारे में प्रश्न उठाया गया है। यह प्रश्न परिवहन विकास समिति में भी उठाया गया था, सभी राज्यों के मंत्री इसके सदस्य हैं। उस समिति में भी इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि अखिल भारतीय पर्यटक बसों के परमिटों को वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उन्होंने सिफारिश की कि इस सम्बन्ध में संशोधित योजना तैयार की जानी चाहिए। संशोधित प्रणाली में चालक को परमिट देने की व्यवस्था है जिसमें वह बस चलाने के लिए न्यूनतम पांच

राज्यों, जिनमें उसका निवास स्थान भी शामिल है, का चयन कर सकता तथा जब चाहे अन्य राज्यों में भी जा सकता है। हम उस व्यवस्था को समाप्त करने की बजाय उसमें सुधार लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परिवहन विकास समिति का यह भी विचार है कि जब तक संशोधित प्रणाली शुरू नहीं होती, राष्ट्रीय पर्यटक परमिटों की संख्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। परिवहन क्षेत्र के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है। महानगरों के लिए एक परिवहन प्राधिकरण बनाने की सिफारिश भारत सरकार ने इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली है कि जो उप-नगरी रेल सेवा ट्रंक रेल सेवा में चलेगी वह सम्बद्ध रेलवे का ही अंग रहेगी। इस सिफारिश के कार्यान्वयन के निर्देश निर्माण और आवास मन्त्रालय को दिए गए हैं। हाल ही में महानगरों के यातायात के विभिन्न पहलुओं और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है और इसमें पश्चिम बंगाल सरकार के सचिव को भी शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, सड़क यातायात राज्य का विषय है और कार्यकारी दल जो भी निष्कर्ष देगा, उसमें वे सिफारिशें भी शामिल होंगी जो राज्य सरकारों को आगे कार्यवाही करने के सम्बन्ध में की गई थी। सी०टी० बी० और राष्ट्रीय परिवहन नीति आरम्भ करने सम्बन्धी सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है। तथा जैसा कि मैंने पहले कहा दिल्ली में हम उस व्यवस्था को शामिल करने के सम्बन्ध में अध्ययन करने जा रहे हैं।

अब जिस क्षेत्र के सम्बन्ध में मुझे कहना है तथा जिस बारे में मेरे माननीय सहयोगी श्री व्यास तथा हम सबकी बहुत रुचि है, वह क्षेत्र है सड़क यातायात। इससे पहले की मैं सड़क यातायात के सम्बन्ध में कहूं मैं यह बताना चाहता हूं कि बैलगाड़ी के सुधार करने तथा बैलगाड़ी के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिश के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, बंगलौर ने इस सम्बन्ध में शोध कार्य और अध्ययन किया है तथा कई उपयुक्त डिजाइन निकाले हैं तथा इन पर अब परीक्षण किया जा रहा है।

मैं माननीय सदस्य को एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों की जिस मुख्य प्रश्न में बहुत रुचि है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा तथा राष्ट्रीय राजपथ किलोमीटर में वृद्धि। वर्तमान स्थिति यह है कि इस समय देश में 32000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों की कमियों को पूरा करने के लिए 4500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। पुनः यही प्रश्न है कि 'न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।' अतः हमें इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई मांगें की गई हैं तथा मैं इस बात से भी सहमत हूं कि माननीय सदस्यों तथा कुछ राज्य सरकारों की यह मांग उचित है कि राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए तथा कार्यकारी दल उस सम्बन्ध में पहले ही कुछ सिफारिशें कर चुका है। कार्यकारी दल ने यह मांग की है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 7500 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग बनाये जायें।

महोदय, हाल ही में लखनऊ में कुछ बड़े इन्जीनियरों की एक बैठक हुई थी और उन्होंने इस शताब्दी के अन्त तक के लिए भावी योजना तैयार की है। उस भावी योजना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों को 66,000 किलोमीटर लम्बाई तक बढ़ाया जाना चाहिए। स्थिति यह है।

महोदय, हमारी वर्तमान स्थिति यह है कि हम नहीं जानते कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकारी दल की सिफारिशों को योजना आयोग किस हद तक स्वीकार करेगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व हमें सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा लेकिन निश्चित रूप से इस बारे में दो विचारधारायें हैं। एक के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की किलोमीटर लम्बाई बढ़ाई जाए और दूसरे वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था में सुधार किया जाए और उसकी कमियों को दूर किया जाए। वर्तमान स्थिति यह है कि हम इस समय वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था की कमियों को दूर करने पर बल दे रहे हैं।

महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और उनके रख-रखाव के लिए धन आवंटित करने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): नए नेशनल हाई-वे की हमने डिमान्ड की है, उसके सम्बन्ध में कुछ बताइए।

[अनुवाद]

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मेरे मित्र मेरी कठिनाई नहीं समझते। मेरी कठिनाई यह है कि यदि मित्रता के नाते मैं उनकी मांग स्वीकार कर लेता हूं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। स्थिति यह है कि माननीय सदस्य और राज्य सरकारों ने जिन सड़कों की सिफारिशें की हैं, वे सब योजना आयोग के समक्ष रखी गई हैं तथा योजना आयोग कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार करेगा और जब तक सातवीं पंचवर्षीय योजना की अन्तिम स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

मैं समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों को यह गलतफहमी है कि राष्ट्रीय राजपथ के रख-रखाव के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं है।

महोदय, जब हम राष्ट्रीय राजपथ के रख-रखाव के लिए धन का आवंटन करते हैं उस समय हम इन बातों पर विचार करते हैं। उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितनी है, उस क्षेत्र का भू-भाग जहां पर कि राष्ट्रीय राजपथ बना हुआ है, वह कैसा है क्या वह पर्वतीय क्षेत्र है अथवा रेतीला क्षेत्र है, भू-परत किस तरह की है, पथ की गहनता कितनी है तथा सड़क की दशा क्या है इत्यादि। हम किसी भी जगह राष्ट्रीय राजपथ के रख-रखाव तथा विकास के आदि के लिए आवंटन करते समय इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं।

यद्यपि यह मामला पूरी तरह नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय के अधीन नहीं है, परन्तु मैं यह भी कह सकता हूं कि सरकार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गावों में सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम को पर्याप्त महत्व देती है। 1990 तक की उपलब्धियों के सम्बन्ध में योजना लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं 1500 के लगभग आबादी वाले सभी गांव तथा 1000 से 1500 तक की आबादी वाले 50% गावों को सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कों से जोड़ा जायेगा। इसके लिए आवंटित धन अन्य कार्यक्रमों के लिए नहीं दिया जा सकता, अतः यह निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में पर्याप्त प्रगति हुई है। (व्यवधान) मैं नहीं समझता कि मैं इससे अच्छा उत्तर दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आपने 1500 तक की जनसंख्या सीमा के अन्तर्गत कितने गांवों की पूर्ति कर दी है···

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अरे छोड़िए भी उसको ।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने तथा सम्भवत: प्रो० मधु दण्डवते जी ने भी दूसरे हुगली पुल के बारे में प्रश्न उठाया था । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री दास मुन्शी जी ने जो उत्तर दिया है मैं उससे बेहतर उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री नारायण चौबे : उन्हें मंत्री बना दीजिए ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह मेरे हाथ में नहीं है, अन्यथा मैं आपको मंत्री नियुक्त कर देता ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप कैसे नियुक्त कर सकते हैं ? आप ऐसा नहीं कर सकते ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह परियोजना, दूसरा हुगली पुल राष्ट्रीय परियोजना नहीं है अपितु राज्य परियोजना है । राज्य परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार सहायता देती है । यह कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा होता है ।

"पकड़े जाते हैं फरिश्तों के कहे पर न हम"

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : मगर यह तो पता लगाईये कि वह पैसा इन्होंने खर्च भी किया या नहीं । क्योंकि हमको संतोष नहीं हुआ···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मुझे इस तरह की "रनिंग कमेन्टरी" का उत्तर देने की आदत नहीं है । स्थिति यह है कि इस पुल के लिए हमने राज्य सरकार को सहायता दी है । यह निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत ऋण के रूप में दी गई है ।

मैं यह नहीं कहता कि मैंने सभी बातों का उत्तर दे दिया है । परन्तु मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी मुख्य बातों का उत्तर दे दिया है । महोदय, इन शब्दों के साथ मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अत्यन्त उद्देश्यपूर्ण चर्चा में भाग लिया है । मैं कहना चाहता हूं कि मैं नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के लिए अधिक आवंटन के लिए योजना आयोग से आग्रह करता रहा हूं । धन्यवाद ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय मंत्री जी यह बतायें कि हमारे सुझावों के बारे में पैरवी करेंगे या नहीं ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : आप हमारी कर रहे हैं तो हम आपकी क्यों नहीं करेंगे ?

1.41 म. प.

भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प और भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा में कार्य सूची की मद संख्या 10 और 11 को लिया जायेगा जिसके लिए तीन घंटे आवंटित किये गये हैं। श्री सी० जंगा रेड्डी अपना सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 फरवरी, 1985 को प्रख्यापित भोपाल गैस विभीषिका (दावा-कार्यवाही) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, हमारे सामने जो राज्य सभा द्वारा पास किया गया बिल रखा गया है, उसमें भोपाल में जो गैस कांड में लोग पीड़ित हुए हैं और मरे हैं, उनके लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से कोर्ट में लड़ने के लिये अधिकार लिया जा रहा है।

इसमें दो, तीन क्लाजेज ऐसे हैं जिनके बारे में साफ तौर से नहीं बताया गया है कि किस उद्देश्य से सरकार इस बिल को लाई है।

इसमें आपने औब्जैक्टिव में बताया है कि—

[अनुवाद]

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए चिंतित रही है कि विभीषिका के शिकार व्यक्तियों के हितों का पूर्णतया संरक्षण किया जाये और विभीषिका से उद्भूत या उससे संबंधित मृत्यु या वैयक्तिक क्षति के लिए प्रतिकर या नुकसानी के लिए या उससे उद्भूत या उससे संबंधित अन्य विषयों की बाबत दावों के संबंध में शीघ्रता से, प्रभावी रूप से, साम्यापूर्ण रूप से और दावेदारों के सर्वोत्तम हित में कार्यवाही की जाये।

[हिन्दी]

यह सरकार चाहती है कि जो जनता पीड़ित हुई है, अंगहीन हुई है, जो बीमार पड़े हैं, उनकी तरफ से जल्दी से जल्दी कोशिश हो कि उनके केस कोर्ट में ले जाकर उनकी तरफ से लड़कर उनको पैसा दिलाने की कोशिश हो।

मैं कहना यह चाहता हूं कि इस तरह के मल्टीनेशनल्स और भी हैं। हम जानते हैं कि यूनियन कारबाइड वाले कैसे व्यक्ति हैं। सारी दुनिया में उनके उद्योग हैं, हमारे भारत देश में भी कई जगह हैं। हमको कल ही पता चला कि दिल्ली की श्रीराम फर्टिलाइजर्स फैक्टरी में भी यही हाल हो रहा है।

दो तीन दिन से तेलुगू पेपरों में यही नजर आ रहा है कि हैदराबाद के बाजू में भी कई

ऐसी फैक्टरी हैं और वहां के लोग इनसे डर रहे हैं। भारत देश में ऐसी फैक्टरियों के लोग भोपाल गैस कांड से डरे हुए हैं। तेलुगू पेपर में दिखाई देता है कि सैकिंड भोपाल इज गोइंग टू हैपन इन हैदराबाद।

भारत टोबैको कंपनी, दिल्ली की श्रीराम फर्टिलाइजर्स फैक्टरी, लक्ष्मी स्टार फैक्टरी, गोल्डन टोबैको कंपनी हैदराबाद आदि कई ऐसी फैक्टरी हैं जो हमारे भारत देश में हैं और उनमें भारतवासी भी हैं और मल्टी नेशनल्ज भी हैं।

यूनियन कारबाइड कम्पनी बम्बई में भी है, भोपाल में भी है। भोपाल में क्लोराइड कई टन था, सिर्फ दो टन गैस के बारे में बताया गया है जोकि घटना 2 और 3 दिसम्बर को हुई। अगर 14 तारीख को होती तो क्या करते ? उसका काम लेने के लिए हमारी सरकार तैयार कर रही है, उसके लाइसेंस को रद्द नहीं कर रही है। आगे चलकर ऐसे गैस कांड नहीं होंगे ऐसी गारंटी नहीं दी जा रही है। जब हम अपने देश में नई टैक्नॉलाजी अपनाकर विदेशी टैक्नॉलाजी से कारखाने बनाते हैं, या लाइसेंस देते हैं तो हमें उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उससे कोई नुकसान तो पहुंचने वाला नहीं है। इस बिल में इस बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, यह सामग्रीविहीन है। इसको अमेरिका की कोर्ट में लेना चाहिए, अमेरिका के वकीलों की सलाह लेनी चाहिए। इसके बारे में अमेरिका के एडवोकेट क्या बोले हैं, क्या सलाह ली है, इसका पता नहीं है। वहां कॉज आफ ऐक्शन क्यों हुआ, भोपाल में हुआ, इंडिया में हुआ, अब अमेरिका में जाकर हम कैसे लड़ सकते हैं ?

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : यह वहां हो सकता है जहां प्रतिवादी रहता है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : परन्तु उन पर मुकदमा यहां चलाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

आप कहते हैं कि पैसे हम अमेरिका से ले सकते हैं, मगर अमेरिका में लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अमेरिका की कोर्ट ज्यादा पैसा देगी, इसलिए वहां लड़ रहे हैं। इस प्रकार का मजाक हिन्दुस्तान में और बाहर हो रहा है।

[अनुवाद]

उनका कहना है कि भारत सरकार अमरीका में मुकद्दमा चलाना चाहती है क्योंकि अमरीका में क्षतिपूर्ति अधिक है। यूनियन कार्बाइड कम्पनी उसे भारत में बदलना चाहती है। समाचार पत्रों में हम यही पढ़ते आये हैं।

[हिन्दी]

अभी तक पेपरों में पढ़ा है, उसके कारण कई जगह कई लोग मारे गये हैं। पूरे तौर पर इस बिल में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसमें दो असपेक्ट्स हैं। पैसा लेने के बाद दूसरा क्रिमिनल ऐक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो मारे गये हैं, सिर्फ उनके पैसे के बारे में सोच रहे हैं। जिन लोगों के प्राण गये हैं उनके बारे में क्रिमिनल ऐक्शन के नियम नहीं कर सकते, लॉ में प्रावधान नहीं कर सकते, इसके बारे में किसी एडवोकेट से नहीं पूछ सकते।

मध्य प्रदेश और केन्द्र सरकार लाइसेंस कैसे देगी, इसके बारे में वह अपना उत्तरदायित्व अपनी सरकार के ऊपर और मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लादने की कोशिश हो रही है। लाइसेंस क्यों सेंक्शन नहीं किया गया जिस वक्त लाइसेंस सेंक्शन किया है उसकी जांच करनी चाहिए और इण्डस्ट्री जो उद्योग, ठप्प होता है, उससे क्या नुकसान होगा, इस प्रकार की बातों से इसको बिना देखे मध्य प्रदेश और केन्द्र सरकार लाइसेंस सेंक्शन करें, इसलिए यह लाइसेंस देना गुनाह है। हम तो जानते हैं कि यह कम्पनी ऐसी है जो रिसर्च के द्वारा नयी तैयार की हुई दवाइयों को तैयार करने के बजाय और कृमिनाशक दवाइयां तैयार करने के बजाय कैमिकल्स तैयार कर रही थी। यह कम्पनी टू मच इन्टेलिजेंस से हमको धोखा देने की कोशिश कर रही थी। इससे बचाने का प्रबन्ध करना चाहिए था। भोपाल गैस कांड के लोगों को देखकर हमको ऐसा अनुभव हुआ है कि जिस प्रकार से नागासाकी पर जब एटम बम का प्रयोग हुआ उस समय वहां के लोग जिस प्रकार से उससे पीड़ित हुए उसी प्रकार से यहां भी कोई तो पेट के दर्द से मर रहा है, कोई नाक के दर्द से मर रहा है, कोई आंखों से पानी निकलने से परेशान हो रहा है, कई कई तरह की बीमारियां वहां लोगों को हो रही हैं। उससे उनको बचाने के लिए कोई ऐसी दवा नहीं मिल पा रही है। भोपाल में जाकर देखें तो अस्पताल के सामने पेशेंट्स पड़े हुए हैं। मेडिकल बोर्ड ने सोडियो-क्यूओ-सल्फेट नाम की दवा के लिए रेकमेंडेशन किया लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उस दवा को डाक्टर्स नहीं दे रहे हैं। इसीलिए वहां पेशेंट्स परेशान हैं। सरकार इस दवा के बारे में क्या कर रही है यह हमें बताना चाहिए था। अब यह जो कम्पनी है इस कम्पनी का आगे चलकर क्या होने वाला है? उनका जो विष पदार्थ है वह अभी भी वहां पर है। 90 टन क्लोरिन अभी भी वहां पर है। इसके बारे में हमें सोचना होगा।

इस बिल में स्पेशल कोर्ट्स बनाने के बारे में कोई चर्चा नहीं है। कई हजार लोग वहां मर गए। कोई तो धान के फील्ड में, कोई गेहूं की फील्ड में, कोई रेल में, कोई बस में मर गया। कितने ही लोग जगह-जगह मर गए। अमेरिका के एटार्नी और कई विदेशी वकील वहां आए और वहां के लोगों से वकालतनामा भरवा कर ले गए। आप लोगों ने उसको रोकने के लिए क्या किया? जिस वक्त विदेशी लोग आकर इस प्रकार का काम कर रहे थे तो जनता को समझाना चाहिए था कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम इस काम को करने वाले हैं। ऐसे कुछ केसेज अमेरिका की अदालतों में चल रहे हैं। उसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं, यह भी बताना चाहिये था। इसके लिये स्पेशल कोर्ट्स बनाई जानी चाहिये और इण्डिया में इसका दावा चलाना चाहिये। मध्य प्रदेश में यह कोर्ट्स होनी चाहिए और हाई कोर्ट का जज उसमें होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील करने की गुंजाइश होनी चाहिए। अमेरिका में जाने से पैसा ज्यादा मिलेगा, इस प्रकार की आशा करके दूर विदेशों में जाकर दावा करना ठीक नहीं है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनानी चाहिए। इस बिल में इसके लिए कहीं कोई चर्चा या प्रावीजन नहीं है। आगे चलकर भी ऐसी संभावना हो सकती है। इसलिए उसके लिए उपाय होना चाहिए।

इसीलिए यह बिल अपूर्ण है और मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोपाल गैस विभाषिका से उद्भूत होने वाले या उससे सम्बन्धित दावों के सम्बन्ध में शीघ्रता से, प्रभावी रूप से, साम्यापूर्ण रूप से और दावेदारों के सर्वोत्तम हित में कार्यवाही की जाए, केन्द्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने के लिए और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। 2 तथा 3 दिसम्बर, 1984 को भोपाल में गैस रिसाव के कारण जो भयंकर विभीषिका हुई उससे सभी परिचित हैं। सभा सरकार के इस सम्बन्ध में उसके दृढ़ इरादे से भी अनभिज्ञ नहीं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भोपाल गैस विभीषिका से उद्भूत होने वाले या उससे सम्बन्धित दावों के सम्बन्ध में शीघ्रता से, प्रभावी रूप से साम्यापूर्ण रूप से और दावेदारों के सर्वोत्तम हित में कार्यवाही की जाये।

इस इरादे को लागू करने के उद्देश्य से कानूनी स्थिति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया तथा यह अनुभव किया गया कि इन दावों की प्रक्रिया चलाने के लिए कुछ विशेष उपबन्ध किए जाने की आवश्यकता है। तदानुसार भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अध्यादेश 1985 20 फरवरी, 1985 को जारी किया गया। उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापन के लिए एक विधेयक 15 मार्च, 1985 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया। मैं सभा को सूचित करना चाहता हू कि राज्य सभा ने इस विधेयक को बिना संशोधनों के 18 मार्च, 1985 को पारित कर दिया। विधेयक को अब इस सभा में विचार के लिए भेजा गया है।

संक्षेप में, इस विधेयक द्वारा सरकार को भारत में तथा भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति जिसने इस विभीषिका के सम्बन्ध में दावा किया है अथवा दावे करने का पात्र है, का प्रतिनिधित्व करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है कि वे कोई मुकदमा दायर कर सके अथवा विधेयक के खण्ड 3 के अनुसार कोई समझौता कर सके।

विधेयक में विभीषिका के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए आयुक्त की नियुक्ति के लिए तथा दावों के सम्बन्ध में विभिन्न आवश्यक विषयों का उपबन्ध करने के लिए स्कीम का उपबन्ध है। ऐसी स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे दावों के प्रशासन के सम्बन्ध में होने वाले कामों को पूरा करने के लिए विधि का सृजन करने, दावों की तुष्टि के लिए प्राप्त किसी रकम का संवितरण के रूप में उपयोग की व्यवस्था है। ऐसी तैयार की सभी स्कीमों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने की भी विधेयक में व्यवस्था की गई है।

मुझे विश्वास है कि उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिसके कारण ऐसा विधान बनाना आवश्यक हो गया है विधेयक के राज्य सभा की भांति सदस्यों का समर्थन मिलेगा। मैं विधेयक को सभा में विचारार्थ रखता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 फरवरी, 1985 को प्रख्यात भोपाल गैस विभीषिका (दावा-कार्यवाही) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

"कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोपाल गैस विभीषिका से उद्भूत होने वाले या

या उससे सम्बन्धित दावों के सम्बन्ध में शीघ्रता से, प्रभावी रूप से, साम्यापूर्ण रूप से और दावेदारों के सर्वोत्तम हित में कार्यवाही की जाए, केन्द्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने के लिए और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[अनुवाद]

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : सर्वप्रथम मैं इस विधेयक का तथा इस विधेयक को लाने के लिए सरकार के इरादे का स्वागत करना चाहूंगा। यह अति आवश्यक है कि जो लोग कष्ट झेल रहे हैं या जिनको कष्ट पहुंचने की सम्भावना है उन्हें तथा मृतकों के रिश्तेदारों को सहायता मिलनी चाहिए। इसी प्रयोजन के लिए यह विधेयक सरकार द्वारा लाया जा रहा है।

लगभग 2500 लोग मारे गये हालांकि यह संख्या भी ठीक नहीं है, ठीक हो ही नहीं सकती। इस विभीषिका के कारण हजारों ही नहीं बल्कि लाखों लोग कष्ट उठा रहे है। जब हम इस विभीषिका की बात करते हैं तो हमें यह बिल्कुल अच्छी तरह मालूम है कि यह आदमी की अपनी कमी के कारण हुई है। चक्रवात, बाढ़ तथा तूफान जैसी विपत्तियां आती है और उन पर तो किसी का जोर नहीं। इन विपत्तियों में हजारों जाने चली जाती है तथा उन मामलों में भी सरकार ने पीड़ितों तथा उनके सम्बन्धियों को मदद करने का प्रयास किया है। युद्ध से आघात पहुंचने जैसी और भी मनुष्य द्वारा खुद पैदा की गई विपत्तियां हैं। इन मामलों में कोई भी मदद नहीं कर सकता। आजकल ईरान तथा इराक में लड़ाई चल रही, हमारे प्रधान मंत्री ने उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की है परन्तु हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि यह (घमासान) लड़ाई हो रही है। मनुष्य ने यह विपत्ति खुद पैदा की है। विपत्ति मनुष्य ने केवल उत्पन्न ही नहीं की बल्कि कुछ लोगों की आपराधिक असावधानी के कारण इसमें लाखों लोगों की जाने चली गई, लाखों लोग कष्ट उठा रहे है तथा लाखों कष्ट उठायेंगे। इससे कितना नुकसान हुआ है इसका अन्दाजा अभी नहीं लग सका है क्योंकि विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों की राय में इससे जो लोग प्रभावित हुए हैं उन पर बुरा असर पड़ा है तथा असर काफी समय तक चलता रहेगा। गैस रिसाव 2 तथा 3 दिसम्बर 1984 को हुआ।

2.00 म० प०

जो गैस रिसी थी वह बहत ही जहरीली तथा खतरनाक गैस थी, जिसे मिथायल आइसोसाइनेट कहते हैं तथा छोटे रूप में इसे 'मिक' कहते हैं। यह विभीषिका भोपाल स्थित युनियन कारबाइड संयन्त्र में हुई। इस से सम्पत्ति तथा जानों की लगातार भारी क्षति हो रही है। ऐसा सुना गया है कि इस विभीषिका के बाद लाखों लोग भोपाल छोड़ गए। कितने लोगों को इससे नुकसान पहुंचा है यह ठीक तरह से नहीं पता। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह जानने का प्रयास किया गया है कि इस विभीषिका से कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है, कितनों को अभी और नुकसान हो सकता है क्योंकि शुरू में युनियन कारबाइड के विशेषज्ञों तथा भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा था तथा तर्क दिया जा रहा था कि इस प्रकार की गैस से शरीर को क्षति होने की कोई सम्भावना नहीं है। परन्तु वास्तव में इससे बहुत बड़े पैमाने पर शरीर को क्षति पहुंची है। इसीलिए यह अति महत्वपूर्ण है तथा मैं सरकार का ध्यान इस ओर

आकर्षित करना चाहूंगा कि यह पता लगाया जाए इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

मध्य प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है कि जो लोग इस विभीषिका के बाद भोपाल छोड़ गए हैं तथा जिन्होंने जाते हुए अपनी चल सम्पत्ति को बेच दिया है तो वे उस सम्पत्ति के उचित दाम लेने के हकदार हैं, यदि वह सम्पत्ति उन्होंने कम दाम में बेची है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार को यह जानकारी है कि इस आपदा के बाद बहुत से लोग भोपाल छोड़ गए हैं। यह मध्य प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वे यह पता लगायें कि वे लोग कहां चले गए हैं। जहां कहीं भी वे लोग गए होंगे बिना किसी सहायता के कष्ट भोग रहे होंगे। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए ? मैं यह कहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाए। क्योंकि यह मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी कि यह पता लगाए कि कौन लोग चले गये हैं तथा उन लोगों के बारे में जरूरी पूछताछ भी की जाती।

इस प्रकार से जो नुकसान हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, बहुत अधिक है, इतना अधिक है कि इससे अनेक व्यक्तियों के फेफड़े, दिल, गुर्दे तथा शरीर के अन्य अंगों की बहुत भारी क्षति हुई है। कुछ विशेषज्ञों ने बताया है कि इससे कुछ लोगों के स्नायुतंत्र पर भी बुरा असर पड़ा है। इसकी पर्याप्त जांच की जानी चाहिए।

इसीलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, क्योंकि सरकार सम्बन्धित कम्पनी से क्षति के लिए तथा मुआवजा वसूली के लिए मुकदमा चलाने हेतु एक विधेयक लाने का प्रस्ताव कर रही है। यह उतना आसान नहीं है। जबकि सरकार यह आशा कर रही है—तथा मन्त्री जी ने भी खुले शब्दों में यह कहा है कि वे यूनियन कारबाइड निगम को न्यायालय में न ले जाकर उससे बाहर समझौता करने का प्रयास करेंगे—मेरे विचार से यह सम्भव नहीं है क्योंकि निगम के अध्यक्ष श्री एन्डरसन ने बहुत पहले इस सम्बन्ध में अपना बयान दिया था, केवल बयान ही नहीं बल्कि उन्होंने यह संकेत भी दिया था कि तोड़-फोड़ भी इसका कारण हो सकता है। मेरे विचार से यदि इसमें तोड़-फोड़ जरा भी साबित हो जाये तो सरकार मुआवजे की हकदार नहीं है, जिसका अब दावा किया जा रहा है। सरकार को भोपाल में यूनियन कारबाइड संयन्त्र की असावधानी साफ-साफ साबित करनी होगी, जिसका यहां हवाला ही नहीं दिया गया। इस विधेयक में भोपाल के यूनियन कारबाइड संयन्त्र या यूनियन कारबाइड निगम की असावधानी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। यदि सरकार इस सचाई को साबित नहीं कर सकी कि यह विभीषिका असावधानी के कारण हुई है, तो जो लोग मारे गए हैं या जो इससे प्रभावित हैं उनके लिए सरकार मुआवजा लेने की हकदार नहीं है। इस विधेयक में यह शामिल करना अति आवश्यक है कि यह दुर्घटना केवल भोपाल स्थित यूनियन कारबाइड संयन्त्र की असावधानी के कारण हुई। जहां तक इस विधेयक के उपबन्धों का सम्बन्ध है यह निराशाजनक बात है। इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि इससे प्रभावित अधिकांश लोग जीवन के हर क्षेत्र में, जिनमें संभोग भी शामिल है, आनन्द लेने में अयोग्य हो गये हैं, यहां तक कि यह अति चिन्ताजनक है। लाखों लोग दिमागी तथा शारीरिक तौर से कष्ट झेल रहे हैं। उनके शरीर के सभी अंग प्रभावित हुए हैं।

इसकी पूरी जांच नहीं की जा रही है कि कुछ महीनों पश्चात उनकी क्या स्थिति होगी । समाचार पत्रों में यह दिया गया है कि प्रभावित व्यक्तियों में से कुछ को जांच के लिए बम्बई के सेन्ट जार्ज अस्पताल में भेज दिया गया है । इस जांच के दौरान कुछ बहुत ही चिन्ताजनक तथ्य सामने आए हैं । यदि उन तथ्यों पर विचार किया जाए तो प्रभावित व्यक्तियों को होने वाली क्षति की मात्रा बहुत अधिक होगी । वे अपने पूरे जीवन के लिए अयोग्य हो जाएंगे । यदि बात ऐसी है तो फिर समस्या इस बात की है कि इसका हल क्या हो । उनकी पूरी जिन्दगी को खतरा है । इसी-लिए सरकार को इस पर अति गम्भीरता से विचार करना चाहिए तथा इसे छोटी-मोटी बात नहीं समझनी चाहिए । भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद तथा विश्व के अन्य डाक्टरों ने यह पता लगाया है कि मिक के अलग होने तथा फटने से प्रभावित लोगों के शरीर में साइनाइड का जहर फैल सकता है । शुरू में कम्पनी के प्रबन्धकों तथा सरकारी अधिकारियों ने यह तर्क दिया था कि 2 तथा 3 दिसम्बर को रिसी इस दूषित गैस में साइनाइड के जहर का असर नहीं होगा । हम जानते हैं कि साइनाइड विश्व का सबसे अधिक जहरीला पदार्थ है । विभीषिका के कारण एक प्रकार की गैस रिसी जिसे मिक कहा गया है । इस मिक के अलग होने तथा फटने से जिन लोगों के इस गैस से प्रभावित होने की सम्भावना हो उनमें साइनाइड जहर फैल सकता है । इसका मतलब है जो गैस 2 तथा 3 तारीख को रिसी वह उतनी ही खतरनाक थी जितनी की साइनाइड । यदि ऐसा है तो हमें यह देखना है कि इस मामले में क्या किया जा सकता है । सरकार यूनियन कारबाइड पर भारत में या अमरीका में मुकदमा चलाने पर विचार कर रही है । कम्पनी इतनी आसानी से जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार के तोड़-फोड़ के कारण ऐसा होने का संकेत दिया है । यह कहा गया कि गैस का रिसाव दूषित पानी के कारण हुआ होगा । लेकिन यूनियन कारबाइड अध्यक्ष श्री एन्डरसन ने कहा कि यह संभव नहीं है कि रिसाव के मुख्य कारण जल प्रदूषण से यह दुर्घटना हुई थी । अत: इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए सरकार को संयंत्र के प्रबन्धक को असावधानी का पता लगाने के बारे में सतर्क रहना चाहिए । जब तक असावधानी प्रमाणित नहीं की जाती है तब तक सरकार क्षति के लिए मुआवजा मांगने की हकदार नहीं होगी । क्षति कितनी हुई है, इसके बारे में यहां नहीं बताया गया है और इसको यहां बताया नहीं जा सकता है । विधेयक में यह व्यवस्था की गई है । एक योजना इस बारे में बनायी जाएगी तथा इस योजना में हर बात पर ध्यान दिया जाएगा । मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि योजना में सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा लेकिन प्रभावित लोगों के बारे में पता लगाने के लिए योजना में किसी भी बात की व्यवस्था नहीं की गई है । मैं योजना के बारे में विस्तृत रूप से नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन योजना में प्रभावित लोगों का पता लगाने के लिए किसी तंत्र की स्थापना की व्यवस्था नहीं की गई है और जब तक हम वास्तव में प्रभावित लोगों का पता लगाने की स्थिति में नहीं होते तब तक प्रभावित लोगों के लिए दावा करना सरकार के लिए संभव नहीं है । जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था तो इसमें भोपाल नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र शामिल किए गए थे । इसका अर्थ यह हुआ कि संयंत्र के पास रहने वाले व्यक्ति ही नहीं बल्कि संयंत्र से 5 कि०मी० तक के अन्दर रहने वाले व्यक्ति भी इससे प्रभावित हुए हैं । और यदि ऐसा हुआ है तो विशेष दुःखद घटना द्वारा कितने लोग प्रभावित हुए हैं उनके बारे में तथ्यों का पता लगाना बहुत आवश्यक है । इस बारे में

कम्पनी के रवैया और इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जहां तक इस दुःखद घटना का संबंध है वह सावधान रहे तथा इसके लिए सुस्पष्ट विधान की व्यवस्था करे।

मैंने विधेयक में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है लेकिन इन संशोधनों को पेश करने के लिए शायद मैं इस सदन में नहीं हूंगा क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और मुझे शाम 5.30 बजे तुरंत जाना पड़ेगा। मैं सरकार के ध्यान में कुछ संशोधन लाना चाहता हूं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य सभा ने इस विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित किया है लेकिन मैं कुछ संशोधनों के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा है कि असावधानी को प्रमाणित करना होगा। विधेयक मेंविधेयक में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि विधेयक में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त महोदय, मैं विधेयक के खंड 2(क) की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं! इसमें कहा गया है :

> "भोपाल गैस विभीषिका या "विभीषिका" से 2 और 3 दिसम्बर, 1984 की घटना अभिप्रेत है, जिसमें भोपाल संयंत्र से (जो संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, की समानुषंगी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का है) अत्यधिक अनिष्टकारी और अत्यन्त खतरनाक गैस का निकलना अन्तर्वलित था और जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में जीवन-हानि और सम्पत्ति का नुकसान हुआ"।

आपने यहां कहा है जिसका परिणाम व्यापक स्तर पर जीवन-हानि और सम्पत्ति की क्षति हुई। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या होगा जो शारीरिक दृष्टि से प्रभावित हुए हैं या जो घायल हुए हैं या प्रभावित होने वाले हैं या निकट भविष्य में घायल हुए हैं? यदि विधेयक में उसे शामिल नहीं किया जाता है तो मेरे अनुसार सरकार उन लोगों के लिए, जो शारीरिक रूप से प्रभावित हुए हैं या घायल हुए हैं या प्रभावित होने वाले हैं या घायल हुए हैं, क्षतिपूर्ति मांगने की हकदार नहीं होगी। अतः मैं इस बारे में कतिपय उपबंध करने के लिए मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

विधेयक में मामलों को वापस लेने और समझौता करने के बारे में यह व्यवस्था है कि सरकार किसी भी मामले को वापस लेने या समझौता करने की हकदार होगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार को ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए लेकिन सरकार जब इस शक्ति को ले रही है तो मैं इस बारे में यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब समझौता किया जाए या जब कोई मामला वापस लिया जाए तो ऐसा प्रभावित पार्टी की स्वीकृति से किया जाना चाहिए क्योंकि जब तक प्रभावित हुए लोगों की राय नहीं ली जाएगी तब तक संभावना यह है कि इससे हानि होगी। अतः मैं सरकार से इस पहलू पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं।

इतना कहते हुए मैं सरकार से इन पहलुओं पर विचार करने तथा बहुत सावधान रहने के लिये अनुरोध करता हूं, क्योंकि शायद प्रबन्धक समझौते के लिये तैयार नहीं होंगे। मैं विस्तार में न जाकर केवल एक या दो उदाहरण दूंगा। एक 16 वर्ष की लड़की ने जो इस दुःखद घटना से प्रभावित हुई थी कम्पनी से क्षति के लिए मुआवजा का दावा किया। कम्पनी ने तर्क दिया कि

सयंत्र में कोई खराबी नहीं है। और इसलिये कम्पनी उस दावेदार को किसी प्रकार के मुआवजे को देने के लिये बाध्य नहीं है। जिसने फेफड़े खराब होने के आधार पर दावा किया। जब कंपनी का इस तरह का रवैया है तो सरकार को बहुत सावधान रहना चाहिए और यह देखना चाहिये कि वे कम्पनी को असावधानी के लिये कहां ठीक पकड़ा जा सकता है।

जो लोग पहले से ही दुःख भोग रहे हैं, उनके अलावा अजन्मे बच्चे भी दुःख भोग रहे होंगे। यह विशेषज्ञों की राय है शायद गर्भवती महिलायें इससे बहुत प्रभावित होंगी। केवल मां ही नहीं बल्कि महिला के गर्भाशय में अजन्मा बच्चा भी शायद प्रभावित होगा। भोपाल गैस दुर्घटना का प्रभाव अभी भी अजन्मे बच्चों पर होगा। इस दुःखद घटना के बाद जो पहला बच्चा हुआ था उसकी आंखें नहीं थीं या उसके लिंग को पहचानने के लिये अंग नहीं थे। असामान्यता इतनी थी और इस घटना का वह सीधा परिणाम था।

जब फेफड़े, गुर्दे तथा दिल प्रभावित हो जाते हैं तो वास्तव में गर्भस्थ शिशु भी काफी प्रभावित होगा। यह बहुत गंभीर मामला है।

यह अच्छी बात है कि सरकार ने सही कदम उठाया है। लेकिन सही कदम उठाने के बाद कुछ एहतियाती कदम उठाये जाने होंगे जो मेरे कहने के अनुसार नहीं उठाये गये हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से इन सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये अनुरोध करता हूं। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, भोपाल गैस लीक डिजास्टर बिल 1985 जो यहां प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

भोपाल में जो दुर्घटना हुई वैसी दुर्घटना अपने भारत वर्ष में तो पहले कभी भी नहीं हुई। मैं समझता हूं कि विश्व में भी इस प्रकार की दुर्घटना एक ही रही होगी जिसको जानकर और देखकर हमको बड़ा भारी दुःख होता है।

इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की ओर से जो बिल पेश किया गया है और उसके द्वारा, जो भी भोपाल के गैस से पीड़ित लोग है, या इस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको मुआवजे आदि से किस प्रकार सहायता की जाये, इस बात का प्रावधान किया गया है। हमारी केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी क्लेमेन्टस हैं उनके क्लेम्स के बारे में प्रोसेस करके और पूरी जानकारी प्राप्त करके फिर अमेरिका के अन्दर सूट दायर करने की कार्यवाही की जाये।

यह निर्णय लिया गया गया है। प्रश्न यह है कि क्या अपने देश में ही यूनियन कारबाइड के विरुद्ध हम कदम उठा सकते हैं या नहीं। हमें केवल अमरीका में जाकर के उनके कोर्ट्स में कार्यवाही करने की आवश्यकता क्यों है, यह प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है, जबकि काज आफ एक्शन, जो दुर्घटना हुई है वह भोपाल में हुई है। इस दृष्टिकोण से कार्यवाही मध्य प्रदेश में और भोपाल में होनी चाहिए, उसके कोर्ट्स में होनी चाहिए, परन्तु सवाल यह उठता है कि जो डिफेंडर है वह अमरीका का रहने वाला है, इसलिए वहां पर कार्यवाही की जा सकती है, यह भी एक प्रश्न उठता है, परन्तु इस प्रकार के लाज हमारे देश में बनें, जिससे देश में इस प्रकार की जो

कम्पनीज हैं, जो मल्टी नेशनल कम्पनीज हैं, विदेशी कम्पनीज हैं, उनके विरुद्ध देश में ही कार्यवाही की जा सके । इस प्रकार का कानून बनना चाहिए कि हम इस देश में भी उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें और कार्यवाही करके उनके खिलाफ एक्शन ले सकें ।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम दावा प्रस्तुत करेंगे, उसमें हमारे ऊपर बर्डन आफ प्रूव आएगा कि ये जो दुर्घटना हुई है, उसके लिए यूनियन कारबाइड जिम्मेदार है या नहीं है और उसकी लापरवाही से यह काण्ड हुआ है या नहीं हुआ है । क्या उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है, क्या उन्होंने इस प्रकार की सावधानी बरती है या नहीं बरती है, इस संबंध में बर्डन आफ प्रूव हमारे ऊपर आता है, इसकी रिसपोंसिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है, जब हम सूट प्रस्तुत करते हैं । (*व्यवधान*) मैं तो यही जानता हूं कि जो दावा प्रस्तुत करेगा, उसी पर यह रिसपोंसिबिलिटी आती है,प्रूव करने की जिम्मेदारी आती है । जब प्रूव करने की जिम्मेदारी आती है तो हमें यह साबित करने की आवश्यकता है कि जो यह यूनियन कारबाइड का कारखाना है, उसकी तरफ से इस प्रकार की कोई लापरवाही बरती गई है । तो इस संबंध में हमने जो सूट प्रस्तुत करना है, उसके लिए हमें जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है । हमें जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है कि इस यूनियन कारबाइड के द्वारा किस प्रकार की उपेक्षा की गई है, यह हमें जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है । इस संबंध में जो सूट प्रस्तुत किया गया है, इसमें यह भी प्रावीजन रखा गया यह कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से लीगल जो एडवोकेट रखेगी, उसके साथ-साथ यह प्रावीजन रखा गया है कि जो क्लेमेंट हैं, वह भी अपना वकील अपाएंट कर सकता है मुकर्रर कर सकता है । यह जो प्रावीजन रखा गया है, यह प्रावीजन स्वागत योग्य है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एडवोकेट अगर अच्छी तरह से पैरवी नहीं करता तो जिसका क्लेम है, उसके लिए उसको खुद का वकील करने का अधिकार दिया गया है । तो यह प्रावीजन उचित है और इसको होना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की जो केलेमिटीज आती हैं, कभी भूकंप आता है, कभी अकाल की स्थिति बनती है और कभी इस प्रकार के डिजास्टर होते हैं, जैसे भोपाल में हुए हैं, तो इसके लिए नेशनल केलेमिटीज फण्ड होना चाहिए और नेशनल केलेमिटीज फण्ड में उनको रिलीफ देने की व्यवस्था होनी चाहिए । मेरा यह भी मत है कि इसके लिए केन्द्र को सारे प्रदेशों से चन्दा इकट्ठा करना चाहिए, जिस प्रकार से बिहार में भूकंप आया था तो हमने यह कोशिश की थी और केन्द्र ने सारे प्रदेशों से चन्दा इकट्ठा किया था । लोगों ने खुशी से चन्दा दिया था और अच्छी तरह से भूकंप का मुकाबला किया था । इस प्रकार की ट्रेजडी, जिसमें 2500 लोगों की मृत्यु हुई है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं तथा जिनका भविष्य अन्धकार में है, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी दुर्घटना को फेस करने की अपील करें । हमें अपील करने पर करोड़ों रुपए मिलेंगे और उसके बाद प्रभावित लोगों की हम सहायता कर सकेंगे । मेडीसीन और बसाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी । 95 परसेंट के करीब झुग्गी झोपड़ी वाले या गरीब लोग प्रभावित हुए हैं । उनको बसाने की योजना बननी चाहिएं । मध्य प्रदेश सरकार इस प्रकार की योजना बनाए और उसके लिए केन्द्र सरकार विशेष रूप से मदद दे । उनको जो भी सुविधा दी जा सकती है, वह दी जानी चाहिए । बहुत ही योग्य वकील

मुकर्रर करके उसकी अच्छी तरह से पैरवी करनी चाहिए । अमेरिका से भी योग्य वकील मुकर्रर करके अच्छी तरह से पैरवी करनी चाहिए । उनको मुआवजा देने का भी प्रयास करना चाहिए । प्रश्न यह है कि इस संबंध में जल्द से जल्द राहत देने और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री के.एल. प्रधान (भोपाल) : सभापति जी, इस विधेयक से कोई/इस सदन का सदस्य असहमत नहीं होगा । भोपाल में क्या हुआ है, हम क्या मुआवजा लेना चाहते हैं, यहां बैठे सभी माननीय सदस्य केवल सुनकर, अखबारों में पढ़कर या एक दूसरे से बात करके उस बात का अनुमान लगाते हैं । वास्तव में कितनी जबरदस्त भयानक और भंयकर विभीषिका थी, उसका अनुमान वही लगा सकते हैं जो उस समय वहां पर मौजूद थे और जिन्होंने उस विभीषिका को तथा उसके बाद में क्या प्रभाव पड़े हैं, उसको देखा है तथा जो यह जानते हैं कि आज किस बात की आवश्यकता है । मैं वह बदकिस्मत संसद सदस्य हूं जो उस क्षेत्र से चुना गया हूं । उस गरीब और पीड़ित जनता ने मुझे चुना है । मुझे भी घाटा हुआ है क्योंकि एक महीने के बाद ही मैं इस सदन का सदस्य बन सका हूं । सब सदस्यों से उस विभीषिका की वजह से एक महीने जूनियर हो गया हूं । हम मुआवजा लेना चाहते है । उसके लिए निश्चय ही योजना बननी चाहिए और अधिक से अधिक मिलना चाहिए । जब तक हम इस बात का अनुमान नहीं लगा लेते कि वास्तव में हमें कितना मुआवजा लेना है और किस किस बात का लेना है तब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते । मुआवजा लेने का जहां तक सवाल है, मैंने अंदाज लगाया कि सबके जहन में ऐसी बात है कि जो लोग मरे हैं उनका मुआवजा और जो शारीरिक रूप से प्रभावित हैं, उनका मुआवजा ले लिया जाए । शारीरिक रूप से प्रभावित होने में दो तरह के प्रभाव हुए हैं, एक तो ग्रीवियस इन्जरी और दूसरी सिम्पल इन्जरी । अभी जब मदद की बात सरकार के सामने थी तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि जो लोग मरे हैं, उनके वारिसों को दस हजार रुपये दिए जायें ।

जो ग्रीवियसली इंजर्ड हैं उनको 2 हजार रुपया दिया जाए और जिनको सिम्पल इंजरी है, उन्हें एक हजार रुपया दिया जाए । श्रीमन्, उस रिलीफ कमेटी में मैं भी था और मैंने अफसरों और डाक्टरों से यह पूछा कि आप सिम्पल इंजरी का डैफिनीशन कैसे देंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि अमुक को सिम्पल इंजरी हुई है, आप सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इसकी आंखों में गैस का प्रभाव हुआ है, प्रभाव को भी आप कैसे स्पष्ट करेंगे, कितने लोगों की आखों में गैस घुसी, कितने लोगों ने दवा ली, कब तक दवा लेते रहे, किन-किन को आफ्टर इफैक्ट्स हुए, इस सबका जवाब उनके पास नहीं था । यही कारण है कि आज तक सिवाय कुछ आरम्भिक केसों के, जिनमें किसी को दो हजार रुपए मिले, किसी को एक हजार रुपए मिले, उसके बाद वह मदद बंद कर दी गई और मदद बंद इसलिए की गई कि जब तक सर्वे का काम पूरा न हो जाए, जब तक हम यह निश्चित नहीं कर लेते कि किसको कितनी मदद पहुंचानी है, हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते ।

श्रीमन्, सर्वे का कार्य टाटा इंस्टीट्यूट के लोगों के सुपुर्द किया गया लेकिन वह भी अधूरा ही रह गया । मेरे कहने का मतलब यह है कि भोपाल में गैस रिसने से हुई विभीषिका का हम अन्दाज नहीं लगा सकते ।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (भिवनापुर) : महोदय, मंत्री कहां हैं ?

सभापति महोदय : यह तो संयुक्त उत्तरदायित्व है । कुछ माननीय मंत्री सदन में मौजूद हैं ।

श्री नारायण चौबे : ऐसा लगता है कि इसे अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया है ।

सभापति महोदय : यह तो संयुक्त उत्तरदायित्व है । मंत्री सदन में मौजूद हैं । वे भाषण में उठाये गये मुद्दों को ध्यान से सुन रहे हैं ।

श्री नारायण चौबे : पीड़ित व्यक्ति मानसिक तौर पर नहीं मरे हैं । उनकी शारीरिक तौर पर मृत्यु हुई है । क्या यह मंत्रियों की ओर से कोई नई गैस है ?

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस बात का सर्वे तो होना ही चाहिए कि कितने लोगों के ऊपर शारीरिक रूप से गैस का प्रभाव पड़ा और सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ ।

श्रीमन्, जिस रात में दो और तीन बजे के बीच में यह दर्दनाक घटना घटी, आप इससे अंदाजा लगाईये कि रात के 12 बजे से लेकर प्रात: 5-5 बजे तक पूरे भोपाल शहर में हर गली और सड़क पर लोग इस प्रकार से भाग रहे थे मानो मौत उनके पीछे लगी हो । किसी को अपनी या किसी की चिन्ता नहीं थी, बेटे को बाप की चिन्ता नहीं थी, पति को पत्नी की चिन्ता नहीं थी, हर आदमी सिर पर पांव रखकर भाग रहा था और सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : किन-किन पत्नियों को अपने पतियों की चिन्ता नहीं थी···

श्री के० एन० प्रधान : यदि आप भोपाल में होते तो एक नहीं अनेकों को देख सकते थे । इससे पहले भी 1982 वर्ष में ऐसी ही एक घटना भोपाल में घट चुकी है जिसमें वहां के कुछ कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी और सबसे पहले मध्य प्रदेश विधान सभा में मैंने ही इस प्रश्न को उठाया था और कहा कि यदि किसी रोज यह जहरीली गैस फैक्टरी से बाहर निकल गई तो भोपाल शहर का क्या हश्र होगा, इस पर विचार किया जाए । कल जब यहां पर हमारे एक साथी श्रीराम कैमिकल्स के ऊपर चर्चा करते हुए कह रहे थे···

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : मध्य प्रदेश की विधान सभा में आपने कब इस प्रश्न को उठाया था?

श्री के० एन० प्रधान : यह प्रश्न मैंने मार्च, 1982 में उठाया था और यह बात कही थी कि इसको रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं । कल ललित जी इस सदन में श्रीराम कैमिकल्स फैक्टरी के सम्बन्ध में कह रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि भोपाल की हिस्ट्री दिल्ली में दोहराई जाए, आप विश्वास मानिये कि मेरे अन्दर भी वैसी ही एक फुरैरी सी दौड़ गई क्योंकि इसी प्रकार का जवाब मध्य प्रदेश की विधान सभा में मुझे दिया गया था कि सब कुछ देख लिया गया है, सब ठीक है, पूरी जांच कर ली गई है और यह कोई पत्थर नहीं है, जिसे एक तरफ से उठाकर दूसरी तरफ रख दिया जाए ।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मौत से बचाने के लिए कोई नियम और कोई कानून आड़े नहीं आ सकता, कोई सरकार आड़े नहीं आ सकती, जैसा कांड भोपाल में घटा है,

जैसी परिस्थितियां वहां पैदा हुई, सरकार उसे जिम्मेदारी के साथ और सीरियसली ले और जितना जल्दी से जल्दी सम्भव हो, श्रीराम कैमिकल्स फैक्टरी के सम्बन्ध में भी सुरक्षात्मक पग उठाये तभी ठीक रहेगा। जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ, जांच की जा सकती है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है···हमारे बहुत से साथी इस पर शक करते हैं कि वहां जब मुआवजे का केस होगा तो यह साबित करना होगा कि कम्पनी जिम्मेदार है। कम्पनी निश्चित रूप से जिम्मेदार है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शराफत की डिप्लोमेसी के साथ-साथ हम इस बात को भी एग्जामिन करें कि इस जहरीली गैस का इन्सान पर क्या असर पड़ने वाला है, उसके आफटर इफैक्ट्स क्या होंगे ? कहीं इसका तजुर्बा इस गरीब देश, गरीब भोपाल और गरीब भोपाल की जनता पर तो नहीं किया गया ?

एम आई सी गैस जिस टंकी में रखी जाती है, अमरीका की उन फैक्टरियों में अच्छे किस्म का स्टेनलैस स्टील इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह उनकी अपनी रिपोर्ट में शामिल है कि एम आई सी गैस की टंकी में अगर खाली पानी जायेगा तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर आयरन मिक्स्ड पानी जायेगा तो वह रि-एक्ट करेगा। वहां पर कार्बन स्टील की टंकी का यूज किया गया।

इस प्रकार उस फैक्टरी के अन्दर 5 स्पैशलिस्ट काम करते थे। एक वर्ष के अन्दर-अन्दर उनमें से 4 को वहां से हटा लिया गया था, केवल एक विशेषज्ञ वहां पर मौजूद था, जब यह घटना घटी थी।

इसी तरह रैशनलाइजेशन के नाम पर वहां इंटक की यूनियन थी। उसको फैक्टरी ने इस बात के लिये मजबूर किया कि यहां पर कर्मचारियों की स्ट्रेन्थ कम की जाये। इंटक की यूनियन तैयार नहीं हुई। मजदूरों को ज्यादा एमोल्यूमैंट्स का लालच दिया गया और यूनियन को इस ढंग से पटाया गया कि आपके मजदूरों को ज्यादा एमोल्यूमैंट्स मिलने वाले हैं, आप एग्रिमैंट करवायें कि यहां से छटनी होनी चाहिये, स्ट्रेन्थ कम होनी चाहिये। इंटक की यूनियन के पदाधिकारियों का घेराव किया गया, उनको मजबूर किया गया उस एग्रीमैंट पर दस्तखत करने के लिये।

जिस टंकी से यह लीकेज हुआ है, उस जगह पर पहले 19 लोग काम करते थे जो कि सब ट्रेन्ड हुआ करते थे। एग्रीमैंट के बाद 11 आदमी काम करते थे, उनमें सिर्फ 4 ट्रेन्ड थे। क्या यह इस बात को इंगित नहीं करता कि जानबूझकर इस तरह से करने का इरादा था कि मालूम सिर्फ यह हो कि यह एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वास्तव में चाहते यह थे कि गैस बाहर फैले, उसका गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से मरेंगे, तड़पेंगे और किस तरह से उनका इलाज होगा और किस तरह से उसके आफटर इफैक्ट्स होंगे, इस सबका तजुर्बा किया जा सके। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिये।

कितना नुकसान हुआ, इस बात का अन्दाजा तो आप इससे लगा लीजिये कि जिस रात को घटना घटी, लगभग 4 लाख लोग भोपाल शहर से भागे थे, जिनमें से 1 लाख लौटकर नहीं आये। आपरेशन-फेथ जब तक शुरू हुआ, तब तक बराबर लोग इस डर से भागते गये कि पता

नहीं कब वह टंकी फट जाये और कब गैस निकलना शुरू कर दे, तो किस तरह से हम निकलेंगे और उसका क्या असर हम पर होगा। इस डर से लोगों ने भागना शुरू किया। इस सिलसिले में लोग अपने बर्तन, साइकल, मुर्गा-मुर्गी, बकरा-बकरी, जो भी सामान था, उसको औने-पौने दाम में बेचकर भोपाल से रवाना हो गये।

जिस रोज आपरेशन-फ्रेंथ हुआ था, पुराने शहर भोपाल में, जिसकी आबादी तकरीबन 4,5 लाख है, उसमें हर जगह ताले डले हुए थे, मरघट का सा सन्नाटा था। वहां पर केवल 2,3 हजार लोग जो या तो ट्रेफिक के लोग थे, पुलिस या हस्पताल के लोग थे, वही काम कर रहे थे, बाकी शहर भोपाल पूरी तरह खाली था, वीरान था।

टी० टी० नगर, एच० ई० एल० में भी 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने अपनी फैमिलीज को बाहर भेज दिया था। इस तरह 9 लाख की आबादी में से 7 लाख से ज्यादा लोग बाहर थे। जहां तक असर का सवाल है, भोपाल, सीहोर और रायसेन तीन जिले ऐसे हैं जिसका कोई कस्बा, कोई गांव ऐसा नहीं था जहां पर भोपाल के लोग न पहुंचे हों। कड़कती सर्दी में उन लोगों ने रात को आग जलाकर अपने बच्चों को सर्दी से बचाने का प्रयास किया। उसके बाद लौटने के लिए उनके सामने यह समस्या थी कि वह कहां से खायेंगे ? क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कैसे हम भोपाल वापिस जायें। वहा पूरे धंधे चौपट हो गए हैं, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, कारोबार ठप्प हो चुका है। आज भी 50 हजार कुटुम्ब बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित हैं। सरकार ने बहुत कोशिश की है, इसके लिए मैं केन्द्र सरकार का भी आभारी हूं और विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं कि 4 तारीख को वह भोपाल पहुंचे और सिसकती और तड़पती मानवता को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उनको पूरी मदद पहुंचाई। तीन महीने तक पीड़ितों को मुफ्त राशन देने की जो स्कीम बनी थी वह भी 31 मार्च को खत्म होने जा रही है, इस बारे में भी अब आपको सोचना चाहिए।

आप मुआवजे की स्कीम बनायें, बहुत अच्छी बात है। कब तक फैसला होगा ? कब तक लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके इलाज का क्या होगा ? इस बारे में भी जल्द से जल्द सोचा जाना चाहिए। आज सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की हो रही है कि आज अमेरिका में बैठा हुआ डाक्टर, कलकत्ता में बैठा हुआ डाक्टर, बीमारी के बारे में अजीब-अजीब ढंगों की चीजों को लिखता है। जिसके कारण भोपाल के रहने वाले इंसानों की जिन्दगी बहुत डर से कट रही है, वह सोचता है मालूम नहीं कल उसका क्या होगा। जो पीड़ित हुए हैं, वे तो इस पीड़ा को भुगत ही रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित नहीं हैं, वे मानसिक रूप से पीड़ित हो गए हैं, उनकी पीड़ा को दूर करना बहुत जरूरी है। वहां इलाज हो रहा है, कई डिसपेंसरियां हैं, लेकिन सिस्टेमैटिक-वे होना चाहिए, एक बड़ा अस्पताल कायम होना चाहिए। यह स्कीम होनी चाहिए कि उनका इलाज किस तरीके से हो और कौन-कौन सी दवाओं की जरूरत पड़ेगी, किन दवाओं से वह ठीक हो सकता है। अगर यह नहीं किया तो समस्यायें बढ़ती चली जायेंगी।

इसी तरीके से जो पीड़ित लोग हैं जिनकी आंखें आज ठीक नहीं हैं, जिनकी टांगें बेकार हो गई हैं, फेफड़े खराब हैं, उनके लिए भी रोजी रोटी की व्यवस्था की जाये। रोजगार बढ़ाने के लिए जो कारखाने बंद पड़े हैं, उनको खोला जाये। एच० ई० एल० को एक्सपेंड करने के लिए

आपको विचार करना चाहिए और अंडरग्राउंड ट्रेंचेज और स्लम क्लीयरेंस की मद में रकम दी जाये।

भोपाल को हिन्दुस्तान में री-आर्गेनाइज के बाद से नई राजधानियों के नाम से सबसे कम पैसा दिया गया है, इस तरफ आप अवश्य ध्यान दें। आज केन्द्रीय सरकार के नेता माननीय राजीव गांधी हैं, जिनको भोपाल से बहुत ज्यादा हमदर्दी है, जब वह भोपाल पधारे तो उन्होंने तत्काल बताया कि वहां पर मदद पहुंचाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि भोपाल में इस योजना को केवल मुआवजे की स्कीम तक सीमित न करके लोगों के इलाज और रोजगार की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

भोपाल में रह रहे नागरिकों को उनकी पीड़ा से मुक्त नहीं कराया और रोजगार नहीं दिलाया तो यह मगरमच्छ के आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी केन्द्रीय सरकार इस दावे की योजना के साथ-साथ उनके पुनर्वास, उनके रोजगार और उनके इलाज के लिए भी पूरी स्कीम तैयार करके इस भोपाल गरीब को जहां पर हमें अन्दाजा यह है कि एक तजर्बा किया गया है, उस को राहत पहुंचाने के लिए जरूर कदम उठाएगी।

[अनुवाद]

श्री एस. एम. भट्टम (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, सदन के समक्ष रखे गए इस विधेयक का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने भोपाल में हाल ही में घटी भयंकर दुर्घटना के कारण पीड़ित लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली है। इस तरह की दुर्घटना पहले कभी नहीं घटी। विश्व में भी अपने तरह की यह एक दुर्घटना है। मेरी शुभ कामना है कि वे इस दायित्व को सफलतापूर्वक निभा सकें।

मुझे खुशी है कि भोपाल दुर्घटना के पीड़ितों तथा प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों के अन्य संबंधियों के हितों की रक्षा के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इसी तरह की दुर्घटनाओं—ईश्वर न करे ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति हो—से निपटने के लिए सरकार को एक स्थायी अधिनियम बनाना चाहिए जैसा अग्नि दुर्घटनाओं की स्थिति में अग्नि पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्थायी निर्देश हैं। एक स्थायी अधिनियम होना चाहिए जिसके अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली जानी चाहिए चाहे पीड़ित व्यक्ति कोई भी हो, देश के किसी भी हिस्से में दुर्घटना घटी हो तथा किसी भी परिस्थिति में दुर्घटना हुई हो। यह मेरा पहला सुझाव है जिसे मैं मंत्री के समक्ष रखता हूं।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं मंत्री महोदय के कंधों पर बहुत भारी जिम्मेवारी है। कितने लोग गैस से प्रभावित हुए, कितनों की मौतें हुईं, कितने घायल हुए, कितनों को अभी इससे तकलीफ होगी, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए, आगे आने वाली कितनी पीढ़ियां गैस दुर्घटना के कारण विकलांग होंगी—उन्हें इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए तथा देखना चाहिए कि उनको आवश्यक मुआवजे का भुगतान किया जाए। इस बारे में हमारे पास आंकड़े होने चाहिएं। पीछे किसी और अवसर पर मंत्री जी ने सदन के समक्ष वे आंकड़े रखे थे जो उस समय उपलब्ध थे। लेकिन वे आंकड़े पूरे नहीं थे। शायद उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है।

इसके लिए एक अलग निकाय का गठन किया गया है। यहां बताया गया था कि टाटा समाज विज्ञान संस्थान को यह काम सौंपा गया है। उन्हें सूचना एकत्र करने तथा संबंधित अधिकारियों के समक्ष उसे रखने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। शायद यह काम जारी है। प्रभावित व्यक्तियों की संख्या का पता लगाए बिना सरकार के लिए यह कैसे संभव है कि वह उनके हितों की रक्षा करे तथा वे सब उपाय करे जो उपयुक्त भुगतान के लिए उनका मामला न्यायालय में दायर करने से पूर्व जरूरी हैं। अतः मंत्री जी को जरूरी आंकड़े एकत्र करके उन्हें यथा संभव शीघ्र तैयार करना चाहिए। इस न्यूनतम जरूरत को पूरा करना निहायत जरूरी है। शुरू में मैं यही बात बताना चाहूंगा। जहां तक सीमा का प्रश्न है इस संबंध में परिसीमन अधिनियम बना हुआ है। मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा 8(1) के अन्तर्गत (i) सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए एक विशेष समयावधि निर्धारित है। लेकिन भोपाल अपवाद स्वरूप इस विधेयक में अदालत में विलम्ब से अपील की व्यवस्था की गई है। ठीक है। लेकिन मैं उनसे दोबारा अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि इस विधेयक के अन्तर्गत इस तरह की छूट देना तथा 'मूल' अधिनियम अर्थात परिसीमन अधिनियम 1963 में इस तरह की छूट न देना क्या कानूनी तौर पर मान्य है उसमें इस छूट की व्यवस्था न करना तथा इस विधेयक में इसकी व्यवस्था क्या मान्य होगी ?.....

सभापति महोदय : यह विशेष विधान है जबकि परिसीमन अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है।

श्री एस. एम. भट्टम : विशेष अधिनियम होगा, लेकिन क्या यह उस अधिनियम का अतिक्रमण करेगा ? इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूं ताकि वे इस मामले को सुस्पष्ट बना सकें। ऐसा संबंधित व्यक्तियों के हित के लिए कह रहा हूं। मेरा उद्देश्य इस संबंध में किसी की गलतियां बताना नहीं है। अतः इस पहलू पर उन्हें दोबारा से विचार करना चाहिए।

इसी पर नहीं बल्कि मंत्री महोदय को एक अन्य पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। मंत्री महोदय के समक्ष दो उपाय हैं। पहला कि वे सभी प्रभावित लोगों की ओर से इस देश में, न्यायालय में मुकदमा दायर करें अथवा वे अमेरिकी न्यायालय में मुकदमा दायर करें। तीसरा उपाय यह है कि वे अदालत में ना जाकर बाहर ही मामला निपटा लें। उनके समक्ष ये तीन उपाय हैं। वे कौन सा उपाय अपनाएंगे ? क्या वे इस देश में न्यायालय में अपील करेंगे ? या वे अमेरिकी न्यायालय में जाएंगे ? वे कौन सा उपाय अपनाएंगे ?

पीछे एक बार महा न्यायवादी को अमेरिकी विधि व्यवस्था, तथा विधिवेत्ताओं और विधि संगठनों और निकायों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए भेजा गया था। इसी तरह सचिव, विधि विभाग को हालात के जायजे के लिए दोबारा अमेरिका भेजा गया था। उसके क्या परिणाम निकले ? क्या हुआ ? तथा क्या निर्णय लिया गया ? मेरे जैसे आम आदमी की जानकारी की सूचना के अनुसार अमेरिका में इस तरह के पीड़ितों को मुआवजे की बहुत अधिक धनराशि दी जाती है। सामान्यतः उन्हें बहुत अधिक धनराशि दी जाती है। अतः हम अमेरिका जाकर अपील क्यों नहीं करते ? भारत में क्यों अपील करें ? अतः यह अभी भी वाद-विवाद का विषय है।

इस बारे में क्या कुछ किया गया है ? क्या कोई निर्णय लिया गया है। क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में सदन को बताएं।

कुछ लोगों के मामले अमेरिका में न्यायालयों में निर्णयाधीन हैं। उन मामलों का क्या हुआ ? इस विधान द्वारा सरकार में प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा के लिए न्यायालय में जाने के लिए समस्त शक्तियां प्रदान कर दी हैं। लेकिन उन मामलों का क्या होगा जो अमेरिकी न्यायालयों में निर्णयाधीन हैं ? क्या वे सभी विधान जो आपने यहां बनाए तथा लागू किए हैं उस देश में लागू होंगे जहां उक्त मामले विचाराधीन हैं तथा निर्णयाधीन हैं ? इस मामले पर विचार करके मंत्री महोदय निर्णय लें कि क्या उक्त विधान अमेरिका के संघीय न्यायालयों या राज्य न्यायालयों में विचाराधीन मामलों पर लागू होगा तथा उसकी विधि मान्यता है।

महोदय, तीन महीने गुजर गए हैं। इन तीन महीनों में सरकार ने इस मामले में क्या किया है। क्या सरकार ने अधिनियम की व्यवस्था अनुसार एक आयुक्त की नियुक्ति की है जो योजना तथा दावे तैयार करेगा। मामला कहां तक पहुंचा है ? क्या गैस पीड़ितों के कल्याण के संबंधित कार्यों के लिए आयुक्त की नियुक्ति की गई है ?

महोदय, मंत्री जी ने राज्य सभा में बताया था कि जैसे ही ऐसी योजना तैयार होगी उसे सदन के समक्ष रखा जाएगा। इसका तात्पर्य है कि अब तक ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है। इससे क्या पता चलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मंत्री जी चाहते हैं कि मामले को जल्दी निपटाया जाए ताकि पीड़ितों को यथा संभव शीघ्र न्याय दिलाया जा सके लेकिन योजना तैयार नहीं हुई है और दावेदारों के दावों को ठीक से तैयार नहीं किया गया है।

महोदय, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के बजाय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक बार फिर विधेयक के मुख्य उद्देश्यों का समर्थन करता हूं और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं मेरी हार्दिक कामना है कि मंत्री जी ने जो जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली है उसे सफलतापूर्वक निभायें। वे निर्दोष, गरीब, असहाय और अशिक्षित लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें इसमें पूरी सफलता मिले।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक भोपाल त्रासदी का सम्बन्ध है सरकार ने बहुत गंभीर तथा उचित रवैया अपनाया है। सम्भवतया यह हमारे देश या शायद समूचे विश्व में सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक थी। ज्योरेज ओरवेल के '1984' की भांति भारत ने 1984 में शायद सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक त्रासदी को देखा है। जापान के लोग इस भोपाल त्रासदी के बारे में क्या सोचते हैं और किस प्रकार से उन्होंने टोकियो में यूनियन कार्बाइड के मुख्य कार्यालय, 'दी किलर कारपोरेशन यूनियन कार्बाइड,' के समक्ष प्रदर्शन किया था। मैं उद्धृत करता हूं :

> हम यह सूचना पाकर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते कि 2500 से भी अधिक व्यक्ति मारे गये हैं तथा हजारों लोग जहरीली गैस के रिसाव के कारण पीड़ित हो रहे हैं। हमने अभी तक किसी एक गैर-सरकारी संस्थान द्वारा एक ही बार में इस जैसे हत्याकांड का कोई अन्य उदाहरण नहीं देखा है।
>
> जिस दुःखद दुर्घटना का हमारे देश के लोगों ने सामना किया है जापानियों ने उस पर

ठीक ही अपना रोष व्यक्त किया है। मैं यह जानना चाहता हूं क्या आज तक सरकार इस योग्य बन पाई है कि सदन के समक्ष या लोगों के समक्ष यह बता सके कि विभीषिका के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? मैं पिछले तीन महीनों में प्रकाशित पत्रों तथा प्रतिवेदनों को पढ़ रहा हूं लेकिन कहीं भी मैंने यह नहीं पढ़ा कि अमुक व्यक्ति या अमुक विभाग ऐसी विभीषिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

3.00 म० प०

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अगर कहीं यह दुर्घटना पश्चिमी देशों में हुई होती तो इस बहुराष्ट्रीय निगम का क्या हाल होता ? सम्भवत: इस कम्पनी को वहां पर अपना कामकाज पूरी तरह बन्द करने के लिए कहा जाता। हमारा देश प्रभुत्व सम्पन्न एवं स्वाधीन है। क्या हमें अपने प्रभुत्व सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है ? बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाइसेंस देते समय ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि अगर ऐसी कोई विभीषिका होती है तो आप उनकी समूची सम्पत्ति जब्त कर सकें ? सदन के सभी पक्षों तथा लोगों ने भी यह मांग की थी कि धीरे-धीरे सभी बहुराष्ट्रीय निगमों में हमारे पास आधे से अधिक इक्विटी शेयर हों। वास्तव में इन बहुत से निगमों में भारत 51 प्रतिशत तक भागीदार है। लेकिन पता नहीं क्यों यूनियन कारबाइड के पास अभी तक 51 प्रतिशत इक्वटी शेयर हैं ? मुझे यह समझ में नहीं आता और मैं माननीय मंत्री से इस विषय पर सदन में जानकारी देने का अनुरोध करता हूं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि भोपाल जैसे घनी आबादी वाले शहर के बीचों-बीच इस कारखाने को स्थापित करने का लायसेंस किसने दिया। मैं आशा करता हूं कि इस मामले के इन विषयों पर माननीय मंत्री ने गौर किया होगा। ये बहुराष्ट्रीय निगम अब तीसरी दुनिया के देशों में नव-पूंजीवाद को फैला रहे हैं। आजकल तीसरी दुनिया के देशों में प्रत्येक वर्ष लगभग 25000 लोग कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से मर जाते हैं। पश्चिमी देशों में इन कीटनाशकों को नहीं बनाया जाता क्योंकि इन्हें सुरक्षा की दृष्टि से जहरीला तथा हानिकारक पाया गया है, अब वे कहते हैं कि इन कीटाणुओं पर जहरीले कीटनाशकों के इस्तेमाल की बजाय उन्हें प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा काबू में करना बेहतर है। तीसरे विश्व के देशों में, क्योंकि श्रम बहुत सस्ता है, वे अधिक लाभ के लिए अपने कारखाने स्थापित करते हैं। पश्चिमी देश हमारी तुलना में अपनी सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूक हैं। अत: ये बहुराष्ट्रीय निगम ऐसे तीसरे विश्व के विकासशील देशों में जहरीली गैसों का उत्पादन करने की कोशिश में रहते हैं जहां श्रम सस्ता है और जहां पर उन्हें बहुत रियायतें भी मिल सकती हैं।

इस संबंध में मैं जो डा० पी० एन० हक्सर ने कहा है उसको उद्धृत करना चाहता हूं। यह एक दिलचस्प टिप्पणी है। उन्होंने कहा है :

> "भोपाल स्थित यूनियन कारबाइड के सेंटर में किया गया अनुसंधान कार्य संदेहास्पद है और इसको रसायन युद्ध सम्बन्धी अनुसंधान कार्य से सम्बद्ध किया जा सकता है।"

डा० पी० एन० हक्सर ने इसके बारे में एक लेख लिखा है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस 'मिक' गैस का उत्पादन करने के लिए किसने लाइसेंस दिया ? 100 टन मिक गैस का एक साथ इस कारखाने में भंडारण क्यों किया गया था ! क्या वहां पर निरीक्षण प्रणाली नहीं थी ?

आम प्रक्रिया जो अपनाई जाती है कि बजाय 100 टन गैस का एक साथ भंडारण करने के उसमें प्रति घंटा लगभग एक टन गैस का उत्पादन किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका जवाब दिया जाना जरूरी है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इस दुर्घटना के बाद पीड़ित होंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने कहा है कि जो लोग इस दुर्घटना से बचने में सफल हो गये हैं वे अभी भी इसके बुरे प्रभाव से पीड़ित हैं और आगे आने वाले समय में उन्हे किन कष्टों का सामना करना पड़े इस बारे में अभी भी पूरी तरह से अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। अत: विधेयक में उन लोगों के लिए जो इस त्रासदी के बाद प्रभावित होंगे, उनका ख्याल रखने का विधेयक में प्रावधान किया गया है। इन बहुराष्ट्रीय निगमों का कार्य करने का अपना ही ढंग है। उनके अपने समर्थक हैं और वे अच्छी तरह से जानते हैं कि इन हिमायतियों को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। वे इस तरह से बोलेंगे कि जैसे सारा कसूर भारत सरकार का है उनमें से किसी का कोई कसूर नहीं है। उनके एक योग्य वक्ता भारत आये और किसी व्यक्ति ने भोपाल दुर्घटना के बारे में उनसे पूछा। उन्होंने कहा, "ऐसा हो सकता है क्योंकि भारत सरकार हमेशा भारत में ही निर्मित उपकरणों के प्रयोग किए जाने पर जोर देती है और शायद इस यूनियन कारबाइड संयंत्र में इस्तेमाल किए गए उपकरण भारत निर्मित होंगे।" जैसे कि उपकरणों, संयंत्रों तथा मशीनों को स्वदेश में बनाने के लिए जोर देना एक अपराध है।

सभापति महोदय : इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करना दण्डनीय उपेक्षा हो सकती है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : वे अब इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं—यह अच्छी बात है कि सरकार ने इस दुर्घटना को गम्भीरता से लिया है—पिछले तीन माह में मुआवजे सम्बन्धी कितने मामले निबटाये गए हैं और भारत सरकार के विचार में इस भारी नुकसान की मुआवजे की वास्तविक राशि कितनी है? मेरे विचार में कुछ आंकड़े दिए जाने चाहिएं ताकि हमे कुछ हद तक पता चल सके कि कितना नुकसान हुआ है।

महोदय, मैं एक अमरीकी समाचार पत्र पढ़ रहा था। शायद कई सौ मामले अमरीका के विभिन्न न्यायालयों में दायर किए गए हैं। महोदय, आपको अनुभव है कि न्यायालयों के मामलों में एक न्यायालय दूसरे न्यायालय से भिन्न मत वाला हो सकता है और एक न्यायालय का फैसला दूसरे न्यायालय के फैसले से भिन्न हो सकता है। अत: आखिर में, उन्हें फैडरल कोर्ट में जाना पड़ेगा और अगर फैडरल कोर्ट का फैसला उनके हक में होता है तो हमारी स्थिति क्या होगी? बहुराष्ट्रीय निगम इतने शक्तिशाली हैं कि तीसरे विश्व के देशों में उनका समर्थन करने वाले भी हैं। आजकल वे तीसरे विश्व के देशों के सबसे बड़े शोषक हैं। अत: एक प्रभुत्व सम्पन्न देश के नाते, क्या हम तुरन्त इस यूनिट के 51 प्रतिशत शेयर लेकर इसका अधिग्रहण नहीं कर सकते और अमरीकी न्यायालयों के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना इस यूनिट को स्वयं चलाना शुरू कर दें? हम नहीं जानते कि फैडरेल कोर्ट का फैसला क्या होगा। इसके बारे में कोई नहीं जानता।

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) : हम ऐसा कैसे कर सकते हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हमारा देश एक प्रभुत्व सम्पन्न देश है और हम ऐसा कर सकते हैं। तीसरे विश्व के सभी देश इकट्ठे मिलकर आजकल इन सारे बहुराष्ट्रीय निगमों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही ऐसा करेगा। यह 21 वीं शताब्दी की सबसे बड़ी चुनौती है जिसका हमें सामना करना होगा। अतः, मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक लाया गया है और हमारे प्रधानमंत्री ने इस भोपाल दुर्घटना को गम्भीरता से लिया है और सरकार इस मामले में कि पीड़ितों को किस प्रकार मुआवजा दिलाया जाये, पूरी कोशिश कर रही है। यहां पर केवल भारत की प्रभुत्व सम्पन्नता का प्रश्न है। यह पीड़ितों के लिए 2 मिलियन डालर या इससे कुछ अधिक मुआवजा दिलाने का प्रश्न नहीं है। जब ऐसी दुर्घटना के शिकार हमारे लोग हों तो हमें इस प्रकार से अपनी प्रभुत्व सम्पन्नता का प्रयोग करना चाहिए। अतः हमें इन बहुराष्ट्रीय निगमों पर भविष्य में ध्यान रखना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, 2 और 3 दिसम्बर की रात को मौत ने अपना मुंह खोल दिया था और मौत के मुंह के अन्दर कितने ही लोग चले गये। यह जो 45 टन गैस थी, वह जमीन के साथ बह रही थी। एक दिन के अन्दर जब 45 टन गैस लीक हो गई और जमीन के साथ बहने लगी, तो उससे लोगों की आंखों में जलन पैदा हुई और सीने में दर्द पैदा हुआ और कितने ही लोग मौत के घाट उतर गए। तीन सप्ताह के बाद तो सरकार ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया। 11 सप्ताह के बाद तक हमें मालूम नहीं कि कमीशन ने अभी तक क्या रिपोर्ट दी। हमें 11 सप्ताह के बाद तक यह नहीं मालूम हुआ है कि उस रिपोर्ट के अन्दर किसको दोषी ठहराया गया है।

अब आप यह बिल लेकर आ गये हैं। आपने कहा है कि इस बिल के एक्ट बन जाने के बाद, इस बिल के पास हो जाने के बाद आप इस चीज को पूरा करेंगे। इसमें कितना समय लगेगा ? मेरी समझ में नहीं आता कि क्या आपके ला डिपार्टमेंट ने इसके इसके बारे में सोचा है कि जो यह सारी पावर्स आप एक कमिश्नर को देने जा रहे हैं—जिसके बारे में क्लाज 6 में कहा गया है—

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता के प्रयोजन से एक अधिकारी जिसे भोपाल गैस विभीषिका के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए आयुक्त के रूप में जाना जाएगा तथा उसकी सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।"

वह अधिकारी कौन होगा और उसकी योग्यतायें क्या होंगी ? क्या वह कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, या एस० डी० ओ० या कोई समाहर्ता ? आपका अधिकारी से क्या मतलब है ?

उसके बाद उपखंड (2) :

"आयुक्त ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे स्कीम द्वारा समनुदेशित किये जायें।"

स्कीम कहां है ?

[हिन्दी]

अब यह आपकी स्कीम क्या होगी ? आप यह बिल ले कर आ रहे हैं, आपकी स्कीम तैयार नहीं है। जब स्कीम ही तैयार नहीं है तो क्या काम होगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आपने इस बिल को पढ़ा नहीं है।

श्री मूल चंद डागा : अगर आपने पढ़ लिया है तो मेहरबानी कर के मुझे बता दें।

ढाई महीने हो गये लेकिन आपकी अभी स्कीम ही रेडी नहीं है। आप बता दीजिए कि इस डिजास्टर में कितने लोग अंधे हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग आंखों की बीमारी से पीड़ित हैं, कितने आदमियों की प्रापर्टी नष्ट हो गई ? इसके आपके पास क्या आंकड़े हैं ?

आपने क्लाज 9 के अन्दर कहा है—

[अनुवाद[

"केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्कीम बनाएगी।"

वह स्कीम कहां है ?

[हिन्दी]

स्कीम ऐसी बनाई जायेगी। जब आप इस बिल को ले कर सदन में आ रहे हैं और सारी पावर्स डेलीगेट करने जा रहे हैं और आपके पास अभी कोई स्कीम ही नहीं है कि आप किस चीज को तय करने जा रहे हैं। ये जो आपकी सारी पावर्स हैं—

[अनुवाद]

उसके बाद "स्कीम में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :

(ङ) वे राशियां जो केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात निर्दिष्ट निधि में जमा कर सकेगी···"

[हिन्दी]

तो ये जितनी बातें आपने लिखी हैं उनसे यह मालूम होता है कि अभी यह भी पता नहीं है कि आप लोगों को क्या कंपंसेशन देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डागा जी क्या मैं आपका ध्यान खंड 9 (3) के तरफ आकर्षित कर सकता हूं ? कृपया इसे पढ़िये। इसमें कहा गया है कि स्कीम तैयार होने के बाद यह सभा-पटल पर रखी जायेगी·····

श्री मूल चन्द डागा : यह विधेयक के पारित होने के बाद रखी जायेगी।

सभापति महोदय : निश्चय ही।

श्री मूल चन्द डागा : क्या स्कीम उपलब्ध है ?

सभापति महोदय : तैयार होने के बाद सभा-पटल पर रख दी जायेगी। माननीय मंत्री इसे सभा-पटल पर रखेंगे।

श्री मूल चन्द डागा : इसमें क्या हानि है अगर हम इस पर विधेयक के साथ ही विचार करें ?

[हिन्दी]

अगर आपके पास स्कीम तैयार नहीं है और आप यह भी नहीं बता सकते है कि कंपंसेशन का जो दावा करने जा रहे हैं, उसमें क्या-क्या दिया गया है। हवाई जहाज में एक आदमी मरता है, उसको आप एक लाख रुपया कंपंसेशन देते हैं, एक्सीडेंट में कोई डैथ होती है—

[अनुवाद]

"कर्मकार क्षतिपूर्ती अधिनियम के अन्तर्गत, कर्मकार की मृत्यु पर देय राशि 10000 रुपये से लेकर 40000 रुपये तक है और स्थायी तौर पर पूर्ण तरह अपंग होने पर 10000 रुपये से लेकर 42000 रुपए तक है। स्वभावतः इसका संबंध कर्मकार को देय क्षतिपूर्ती राशि से है और न कि आम जनता के लोगों के लिए है। भारतीय रेलों के मामले में, मृत्यु की दशा में देयता सिर्फ 1 लाख रुपए तक है। इंडियन एयरलाइन्स फिर भी मृत्यु पर या ऐसी चोट जिससे स्थायी तौर पर पूर्ण अपंगता हो जाये के लिए 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ती देती है।"

[हिन्दी]

तो आप हमें यह बताइये कि आप किस तरह से उनको रुपया देंगे या आपका कंपंसेशन का फार्मूला क्या होगा। आप इतना भी नहीं बता सकते कि कंपंसेशन कितना होगा। लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान में कंपंसेशन का सूट करते हैं तो हिन्दुस्तान की हालत को देखकर के पैसा कम मिलेगा और अमरीका में सूट कर रहे हैं तो क्या आपको रुपया ज्यादा मिल जायेगा। डाइगनोज करने वालों ने भी यह बताया है कि वे यह जान भी नहीं सके, इसको भी लोग इसके डिफेंस में चैलेंज कहेंगे कि डा. गोपाल और उसकी पत्नी ने जांच करके बताया कि एक लाख लोगों में साइनेट का मामूली सा अंश था, उसको निकाल कर बाहर किया गया। पहले यह नहीं किया गया इसलिए भोपाल में मौतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ और उनका निदान नहीं किया जा सका। आप यह बताइए कि जो आपके एक्सपर्टस हैं, उनके बयान क्या हैं। एक्सपर्टस बता रहे हैं कि हमारे नेग्लीजेंस से, हमारी गलतो से यह सब हुआ है। फैक्ट्री एक्ट के अतंर्गत आचरण क्यों नहीं किया गया। क्या कभी गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया ? कभी इस बात की जांच नहीं हुई। तो ये सारे डिफेंस के प्वाइंट्स हैं, क्या सरकार इनका जवाब देने की स्थिति में है। क्या सरकार बता सकती है कि इससे कितने लोग इफेक्टड हैं और आने वाले समय में कितने बच्चे इससे प्रभावित पैदा होंगे, कितने बच्चे विकलांग होंगे, कितने बच्चों की हालत खराब होगी, यह कोई नहीं बता रहा। जब तक सारी स्कीम तैयार करके नहीं रखेंगे और गवर्नमेंट दावा नहीं करेगी और स्कीम तैयार नहीं होगी, तब तक कोई फायदा नहीं है। आप डेलीगेशन आफ पावर्स चाहते हैं, पावर्स डेलीगेट कर दीजिए, इसके लिए हाउस के सामने बिल आया है, इस बिल के अंदर कुछ बातें पार्लियामेंट के अन्दर तय होनी चाहिएं।

स्कीम पूरी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सारी बारों का पूरा विवरण बिल में आना चाहिए। हमें सारे अधिकार ब्यूरोक्रेट्स पर नहीं छोड़ देने चाहिएं।

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तावित बिल का समर्थन करता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, भोपाल की गैस ट्रेजडी, यदि मैं यह कहूं कि इस शताब्दी की सबसे भयावह घटना है तो कोई गलत बात नहीं होगी। इससे न केवल 14-15 सौ व्यक्तियों का जानें गई हैं, बल्कि इस घटना से लाख डेढ़ लाख व्यक्ति सीधे प्रभावित हुए है। इससे बड़ी संख्या में लोग दूसरे रूप में प्रभावित हुए हैं। गैस रिसने से जिन्हें प्रत्यक्ष हानि पहुंची है वह तो है ही, ऐसे व्यक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान की चपेट में आए हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से नुकसान पहुंचा है। इस प्रकार का वातावरण पूरे भोपाल शहर में निर्मित हुआ, जिसको शब्दों में बयान करना कठिन है। केवल मानव प्राणों का ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में पशु भी हताहत हुए। यहां पर मैं यह उल्लेख करना भी अपना कर्त्तव्य मानता हूं कि इस घटना के घटते ही हमारी राज्य सरकार ने बड़ी ही तत्परता के साथ स्थिति से निपटने के सम्पूर्ण उपाय किए। वहां पर स्थित पूरे के पूरे 21 अस्पताल तथा जितनी भी डिस्पेंसरीज थी, उन्हें पूरे जोश के साथ और पूरे तरीके से आदेश हुए कि वे ऐसे प्रभावित लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करें। मैं यहां पर सदन को यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि सात सौ से अधिक डाक्टरों की सेवाएं ली गई जिसमें दो सौ से अधिक डाक्टर बाहर से बुलाए गए। कई मोबाइल और कई परमानेंट डिस्पेंसरीज खोली गई जिनके माध्यम से लोगों को समुचित मदद दी गई। लोगों को भूख से बचाने के लिए कई ऐसे ठिकाने बनाए गए जहां पर मुफ्त भोजन तथा दूध की व्यवस्था की गई। प्रत्येक यूनिट को दो सौ मिली लीटर दूध देने की व्यवस्था हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने की।.....(**व्यवधान**) इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को जो गंभीर रूप से घायल हुए या जिनके प्राण बच नहीं सके, सरकार की तरफ से उन्हें दस हजार, दो हजार और एक हजार रुपए कम्पनसेशन देने की व्यवस्था की गई। समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा की गई जिससे लोग राहत की सांस ले सकें। इससे बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के दिल और दिमाग में एक विश्वास की अनुभूति हुई। इसी विश्वास के साथ इस चुनाव में आपने देखा होगा, हमारे प्रधान सांहब, को इतने भारी बहुमत से जिताकर यहां भेजा है। इस बात का उल्लेख मैं इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारे शासन की यह मंशा है कि इस प्रकार की घटना घटने पर लोगों को पूरे तरीके से राहत दी जाए। हमारे राजीव जी इस दिशा में पूरी तरह जागरुक हैं और उन्होंने बड़ी कृपापूर्वक 4 तारीख को भोपाल जाकर लोगों को देखा, उनकी दुःख-तकलीफों को सुना और इस संदर्भ में समुचित आदेश दिए।

आदरणीय सभापति जी, भोपाल में जिस तरह की दर्दनाक घटना हुई और सरकार की ओर से जो कदम उठाये गए, मेरी मान्यता है कि जिस अनुपात में लोगों को पीड़ा का शिकार होना पड़ा, लोगों को जिस त्रासदी का शिकार बनना पड़ा, उस अनुपात में उनको दी गई सुविधाएं लगभग नगण्य हैं। उनको बढ़ाने की आवश्यकता है।

जहां तक इस मामले को कोर्ट में ले जाने और मुकदमा चलाने का सम्बन्ध है, चाहे हमारे देश में चलाये जाएं अथवा विदेशों में, वह सरकार पर निर्भर करता है कि वह कोई उचित निर्णय ले, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश है और

वहां की जनता की आवाज़ यहां नहीं उठायी जा सकती परन्तु इस बिल के माध्यम से वहां के पिछड़े अंचल को समुचित संरक्षण मिलेगा और वह अंचल सुरक्षित महसूस करेगा।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सभापति महोदय, इस विधेयक से सरकार के मन की दुविधा झलकती है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है :

> "संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे देश में प्रचलित विधियों के सन्दर्भ में विभिन्न स्थिति की सावधानी से जांच की गई है और उस जांच के अनुसार यह महसूस किया गया है कि दावों के संदर्भ में कार्यवाही करने के लिए विशेष उपबंध किए जाएं।"

इसका मतलब दावों को निपटाने से भी है। अगर ऐसा है तो विधेयक में ऐसे उपबंध हैं कहां ? इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि एक विशेष अधिकरण बनाया जाये जो मुआवजे से संबंधित मामलों को देखेगा और वह अधिकरण सब अन्य संबद्ध बातों को निपटायेगा।

अब एक बात कही गई है कि संयुक्त राज्य अमरीका जाकर मामला दर्ज कराया जाये। इसके लिए यह कहा गया है कि वहां हमें अधिक धनराशि मिलेगी। राहत धनराशि देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, यह इस विधेयक से यह समझना मुश्किल है। हमारा अपना कानून है। अगर हम यह महसूस करते हैं कि मुआवजा दिलाने में यह कानून सक्षम नहीं हैं तो हम कानून में संशोधन कर सकते हैं। अमरीका का क्या कानून है ? अपने नागरिकों के लिए अमरीका का अपना कानून है। हम उनके नागरिक नहीं हैं। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि अमरीकी कानून हमारे नागरिकों पर कैसे लागू होगा ? अतः आवश्यक यह है—और यही हम सरकार से करने के लिए कह रहे हैं कि जल्दी से अधिकरण इन मामलों को निबटाने के लिए बनाये जायें।

दूसरा प्रश्न यह है कि जहां तक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का सम्बन्ध है इस संदर्भ में यह कहा गया है कि सरकार दुर्घटनाग्रस्त लोगों का पक्ष लेगी तथा वह दुर्घटनाग्रस्त लोगों का ध्यान रखेगी। हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि जो नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन कैसे हो ? सरकार की ओर से हमें बताया गया है कि कुल 2500 से अधिक मौतें नहीं हुई हैं। परन्तु ऐसी भी खबर है कि 7000 से अधिक लोग मरे हैं और 7000 कफन प्रयोग में लाए गए।

एक माननीय सदस्य : खबर किसने दी ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम जानते हैं। हमारी अपनी एजेन्सियां भी हैं। जब उतने बड़े पैमाने पर दुर्घटना घटी है तब वे उसकी प्रतिरक्षा क्यों कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया सभापति से मुखातिब हों।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्हें यूनियन कार्बाइड के एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय : यदि कोई सदस्य बैठे-बैठे ही बोलता है तो उसे कोई महत्व न दें तथा कृपा करके सदस्य को नहीं, सभापति को ही सम्बोधित करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सबूत नष्ट करने का प्रयास भी किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कुकर्म करने वाले लोग कौन हैं। संदूषण को बहुत कम मात्रा में दर्शाने में यूनियन कार्बाइड का स्वार्थ है। वास्तव में विभिन्न स्रोतों से सूचना आ रही है कि विपत्ति का गुरुत्व

कहीं अधिक है। क्या सरकार ने विपत्ति की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया है। प्रैस को सैकड़ों ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं कि इस विपत्ति के फलस्वरूप अन्धत्व फैल रहा है। यूनियन कार्बाइड ने इसका खण्डन किया है। शायद सरकार ने भी एक समय इसका खण्डन किया है। आई०सी०एम०आर० और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने सर्वेक्षण कराए हैं। उन्होंने सिद्ध किया है कि वहां अन्धत्व फैल रहा है। गैस गुर्दों को और मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है। कोशिकाओं की आक्सीजन वहन करने की क्षमता नष्ट हो रही है। इससे ल्यूकेमिया और कैंसर हो सकता है। एक अन्य भयावह रिपोर्ट आई है कि दुर्घटना के शिकार लोगों में साइनाइड विष की मात्रा पायी गई है। चिकित्सकों ने भी इसकी पुष्टि की है। यूनियन कार्बाइड इसका खण्डन करने का प्रयत्न कर रही है। परन्तु जिन लोगों की सोडियम थियोसल्फेट से चिकित्सा की गई उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। इससे आभास होता है कि उनमें साइनाइड विष की मात्रा विद्यमान थी। दो वर्ष पहले उन्होंने कम्पनी की पत्रिका में ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि मिथाइल आइसो साइनेट गैस एक विशेष डिग्री के तापमान पर साइनाइड में परिवर्तित की जा सकती है। परन्तु भोपाल में अपने लोगों को यह खबर उन्होंने नहीं दी इसे "दी टाइम्स ऑफ इण्डिया" ने प्रकाशित किया।

हमें नुकसान की मात्रा का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए तथा वनस्पति, पानी, पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं तथा भावी पीढ़ी पर इसकी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना चाहिए। यह केवल क्षति-पूर्ति का प्रश्न ही नहीं है। इसके लिये हमें अपना ही कुछ प्रबन्ध करना पड़ेगा। हम नहीं जानते कि अमरीकी न्यायालय हमारे दावों को स्वीकार करेगा अथवा अस्वीकार करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस विदेशी कम्पनी ने हमारे देश में अपना संयंत्र लगाया हुआ है वह हमारे कानूनों से नहीं बंधी हो। वे अनुसंधान कर रहे थे परन्तु हमें उसके बारे में जानने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम उसकी निगरानी नहीं कर सके। उन्होंने यह सब व्यापारिक रहस्य के नाम पर किया। इस संयंत्र में वे रासायनिक युद्ध से संबंधित अनुसंधान किया करते थे। वे इसे गुप्त रखने में सफल रहे क्योंकि हमारे पास इसके विषय में जानने का कोई कानून नहीं है। जब यह संयंत्र स्थापित किया गया तो उसकी शर्तें क्या थीं? वह सभी गुप्त हैं। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमें इसे बहुत गम्भीरता से लेना होगा। हमें उचित मुआवजा लेने के लिए अपने कानून में संशोधन करना होगा। हमें नुकसान का मूल्यांकन करना होगा। हम उनसे दण्डात्मक मुआवजा भी वसूल कर सकते हैं। यूनियन कार्बाइड विश्व के चोटी की सात रासायनिक कम्पनियों में से एक है तथा चोटी की 200 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में 1 वें स्थान पर है। उन्होंने हमारे देश से करोड़ों रुपया कमाया। कुछ मुआवजा निर्धारित करना बहुत कठिन है। भविष्य में भी इसके कतिपय प्रभाव होंगे।

भविष्य में पैदा होने वाले शिशुओं पर भी इस गैस का प्रभाव रहेगा। उनके लिए भी आपको कानून बनाना होगा ताकि जो लोग इससे इतना अधिक पैसा बना रहे हैं और उसे अपने देश में भेज रहे हैं उनको आगामी वर्षों में कुछ राशि उस क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए देनी होगी जिन्हें उनकी असावधानी के कारण दुःख उठाने पड़े हैं। एण्डरसन और कुछ अन्य लोगों

द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि गलती हम भारतीयों की ही है तथा वह यह महसूस कर रहे हैं कि इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। वे यह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं हैं तथा यह तोड़-फोड़ की कार्यवाही भी हो सकती है। मैं कहूंगा कि उनकी ओर से कुछ लोग यह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी तथा कुछ ऐसे सुझाव भी दिए जा रहे हैं कि दुर्घटना के शिकार लोगों अथवा हमारे देश को ही यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती गई थी और तभी हम उन पर न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। कानून की यह बहुत ही गलत व्याख्या है। यह सच है कि उन्होंने अपने संयंत्र में 'मिक' गैस का भंडारण किया। इसके लिए अंग्रेजों का एक कानून है जिसे रालैण्ड बनाम फ्लैचर के मामले में लागू किया गया था। यह कानून अन्य देशों द्वारा भी लागू किया जाता है अर्थात कड़ी जिम्मेदारी का कानून। यूनियन कार्बाइड इस विपत्ति के लिए उत्तरदायी है और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने 400 आदमियों को यह प्रचार करने के लिए नियुक्त किया है कि उनका कोई कसूर नहीं है। उनके प्रचार का आधार यह है कि हम गरीब भारतीय बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं हैं और जो भारतीय इस कारखाने के प्रभारी थे वे ही इसके जिम्मेदार हैं।

सभापति महोदय : भारतीय, परन्तु उनके द्वारा नियुक्त भारतीय।

श्री संफुद्दीन चौधरी : जी हां, उनके द्वारा नियुक्त भारतीय। परन्तु प्रश्न यह है, जैसा कि यूनियन कार्बाइड के प्रवक्ता ऑक्सन बाडनिंग ने स्वीकार किया कि जैसी अग्रिम चेतावनी कम्प्यूटर प्रणाली, की अनिवार्यता उनके अमेरिका स्थित कारखानों में है वैसी भोपाल में नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हुआ कि ऐसा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दिए जाने से पूर्व हमने यह देखने की भी परवाह नहीं की कि क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं अथवा नहीं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है। केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है अथवा मध्य प्रदेश सरकार? मैं जानना चाहता हूं कि जब विदेशी कम्पनियों से सहयोग करने का करार किया जाता है तो क्या इन कम्पनियों का नियंत्रण करने के लिए हमारे पास कोई आदर्श अधिनियम है? क्या हमारे पास इन कम्पनियों की सार्वजनिक तौर पर जांच पड़ताल करने की गुंजाइश है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने टिप्पणी की कि वे पैस्टीसाइड का निर्माण करने के लिए प्राचीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे थे। जबकि इसके लिए अधिक सुरक्षित प्रौद्योगिकी विद्यमान है। उसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उन्हें पेस्टीसाइडस से कुछ लेना देना नहीं था उनकी मंशा हमारे देश में कुछ अधिक जघन्य कार्य करने की थी जिसे की अनुमति उन्हें अपने स्वयं के देश में नहीं थी। अतः वे अपराधी हैं और हमें उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। आप उन पर न्यायालय में मुकदमा चलाने का प्रयत्न कर सकते हैं, आप कुछ मुआवजा प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं; वह सब ठीक है, परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि आपने विधेयक में समझौता करने सम्बन्धी एक प्रावधान रखा है। आप कह सकते हैं कि यह विधि शब्दावली है अथवा यह तकनीकी शब्द है अथवा कुछ और है परन्तु मैं इसके बहुत खिलाफ हूं। हम उनके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। आप न्यायालय से बाहर निपटारा अथवा कुछ अन्य शब्द

कह सकते हैं परन्तु समझौता शब्द हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है। अतः आप या तो इस शब्द को निकाल दें अथवा इसके लिए कोई अन्य शब्द अन्तः स्थापित करें।

सभापति महोदय : यदि वे सभी दावों को मान लें तो ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : परन्तु समझौता शब्द एक बहुत खोटे विचार को प्रतिध्वनित करता है। वहां कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

भोपाल में जो कुछ घटित हुआ है, हमारे देश में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और इसके लिए एक आदर्श अधिनियम की आवश्यकता है जो ऐसी सभी विदेशी सहयोग वाली कम्पनियों का नियमन कर सके तथा जो ऐसी कम्पनियों के सम्बन्ध में सार्वजनिक जांच पड़ताल की व्यवस्था भी कर सके। मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में आप क्या कर रहे हैं ? इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, भोपाल गैस लीक डिजास्टर (प्रोसेसिंग आफ क्लेम्स) बिल, 1985 का मैं समर्थन करता हूं। इस बिल के जरिए मन्त्री महोदय, कुछ अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

"यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोपाल गैस विभीषिका से उद्भूत होने वाले या उससे सम्बन्धित दावों के संबंध में शीघ्रता से, प्रभावी रूप से, साम्यतापूर्ण रूप से और दावेदारों के सर्वोत्तम हित में कार्यवाही की जाए, केन्द्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने के लिए और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए"

[हिन्दी]

इन प्वाइंट्स के आधार पर यह सारा बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने जो बिल रखा है उसके सम्बन्ध में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आज हो रही हैं उसमें जितने लोग इस गैस लीकेज से मरे हैं, जितने इससे प्रभावित हुए हैं या बीमार हुए हैं या जिनके अंग भंग हुए हैं, जो अन्धे हो गए हैं या अन्य बीमारियों से ग्रसित हुए हैं, क्या आप ने ऐसी कोई ऐजेंसी मुकर्रर की है जिसके जरिए से आप को इस बात की पूरी जानकारी मिले ? इधर से कहा गया जो लोग मरे उन की संख्या ढाई हजार है, यह आफिशियल आप की फिगर है, उधर से वह कहते हैं कि 7 हजार मरे। अभी हमारे उधर के भाई कह रहे थे कि 7 हजार लोग मरे हैं ! तो इसके सम्बन्ध में कोई ऐसी जानकारी तो दीजिए जिससे लोगों को मालूम पड़े कि कितने लोग मरे, कितने लोग इससे प्रभावित हुए, कितने अन्धे हुए, कितनी औरतें थीं जो प्रेग्नेंट थीं और उनका बच्चा उनके अन्दर ही मर गया या अन्धा हो गया, लूला लंगड़ा हो गया या अन्य लोगों के ऊपर इस गैस लीकेज का क्या असर हुआ ? क्या आपने कोई ऐसी मशीनरी स्थापित की है जिससे यह मालूम हो जाये ? क्यों कि इसका असेसमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आप जो कम्पेन्सेशन का क्लेम अमेरिका में या यहां प्रस्तुत करेंगे वह किस आधार पर करेंगे ? जब तक यह पता नहीं है तब तक यह कम्पेन्सेशन आप किन लोगों को देंगे ? इस लिए यह असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए मंत्री महोदय इसके साथ-साथ ऐसी कोई व्यवस्था अवश्य करें जिससे इस का पता जल्दी

से जल्दी चल सके और उसके जरिए से क्लेम्स बना करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। यह नितान्त आवश्यक है।

हमारी सरकार सदैव से इस बात की व्यवस्था करती आई है कि ऐसी कैलामिटीज जहां भी आए उनकी मदद की जाए। भारत सरकार और राज्य सरकार बराबर उनकी मदद करती है। आप ने आज के टाइम्स आफ इंडिया में देखा होगा, उसमें दिया है कि कितने अरसे तक वहां की सरकार ने वहां पर क्या क्या इन्तजाम किया। उन्होंने दस करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया, कम्पेन्सेशन भी दिया एक हजार, दो हजार या तीन हजार जो भी हो सका और खाने पीने का सामान भी दिया, दवाइयों की व्यवस्था भी की, मेडिकल फैसिलिटीज भी दीं। मगर आज क्या हो रहा है? राज्य सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह आगे उन लोगों के लिए इन्तजाम कर सकें, दवाइयों की व्यवस्था कर सके या उनके खाने पीने की व्यवस्था कर सकें। तो यह व्यवस्था कौन करेगा? हजारों लोग वहां ऐसे हैं जो इस गैस कांड से प्रभावित हुए हैं और जो आज अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते। उनके सम्बन्ध में क्या व्यवस्था होगी? सरकार को यह सोचना चाहिए और इसके लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे भविष्य में जो इस प्रकार के लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते उनके लिए कोई प्रबन्ध किया जा सके। अब तक यह व्यवस्था नहीं की गई है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इस के सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था कीजिए वरना हजारों लोग भूखे मर जाएंगे। हजारों लोग जो इस कांड में मरे हैं उनके परिवार वालों को आपने थोड़ा-बहुत पैसा दिया है लेकिन उस पैसे से उनका गुजारा हमेशा नहीं चल सकता है। अब उनका राशन भी बन्द हो रहा है, दूध भी बन्द हो रहा है और मेडिकल फैसिलिटीज भी बन्द की जा रही हैं क्योंकि यह एक कंटिनुअस प्रोसेस नहीं चल सकता है और जो मध्य प्रदेश की सरकार है वह भी निरन्तर इन बातों की व्यवस्था नहीं कर सकती है। इस लिए मैं जानना चाहूंगा कि जो वहां पर विडोज हैं या आरफन हैं उनकी मदद करने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है।

एक बात और है जो कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कही है कि यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कम्पनी है और वह कहती है कि सैबटाज की वजह से गैस लीकेज हुई है तो हमारी सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है जिससे कि वह इस बात को प्रूव कर सके कि इस गैस लीकेज में कोई सैबटाज का काम नहीं हुआ है बल्कि कम्पनी की नेग्लिजेन्स की वजह से गैस लीकेज कांड हुआ है।

आखिरी बात मैं कम्पेन्सेशन के बारे में कहना चाहता हूं। इस कांड में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और भविष्य में भी इसके असर से वेजिटेशन और हेल्थ हैजार्ड पैदा होगा तो उसके लिए कम्पेन्सेशन दिलाने के सम्बन्ध में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आप किस प्रकार से उस कम्पनी से लोगों को कम्पेन्सेशन दिलायेंगे जिससे कि लोगों को कुछ मदद मिल सके? इन सारे प्वाइन्ट्स पर माननीय मन्त्री जी का ध्यान खींचते हुए मैं आग्रह करूंगा कि इस ओर वे विशेष ध्यान दें। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : सभापति महोदय, भोपाल गैस विभीषिका मुआवजे के लिए माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। सभापति

महोदय जब आप के सहित हम सभी चुनाव के मोर्चे पर मत पेटियों की गंभीर लड़ाई में संलग्न थे तब भोपाल, बड़ी दुर्घटना से गुजर रहा था। यह दुर्घटना औद्योगिक संसार के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। 2 और 3 दिसम्बर की रात को यूनियन कारबाइड के संयंत्र से गैस का रिसाव हुआ। परिणामस्वरूप गैस की चपेट में आने वाले सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर गए। कई लोगों को महत्वपूर्ण अंगों आंख, छाती जैसे अंगों को भारी क्षति हुई। 3 दिसम्बर को घबराहट में हजारों लोगों ने भोपाल छोड़ दिया। इस विकराल त्रासदी ने भोपाल शहर में, जो कभी भारत का बागों का शहर था, अपने कुछ विशिष्ट दाग छोड़े हैं। इसने केवल मुआवजे की समस्या ही उत्पन्न नहीं की है बल्कि कतिपय स्वास्थ्य और पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिनके समक्ष, मेरे विचार से मुआवजे की समस्या नगण्य प्रायः है।

बेशक यह विधेयक केवल मुआवजे तक सीमित है, मैं समझता हूं कि मुआवजे के पहलू के अलावा भी कुछ अन्य पहलू हैं जिन्हें इस गौरवशाली सदन के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

भोपाल के नागरिकों में एक भय और संदेह की भावना उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार ने उस मौके पर जो कार्रवाई की उसके लिए वह श्रेय का पात्र है। उसने कानून और व्यवस्था की स्थिति को कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं होने दिया। सरकारी, अर्ध-सरकारी और सामाजिक संगठनों ने स्वास्थ्य सेवा और अन्य किस्म की मदद की तथा स्थिति नियंत्रण में आ गई। चाहे स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है परन्तु आप मुझसे सहमत होंगे कि दुर्घटना और इसके नुकसान को नियंत्रित नहीं किया जा सकता उनका केवल इलाज किया जा सकता है। दुर्भाग्य से मृत व्यक्तियों की संख्या और स्वास्थ्य संकट से पीड़ित लोगों की संख्या का गलत प्रचार किया गया है। मैं समझता हूं कि हमारे एक माननीय सदस्य भी इस गलत प्रचार के शिकार हुए हैं जो कह रहे थे कि 10,000 लोग मारे गए तथा 7000 कफन गिने गए। यह राज्य सरकार के रिकार्ड में है। उन्होंने विभिन्न कब्रिस्तानों और श्मशान भूमियों से आंकड़े एकत्र किए तथा जो सरकारी आंकड़े दिए गए हैं वे सही पाये गये हैं। यह विधेयक जिसे अधिनियमित किया जाना है मैं समझता हूं, इसमें मौतों की संख्या का महत्व नहीं बल्कि इसका उद्देश्य इस दुर्घटना ने अस्थायी अथवा स्थायी जो प्रभाव छोड़े हैं उनका सामना करना है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि जब इसका मुआवजा दिया ही जाना है और यह विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है तो इसमें सभी चीजों का और सभी प्रावधानों का समावेश नहीं किया जा सकता। अतः नियम बनाए जायें और कुछ अन्य योजनायें बनाई जायें। जैसे कि श्री डागाजी कह रहे थे कि इस विधेयक में सारी चीजों को समाविष्ट करना संभव नहीं है, परन्तु मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इसका ध्यान रखेंगे और जब भी संभव होगा वे शीघ्रातिशीघ्र वैसे नियम और योजनायें बनायेंगे। अन्यथा इसके अधिनियम से कोई मतलब हासिल नहीं होगा।

जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था आज स्वास्थ्य की समस्या सब समस्याओं से बड़ी समस्या है। राज्य सरकार ने जो कुछ किया है उसके अलावा भी वहां एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है और उसकी बुनियाद तैयार कर लेनी चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री यहां विद्यमान हैं। इसलिए भोपाल में अनुसंधान की सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए जिससे कि जब कभी लोगों को इस प्रकार कष्ट झेलना पड़े तो उस विषय पर तत्काल

अनुसंधान कार्य किया जा सके। क्योंकि यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप कितनी देरी करेंगे, अनुसंधान कार्य का महत्व उतना ही कम हो जायेगा और यदि यह दुखद घटना भोपाल में हुई है, तो अनुसंधान केन्द्र को दिल्ली अथवा बंगलूर या मद्रास में स्थापित करने का कोई महत्व नहीं है। इसे केवल भोपाल में ही स्थापित किया जाना जाना चाहिये। जितना जल्दी किया जाएगा उतना ही उत्तम रहेगा और इससे आप न केवल मुआवजे के रूप में बल्कि स्वास्थ्य के विचार से भी भोपाल के लोगों की सेवा कर सकेंगे और भोपाल में आने वाली पीढ़ी एक ऐसा कदम उठाए जाने के प्रति इस सभा की ऋणी रहेगी जिसके परिणामस्वरूप मिक के रिसने के कारण पड़ने वाले सभी बुरे प्रभाव को आगे चलकर रोका जा सकता है।

जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, राज्य सरकार ने बहुत ही कम राशि का भुगतान किया है, जो वह अपनी निधि से दे सकती थी, किन्तु मुआवजे की राशि का शीघ्र भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी के मस्तिष्क में जो योजनायें हैं, उनमें दावेदारों द्वारा आसानी से प्रतिवेदन करने की बात भी जोड़ लेनी चाहिए और बहुराष्ट्रिक यूनियन कारबाइड की प्रभावशाली और जानबूझकर व्यवधान डालने वाली गतिविधियों को अवश्य ही रोका जाना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय विधि मंत्री इस समस्या के प्रति अत्यधिक सचेत होंगे तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस सभा में कोई घोषणा करेंगे अथवा वक्तव्य देंगे। इस गैस त्रासदी के कुप्रभाव और बहुत समय तक पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के बारे में यदि वे गंभीर हैं तो स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र खोलने की घोषणा उन्हें तत्काल कर देनी चाहिए जिससे कि उन्हें पता चल सके कि इस गैस का भोपाल के मानवों और जानवरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है और ऐसा करने से आने वाली पीढ़ी इस प्रकार का दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय लेने के लिए इस सभा को आशीर्वाद देगी।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। समय चूंकि कम है, इसलिए मेरे बड़े भाई और सहयोगी साथी, श्री के०एन० प्रधान, जो कि भोपाल से चुनकर आए हैं, ने इस सदन मे भाषण दिया, उनके शब्दशः भाषण पर मैं अपने दस्तखत करता हूं। उन्होंने वहां की परिस्थिति को बहुत ही करुणा के साथ रखा है और भोपाल की पीड़ा को इस सदन ने उनके माध्यक से समझा है। इसलिए इस बात पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहूंगा और माननीय मन्त्री श्री पाटिल साहब से कहूंगा कि आप चाहे हिन्दुस्तान की कोर्ट में दावा लगाइये या अमरीका की कोर्ट में लगाइये, लेकिन इन सारे दावों को डटकर लड़ें, जितना पैसा चाहिए खर्च करें, मनुष्यों के जीवन के साथ, भारत को पिछड़ा देश मान कर, हम लोगों को गरीब मान कर, हमारी मनुष्यता के साथ जो खिलवाड़ इस मल्टी नेशनल कम्पनी के द्वारा किया गया है, उसका जितना अधिक मुआवजा जहां से भी वसूल कर सकें, अवश्य वसूल करें। यह बहुत आवश्यक है और इसके लिए सदन में जब-जब और जितनी बार आना पड़े, आपको आना चाहिए और कानून-कायदे के जो काम हैं, जिनको आप पास कराना चाहें अवश्य करायें। इस मामले में इस सदन का पूरा विश्वास आपके साथ है और मुझे यकीन है कि इस सम्बन्ध में पूरा देश आपके पीछे है।

अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर उठाना चाहता हूं, जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है और मुझे ऐसा यकीन है कि शायद मैं पहली बार इसको इस सदन में उठा रहा हूं। इस दुर्घटना के कारण बहुत से बच्चे अनाथ हो गये हैं, वे हिन्दू, मुसलमान, ईसाइयों के बच्चे हैं, न उनको सम्भालने वाला कोई बचा है, न आंसू पोंछने वाला कोई बचा है, न उनसे रोटी-पानी पूछने वाला कोई बचा है, न शिक्षा और चिकित्सा के बारे में सोचने वाला कोई बचा है। ऐसी स्थिति में ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र हो सकता है कि विदेशी एजेन्सीज उन बच्चों को एडाप्ट करने के नाम पर इस देश से बाहर ले जांये। मैं तमाम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से अपील करता हूं, उन सब बच्चों को कोई न कोई परिवार या संस्था एडाप्ट करे और ऐसी कोशिश करें जिससे वे अपने धर्म और नाम के साथ इसी देश में रह सकें, इसी धरती पर अपना सिर ऊंचा उठा कर चल सकें। यदि ये बच्चे बाहर चले गये तो उनके नाम, धर्म और वर्ण सब कुछ बदल जायेंगे और बड़े होने पर ये हम पर थूकेंगे कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी और बुढ़ापे में हमें इस देश से खदेड़ दिया, हमारे आंसू पोंछने के लिए इनकी अंगुली नहीं बढ़ी।

मैं मध्य प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा—कम से कम आने वाले 20 वर्षों तक अपने बजट में ऐसी व्यवस्था अवश्य करें और केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार को संकेत दें, सलाह दें कि उन बच्चों के लिए शिक्षा और नौकरी किसी न किसी प्रकार की सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की जाय ताकि वे अपने को अकेला महसूस न करें।

यह जो विधेयक लाया गया है, इसका उद्देश्य स्पेसिफिक है, भोपाल गैस ट्रेजिडी पर है। इसलिए मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जितनी भी मल्टी-नेशनल-कम्पनियां हमारे देश में काम कर रही हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए पूरे देश के बारे में ऐसा कोई नया विधेयक तैयार करें जिससे यदि ऐसी घटनायें घटें तो उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जा सके।

जैसा हमारे भाई डागा जी, व्यास जी और मुशरान साहब ने कहा, मैं उनकी बातों पर दस्तखत करते हुए कहना चाहता हूं—इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या वाकई हमारे साथ कोई षडयन्त्र या एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया गया है जिसके हम शिकार हो गए हैं।

अन्त में, मैं पाटिल साहब से कहना चाहता हूं—वहां तीन तरह के लोग हैं, एक वे जो मर गए हैं, दूसरे वे जो मर रहे हैं और तीसरे वे लोग हैं जो मरे हुए पैदा होंगे या केवल इस कारण से मरने के लिए पैदा होंगे। आप इन सारी बातों पर विचार करके कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे उनके घावों को साफ कर सकें। इस काम में हम भी आपके साथ भागीदार होंगे।

यदि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी मेरी बात को सुन रहे हों, तो मैं उन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि भोपाल में किसी मेडिकल रिसर्च सेन्टर के बारे में सोचें ताकि उनको धन्यवाद देने के लिए हम आगे आ सकें।

***श्री आर० अन्नानाम्बी (पोल्लाची)** : सभापति महोदय, अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की ओर से भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) विधेयक, 1985 के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, इस घातक गैस का रिसाव भोपाल में 2 और 3 दिसम्बर, 1984 को हुआ था। उसी समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भयनाक तूफान आया था जिससे हजारों आम आदमी पीड़ित हुए थे। तमिलनाडु में हमारे प्रिय नेता पुरात्ची थालैवर डा० एम० जी० आर० की राज्य सरकार ने जनता का दुःख दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही की। इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश में श्री एन० टी रामाराव की राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत सहायता प्रदान की। इस मामले में 4 दिसम्बर, 1984 को हमारी भूतपूर्व महान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के योग्य पुत्र, जो आज स्वयं में युवा भारत की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक समझे जाते हैं और जो आज देश के कर्णधार हैं, मुसीबत के समय में लोगों को सान्त्वना देने भोपाल गये थे। राहत उपायों में उन्होंने व्यक्तिगत रुचि ली थी। उन्होंने समाचार पत्रों तथा रेडियो के माध्यम से यह आश्वासन दिया कि इस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत पहुंचाये जाने के बारे में भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। अपनी राहत निधि से उन्होंने आर्थिक सहायता दी। इसके संबंध में तत्काल और शीघ्र निर्णय लेकर हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी पूरे राष्ट्र में लोकप्रिय हो गये हैं। कयामत के इन दो दिनों के दौरान मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जो कानून और व्यवस्था बनाये रखी है, उसके लिए वे प्रशंसा के योग्य हैं।

4.00 म० प०

महोदय, मुझे यह कहना है कि मानव इतिहास में ये दो दिन पूरी तरह से अंधकार के दिन थे। इन दो दिनों से यह भी पता चल गया कि मुसीबत के दिनों में भी लोलुपता मानव का शोषण करने से नहीं हिचकती है। पूरे विश्व से संवाददाता और फोटोग्राफर इस दयनीय नगरी में आए थे। उन्होंने पीड़ित व्यक्तियों के चित्र लिए और लोगों के दुःखों के बारे में उन्होंने बिना सोचे समझे प्रश्न किए। अमरीका से भी अनेक वकील भोपाल आये थे। उन्होंने पीड़ितों की अंगूठा निशानी और हस्ताक्षर लिये और उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे अमरीका में यूनियन कारबाइड पर मुकदमा दायर करेंगे और उन्हें मुआवजा दिलवायेंगे। लेकिन वे अपने साथ आवश्यक दवाइयां तक नहीं लाये थे जबकि दूसरी ओर वे कम्पनी पर अनेक मुकदमे चलाना चाहते थे। हम लोग ठीक से यह नहीं कह सकते कि यह त्रासदी यूनियन कारबाइड की लापरवाही के कारण हुई। हम लोगों को कम्पनी के उस दुर्भावनापूर्ण रवैये की निंदा करनी होगी जो उसने गैर-सरकारी डाक्टरों को तात्कालिक चिकित्सा सम्बन्धी परामर्श देने के संबंध में अपनाया था, जो पीड़ित व्यक्तियों से घिरे हुए थे। फैक्टरी के परिसर से बाहर रहने वाले व्यक्ति तो समाप्त ही हो गये थे। गैस के फैलते ही अनेक लोगों की आंखों में जलन महसूस हुई थी। कम्पनी के डाक्टर उसका उपचार जानते थे। किन्तु उन्होंने प्राइवेट चिकित्सकों को ऐसा उपचार करने की सलाह नहीं दी। इस स्पष्ट अपराध के लिए कम्पनी के इन डाक्टरों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

ये हमारे युवा प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ही हैं, जिन्होंने इस बारे में अमरीका में हुई गतिविधि का व्यक्तिगत मूल्यांकन कराने के लिए महान्यायवादी को अमरीका भेजा। शीघ्रता से, प्रभावशाली ढंग से न्यायोचित ढंग से तथा दावेदारों के सर्वोत्तम लाभ में दावों का

निपटान हेतु राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कराये जाने के लिए उन्होंने तत्काल कार्यवाही की। अब उसी अध्यादेश का स्थान लेने हेतु वह यह विधेयक लाये हैं। इस त्रासदी से प्रभावित व्यक्तियों की रक्षा करने तथा उन्हें कानूनी धोखे से बचाने के लिए अब केन्द्र सरकार के पास अपेक्षित शक्तियां हैं। मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार धोखेबाज वकीलों से निःसहाय पीड़ितों की रक्षा करेगी। इस अवसर पर मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्राकृतिक विपदाओं यथा भूकम्प, बाढ़ आदि तथा इस प्रकार की वैज्ञानिक त्रासदी दोनों प्रकार की विपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा निधि की स्थापना की जानी चाहिए।

4.04 म०प०

[उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

मध्य प्रदेश सरकार ने मृतक के आश्रितों को 10,000 रुपये, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 2000 रुपए तथा मामूली रूप से घायल व्यक्तियों को 1000 रुपए देने की घोषणा की है। थोड़े से ही लोगों को यह वित्तीय सहायता मिल सकी है। गंभीर रूप से घायल और मामूली तौर पर घायल व्यक्तियों की परिभाषा के बारे में कुछ भ्रान्ति है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह आदेश दिया था कि सबसे पहले सर्वेक्षण पूरा किया जाये। दुर्भाग्यवश वह सर्वेक्षण बीच में ही रुक गया और साथ ही वित्तीय सहायता भी रोक दी गई। मेरी यह मांग है कि इस सर्वेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराया जाए और इस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल वित्तीय सहायता दी जाये। मेरा यह भी सुझाव है कि एन०के० सिंह आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र पूरा कराया जाये। संगत साक्ष्यों को मिटाये जाने से पूर्व ही अपराधियों को यथाशीघ्र दण्ड दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः मानवीय करुणा के इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपने स्थान पर बैठता हूं।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति महोदय, विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरी हुई विशाल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां के तालाबों और झीलों की साज की लय पर मालवे की सुहानी रात, शवे मालवा अपने मधुर गीत गाती है, जहां कि फिजाओं में सांची का तकद्दस है, पवित्रता है, एक बड़े हादसे का शिकार हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली दो-तीन दिसम्बर को वही खूबसूरत शहर एक मौत का शहर बन गया। वहां पुछे हुए सिंदूरों, लुटे हुए चिरागों, खाली गोदी, उजड़े हुए मजबूर और बेकस लोगों को कोई देखने वाला नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि उस समय की मध्य प्रदेश सरकार ने और वहां के मुख्यमंत्री और विशेष कर हमारे प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया, भयभीत लोगों के लिए जितनी राहत पहुंचाई, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। लेकिन कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं जो आज भी भोपाल के लोगों को भयभीत किए हुए हैं और उन्हें मौत के डर में रहने को मजबूर किए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उन सवालों को माननीय मन्त्री जी सुनें और सदन को यह आश्वासन दें कि शासन उनके बारे में कार्यवाही करेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला सवाल यह है कि आज भी भोपाल के लोगों में एक बड़ा भय और डर है और इसे मध्य प्रदेश के सभी प्रीमियर समाचार पत्रों ने भी लिखा है कि यूनियन कारबाइड में अभी भी गैस बाकी है, वहां पूरी गैस समाप्त नहीं हुई है और कभी भी ऐसा मौका आ सकता है कि वहां गैस का विस्फोट हो जाए और सरकार को गैस की टंकियां खाली कराने के लिए सारा भोपाल खाली कराना पड़ जाए। वहां के समाचार पत्रों ने इस बात को लिखा है और आंकड़े दिए हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज तक न तो मध्यप्रदेश सरकार ने और न केन्द्रीय सरकार ने कोई स्पष्टीकरण किया है और न कोई इसका खण्डन किया है। इसलिए वहां के लोग आज भी मौत के साए में रहने को मजबूर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न जिसकी ओर मैं सारे सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े वर्ग की राय है कि जो घटना भोपाल में हुई वह कोई एक मामूली हादसा नहीं था बल्कि एक कैमिकल वारफेयर का रिहर्सल था, उस वारफेअर का एक तजुर्बा था, एक एक्सपेरीमेंट था जिसको कि साम्राजी ताकतों ने भोपाल में किया था। यह बात मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि इसको वर्ल्ड पीस कौंसिल के अध्यक्ष ने भोपाल में सारे भारत के समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों के बीच में कहा था। लेकिन इस बात का कोई खण्डन भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, एक आल इण्डिया रिकगनाईज्ड पार्टी के मध्य प्रदेश के एक प्रमुख नेता ने भोपाल में दूसरी बात यह कही कि यूनियन कारबाईड में, भोपाल की इस घटना के पहले दो अमेरिकन फौजी जनरल आए थे और ठहरे थे। यह बात अखबार के अन्दर आई है। उनकी साजिश से यूनियन कार्बाइड के अन्दर यह घटना हुई, उनकी देख रेख में यह अनुभव किया गया। उनकी देखरेख में यह तजुर्बा किया गया, इस बात का कोई भी खण्डन या स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, वह यह कि यूनियन कारबाइड और मध्य प्रदेश सरकार पर इल्जाम डालते हैं, और हमारा यूनियन कारबाइड पर इसका फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस बात की इन्क्वायरी की है कि हर ऐसी फैक्ट्री में, जैसे यूनियन कारबाइड भोपाल में है, वहां एक इलैक्ट्रीफाइड सिस्टम होता है। उसके अन्दर आटोमेटिक व्यवस्था की जाती है कि अगर कभी गैस लीकेज हो तो बिजली से, इलेक्ट्रीसिटी से वह गैस वातावरण में अपने आप जला दी जाए। क्या वो सिस्टम काम कर रहा था। मैं चाहूंगा कि इस बात की छानबीन शायद कमेटी नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूनियन कारबाइड के कर्ताधर्ता इतने ताकतवर हैं कि वे हर लेवल पर अपना इन्फ्लुएंस यूज कर सकते हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाकर इस बात की छानबीन करवाने का प्रयत्न करेंगे, यह स्पष्टीकरण अगर दे दें तो बहुत कृपा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो मैंने पहले भी कही कि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत कुछ किया, जो कुछ किया वह सराहना के काबिल है, लेकिन अगर आप जाकर देखें उस गरीब और वीरान बस्ती को, जहां आज भी हजारों लोग, मजदूर लोग बेबस होकर जीवन बिता रहे हैं, उनकी क्या हालत है। उनके कान्टीन्यूड एम्पलायमेंट के लिए कोई योजना बनाएं। उन विधवाओं के लिए, बेवाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए, जिनका सारा खानदान शहीद हो गया है, जब तक उनके

लिए सेटलमेंट की गारंटी हम लोग नहीं लेंगे, तब तक इस बिल का परपज पूरा नहीं होगा। मैं भोपाल के उन लुटे हुए लोगों के नाम पर, बेवाओं और यतीम बच्चों के नाम पर माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि कोई बिल आप लेकर आइए, कोई भी मुकदमा चलाइये, भारत के न्यायालय में या अमरीका के न्यायालय में, लेकिन आपका फैसला उस वक्त तक सफल नहीं होगा जब तक कि जनता जो प्रभावित हुई है, वह उसको पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेती। क्योंकि इन न्यायालयों से बड़ी एक और अदालत है और वह है भविष्य के इतिहासकार की। वह जब कलम उठाएगा और आपके और हमारे एक्शन का एनेलिसिस करेगा, रिकार्ड करेगा और आने वाली नस्लें उसका निर्णय करेंगी कि हमने अपने कर्त्तव्य का पालन किया या नहीं किया! मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने कर्त्तव्य का पालन करने में नाकाम रहे तो भविष्य का इतिहासकार और भविष्य की आने वाली नस्लें हमको मुजरिमों के कटघरे में खड़ा करेंगी और हमेशा हम पर मातम करती रहेंगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे आने वाली नस्लें और भविष्य के इतिहासकार को आप मायूस न होने दें और इस तरह से कार्य करें, जिससे कि भविष्य के इतिहासकार को हमारे ऊपर कोई तोहमत लगाने का मौका न मिले।

इतना कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मंत्री जी ने कहा था कि सरकार का दृढ़ इरादा न्यायोचित और उचित मुआवजा प्राप्त कराना है चाहे वह भारत में या भारत के बाहर से, चाहे भारत के न्यायालय से अथवा अमरीका के न्यायालय से प्राप्त हो। यह एक सीमित विधेयक है और इस विधेयक का सीमित उद्देश्य मुआवजा प्राप्त कराना है। किन्तु भोपाल की त्रासदी केवल इस बात तक ही सीमित नहीं है। इस मामले पर सरकार ने एक दम चुप्पी साध रखी है। भोपाल गैस रिसाव त्रासदी भारत में पर्यावरण संबंधी सर्वाधिक दुःखद त्रासदी है- यह त्रासदी न केवल भारत की है अपितु पूरे विश्व की है। क्या आपको पता है कि कितने व्यक्ति मारे गये हैं। सरकार का कहना है कि 2,500 व्यक्ति मारे गये हैं किन्तु कुछ लोगों का कहना है कि इससे कहीं अधिक व्यक्ति मारे गये हैं, दो लाख से अधिक व्यक्ति अपंग और घायल हुए हैं और ऐसे लोगों की संख्या 50,000 से अधिक है जो भयानक कठिनाइयों से त्रस्त हैं। टाइम्स आफ इंडिया ने लगातार तीन दिनों तक समाचार दिया था और चित्र भी छापे थे जिनसे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भोपाल में लोगों को कितने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इन 50,000 व्यक्तियों को गुर्दे, आंख, आमाशय, मस्तिष्क, सांस आदि संबंधी गंभीर बीमारियों हो गई हैं और अधिकांश व्यक्तियों में काम करने की शक्ति ही नहीं रही है। वे लोग काम पर नहीं जा सकते। ये सब बातें भोपाल में हुई हैं। यहां तक की कांग्रेस पार्टी में हमारे कुछ मित्र भी बहुत सच्ची बात कह रहे हैं कि यह बहुराष्ट्रिक निगम का कार्य है जिन्हें साम्यवादी विश्व के लोगों का शत्रु समझते हैं···(व्यवधान) इसलिये आप भी उन्हें शत्रु समझते हैं। यह मजे की बात है। आज भी आप बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों को आमन्त्रित कर रहे हैं चाहे वे रसायन बनाने वाली कम्पनी ही क्यों न हों। आप दूसरी तरह से बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों को आमन्त्रित कर रहे हैं। संभवतः हिरोशिमा और नागासाकी के बाद विश्व में इस जैसी त्रासदी कभी नहीं हुई और

यह त्रासदी भूकंप अथवा बाढ़ अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समान दुःखत घटनाओं सी नहीं है। यह मनुष्य की पैदा की हुई है। जैसा कुछ लोगों का कहना है कि रिसने वाली यह गैस वह गैस है जिसका प्रयोग कम्पनी अस्त्र बनाने में करती थी, वह अस्त्र जो वियतनाम में प्रयोग किये जाते हैं। ऐसी वस्तुएँ यहां तैयार की जाती थीं और जैसा कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र ने अभी-अभी कहा है संभवतः यह इनका परीक्षण स्थल था। आपको यह बात भली भांति पता है कि ये बहु-राष्ट्रिक कम्पनियां अपने परीक्षण के लिये तृतीय विश्व के देशों को अपने 'गिनीया पिग' (अमरीकी कृन्तक) के समान समझती हैं और संभवतः यह स्थान उनका परीक्षण स्थल था। इसीलिये, मुझे आशा है कि सरकार इस अवसर का लाभ उठायेगी पर अभी तक तो सरकार पूरी तरह जागरूक नहीं है।

भोपाल के लोगों की परेशानियां समाप्त नहीं हुई हैं। वे आज भी यथावत बनी हुई हैं। **टाइम्स आफ इंडिया** में प्रकाशित समाचारों में कहा गया है कि भोपाल में तीन महीने पहले जो व्यक्ति स्वस्थ देखे गये थे इस समय कमजोर दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी अब बीमार हैं। उस समय जो व्यक्ति काम कर सकते थे वे अब काम नहीं कर सकते हैं। अतः यह सब प्रभाव अभी भी बना हुआ है। श्रमिक अपने कार्य-स्थलों पर नहीं जा सकते। महिलायें अपना काम नहीं कर सकतीं। वहां यह हालत है।

इलाज के सम्बन्ध में, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् वहां गहन और कठिन परिश्रम के साथ परीक्षण कर रही है और उसने यह सिद्ध किया है कि भोपाल में साइनाइड जहर अभी भी विद्यमान है। सरकार द्वारा जो पोस्ट-मार्टम कराये गये हैं उनसे भी यह सिद्ध हो चुका है कि उनके शरीर में साइनाइड जहर विद्यमान था। किन्तु जो दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं वे सही दवाएं नहीं हैं। सोडियम-डायो-सल्फेट जो सही दवा है, वह अनेक स्थानों पर सप्लाई नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, गहन और कठिन परिश्रम के बाद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जो सिद्ध किया है वह यह है कि यह बहु-राष्ट्रिक निगम भोपाल के अनेक चिकित्सकों और डाक्टरों पर अपने प्रभाव के अन्तर्गत लाने में सफल रहे हैं। और अब भोपाल के डाक्टर अथवा कम से कम उनका एक वर्ग यह प्रचार कर रहा है कि साइनाइड जहर अब विद्यमान नहीं है अथवा भ्रान्ति पैदा करने की चेष्टा की जा रही है और वहां के रोगियों को जो वैज्ञानिक उपचार दिया जाना चाहिये था उसके स्थान पर अब लक्षणों के आधार पर उपचार दिया जा रहा है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जिस वैज्ञानिक उपचार का सुझाव दिया है, वह भोपाल के लोगों को नहीं मिल रहा है और जो अभी तक वे भारी कष्ट झेल रहे हैं। निस्सन्देह, अपने मित्रों की भांति मैं भी यह चाहता हूं कि इस अवसर का मुकाबला करने के लिए भोपाल में कुछ विशेष अस्पताल अथवा कम से कम एक ऐसा अस्पताल होना चाहिए ताकि वास्तविक उपचार किया जा सके। यह तो सिद्ध हो चुका है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया उपचार अन्य डाक्टरों द्वारा केवल लक्षणों के आधार पर किए गए उपचार से अधिक प्रभावी है।

राहत के विषय में कम कहना ही बेहतर होगा। समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार एक भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस दुःखद घटना से प्रभावित हजारों लोगों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं थे। केवल राशन कार्ड धारियों को राहत

दी गई है और दी जा रही है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उन्हें कोई राहत नहीं मिली है महोदय, इन लोगों को 12 किलो गेहूं, दूध आदि दिए जाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। गेहूं के बारे में तो समाचार-पत्रों में पहले ही प्रकाशित हो चुका है कि गेहूं अच्छी किस्म का नहीं है। उसमें कंकड़ भरे हुए हैं और उन तक केवल एक चौथाई ही पहुंचता है। सरकार धन खर्च कर रही है और बिचौलिए धन कमा रहे हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राहत तदर्थ आधार पर अर्थात मासिक आधार पर पहुंचायी जा रही है। अन्तिम तदर्थ राहत देने का आदेश विधान सभा चुनावों से पूर्व दिया गया था। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि राहत देना जारी रखें। चूंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, आपको वोट मिल गए हैं, इसलिए राहत भी बन्द नहीं हो जानी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गेहूं आदि की इस राहत से काम नहीं चलेगा। पीड़ित लोगों को समुचित दवाईयां और पोषक भोजन मिलना चाहिए। सरकार द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए।

मैं यह नहीं समझ पाया कि इस मामले में आपको अमरीका जाने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने यह खिलवाड़ यहां किया और आप वहां जा रहे हैं? आप उन्हें यहां क्यों नहीं ला सकते? मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अत्यन्त लापरवाही पूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। इस कम्पनी के अध्यक्ष श्री एन्डरसन जब भारत आए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बारे में अखबारों में बड़े-बड़े समाचार प्रकाशित हुए परन्तु शाम को उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्हें न केवल रिहा किया गया बल्कि उन्हें हवाई अड्डे पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की भांति विदा किया गया। उन्हें एक्जीक्युटिव श्रेणी में जाने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार आप उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं।

महोदय, यूनियन कार्बाइड आसानी से काबू आने वाली नहीं है। वे पहले ही यह प्रचार कर रहे हैं कि वे इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं और इस दुर्घटना का मुख्य कारण तोड़-फोड़ है। अतः हमारी सरकार को चौकस रहना चाहिए। आज के समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड के लोगों ने भोपाल में अदालत में विवरण देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लोग उन्हें फैक्ट्री में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। इसी बीच हम यूनियन कार्बाइड में काम करने वाले अपने हरीश महेन्द्र जैसे भारतीय भाइयों की बातें भी सुन रहे हैं जो यह कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय होने का अफसोस है। संभवतः हमें भी उनके भारतीय होने का दुःख हो सकता है क्योंकि वह भारतीय लोगों की सेवा करने की बजाय अपने गोरे मालिकों की सेवा कर रहे हैं। न जाने हमें यह सुनने को क्यों मिल रहा है कि अदालत से बाहर समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्या भारत सरकार के लिए यूनियन कार्बाइड के साथ अदालत से बाहर समझौता करना अपमान-जनक नहीं है? मेरा निवेदन है कि इसे रोका जाना चाहिए। इन मामलों को हल करने में काफी समय लगेगा। श्री एन्डरसन ने घोषणा की है कि इस नुकसान के लिए कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस सब में इस संयन्त्र का कोई दोष नहीं है। उन्होंने अमरीका में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह कहा है। अब यदि अमरीका में इस तरह मामले लटकते रहे तो लाखों पीड़ितों का क्या होगा? अदालतों में मामले निपटाये जाने तक वे कितनी देर प्रतीक्षा

करेंगे ? मैं यह अनुभव करता हूं । भारत सरकार को स्वयं लोगों की प्रतिपूर्ति हेतु कदम उठाने चाहिए और अन्तिम रूप से मामला निपटाने पर समायोजित कर देना चाहिए । यदि मामला 5 या 6 या 7 वर्ष तक लटकता रहता है तो लोगों को मरकर ही शांति मिलेगी, उनकी शीघ्र मौत ही उनकी प्रतिपूर्ति होगी । मुझे आशा है कि भारत सरकार इन मामलों में आवश्यक कार्यवाही करेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : महोदय, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि सरकार ने यह विधान पेश किया है । परन्तु प्रश्न यह है कि इससे क्या प्राप्त होने वाला है ? क्या यह विधान पूर्णतः त्रुटिरहित है ? क्या अमरीका अथवा भारत में अदालतें मामले को तोड़-मरोड़ सकती हैं और अधिनियम में जो त्रुटियां हैं, उनका उपयोग दावाकर्त्ताओं को हानि पहुंचाने के लिए कर सकती हैं ।

महोदय, मैंने देखा है कि इस अधिनियम के कई खण्ड अस्पष्ट हैं । आप उनकी व्याख्या जैसे चाहे कर सकते हैं । इन पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार का असली इरादा अथवा विचार क्या है ? यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष यहां आये, गिरफ्तारी का ढोंग किया गया, उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया और उनसे एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति की भांति उनसे व्यवहार किया गया । इससे सरकार के असली इरादों को पता चलता है । यूनियन कार्बाइड पर अविवेकपूर्ण और उपेक्षापूर्ण ढंग से काम करने का आरोप है । इसी कारण लाखों लोगों को कष्ट उठाना पड़ा, हजारों मर गए । ऐसे मामले में सरकार को क्या करना चाहिए था ? सरकार को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 अथवा धारा 332 से 336 तक के अधीन तत्काल आपराधिक कार्यवाही आरम्भ कर देनी चाहिए थी । यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष को जमानत पर जाने दिया गया । यदि उपर्युक्त धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया जाता तो वह अमरीका नहीं जा सकते थे । यह मामला यूनियन कार्बाइड द्वारा अविवेकपूर्ण और लापरवाही से काम करने का है । यह फैक्ट्री जहरीली गैस छोड़ती है । सुरक्षा सम्बन्धी सभी ऐतिहाती कदम पहले उठाए जाने चाहिए थे जो नहीं उठाये गए । मुझे बताया गया है कि सुरक्षा प्रणाली ने काम करना बन्द कर दिया था । इसका अर्थ हुआ उन्होंने इसकी मरम्मत कराना भी ठीक नहीं समझा । पहले भी लगभग 3 या 4 बार गैस का रिसाव हुआ है और कुछ लोग मरे हैं । इन सबसे यह स्पष्ट होता कि यूनियन कार्बाइड समुचित सावधानी नहीं बरत रही थी । इस प्रकार उन पर अविवेकपूर्ण और उपेक्षापूर्ण ढंग से काम करने का आरोप है । उन्होंने जहरीली गैस से लोगों का बचाव करने हेतु आवश्यक सावधानी नहीं बरती । मैं कह चुका हूं कि इन लोगों पर मेरे द्वारा उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाना चाहिए था । परन्तु सरकार ने ऐसा करना उचित नहीं समझा ।

मैं अब अपने इस मुद्दे को प्रमाणित करूंगा कि यह अधिनियम किस प्रकार अस्पष्ट है । धारा (3) की उप धारा (3) में उल्लिखित—

> "परन्तु भारत के बाहर किसी न्यायालय में या अन्य प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व लम्बित किसी दावे के सम्बन्ध में किसी ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही की दशा में केन्द्रीय सरकार ऐसे दावेदार का, यदि ऐसा न्यायलय या अन्य प्राधिकारी इस प्रकार अनुज्ञात कर दे तो प्रतिनिधित्व करेगी और उसके स्थान पर या उसके साथ कार्य करेगी ।"

महोदय, यह उन मामलों के बारे में है जो इस अधिनियम के आरम्भ होने से पूर्व शुरू हो चुके थे। यदि अदालत अनुमति देती है तो वे कार्यवाही करेंगे और यदि अदालत अनुमति नहीं देती है तो वे क्या करेंगे ? इस प्रकार यह बिल्कुल सन्देहास्पद है कि उनके साथ न्याय किया जाएगा या उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाएगा।

दूसरी बात, इसी धारा के खण्ड (ख) उपधारा (2) के बारे में है, जो कि समझौता करने के बारे में है, इसकी अधिकारिता क्या है ? क्या वे गैस पीड़ितों पर विचार करेंगे ? ये सभी बातें छोड़ दी गई हैं। सरकार के इरादे पर थोड़ा शक होता है। इस अधिनियम को अधिनियमित करके सरकार अभिवादी का, जो प्रतिवादी पर मुकदमा चलाएगा, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।

अब आप इस अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं और आप यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको अधिकार प्राप्त है। संभवतः यह अधिनियम भारत में न्यायालयों पर बन्धनकारी हो। यदि आप उन पर भारत में नहीं अपितु अमरीका में मुकदमा चलाते हैं तो यह अधिनियम अमरीकी अदालतों के लिए कैसे बन्धनकारी होगा ? आप अमरीकी न्यायालयों में दावे करना चाहते हैं। परन्तु क्या यह अधिनियम अमरीकी अदालतों के लिए बन्धनकारी है ? मैं नहीं जानता कि क्या सरकार ने इस ओर उचित ध्यान दिया है।

जहां तक क्षेत्राधिकार का संबंध है, जिस बात के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है वह यहां भारत में हुई, गैस दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति यहां हैं, फैक्ट्री यहां है और मालिक जो प्रतिवादी भी हैं, यहां हैं। परन्तु मैं नहीं समझता कि हमें अमरीका क्यों जाना चाहिए। कारण यह है कि अमरीका जाने से आपको अधिक रुपए मिलेंगे। अधिक मुआवजा मिलेगा। परन्तु केवल मुआवजे की रकम ही महत्वपूर्ण नहीं है। आप केवल कुछ और रुपयों के लिए अमरीका जा रहे हैं। यदि सरकार मरने वालों की कीमत समझे, जिनके माता पिता चल बसे हैं उनके बारे में सोचे, जिनकी पत्नियां चल बसी हैं, उनके बारे में विचार करे जिनके पति और बच्चे नहीं रहे, उनके बारे में सोचे तो मेरे विचार में यूनियन कार्बाइड की सारी दौलत लोगों के उस नुकसान, चिन्ता और दुःख का उचित मुआवजा नहीं भर सकती। बहुत से लोगों को बहुत सी चोटें लगी हैं और इस प्रकार का विधान प्रस्तुत करने में तत्पर सरकार ने पीड़ितों की सुरक्षा हेतु क्या किया है ? पीड़ितों के संबंध में वे क्या करेंगे ? आपने पीड़ितों को राहत नहीं पहुंचाई। आपने उनका उचित ढंग से इलाज नहीं कराया। संभवतः आपने चुनाव समाप्त होने तक इलाज और राहत का ढोंग किया है।

अब जिन लोगों को क्षति पहुंची है, उसका क्या प्रमाण है ? क्या आपने मरने वाले लोगों का पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र लिया है। जिन्हें क्षति पहुंची है, उनके बारे में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है ? कहा जाता है कि 2500 से अधिक लोग मरे हैं। कुछ लोग इस दुःखद घटना के तत्काल बाद भोपाल से भाग गए, कुछ खेतों में मर गए, कुछ रास्ते में मर गए। आप इन बातों का ध्यान कैसे रखेंगे, उनके बारे में प्रमाण-पत्र कैसे प्राप्त करेंगे ? क्या इस दुःखद घटना के बाद आपने कुछ विशेषज्ञों की सहायता से, यह पता लगाने के लिए कि गैस-निकासी लापरवाही से हुई अथवा अन्य किसी कारण से, यूनियन कार्बाइड की छानबीन की ? आपको यह सिद्ध करना होगा कि यह

भयावह घटना यूनियन कार्बाइड की लापरवाही से हुई । उसका क्या प्रमाण है ? आप नहीं जानते कि यह विनाश कैसे हुआ । आप अपना दावा कैसे सिद्ध कर सकते हैं ?

बहरहाल, ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक आम जनता को सन्तुष्ट करने के लिए लाया गया है और पीड़ितों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं । यदि आप वास्तव में पीड़ितों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आपको मेरे द्वारा तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करना होगा । फिर भी मैं इस विधेयक की प्रशंसा करता हूं क्योंकि इस दिशा में आखिर कुछ कदम तो उठाए गए हैं ।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, अव्वल बात यह मैं आप से कहूंगा कि इस मोअज्जिज ऐवान में वजाहत के साथ यह बात बतायी गई है कि किस कदर दर्दनाक वाक्या है यह भोपाल का अलमिया एक बड़े शहर में जो हिन्दुस्तान की तहजीब और संस्कृति की एक बहुत बड़ा मेरफज है, उसके साथ वही हाल हुआ है जो मैं समझता हूं कि हिरोशिमा या नागासाकी का हुआ था या 1976 में इटली में जो धमाका हुआ, जिसमें पेस्टिसाइड्स प्लान्ट से गैस निकली जिसने कि वहां पर उसी पैमाने पर तबाही कर दी, कुछ उससे यह वाक्य कम नहीं है यह वारदात जो यूनियन कार्बाइड आफ यू एस ए के इस प्लान्ट की वजह से हमारे मुल्क को भुगतना पड़ा है और यह बेहद दर्दनाक बात है, यह बताया जा रहा है कि ढाई हजार आदमी इस में मरे हैं लेकिन सही तयदाद हमारे सामने नहीं आ रही है । ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लोग मरे हैं जहा तक तबाही सामने आई है, बताया जा रहा है और अखबारात की रिपोर्ट है कि दो लाख से ज्यादा लोग इस वक्त ऐसे हैं जो तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो चुके हैं और जो मुआशसी गैस का असर है, न मालूम कितने जेनरेशंस तक यह सिलसिला जारी रहेगा जैसे कि एटामिक एक्सप्लोजन के बाद होता है, बिलकुल इस मामले में यही नजर आता है । पिछले दिनों अखबारों में यह भी आया था कि एक औरत ने जो बच्चा जना है उस की हैयत क्या है इस भोपाल ट्रेजेडी के बाद और वह किस कदर बिगड़ा हुआ था । यह न सिर्फ हमारे वक्त की बड़ी वारदात है बल्कि न मालूम आने वाले कितने अर्सा तक इसका कितना असर रहेगा ।

मुझे एक बात बड़े दुःख से कहनी पड़ रही है कि इतने बड़े वारदात को और भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, हिन्दुस्तान के बड़े शहरों में से एक बड़ा शहर है वहां पर हुई वारदात को मरकजी सरकार ने इतनी अहमियत नहीं दी और इसको एक नेशनल ट्रेजडी के तौर पर स्वीकार नहीं किया । मध्य प्रदेश सरकार पर इसे छोड़ दिया । जहां तक मध्य प्रदेश सरकार का ताल्लुक है जैसा कि अखबारात के बयान से लगता है और जो मोअज्जिज मेम्बरान ने इस सदन में बताया है, उससे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें नाकामयाब रही है । वजाहिरा दस करोड़ रुपया कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर खर्च किया है लेकिन अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भी न सर्वे मुकम्मिल हुआ है जो कि टाटा इंस्टीच्यूट आफ बाम्बे, जो सोशल स्टडीज के कालेजेज से कोआपरेशन के तहत बताया गया था कि वह रिपोर्ट पेश करेंगे, उन्होंने भी पिछले महीने से वह रिपोर्ट बनाना और तैयार करना छोड़ दिया है । ऐसा लगता है इन इस वाकयात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है । जिस कदर बड़ी ट्रेजेडी हुई है इस सारे

मामले में जो सारी एजेंसीज सर्वे कर रही हैं, वे सही ढंग से अपना फर्ज अदा नहीं कर रही हैं। यह रिपोर्ट **टाइम्स आफ इण्डिया** में भी आई है जो उस में तीन मुसलसल सफों में छपी है और यही हाल और अखबारात से भी जाहिर है। हालत यह है कि जिन लोगों को राशन वगैरह दिया जा रहा है कुछ अनाज 15 किलो फी कस, आधा किलो शुगर, आधा किलो तेल, इस किस्म की चीजें मालूम हुआ है कि उन में से बहुत सी चीजें लोगों को देना बन्द कर दिया गया है। इस सारी बारदात में जो हजारों लाखों लोग इस वक्त तक तबाह हो चुके हैं, मर गए हैं या बेघर हो गए हैं, उनकी सारी की सारी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ रही है। दुःख तो इस बात का है कि जब सरकार इस समय एक बिल ला रही है तो इस बिल में भी कम्पेन्सेशन के बारे में कुछ नहीं बताया है, इसलिए हम इस की मुखालिफत कर रहे हैं। यह कम्पेन्सेशन के बारे में नहीं है, लिटिगेशन के बारे में है। इतना बताया जा रहा है कि इन केसेज को हम ले लेंगे और गवर्नमैंट आफ इंडिया अख्त्यारात हासिल करेगी कि यूनियन कार्बाइड आफ यू एस ए के साथ जो लिटिगेशन होगा, जो क्लेमस हमारे होंगे उनके लिए वह लड़ेगी चाहे एक फर्द के लिए या फिर जितने लोग मरे हैं या जिनको नुकसान पहुंचा है उन सभी के लिए। जाहिरा तौर पर तो लग रहा है कि बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है लेकिन यह लिटिगेशन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कितना वक्त लगेगा ? इस बिल में एक बात सामने आई है, आपने कहा है सक यूनाइटेड स्टेट्स के कानून और इस देश के कानून को स्टडी करने के बाद यह सिलसिला शुरू किया है लेकिन इसके लिए कितने वक्त की जरूरत होगी ? आपने इस बिल में एक रकम मुकर्रर कर दी है और एक कमिश्नर मुकर्रर करने का फैसला किया है। और जो खर्चा होगा, एक्सपेंडीएर आन दिस एकाउन्ट, उसके लिए आपने फाइनेंशियल मेमोरैंडम में बताया है :

[अनुवाद]

"....भोपाल गैस विभीषिका के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए आयुक्त की तथा उसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति..."

[हिन्दी]

फाइनेंशियल मेमोरेंडम में बताया गया है कि 1 लाख 25 हजार रुपया तनख्वाह के लिए खर्च होगा और इसकी मांग आपने सदन के सामने रखी है। इसके साथ साथ आपने बताया है :

[अनुवाद]

"विधेयक के उपबन्धों के कारण कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय नहीं होगा।"

[हिन्दी]

लेकिन इसमें इमदाद का कोई जिक्र नहीं है। आप सिर्फ यह कहते हैं कि लिटीगेशन करेंगे, अदालती कार्यवाही आप करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं यह सारी बात गलत है। असल में गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का यह फर्ज बनता है कि इनफरादी तौर पर या जो पूरे खानदान मिट गए हैं उनका पूरा पता लगाएं। आज वहां से ऐसे सैकड़ों घर हैं जिनसे एक आदमी भी बचकर बाहर नहीं निकल सका। इसके अलावा वहां पर बहुत से ऐसे लोग थे जोकि डेली वेजज पर काम करते थे, मजदूर थे उनके बारे में भी कोई पता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को सबसे पहले एक सर्वे मुकम्मल करना चाहिए कि कुल कितने लोग मरे हैं, कुल कितनी इन्जरीज हुई हैं और उसके बाद में अदालती जंग आप शुरू करें। पहले तो आप इस बात

का पता लगा लें कि इस वारदात में कुल कितने लोग मुतास्सिर हुए हैं जोकि अभी भी सफर कर रहे हैं या जिनको अभी खाना नहीं मिल रहा है और बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं या जो भी बेवायें हैं, यतीम बच्चे हैं, जिनके गुजारे का कोई जरिया नहीं है—ऐसे लोगों की कुल कितनी तादाद है। यह सारी मालूमात करने के बाद उनकी प्राबलमस को हल करने के कदम आपको उठाने चाहिये।

जहां तक लिटिगेशन की बात है, जो मल्टीनेशनल कम्पनी यूनियन कारबाइड है, उसके खिलाफ आप कितनी डेथ्स का क्लेम लेकर जा रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं 10 हजार मरे हैं और कुछ कहते हैं 15 हजार मरे हैं और कुछ तो इस वक्त भी मर रहे हैं, अपने घरों में या अस्पतालों में, इसलिए आप इस सिलसिले में पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही यूनियन कारबाइड के साथ मुकद्दमा लड़ सकते हैं।

दूसरे इसका एक मारल आस्पेक्ट भी है। आपको सरकारी लेवल पर भी यूनाइटेड स्टेट्स से टैकल करना चाहिए। हमारा देश जो है वह रुपया कमाने की कोई मशीन नहीं है कि बड़ी बड़ी कम्पनियां यहां पर अपने कारखाने खोल दें और कोई सेफटी मेजर्स न लें। बातें सामने आ गई हैं कि यह फैक्ट्री सिर्फ रुपया कमाने की मशीन थी, सिर्फ आमदनी बढ़ाने का एक जरिया था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को पूरे मुल्क के लाखों लोगों की जिन्दगी और मौत की परवाह नहीं थी। इसलिए मैं समझता हूं कि इन मसाइल के लिए यूनाइटेड नेशन लैवल पर भी आपको लड़ाई लड़नी चाहिए।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

شری عبدالرشید کابلی (سرسینگر) اپادھیکش مہودے۔ اوّل بات یہ میں آپ سے کہوں گا کہ اس معزز ایوان میں وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ کس قدر دردناک واقعہ ہے یہ بھوپال کا المیہ کہ ایک بڑے شہر میں جو ہندوستان کی تہذیب اور سنسکرتی کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اس کے ساتھ وہی حال ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہیروشیما یا ناگاساکی کے ساتھ ہوا تھا یا ۱۹۷۶ء میں اٹلی میں جو دھماکہ ہوا جس میں پیسٹیسائڈس پلانٹ سے گیس نکلی جس نے کہ وہاں پر اسی پیمانے پر تباہی کردی کچھ اس سے یہ واقعہ کم نہیں ہے۔ یہ واردات جو یونین کاربائڈ آف یو ایس اے کے اس پلانٹ کی وجہ سے ہمارے ملک کو بھگتنا پڑا ہے۔ اور یہ بے حد دردناک بات ہے۔ بتایا جارہا ہے۔ کہ ڈھائی ہزار آدمی اس میں مرے ہیں لیکن صحیح تعداد ہمارے سامنے نہیں آرہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ مرے ہیں۔ جہاں تک تباہی سامنے آئی ہے بتایا جارہا ہے اور اخبارات کی رپورٹ ہے کہ دو لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت ایسے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہوچکے ہیں اور جو ایم آئی سی گیس کا اثر ہے۔ نہ معلوم کتنے جنریشن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جیسے کہ ایٹامک ایکسپلوزن کے بعد ہوتا ہے بالکل اس معاملے میں یہی نظر آتا ہے پچھلے دنوں اخباروں میں یہ بھی آیا تھا کہ ایک عورت نے جو بچہ جنا ہے اس کی ہیئت کیا ہے۔ اس بھوپال ٹریجڈی کے بعد وہ کس قدر بگڑا ہوا تھا۔ یہ نہ صرف ہمارے وقت کی بڑی واردات ہے بلکہ نہ معلوم آنے والے کتنے عرصہ اس کا اثر رہے گا۔

مجھے ایک بات بڑے دکھ سے کہنی پڑرہی ہے کہ اتنی بڑی واردات کو اور بھوپال جو مدھیہ پردیش کی راجدھانی ہے۔ ہندوستان کے بڑے شہروں میں سے ایک بڑا شہر ہے اس پر ہوئی واردات کو مرکزی سرکار نے اتنی اہمیت نہیں دی اور اس کو ایک نیشنل ٹریجڈی کے طور پر سویکار نہیں کیا۔ مدھیہ پردیش سرکار پر اُسے چھوڑ دیا۔ جہاں تک مدھیہ پردیش سرکار کا تعلق ہے، جیسا کہ اخبارات کے بیان سے لگتا ہے اور جو معزز ممبران نے اس سدن میں بتایا ہے اس سے لگتا ہے کہ مدھیہ پردیش سرکار بھی اس میں ناکام رہی ہے۔ بظاہر دس کروڑ روپے مدھیہ پردیش کی سرکار نے خرچ کیا ہے لیکن اخباروں کی رپورٹ کے مطابق اس وقت بھی نہ سروے مکمل ہوا ہے جو کہ ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف بمبئی سوشل اسٹڈیز کے کالجز سے اُن کے کوآرڈینیشن کے تحت بتایا گیا تھا کہ وہ رپورٹ پیش کریں گے۔ انہوں نے بھی پچھلے مہینے سے وہ رپورٹ بنانا اور تیار کرنا چھوڑ دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان تمام واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جارہا ہے جس قدر بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اس سارے معاملے میں جو وہ ساری ایجنسیز سروے کررہی ہیں وہ صحیح ڈھنگ سے اپنا فرض ادا نہیں کررہی ہیں۔ یہ رپورٹ ٹائمس آف انڈیا میں بھی آئی ہے جو اس میں تین مسلسل قسطوں میں چھپی ہے یہی حال اور اخبارات سے بھی ظاہر ہے۔ حالت یہ ہے کہ جن لوگوں کو راشن وغیرہ دیا جارہا ہے۔ کچھ اناج پندرہ کلو فی کس آدھا کلو شوگر آدھا کلو تیل اس قسم کی چیزیں

معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے بہت سی چیزیں لوگوں کو دینا بند کر دیا گیا ہے۔ اس ساری واردات میں جو ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت تک تباہ ہو چکے ہیں۔ مر گئے ہیں۔ بے گھر ہو گئے ہیں۔ ان کی ساری کی ساری رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ جب سرکار اس سمے ایک بل لا رہی ہے۔ تو اس بل میں بھی کمپنسیشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے اس لئے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ کمپنسیشن کے بارے میں نہیں ہے لیٹی گیشن کے بارے میں ہے۔ اتنا بتایا جا رہا ہے کہ ان کیسز کو ہم لے لیں گے۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا اختیار حاصل کرے گی۔ کہ یونین کاربائیڈ آف یو ایس اے کے ساتھ جو لیٹی گیشن ہوگا جو کیس ہمارے ہوں گے ان کے لئے وہ لڑے گی۔ چاہے ایک فرد کے لئے یا پھر جتنے بھی لوگ مرے ہیں یا جن کو نقصان پہنچا ہے ان سبھی کے لئے ظاہرہ طور پر تو لگ رہا ہے کہ بہت بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے لیکن یہ لیٹی گیشن یونائیٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کتنا وقت لے گا۔ اس بل میں ایک بات سامنے آئی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس کے قانون اور اس دیش کے قانون کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا ہے لیکن اس کے لئے کتنے وقت کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے اس بل میں ایک رقم مقرر کر دی ہے اور ایک کمشنر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو خرچ ہوگا ایکسپینڈیچر آن دِس اکاؤنٹ اس کے لئے آپ نے فائنینشل میمورنڈم میں بتایا ہے۔

"......appointment of Commissioner for the welfare of the victims of the Bhopal gas leak disaster and of other officers and employees to assist him...."

فائننشیل میمورنڈم میں بتایا گیا ہے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار روپے تنخواہ کے لیے خرچ ہوگا اور اس کی مانگ آپ نے سدن کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا ہے۔

"The provisions of the Bill do not involve any other expenditure of a recurring or non-recurring nature."

لیکن اس میں امداد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ لیٹی گیشن کریں گے عدالتی کارروائی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ساری بات غلط ہے۔ اصل میں گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ انفرادی طور پر یا جو پورے خاندان مٹ گئے ہیں ان کا پورا پتہ لگائے آج وہاں پر ایسے سینکڑوں گھر ہیں جن سے ایک آدمی بھی بچ کر باہر نہیں نکل سکا۔ اس کے علاوہ وہاں بہت سے ایسے لوگ تھے۔ جو کہ ڈیلی ویجز پر کام کرتے تھے۔ مزدور تھے ان کے بارے میں بھی کوئی پتا نہیں ہے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کو سب سے پہلے ایک سروے مکمل کرنا چاہئے کہ کل کتنے لوگ مرے ہیں کل کتنی انجریز ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد میں عدالتی جنگ آپ شروع کریں۔ پہلے تو آپ اس بات کا پتہ لگالیں کہ اس واردات میں کل کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں جو کہ ابھی بھی سفر کر رہے ہیں۔ یا جن کو ابھی کھانا نہیں مل رہا ہے۔ اور بچے تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں یا جو بھی بیوائیں ہیں یتیم بچے ہیں جن کے

گذارے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی کُل کتنی تعداد ہے۔ یہ ساری معلومات کرنے کے بعد ان کی پرابلم کو حل کرنے کے لئے قدم آپ کو اُٹھانے چاہئیں۔

جہاں تک لیبر گیشن کی بات ہے جو ملٹی نیشنل کمپنی یونین کاربائیڈ ہے اس کے خلاف آپ کتنی ڈیتھس کا کلیم لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ۱۰ ہزار مرے ہیں اور کچھ کہتے ہیں پندرہ ہزار مرے ہیں۔ اور کچھ تو اب بھی مر رہے ہیں۔ اپنے گھروں میں یا اسپتالوں میں اس لئے آپ اس سلسلے میں پوری پوری رپورٹ تیار کرنے کے بعد ہی یونین کاربائڈ کے ساتھ مقدمہ لڑ سکتے ہیں۔

دوسرے اس کا ایک مارل آسپیکٹ بھی ہے۔ آپ کو سرکاری لیول پر بھی یونائیٹڈ اسٹیٹس سے ٹیکل کرنا چاہئے۔ ہمارا دیش جو ہے وہ روپیہ کمانے کی کوئی مشین نہیں ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پر اپنے کارخانے کھول دیں اور کوئی سیفٹی میزرس نہ لیں۔

باتیں سامنے آگئی ہیں کہ یہ فیکٹری صرف روپیہ کمانے کی مشین تھی۔ صرف آمدنی بڑھانے کا ایک ذریعہ تھا۔ یونین کاربائیڈ فیکٹری کو پورے ملک کے لوگوں کی زندگی اور موت کی پرواہ نہیں تھی۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے لئے یونائیٹڈ نیشن لیول پر بھی آپ کو لڑائی لڑنی چاہئے۔

اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات سماپت کرتا ہوں۔

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मुझे बोलने का समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे विचार में इस विधेयक के उद्देश्य के बारे में सदस्यों को कुछ गलतफहमी हुई है और इस गलतफहमी को विधेयक में दिए गए उद्देश्यों में दूर भी नहीं किया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि दावों पर कार्यवाही करने और दावे करने के लिए यह एक समर्थकारी विधेयक है। चूंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं इस दुःखद घटना के, जिसकी मिसाल विश्व के औद्योगिकोत्तर इतिहास में मिलना कठिन है, विभिन्न पहलुओं में नहीं जाना चाहता और न ही मैं इसके विभिन्न नैतिक और अन्य पहलुओं में जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप समय समाप्त होने की घंटी बजा देंगे। अतः मैं केवल कुछ उन महत्वपूर्ण मुद्दों तक ही सीमित रहूंगा, जो दावे की समस्या पर विचार करते समय और भोपाल में पीड़ित हजारों परिवारों को राहत पहुंचाने के बारे में विचार अत्यन्त महत्वपूर्ण होंगे। मैं इसके विभिन्न परिणामों तथा अन्य संबंधित महत्वपूर्ण मामलों के बारे में भी नहीं बोलूंगा चाहे वे औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित हों या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कार्यचालन से संबंधित हों अथवा प्रौद्योगिकी के स्तर से संबंधित हों।

आपने देखा होगा कि भोपाल और भारत पर ऐसे अमरीकी वकीलों ने धावा बोला जो पहले कभी यहां नहीं आए। मुझे इस धावे के बारे में एक गम्भीर गलतफहमी और सन्देह है परंतु मैं इस समय उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। परंतु मैं मंत्री महोदय और सभा को यह जानकारी अवश्य देना चाहता हूं कि कुछ मामलों में मैं इस बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि यह उचित नहीं है--इन वकीलों को कैली ड्वायर और वारेन द्वारा, जो न्यूयार्क की प्रमुख निगमित विधि फर्म है और युनियन कार्बाइड की वकील भी हैं, प्रोत्साहित किया गया है।

अतः इस समस्या से निपटते समय हमें अत्यन्त सावधानी बरतनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि अमरीका की यूनियन कार्बाइड अथवा भारत में इसकी सहायक कम्पनियां दूसरों की मौत और कष्टों का सामान लाएं। अतः भारत सरकार को सावधानी बरतनी होगी। मेरी इच्छा थी कि विधि मंत्री आज यहां उपस्थित होते। मैं रसायन और उर्वरक मंत्री की बजाए उनसे कुछ प्रश्न पूछना पसन्द करता। दावों संबंधी प्रश्नों के उत्तर विधि मंत्री द्वारा दिए जाने चाहिए थे। हमें इस मामले के कतिपय पहलुओं को समझना होगा। यूनियन कार्बाइड, अमरीका की एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय और मूल कम्पनी है और केवल मूल कम्पनी ही प्रौद्योगिकी की सप्लाई कर सकती है। वे यह कह देंगे जैसा कि अब भी कह रहे हैं कि इस लापरवाही के लिए सहायक कम्पनी भी जिम्मेवार है जो इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं इन सब के विस्तार में नहीं जाना चाहता। एक मुद्दा, न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में है। मेरे साथ वकील लोग सहमत होंगे कि भारतीय कानून और अमरीकी कानून अंग्रेजी सामान्य कानून पर आधारित हैं। अतः इस मुकदमे की सुनवाई यहां भारतीय अदालत में होनी चाहिए क्योंकि यह घटना भारत में हुई और वादी तथा मुख्य प्रतिवादी दोनों यहां भारत में हैं। बुनियादी और संबंधित साक्ष्य भारतीय परिस्थितियों के अनुसार दिए जा सकते हैं। आप यह तर्क देंगे कि असा-

धारण परिस्थितियों में यह मुकदमा अमरीकी अदालतों में भी चलाया जा सकता है तब हमें यह कहना पड़ेगा कि क्या भारतीय न्यायालयों में न्याय नहीं मिलेगा। दावा करने वाले भी यह कहेंगे कि चूंकि भारतीय न्यायालय और सिविल प्रक्रिया संहिता में, यदि आप इसमें परिवर्तित नहीं करते हैं तो, यह प्रावधान है कि दावा की गई रकम का केवल दस प्रतिशत मिलेगा। परन्तु क्या भारत सरकार एक ऐसे काम में पार्टी बन सकती है जिससे हमारी अपनी प्रतिष्ठा गिरती हो और अमरीकी न्यायालय में जाकर यह कह हो सकती है कि भारत में न्याय नहीं मिलता "इसलिए हम यहां क्षेत्राधिकार बना रहे हैं ?" इस प्रकार यदि ये सभी दावे प्रतिदावे अमरीकी न्यायालयों के समक्ष किए जाते हैं तो केवल क्षेत्राधिकार के मूल विषय को निपटाने में ही दो या तीन वर्ष लग जाएंगे।

इसके बाद ऐसी परिस्थितियों में विदेशी कम्पनी की देयता का महत्वपूर्ण और बुनियादी प्रश्न आता है। अब यह बहुत सारे साक्ष्य पर निर्भर करता है परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी यह त्रुटि है कि इसकी अगर सुनवाई होनी है तो अमरीकन जूरी द्वारा होगी। और मैं अमरीकी अर्थ व्यवस्था और अमरीका में उस पर डाले जा रहे प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि अमरीका में कोई भी जूरी कोई ऐसा निर्णय देगी जिसका उस पर दूरगामी प्रभाव पड़ता हो। इसमें भी आपको समय के बारे सोचना होगा। आपको दीर्घकाल तक चलने वाली कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा।

इसके बाद क्षति की मात्रा का प्रश्न आता है। अमरीका में कई मामलों में और कुछ मामलों में भारत में भी प्रश्न व्यक्ति की औसत आयु का है। वही निर्णायक होगा और मैं यह और नहीं जानता कि भारत या भोपाल के मामले में यह औसत आयु कितनी होगी और इसकी व्याख्या कैसे की जाएगी और इस बात की पूर्ण आशंका है कि यदि कोई असाधारण निर्णय दिया गया तो कम्पनी दिवालिया भी हो सकती है। कृपया यह न सोचिए कि ऐसा संभव नहीं है। यदि आप अमरीका के कम्पनियों के इतिहास को देखें तो आपको ऐसे अनेक मामले मिलेंगे। हाल ही में एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'जोन मेन्सविले' के दिवालिया होने की मिसाल है। और इसके अतिरिक्त सुरक्षित ऋण दाताओं का भी प्रश्न है। उनके दावों का भी सत्यापन किया जाना होगा। अतः, महोदय·····

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : वह अपनी पत्नी के नाम सम्पत्ति हस्तांतरण करने के बाद दिवालिया हो गया।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : अतः हमें अत्यन्त सावधानी से कदम उठाना होगा।

इससे संबंधित एक और समस्या भी है। मुझे विश्वास है कि आप कुछ मुद्दों का उत्तर नहीं दे सकेंगे। यदि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिये विधि मंत्री यहां उपस्थित होते तो मैं उनसे प्रश्न पूछना अधिक पसन्द करता। बीमा कम्पनियों का प्रश्न भी सम्मिलित है, अर्थात उन भारतीय बीमा कम्पनियों की देयता का प्रश्न भी सम्मिलित है जिन्होंने इस संयंत्र का बीमा कर रखा था। यद्यपि अन्य बीमा कम्पनियों के साथ पुनः बीमा भीहो गा। हम क्षति के कुछ भाग की पूर्ति भारतीय कम्पनियों और राष्ट्रीयकृत बैंक से भी कर सकते हैं। अतः इस प्रकार जो मात्रा सामने आएगी उसका भी ध्यान रखना होगा।

ये समस्यायें सामने आएंगी और दावों पर कार्यवाही करने से पूर्व इनका विस्तार से अध्ययन करना होगा। हमारे लिए केवल सावधान रहना ही काफी नहीं होगा। कृपया एक बात और याद रखें। मैंने इस समय चल रहे बोइंग मामले में कुछ बातें देखी हैं। बोइंग कम्पनी अमरीका की कम्पनी है और वहीं से ऑपरेट करती है। यहां इस मामले में कानूनी ढांचा पूर्णतः भिन्न है क्योंकि संयंत्र की मालिक और चलाने वाली कम्पनी बहुराष्ट्रीय कम्पनी की सहायक कम्पनी थी। सहायक कम्पनी सदा ही एक अलग कम्पनी होती है। इसी कारण मैं काफी अरसे से, इस दुःखद घटना से बहुत पहले से यह कह रहा हूं कि इस समस्या की ओर ध्यान देना होगा और इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यदि वे यहां निवेश करना चाहती हैं तो इसी प्रकार की किसी भी आकस्मिकता के लिए बन्धन में बांधना होगा। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल यह चाहता हूं कि माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री और विधि तथा वित्त मंत्री इस समस्या पर ध्यान दें। विधि मंत्रालय या एटर्नी जनरल से केवल विधिक परामर्श ही नहीं लेना चाहिए बल्कि ऐसी विधिक सलाह भी लेनी चाहिए जो इस प्रकार के मामले में आवश्यक हो।

एक इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि हमें इस मामले में समझौता नहीं करना चाहिए। इस में मेरी केवल इतनी रुचि है कि पीड़ितों को वास्तविक राहत पहुंचे। मेरे विचार में हमें यह कह कर कि हम इस कम्पनी से बात नहीं करेंगे अथवा हम इससे भारतीय न्यायालय में या अमरीकी न्यायालय में निपटेंगे। सरकार को बन्धन में नहीं बांधना चाहिए। आप किसी संभावना से इन्कार नहीं कर सकते। और इस प्रकार की संभावना से इन्कार करने पर आप केवल एक ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे जिसमें आप पीड़ितों को कोई राहत उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। अतः केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से यह निर्णय लेना कि हमें यूनियन कारबाइड के साथ, जो बहुराष्ट्रीय कम्पनी है, कोई समझौता नहीं करना चाहिए अथवा कोई बात नहीं करनी चाहिए, अलाभकारी होगा। मैं नहीं चाहता कि सरकार किसी तरह से बंधी रहे क्योंकि विभिन्न स्तरों पर इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि सरकार इससे निपट लेगी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे प्रसन्नता है कि जितने भी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, लगभग सभी ने इस विधान का स्वागत किया है। जो बहुत से माननीय सदस्य कह चुके हैं उसे मुझे दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक इस विधान की बात है, इसका प्रयोजन बहुत सीमित है। जैसाकि विधेयक में स्पष्ट किया गया है, इसका प्रयोजन ऐसी शक्तियां हासिल करना है जिनसे दावों सम्बन्धी कार्रवाई शीघ्र कारगर तथा न्यायसंगत ढंग से हो तथा यथासम्भव दावेदारों के हक में हो।

2 तथा 3 दिसम्बर 1984 को भोपाल में जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई वह अभूतपूर्व थी तथा इस किस्म की गंभीर दुर्घटना हमारे देश या पूरे विश्व में पहले नहीं घटी। इस दुर्घटना की गंभीरता का किसी को भी अनुमान नहीं था। इसीलिए यह एक भारी विपत्ति है। यह दुर्घटना घट चुकी है। अब चाहे वह राज्य सरकार है या केन्द्रीय सरकार, एक तरह से हमारे सारे समाज की यह जिम्मेवारी है कि जो व्यक्ति इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं उनकी सही तरीके से

देखभाल की जाए तथा उनके हित की रक्षा की जाए। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता कि राज्य सरकार ने राहत देने के लिए क्या उपाय किए हैं तथा राज्य सरकार ने पीड़ितों की राहत के लिए जो उपाय किए हैं उसमें केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की किस सीमा तक मदद की है। राहत कार्य अभी भी जारी हैं।

5.00 म०प०

कुछ माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि सरकार मामले भारतीय न्यायालयों में क्यों नहीं दायर करती। कुछ माननीय सदस्यों ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि सरकार ने अमरीका के न्यायालयों में मामले दायर करने का फैसला कर लिया है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि सरकार ये मामले भारतीय या अमरीका के न्यायालयों में दायर करने जा रही है। पर यह विधेयक, जैसा कि माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन ने अभी बताया है, केन्द्रीय सरकार को 3 विकल्पों का अधिकार देता है। यह केन्द्रीय सरकार को 3 विकल्प प्रदान करता है। प्रथम विकल्प है मामलों को भारतीय न्यायालयों में दायर करना, दूसरा विकल्प है मामलों को अमरीका के न्यायालयों में दायर करना तथा तीसरा विकल्प है कि सरकार जो भी रास्ता अपनाए वह दावेदारों के हित में होना चाहिए। इस प्रकार से दावेदारों या पीड़ितों के परम हित का ख्याल भारत सरकार के दिमाग में हो। मान लिया यह प्रस्ताव आ जाता है कि कम्पनी समझौते के लिए तैयार है तथा वह प्रस्ताव पीड़ितों के अधिकतम हक मे है जैसा कि माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन ने बताया है, तो हम उस विकल्प पर विचार क्यों न करें? इस प्रकार से ये तीन विकल्प भारत सरकार के पास है। जो भी विकल्प पीड़ितों के हित में है सरकार निश्चय ही उसी पर विचार करेगी। इसीलिए भोपाल दुर्घटना के पश्चात विधि मन्त्रालय में एक अनुभाग खोला गया है जो समस्या के विधिक पहलुओं पर विचार करेगा। पीड़ितों के हित की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय करने जरूरी हैं, किये जा रहे हैं। मैं अभी इसका ब्यौरा दूंगा। दूसरी ओर कुछ ख्यातिप्राप्त वकील बैठे हैं जो यह तर्क दे रहे हैं कि हम अमरीका के न्यायालयों में क्यों जाना चाहते हैं; यदि आवश्यक है, तो यहीं न्यायाधिकरण क्यो नहीं बना लेते तथा उनके मामले दायर करके शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा क्यों नहीं दिलाते? मान लिया तर्क के तौर पर, मैं कहता हूं, ठीक है हम मामले भारतीय न्यायालयों में दायर कर देते हैं तथा डिक्री ले लेते हैं। उस दशा में उस डिक्री को निष्पादित कहां करेंगे? यदि हम उस डिक्री को भारत में निष्पादित करना चाहें तो यूनियन कार्बाइड की जितनी भी सम्पत्ति भारत में है केवल उस सीमा तक हम वसूल कर सकते हैं तथा पीड़ितों को अदा कर सकते हैं। पर क्या यह पर्याप्त है? तब फिर हमें दोबारा निष्पादन के लिये अमरीका के न्यायालयों में जाना पड़ेगा तथा हमें वह कहना पड़ेगा कि यह वह डिक्री है जो हमारे न्यायालयों ने दी है तथा हम इसे निष्पादित करना चाहते हैं क्योंकि कम्पनी उनके देश में है। श्री उन्नीकृष्णन् ने एक सन्देह जाहिर किया। मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह मूल कम्पनी है..... (व्यवधान)

श्री एच०एए० डोरा (श्रीकाकुलम): इस विशेष अवस्था में मुझे एक बात कहने की अनुमति दीजिए। यह अधिनियम यूनियन कार्बाइड लिमिटेड की सम्पत्तियों की कुर्की के बारे में मूक है। मेरा मतलब है, मान लिया निर्णय से पहले सम्पत्तियों को कुर्क नहीं किया जाता

और मान लिया कम्पनी किसी अन्य पार्टी को अपनी सम्पत्तियां अन्तरित कर देती है उस दशा में न्यायालयों द्वारा मुआवजे की जिस राशि का फैसला दिया जाएगा वह वसूल हो नहीं हो सकेगा। इसीलिए क्या ऐसा कोई उपबन्ध है जिसमें यह व्यवस्था हो कि मुआवजे के निर्णय से पहले सम्पत्तियों की कुर्की की जा सकेगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य सम्पत्ति की कुर्की के बारे में कह रहे हैं।

श्री एच०ए० डोरा : मान लिया सम्पत्ति किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी जाती है ? तब निर्णय होने के बाद उस सम्पत्ति की कुर्की नहीं की जा सकती।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य सम्पत्ति की कुर्की के प्रश्न के बारे में कह रहे हैं। यदि यह प्रश्न सम्पत्ति की कुर्की देश में ही करने के बारे में होता तो निश्चय ही हम इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन क्या हम यहां बैठे-बैठे उस सम्पत्ति की कुर्की कर सकते हैं जो दूसरे देशों में स्थित है ? क्या हम ऐसा कर सकते हैं ?

श्री एच० ए० डोरा : मान लीजिए इस कम्पनी की भारत में जो सम्पत्तियां हैं उनकी कुर्की कर दी जाती है जो पिछली तारीख से प्रभावी हो तो वह हमारे हित में होगा। अन्यथा यदि इसे बेच दिया जाता है, तो पीड़ितों का क्या होगा ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा प्रस्ताव मूल (मुख्य) कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का है। मैं स्थिति को स्पष्ट करूंगा। मैं नहीं जानता कि यह कहना ठीक है या नहीं कि भारत में स्थित कम्पनी सहायक कम्पनी है। यह भारत स्थित विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अन्तर्गत की कम्पनी है तथा अमरीका की यूनियन कार्बाइड के इसमें 51 प्रतिशत शेयर हैं। इसीलिए यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि यह मूल कम्पनी है या सहायक कम्पनी तथा मूल कम्पनी यह कहे कि यह उसकी जिम्मेवारी नहीं है, यह सहायक कम्पनी की जिम्मेवारी है। हम मुख्य कम्पनी अर्थात मूल (पेटेन्ट) कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहे हैं। अब हम इसी समस्या पर विचार कर रहे हैं।

माननीय श्री जंगा रेड्डी यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने यूनियन कार्बाइड पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया है। पिछले सत्र में मैंने अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार ने कम्पनी पर मुकदमा किया है और यह विचाराधीन है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए इसे सौंप दिया है। जो मामले की छानबीन कर रही है। जहां तक कारण और अन्य बातों का सम्बन्ध है जैसा कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जांच अयोग अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त आयोग द्वारा इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किया गया अन्य सन्देह यह था कि जिन मुकदमों को पहले से ही दायर किया गया है, उनका क्या होगा ? यह सही है कि दुर्घटना के तुरन्त बाद कुछ एडवोकेट, वकील और न्यायवादी यहां आए और उन्होंने कुछ हस्ताक्षरों को इकट्ठा करने की कोशिश की और वापस जाकर वहां न्यायालयों में मुकदमे दायर कर दिये। इस विधेयक द्वारा हम विशिष्ट अधिकार ले रहे हैं। वे मुकदमे जो पहले से ही दायर किए गए हैं, उनके बारे में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान खंड 3 (3) के परन्तुक की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह लिखा है—परन्तु भारत के बाहर किसी न्यायालय में या अन्य प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व लम्बित किसी दावे के सम्बन्ध में किसी ऐसे बाद या अन्य कार्यवाही की

दशा में, केन्द्रीय सरकार ऐसे दावेदार था, यदि ऐसा न्यायालय या अन्य प्राधिकारी इस प्रकार अनुज्ञात कर दे तो प्रतिनिधित्व करेगी और उसके स्थान पर या उसके साथ कार्य करेगी ।

अत: इन अधिकारों को हमने पहले से ही इस अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया है । हम न्यायालयों में यह अभ्यावेदन करने जा रहे हैं कि क्या हम दावेदार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं । हम इसे न्यायालय के सामने पेश करना चाहते हैं । मान लीजिए कि न्यायालय इसकी अनुमति नहीं देता है तो इस सम्बन्ध में हम अपनी संसद में एक विधान पारित करके कि हम अन्य देशों के न्यायालयों को उसके अनुसार निर्णय देने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें उपबन्ध करना है । हम केवल यह उपबन्ध तभी कर सकते हैं यदि न्यायालय इसकी अनुमति दे । इसलिए उन मुकदमों को जिन्हें पहले से ही दायर किया गया है उनकी समस्याओं को देखना है और इस उपबन्ध द्वारा उसके लिए उपाय करना है ।

माननीय सदस्यों ने मृतकों तथा घायलों के बारे में पूछा है और यह जानना चाहा है कि कितने लोग अपंग हो गए हैं और कितने अभी भी कष्ट भोग रहे हैं ।

मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक जहरीली गैस के तात्कालिक प्रभाव का सम्बन्ध है इस बारे में राज्य सरकार सूचना इकट्ठी कर रही है । मरने वालों की संख्या के बारे में अब तक राज्य सरकार जो भी आंकड़े इकट्ठे कर सकी है, वे मैंने पहले ही दे दिए हैं । राज्य सरकार अभी यह सूचना एकत्र कर रही है । उन्होंने पहले से ही इस काम को टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान को सौंप दिया है । वे अभी भी इस सूचना को इकट्ठी कर रहे हैं । मेरी सूचना के अनुसार मैं नहीं समझता कि जिस संगठन को यह काम सौंपा गया है उसने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दी है । जैसा मैंने शुरू में बहुत साफ कहा है कि यह एक अभूतपूर्व दुर्घटना है, हम समय सीमा निश्चित नहीं कर सकते और यह नहीं बता सकते कि रिपोर्ट उस समय तक तैयार हो जाएगी । लोगों के स्वास्थ्य पर इस जहरीली गैस के प्रभाव के बारे में राज्य सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न अध्ययन किए जा रहे हैं और इनका अध्ययन चल रहा है । लेकिन भारत सरकार इस गैस के रिसाव का लोगों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ने के बारे में चिन्तित है । इसलिए हाल ही में भारत सरकार ने जीवन प्रणाली पर चिकित्सा और वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजनार्थ एक आयोग को नियुक्त करने का निर्णय किया है । यह प्रमाणिक सूचना प्राप्त करने और स्वास्थ्यलाभ तथा राहत के लिए वास्तविक रूप से उत्तम चिकित्सा विज्ञान का सैद्धान्तिक आधार तैयार करना है । पहले से ही शुरू किए गए अध्ययनों की निरन्तरता के लिए वे सुविचारित और सुनियोजित दृष्टिकोण सुनिश्चित करेंगे ताकि अब तक प्राप्त किए गए आंकड़ों से शिकार हुए लोगों के अलावा भावी पीढ़ियों को भी लाभ मिल सके । अत: इस तरह के आयोग को नियुक्त करने के लिए भारत सरकार ने पहले से ही निर्णय ले लिया है और इस तरह का आयोग बहुत जल्दी ही नियुक्त किया जा रहा है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि यदि कोई समझौता करना हो तो समझौते से पूर्ण या विवाद के बारे में निर्णय पर पहुंचने से पहले प्रभावित लोगों की राय लेनी चाहिए । मैं नहीं समझता कि यह संभव है क्योंकि हम यह अधिकार सामूहिक कार्यवाई के लिए प्राप्त कर रहे हैं । इस दुर्घटना के कारण पीड़ित हुए लाखों लोगों के दावों को जब हम दायर कर रहे हैं

और यदि हम उनकी ओर से समझौता कर रहे हैं तो क्या यह हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास जाना और उनकी राय लेना सम्भव होगा ? यह वास्तविक दृष्टि से सभव नहीं होगा। सरकार इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं बल्कि सद्भावना से कर रही है। हम यूनियन कार्बाइड के हितों की रक्षा करने के लिए यहां नहीं है। हम उनके एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें बहुत दुःख है कि इस तरह की दुर्घटना हमारे देश में हुई है और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि जो लोग इससे शिकार हुए हैं। उनके हितों की रक्षा हो चाहे हमें कुछ दिक्कत ही क्यों न हो। इसलिए जहां मुकदमा का संबंध है, भारत सरकार सारा खर्च उठा रही है।

मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हालांकि हमारे सामने तीन विकल्प हैं, जहां तक अमेरिका के न्यायालय में मुकदमा दायर करने का संबंध है मैं समझता हूं कि हमें इस बारे में तुरंत निर्णय लेना चाहिए क्योंकि मुझे बताया गया है कि अमेरिका के न्यायालय में दायर किए गए मुकदमे, हालांकि उन मुकदमों की सुनवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन वे मुकदमे 16 फरवरी को सुनवाई के लिए आ रहे हैं, अतः यह प्रतीत होता है कि उस तारीख से पहले निर्णय लिया जाना चाहिए।

अतः मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं। हालांकि विकल्प सामने हैं लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि हम अभी भी विचार कर रहे हैं और हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम सभी प्रकार की सावधानी बरत रहे हैं। और जहां तक अमेरिकी न्यायालय में मुकदमों को दायर करने का संबंध है इस बारे में हम सभी आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। यदि आवश्यक हो जाता है और यदि यह पीड़ितों के हित में है तो समय बहुत कम है, अतः हमें निर्णय लेना चाहिए।

माननीय सदस्य जानते हैं कि इस बारे में महान्यायवादी संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे और हाल ही में हमारे विधि सचिव भी संयुक्त राज्य अमेरिका गये थे। जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमों का दायर करने का संबंध है यदि यह निर्णय हो जाता है कि संयुक्त राज्य न्यायालय में मुकदमा दायर करना है तो भारत सरकार ने पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका की मुकदमा बाजी में सबसे विख्यात फर्म मैसर्स रोबिन्स जेले, लारसन एण्ड करलान को भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया है। इस फर्म की सहायता से शिकायत का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस शिकायत के मसौदा पर अन्तिम रूप से विचार करने के लिए इस फर्म के प्रतिनिधि पहले ही हमारे देश में पहुंच चुके हैं। आज वे हमारे देश में आए हैं, इस विधि फर्म के चार प्रतिनिधि आज भारत में पहुंचे हैं। उनके आने का उद्देश्य इस शिकायत के मसौदे को अन्तिम रूप देना है ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय में पहले से दायर किए गए मुकदमे की पहली सुनवाई की तारीख से पहले हम शिकायत को दायर करने की स्थिति में हो। 16 अप्रैल 1985 को अगली सुनवाई है।

महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हम इसके लिए कितनी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। क्षतिपूर्ति की राशि कितनी नियत की जा रही है।

श्री एच० ए० डोरा : इतनी क्षति पहले ही हो चुकी है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, इन सभी मामलों में हम अपने विधि-विशेषज्ञों, सैल में कार्यरत अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हैं और अमेरिकी न्यायालय में यदि ये मामले

दायर किए जाएंगे तो स्वभावतः हम इस काम के लिए नियुक्त किए गए न्यायवादियों तथा कानूनी सलाह देने वाली फर्म के निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे। मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं जैसा कि श्री उन्नीकृष्णन ने कहा, कि यदि मेरे सहयोगी अर्थात् विधि मंत्री यहां मौजूद होते तो वे इन सब बातों को बेहतर ढंग से स्पष्ट कर सकते थे क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या समझौता संभव है। यदि संभव नहीं है तो भी मामले न्यायालय में जाएंगे। अतः मैं नहीं चाहता कि···

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : हम बहुत अधिक क्षति का दावा कर सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसीलिए मैंने कहा है कि क्या मामले दायर करते समय मुआवजे की राशि का उल्लेख करना जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर पर मुआवजे की राशि का उल्लेख करना जरूरी नहीं है। इसलिए यह काम पूरी तरह से विधि-विशेषज्ञों पर छोड़ दिया गया है और हम विधि-विशेषज्ञों तथा कानूनी सलाह देने वाली फर्म से समय-समय पर मिलने वाली सलाह के अनुसार काम करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं। इस स्तर पर मैं इस बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता कि मुआवजे की राशि कितनी होगी, किस आधार पर मुआवजे का दावा किया जाएगा, मुआवजे की गणना किस आधार पर की जाएगी, उसके लिए क्या मानदंड होंगे तथा क्या मार्गनिर्देश होंगे— मामला न्यायालय में जाने वाला है इसलिए इनकी चर्चा यहां नहीं की जानी चाहिए। विधेयक का उद्देश्य मुआवजे की मात्रा निर्धारित करना नहीं है। हम दावों तथा अन्य बातों की चर्चा नहीं कर रहे। हम तो इन तीन विकल्पों के संबंध में अधिकार हासिल कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने योजना के ब्यौरे के बारे में जानना चाहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और अभी भी ऐसे लोग हैं जो यातना से गुजर रहे हैं। हम नहीं जानते कि निकट भविष्य में तथा आगे चलकर कितने लोगों को इस विभीषिका के परिणामों को भुगतना पड़ेगा। अतः इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। ऐसे लोगों की संख्या का हिसाब लगाना बहुत कठिन है। एक योजना तैयार की जा रही है। बहुत से सदस्य जानना चाहते हैं कि योजना कब तक तैयार हो जाएगी। विधि मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके योजना तैयार की जा रही है तथा विधेयक में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि जैसे ही योजना तैयार होगी उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। माननीय सदस्यों को इस योजना के बारे में वाद-विवाद करने का पूरा अवसर मिलेगा। यदि उन्हें महसूस हो कि उसमें किसी तरह के सुधार की जरूरत है तो उस समय वे सुझाव दे सकते हैं। अतः माननीय सदस्यों से कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा। क्योंकि यह विधेयक न केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने यातना सही है या जो यातना सह रहे हैं बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो संभवतः भविष्य में भी इसका शिकार बनेंगे। यह योजना केवल इसी उद्देश्य से तैयार की जा रही है।

श्री एच० ए० डोरा : विधेयक के खंड (9) में उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के तत्पश्चात यथाशीघ्र केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक योजना तैयार करेगी। मेरा अनुरोध है कि तत्पश्चात यथाशीघ्र के स्थान पर 'तत्काल बाद' शब्दों का प्रतिस्थापन किया जाए क्योंकि यथाशीघ्र का मतलब 30 वर्ष अथवा 40 वर्ष भी हो सकता है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसीलिए मैंने स्पष्ट कर दिया है कि योजना तैयार की जा रही है।

श्री चिंतामणि और अन्य माननीय सदस्यों ने जानना चाहा है कि इस यूनिट को भोपाल में या भोपाल के समीप अथवा घनी आबादी वाले इलाके में स्थापित करने की अनुमति क्यों दी गई थी। इस कम्पनी को 1972 में आशय पत्र दिया गया था जिसे 1975 में परिवर्तित करके लाइसेंस कर दिया गया। उस समय स्थान संबंधी न तो कोई नीति थी और न ही सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया था। लेकिन अपनी जानकारी के आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि आशय पत्र देने या आशय पत्र को लाइसेंस में परिवर्तित करते समय राज्य सरकार को विश्वास में लिया गया था तथा सब कुछ उनसे विचार-विमर्श करके किया गया। भारत सरकार ने स्थान संबंधी नीति के बारे में 1977 या 1978 में निर्णय लिया होगा। इसलिए उन्होंने उक्त अवधि से पहले ही सरकार से आशय पत्र को लाइसेंस में परिवर्तित करने के लिए कहा था और इसके लिए स्थान चुन लिया था। स्थान के बारे में राज्य सरकार ने भी अपनी मंजूरी दी थी। इस प्रकार उन्होंने यहां काम शुरू किया था।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : एम० आई० सी० के भंडारण का निरीक्षण कैसे किया जाता है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : भंडारण का निरीक्षण तथा कामगारों के स्वास्थ्य तथा जान की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। फैक्टरी अधिनियम के तहत राज्य सरकार को फैक्टरियों में फैक्टरी इंस्पेक्टर भेजने होते हैं ताकि वे वहां देखें कि क्या वहां सुरक्षा उपाय किए गए हैं तथा यूनिट ठीक से काम कर रही है अथवा नहीं।

श्री नारायण चौबे : क्या यह सब काम ठीक से किया गया था ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उन्होंने अनेक बार निरीक्षण किया। जैसा कि एक या दो सदस्यों ने उल्लेख किया था मैं इससे सहमत हूं कि पीछे कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई थीं। जिनमें कुछ घायल हुए थे। मेरे विचार से एक मामले में एक कामगार की मृत्यु हो गई थी और इसके लिए कार्यवाही की गई थी। उन पर मुकदमा चलाया गया है तथा मामले न्यायालयों में अभी विचाराधीन हैं। राज्य सरकार चुपचाप या आंख मूंद कर नहीं बैठी हुई है। वह फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर रही है तथा जिन मामलों में सुरक्षा उपायों की कमी का पता चला है वहां फैक्टरियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है तथा मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

श्री चिंतामणि जानना चाहते थे कि "बहुराष्ट्रीय कंपनी होने के कारण उनकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं की गई तथा उन्हें देश से निकाला क्यों नहीं गया क्योंकि हमारा राष्ट्र प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र है ?" मैं मानता हूं कि भारत प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र है। उसे बहुत सी शक्तियां प्राप्त हैं। हम उसे अपने अधिकार में ले सकते हैं। उसका राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। इस रूप में तो, राज्य सरकार ने इस दुर्घटना के तुरंत बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। उन्होंने कम्पनी को नोटिस जारी किया था, तथा यूनिट को बंद करने के लिए कहा था। यूनिट में काम बंद है। इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद मैंने यूनिट का दौरा किया था। केन्द्र तथा राज्य सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। हम असक्षम नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास शक्तियां नहीं हैं। माननीय सदस्य श्री चिंतामणि तथा पूरे सदन को इस बात की जानकारी होगी कि कई बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को देश से निकाला गया है। मैं उन कम्पनियों के नाम नहीं लेना चाहता।

हम यूनियन कार्बाइड कम्पनी को निकाल सकते हैं। लेकिन क्या यही एक उपाय है ? यूनियन कार्बाइड को निकालने से क्या उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जो इस दुर्घटना के कारण उत्पन्न हुई हैं।

हम उन राहतों पर विचार कर रहे हैं जो उन लोगों को दी जानी चाहिए इसलिए विचारार्थ यह विधेयक हमारे समक्ष है। कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा या उसे देश में बने रहने दिया जाएगा यह एक अलग मामला है।

जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां तक राज्य सरकार का संबंध है वह राज्य में यूनियन कार्बाइड कम्पनी को बनाए रखना नहीं चाहती। उन्होंने यह बात बहुत स्पष्ट कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लिख ही चुके हैं कि इस यूनिट का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तथा इसे मध्य प्रदेश में न बने रहने दिया जाए। इस पर विचार किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र होने के कारण हम राष्ट्र के हित में कोई भी निर्णय लेने में पूर्ण सक्षम हैं।

श्री नारायण चौबे : मामले में विलम्ब हो रहा है तो आप पीड़ितो को क्या राहत देने जा रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि मामला चलता रहेगा और उसमें विलम्ब होगा। किसी के लिए भी यह भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है कि मामला यह दायर किया जाएगा या अमरीकी न्यायालय में तथा उस पर फैसला कब होगा। राज्य सरकार राहत दे ही चुकी है। यथासंभव केन्द्र सरकार ने भी राहत देने में उनकी सहायता की है। अनुग्रह पूर्वक अदायगी भी की गई है। यह मुआवजा नहीं है।

श्री नारायण चौबे : क्या राहत कार्य 31 मार्च 1985 के बाद भी जारी रहेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या राहत कार्य 31 मार्च 1985 के बाद भी जारी रहेंगे। इस संबंध में मैं सदन को, राज्य सरकार से यह मालूम करने के बाद ही बता सकूंगा कि उनका क्या कार्यक्रम है तथा वे राहत कार्य को कब तक जारी रखना चाहते हैं, मेरा अपना विचार यह है कि यदि लोग अभी भी यातना सह रहे हैं और राहत कार्य जारी रखा जाना चाहिए तो इस बारे में मैं मुख्यमन्त्री से जरूर बात करूंगा। राहत उपायों के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचार मुख्यमन्त्री, मध्य प्रदेश तक अवश्य पहुंचाऊंगा।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। ऐसा आवश्यक भी नहीं है क्योंकि यह सरल तथा अविवादास्पद विधेयक है। मैं सदन को तथा सदन के द्वारा समस्त राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार इस समस्या के प्रति पूरी तरह सचेत है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कम्पनी 'ट्रेड सेक्रेट' के नाम पर उत्पादन के तरीके गुप्त रख सकती है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की यूनिटों की स्थापना के लिए ऐसी कम्पनियों को विनियमित करने के लिए सरकार क्या कोई आदर्श अधिनियम बनाने जा रही है ताकि हमारे लोग उनके द्वारा अपनाए गए तरीकों की जांच कर सकें। हमारे पास इतने कुशाग्र वैज्ञानिक हैं। वे हमें बता सकते हैं कि यूनिटें क्या कर रही हैं तथा उसमें देश का हित है या अहित। लोगों की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है। क्या माननीय मंत्री इसका उत्तर देने की स्थिति में हैं। भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए समय की यही मांग है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक उत्पादन के तरीके का संबंध है फैक्टरी के बन्द होने के कारण यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : लेकिन अन्य बहुत सी फैक्टरियां हैं ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : फैक्टरी अब बन्द है । मैं अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या भारत सरकार या राज्य सरकार कम्पनी को चालू करने की अनुमति देगी । लेकिन मैं यह जानता हूं कि राज्य सरकार कम्पनी को चालू करने की अनुमति नहीं देगी । उन्होंने यह बात बहुत स्पष्ट कर दी है ।

अब प्रश्न यह है कि ऐसी यूनिटें जिनसे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं । इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि अनेक उपाय किए जा चुके हैं ।

यह कहना ठीक नहीं है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां केवल विकासशील देशों में इस प्रकार की खतरनाक वस्तुयें तैयार कर रही हैं । एक ऐसा ही एकक जैसा कि भोपाल में है, अमरीका में भी है । मेरे विचार मे वह एकक बंद कर दिया गया है (व्यवधान) और इस बात पर बहुत अधिक आन्दोलन हो रहा है कि उसे फिर से खोलने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं । यह एक पृथक मामला है । अनेक रसायन उद्योग हैं और उनमें से अधिकांश उद्योग स्वास्थ्य के लिये खतरनाक हैं । अब इस भोपाल त्रासदी से न केवल हमारे देश की बल्कि पूरे विश्व की आंखें खुल गई हैं । हर जगह के लोग प्रदूषण की इस समस्या के बारे में अत्यधिक चिन्तित हैं । इसलिये, हमने इसके बारे में अध्ययन करा लिया है । हमने राज्य सरकारों को भी फैक्ट्री अधिनियम में समुचित संशोधन कर लेने के लिए लिख दिया है । हमने राज्य सरकारों को अपने-अपने प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को गतिशील बनाने के लिये लिख दिया है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिये ये उपाय आवश्यक है कि जो उद्योग खतरनाक रसायनों का उत्पादन करते हैं, वे पूर्णरूपेण प्रदूषण-मुक्त और नितांत सुरक्षित हों । इस पहलू का भी अध्ययन किया जा रहा है और प्रौद्योगिकी में उन्नत देशों में जो उपाय अपनाये जा रहे हैं, उनका भी अध्ययन किया जा रहा है ।

मैं इस माननीय सभा से इतना ही कह सकता हूं कि भोपाल में जो त्रासदी हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए, फैक्टरियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय आवश्यक हैं, किये जा रहे हैं । हम लोग इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि फैक्ट्री के आस-पास का और पूरे देश का पर्यावरण प्रदूषण-मुक्त रहे । इन सभी उपायों पर विचार किया जा रहा है और कालांतर में सभी सम्भव उपाय किये जायेंगे ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं भारतीय बीमा कम्पनी के दावे के बारे में जिसका मैंने उल्लेख किया था, स्पष्टीकरण चाहता हूं, क्या आप हम लोगों को बतायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे खेद है । मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है । इसलिये, मैं उसके बारे में बताने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप बाद में बता सकते हैं ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं आपका प्रश्न विधि मंत्रालय को भेज दूंगा ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : जो नुकसान हुआ है, उसका ढंग से मूल्यांकन करना होगा । सरकार उन परिवारों को मुआवजा देगी, जिनके परिवार के सदस्य मर गये हैं और जो

बीमार हैं। किन्तु एक वर्ग के लोगों को छोड़ दिया गया है। ऐसी महिलायें हैं जिन्होंने शिकायत की है कि वे लोग प्राइवेट डाक्टरों से इलाज करा रहीं हैं ऐसा प्रतीत होता है गर्भस्थ बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। गर्भपात के संबंध में सरकार ने कोई चिकित्सा प्रबन्ध नहीं किया है इसीलिये महिलायें प्राइवेट इलाज ले रहीं हैं और गर्भपात करा रही हैं। यह बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति है। उन्हें मुआवजा कौन देगा ? इस क्षति का अनुमान किसने लगाया है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह मामला केवल उन लोगों को मुआवजा देने का नहीं है जिन्हें नुकसान उठाना पड़ा है अपितु यह मामला उन लोगों को भी मुआवजा देने से संबंधित है जिनके परिवार के लोग मारे गये हैं। मैं इस मुद्दे का उल्लेख कर चुका हू। हम लोग केवल उन लोगों की सहायता करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं जो अभी तक पीड़ित हैं अपितु एक ऐसी योजना के के बारे में सोच रहे हैं। जिससे भविष्य में प्रभावित होने वालों को भी लाभ हो सके।

प्रो० संफुद्दीन सोज : गर्भ में विकलांग बच्चे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : योजना तैयार करते समय, भविष्य में प्रभावित होने वालों की समस्याओं का भी ध्यान रखा जायेगा।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भोपाल में हुई राष्ट्रीय क्षति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भविष्य में या वर्तमान में बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यकरण और प्रशासन की पुनरीक्षण करने के बारे में विचार कर रही है और क्या सरकार की ओर से इसके बारे में फिर से विचार करने का नया प्रस्ताव है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यदि किसी फैक्टरी विशेष में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो केवल इस विचार से कि यह एक बहुराष्ट्रिक कम्पनी की फैक्टरी है, मेरे विचार से उन सभी बहुराष्ट्रिक कम्पनियों की निन्दा करना ठीक नहीं, जो हमारे देश में कार्यरत हैं अपितु जहां तक बहुराष्ट्रिक और विदेशी कम्पनियों का भाग लेने और सहयोग देने का संबंध है, हमारे यहां एक बोर्ड है, विदेश निवेश बोर्ड। सभी ऐसे प्रस्तावों का अध्ययन किया जाता है और केवल उन्हीं प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाता है जो व्यवहार्य पाये जाते हैं और जो देश के हित में प्रतीत होते हैं।

श्री एस० एम० भट्टम : जहां तक मुकदमे दायर करने का प्रश्न है, भविष्य में सरकार को—दावों कांपंजीकरण, दावों का रख-रखाव, दावों की पैरवी—इन सभी मूल आंकड़ों के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये बातें कब तक पूरी हो जायेंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं मंत्री जी इस स्थिति में नहीं हैं कि वह यह बता सकें कि ये सब बातें किस तारीख तक पूरी हो जायेंगी। इसके अलावा, मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या सरकार अमरीका जाकर मुकदमे दायर करना पसंद करेगी अथवा उसने यहां के न्यायालयों में ही मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया है। ये सब बातें कब तक पूरी हो जायेंगी और इस संबंध में अपेक्षित राहत देने अथवा कार्यवाही आरम्भ किये जाने की आशा उसे कब तक है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने जो कुछ कहा था, मुझे खेद है कि माननीय सदस्य उसे समझ नहीं पाये हैं। मैं इस मुद्दे का उत्तर दे चुका हूं। मैंने यह कहा है कि जहां तक अमरीका में मुकदमे दायर करने का संबंध है, यदि हमें इसके बारे में निर्णय लेना है, तो हम बहुत जल्दी निर्णय लेंगे।

मैं उस टिप्पणी को पढ़ चुका हूं । इस प्रयोजन के लिये हमने एक विधि फर्म को नियुक्त कर लिया है और हमारे देश में चार न्यायवादी पहुंच चुके हैं और वे लोग इस समय दिल्ली में हैं, वे सभी बातें जानना चाहते हैं और वे लोग अपनी बनाई हुई योजनाओं पर विचार-विमर्श करना चाहते हैं । ये सब कार्यवाही की जा रही है । यदि हमें अमरीका के न्यायालय में मुकदमा दायर करना है, तो हमें 16 अप्रैल से पहले दायर करना होगा क्योंकि सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल निर्धारित की जा चुकी है ।

श्री एच० ए० डोरा : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्याख्या नहीं चाहिए । केवल स्पष्टीकरण मांगिये ।

श्री एच० ए० डोरा : मैं यह कहना चाहता हूं : मान लीजिये कि भारतीय न्यायालयों अथवा अमरीकी न्यायालयों के निर्णय दिये जाने के समय तक यदि यह कम्पनी विशेष दिवालिया हो जाती है, अथवा अपनी आस्तियां किसी अन्य पार्टी को अन्तरित कर देती है, तो इस अधिनियम का प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा । इस संबंध में दावेदारों का हित सुरक्षित रखने के लिये माननीय मंत्री जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य ने यह एक काल्पनिक प्रश्न पूछा है । माननीय सदस्य ऐसा महसूस करते हैं, कि मामले के निर्णयाधीन काल में कम्पनी शायद अपनी सम्पत्ति अंतरित करने की चेष्टा करेगी । हम विधि फर्म नियुक्त कर चुके हैं और इस बात का पता लगाना उसका कार्य है और यदि ऐसी कोई बात होती है, तो निश्चित रूप से भारत सरकार को उचित कार्यवाही करने की सलाह देगी । इन सभी मामलों में, चूंकि इनमें कानूनी पेचीदगियां हैं, विधि फर्म हमें सलाह देगी, और हमारे कानूनी सलाहकार हमें सलाह देंगे और कानूनी सलाहकारों द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी, हम उसी के आधार पर कार्य करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री जी द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य श्री जंगा रेड्डी अपना संकल्प वापिस लेना चाहेंगे ? अथवा मैं, उसे सभा में मतदान के लिए रखूं ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं उसके लिए जोर नहीं डाल रहा हूं ।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोपाल गैस विभीषिका से उद्भूत होने वाले या उससे सम्बन्धित दावों के सम्बन्ध में शीघ्रता से, प्रभावी रूप से साम्यापूर्ण रूप से और दावेदारों के सर्वोत्तम हित में कार्यवाही की जाए, केन्द्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने के लिए और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डी० वी० पाटिल ने कई खण्डों के सम्बन्ध में संशोधनों की सूचना दी है । किन्तु जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था कि वह इन संशोधनों को प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे क्योंकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र जा रहे हैं ।

इसलिए मैं सभी खंड एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 2 से 12 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.41 म. प.

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प

और

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर विचार करेंगे।

हम मद 12 और 13 एक साथ लेते हैं। इस चर्चा के लिए एक घंटे का समय नियत किया जाता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, राष्ट्रपति द्वारा 8 मार्च, 1985 को प्रख्यापित स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

मैंने यह प्रस्ताव इसलिए रखा है कि यह अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा 8 मार्च को प्रख्यापित किया गया था और संसद की बैठक 13 मार्च को थी। राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है किन्तु आम तौर पर अध्यादेश तभी प्रख्यापित किए जाते हैं जब आपात स्थिति होती है। इस समय मेरे पास जो विधेयक और अध्यादेश उपलब्ध हैं, उसमें बहुत छोटा सा संशोधन है। सम्पत्ति और भूमि के अधिग्रहण की 15 वर्ष की अवधि चूंकि 10 मार्च को समाप्त होने वाली थी, इसलिए अत्यावश्यकता थी। इसलिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश 8 मार्च को प्रख्यापित किया। किन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक पिछले सत्र में क्यों नहीं रखा गया। हम लोग

जनवरी में मिले थे। इससे पता चलता है कि विभाग में अत्याधिक लापरवाही है और इसीलिए अन्ततोगत्वा राष्ट्रपति को यह अध्यादेश जारी करना पड़ा और संसद का अनुचित लाभ उठाया।

मैं इस अध्यादेश और इस प्रकार के अन्य अध्यादेशों को संसद की मर्यादा का अपमान मानता हूं। प्रश्न यह है कि जब संसद की बैठक 13 तारीख को होने वाली थी, तब यह अध्यादेश 8 तारीख को क्यों प्रख्यापित किया गया? संसद के बाहर के लोग इन बारीकियों को नहीं जाते हैं अब अधिग्रहण की अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाना चाहते हैं। 15 वर्षों के स्थान पर वे उसे 17 वर्ष तक बनाये रखना चाहते हैं और किसे पता है कि दो बाद वे 2 वर्ष की अवधि और बढ़ाने के लिए एक और अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में वे स्वयं भी निश्चित नहीं हैं। यह केवल निर्माण मन्त्रालय से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न सभी मन्त्रालयों से सम्बद्ध है और मेरे विचार से यह संसद के प्राधिकार की महान अवहेलना है और विभाग की लापरवाही बढ़कर राष्ट्रपति की मेज तक आ पहुंची है जहां कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश प्रख्यापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है और एतद्र्थ संसद की मर्यादा को ठेस पहुंची है।

इसके अलावा एक प्रश्न और उठता है। 15 वर्ष के लिए वे किसी सम्पत्ति अथवा भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं। अवधि इतनी ही थी। उन्हें यह निश्चित नहीं था कि उन्हें कितना समय और चाहिये। इस समय उन्होंने यह संशोधन रखा है कि उन्हें 2 वर्ष का और समय चाहिए। किन्तु इन सभी वर्षों के दौरान वे लोग सम्पत्ति और भूमि ही अधिग्रहीत करते रहे हैं। और अब तक वे 200 सम्पत्ति अधिग्रहीत कर चुके हैं जिसमें लगभग 8400 एकड़ भूमि है। और इसमें से अधिकतर बेकार है, क्योंकि इसे किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह एक राष्ट्रीय क्षति है। अतः विभागों को सतर्क रहना होगा और समय पर निर्णय लेने होंगे और प्रक्रिया को इस तरह से नहीं चलायेंगे जिससे संसद की गरिमा धूमिल हो और फिर उसके बाद अध्यादेश लाया जाये।

महोदय, आम जनता का यह विचार है कि संसद एक रबड़ की मोहर बन गई है। 8 मार्च को आपने अध्यादेश जारी किया और 13 मार्च को सदन की बैठक होने जा रही थी। इसी सिद्धांत के लिए सिर्फ मैंने यह संकल्प पेश किया है और मैं केवल माननीय निर्माण और आवास मंत्री को बल्कि सारे सदन को याद दिलाना चाहता हूं किस तरह से बहुत पहले श्री माधलंकर ने जो इस कुर्सी पर विराजमान होने वाले शायद सबसे महान व्यक्ति थे इस मामले को पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उठाया था और मैं उसे यहां उद्धृत करता हूं।

> "कार्यपालिका द्वारा केवल समय की कमी के कारण अध्यादेश जारी करना वास्तव में एक गलत प्रथा है। यह शक्ति केवल आपातकालीन स्थिति में, जब विधान मंडल की बैठक नहीं हो सकती, प्रयोग करने के लिए थी। समय की कमी के कारण अध्यादेश जारी करने का पूर्वदृष्टांत वांछनीय नहीं है, क्योंकि इस तरह से असुविधाजनक विधान भी लागू किये जा सकते हैं।"

अगर आप संसद के सत्र से पहले अध्यादेश जारी करने की आदत बना लेंगे तो काफी गलत काम अध्यादेशों के माध्यम से किए जा सकते है। मैं वह भी उद्धृत करना चाहता हूं जो

श्री मालवंकर ने उस समय इस सम्बन्ध में संसदीय कार्य मन्त्री को लिखा था। मैं उद्धृत करता हूं :

"अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया स्वाभाविक तौर पर अलोकतांत्रिक है। कोई अध्यादेश अनुचित है या नहीं, बहुत संख्या में अध्यादेश जारी करने से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग यह धारणा बनाने लगते हैं कि सरकार अध्यादेशों से चल रही है। सदन में यह महसूस किया जाता है कि उसकी उपेक्षा की जा रही है तथा केन्द्रीय सचिवालय में ढिलाई के कारण अध्यादेशों की आवश्यकता पड़ती है और यह धारणा पैदा की जाती है जैसे कि सदन किसी विशेष कानून के लिए बाध्य है, क्योंकि सदन के पास दूसरा कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि यह उस कानून पर जो अध्यादेश द्वारा बनाया गया है अपनी मोहर लगा दे। इस प्रकार की स्थिति उत्कृष्ट संसदीय परम्पराओं के विकास में सहायक नहीं है।"

महोदय, उपर्युक्त पत्र के जवाब में श्री जवाहर लाल नेहरू ने प्रधानमंत्री की हैसियत से 13 दिसम्बर 1950 को जो लिखा था वह यह है। मैं इसे उद्धृत करता हूं :

"मेरे विचार में मेरे सभी साथी आपके साथ सहमत होंगे कि साधारणतया अध्यादेश जारी करना वांछनीय नहीं है और विशेष तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसरों को छोड़कर अध्यादेश जारी नहीं किए जाने चाहिएं।"

और अब इसके बाद मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे केवल अनुरोध कर सकता हूं कि आपको इस सदन का सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए आगे आना होगा। अत: मैं इस संकल्प पर आग्रह करता हूं।

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्यसभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

महोदय, सरकार के पास चार दशकों से अधिक समय से स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण करने की शक्ति है। अधिनियम के अनुसार, जैसा कि 1980 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, सम्पत्तियां जिनका 10 मार्च, 1970 से पहले अधिग्रहण किया गया था उनका 15 वर्ष में अर्थात् 10 मार्च, 1985 तक, अधिग्रहण समाप्त करना होगा।

सन् 1980 में संसद द्वारा संशोधन विधेयक पारित करने के बाद निर्माण तथा आवास मन्त्रालय ने अप्रैल 1980 के दौरान अब तक 102 सम्पत्तियों को अधिग्रहण से मुक्ति दे दी है। निर्माण और आवास मन्त्रालय बाकी अधिग्रहण की गई सम्पत्तियों को भी मुक्त करने के लिए शीघ्र कदम उठा रहा है।

सारे देश में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिग्रहण की गई सम्पत्तियों की संख्या इस समय 200 से कम है और ये लगभग 8400 एकड़ भूमि की हैं। हालांकि ज्यादातर भूमि का रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिग्रहण किया गया है। फिर भी सरकार की मंशा विभिन्न विभागों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिग्रहण की गई सम्पत्तियों पर सख्त निगरानी रखने की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी 10 मार्च, 1970 को या इससे पहले अधिग्रहण की गई सम्पत्तियां दो वर्ष में अधिग्रहण से मुक्त कर दी जाएं और अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय में अन्य सम्पत्तियों को मुक्त करने के

लिए समय पर कार्यवाही की जाये। सम्पत्तियों को मुक्त करने और मुआवजे में संशोधन के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्तावित संशोधन से उन लोगों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनकी सम्पत्ति अधिग्रहणाधीन है।

इस स्थिति को देखते हुए, अधिनियम का संशोधन करना आवश्यक है, ताकि अधिग्रहण की गई जायदादों को अपने पास रखने का अधिक से अधिक समय 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सके। चूंकि 10 मार्च 1970 को या इससे पहले अधिग्रहण की गई सम्पत्तियों को रखने की अवधि 10 मार्च 1985 को समाप्त हो गई है और कुछ सम्पत्तियां जिसमें भूमि भी शामिल है, रक्षा और संचार जैसे मन्त्रालयों और दिल्ली प्रशासन आदि के पास है इसलिए एक अध्यादेश 8 मार्च, 1985 को जारी किया गया था, ताकि सरकार अधिग्रहण की गई सम्पत्तियों को अपने पास दो वर्ष तक और रख सके। यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस संशोधनकारी विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा में, विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए : पहला संकल्प प्रो० सैफुद्दीन सोज द्वारा पेश किया गया है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 मार्च 1985 को प्रख्यापित स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

दूसरा श्री अब्दुल गफूर द्वारा पेश किया गया संशोधन विधेयक है :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, पर विचार किया जाये।"

.....दोनों संकल्प तथा विधेयक सभा के समक्ष हैं।

श्री सुधीर राय (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित रूप में, को पुरःस्थापित किया है।

मैं प्रो० सैफुद्दीन सोज के साथ सहमत हूं कि इस अध्यादेश का जारी किया जाना बिलकुल ठीक नहीं है क्योंकि यह विधेयक सरकार पहले भी ला सकती थी। एक प्रजातांत्रिक राज्य में सरकार को लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। सरकार को नागरिकों की निजी सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अमीरों को छोड़ दिया जाता है और उसका मूल्य गरीबों को चुकाना पड़ता है।

जब नागरिकों की सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया जाता है तो यह देखा गया है कि गरीब किसानों, सीमांत किसानों तथा कम आय वर्ग के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि उनकी संपत्ति अधिग्रहण कर ली जाती है और उन्हें बाजार दर पर किराया नहीं मिलता। अगर वह न्यायालयों में जाये तो उन्हें न्याय नहीं मिलता है। इस देश में न्याय पाने में काफी समय लगता है। यह आम लोगों की पहुंच से बाहर है।

अतः मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि जब कभी भी सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जाये तो गरीब लोगों को किराया या मूल्य वर्तमान बाजार दर पर दिया जाना चाहिए। उनके साथ पूरा न्याय किया जाना चाहिए। मेरा यह अनुरोध है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं । मैं अपने प्रति वफादार नहीं रहूंगा अगर मैं इन अध्यादेशों की उद्घोषणा के संबंध में मंत्री महोदय को सलाह दिए बगैर इस अवसर को गंवा दूं । यह एक गलत प्रक्रिया है और भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मावलंकर ने समूची सरकार को यह चेतावनी दी थी और केवल उस मन्त्रालय को भी जिससे यह आशा की जा सकती है कि वह सरकार के मंत्रालयों या उसके प्रशासनों को यह सलाह दे कि वे किसी भी कार्य की मंजूरी लेने के लिए उचित समय पर सदन में आये और वह संसद की बैठक से कुछ हफ्ते या कुछ दिन पहले अध्यादेश जारी करने और उसके बाद इस तरह सम्पन्न हुए कार्य के रूप में विधान को पेश करने और इस तरह से प्रक्रिया को छोटा करने के एक सुस्त व्यक्ति की तरह अलोकतंत्रीय तरीके को न अपनाये । अतः, मैं संसदीय कार्य मंत्रालय को सुझाव देना चाहता हूं कि वह इसे सभी मंत्रालयों को बताए, ताकि वे भविष्य में इस तरह के तरीके का सहारा न ले और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक विधेयक संसद के अनुमोदन के लिए समय पर संसद के समक्ष लाया जाये और सामान्य प्रक्रिया से गुजरे । प्रशासन को लगभग अन्तिम क्षण तक या तारीख तक इन्तजार करने और उसके बाद बेचारे मंत्रियों को परेशानी में डाल करके उन्हें पहले अध्यादेश जारी करने के लिए बाध्य करने और फिर उसके बाद संसद से उसे पास करवाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । मैं आशा करता हूं संबंधित मंत्रालय मेरे माननीय मित्र द्वारा किए गए विरोध को समय पर दी गई उचित चेतावनी समझेंगे । मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष जी, यह जो विधेयक यहां आया है और इसके द्वारा, जो पहले किसानों की जमीन 15 साल के बाद छोड़ने का प्रावधान था, उसे बढ़ा कर 17 साल किया जा रहा है । आप दो साल के लिए एक्वीजीशन बढ़ाना चाहते हैं । जब आप दो साल के लिए यह और करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कम्पेनसेशन भी देना चाहिए । वह आप दे रहे हैं या नहीं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो द रिक्वीजिशनिंग एण्ड एक्वीजिशन आफ इम्मूवेबल प्रापर्टी अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया है इसका मैं समर्थन करता हूं ।

हमारे प्रोफेसर साहब ने इसके बारे में बड़ा जोरदार ऐतराज किया कि आर्डिनेंस नहीं निकाले जाने चाहिएं । इसके संबंध में उन्होंने मावलंकर साहब का निर्णय भी प्रस्तुत किया ।

मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इनको जानकारी है कि कश्मीर स्टेट में वहां की सरकार ने कितनी बार आर्डिनेंस निकाले हैं, क्या आपने कभी उन आर्डिनेंसिज का विरोध किया है, कभी इस प्वाएंट पर आपने एतराज किया है ?

ये आर्डिनेंस क्यों निकालने पड़ते हैं ? हिन्दुस्तान के अन्दर और आपकी स्टेट के अन्दर कितने आर्डिनेंस निकाले गए क्या कभी प्रोफेसर साहब ने इसको देखा है ? ये आर्डिनेंस

इसलिए निकालने पड़ते हैं कि हमारे आफिसर या अधिकारी समय पर सरकार को सचेत नहीं करते । उनकी लेप्सिज की वजह से इनको निकालना पड़ता है । कोई गलत काम हो रहा होता है और अधिकारीगण सरकार को खबरदार नहीं करते इसलिए ये आर्डिनेंस निकालने पड़ते हैं।

6.00 म० प०

यही कारण है । इसलिए वार्निंग तो मिलनी चाहिए उन अधिकारियों को जो उस डिपार्टमेंट में हैं, जिनकी वजह से आर्डिनेंस निकालना पड़ा । मंत्री जी ने तो उनको सेव करने के लिए यह सारा काम किया है । इसलिए जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए । इस प्रकार के प्रावधान की नितांत आवश्यकता है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 28 मार्च,1985 / 7 चैत्र, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

1985 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और ऐ० जे० प्रिन्टर्स, 5 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-2 द्वारा मुद्रित ।